आज़ादी का अमृत महोत्सव

G20 भारत 2023 INDIA

वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

सत्यमेव जयते

इस्पात मंत्रालय
भारत सरकार

'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण की दिशा में एक प्रमुख कार्य के रूप में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने भारतीय नौसेना के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में 2 सितंबर, 2022 को राष्ट्र को समर्पित, देश के पहले स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत, आईएनएस विक्रांत के लिए लगभग 30000 टन संपूर्ण डीएमआर ग्रेड के विशेष इस्पात की आपूर्ति की है।

वार्षिक रिपोर्ट
2022-23

इस्पात मंत्रालय

भारत सरकार

विषय सूची

क्रमांक	अध्याय	पृष्ठ सं.
I	मुख्य अंश	4
II	इस्पात मंत्रालय का संगठनात्मक ढांचा और कार्य	9
III	भारतीय इस्पात क्षेत्रः प्रगति और संभावना	13
IV	इस्पात नीतियाँ और नवीनतम पहलें	22
V	सार्वजनिक क्षेत्र	34
VI	निजी क्षेत्र	46
VII	क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी संस्थाएं और कौशल विकास	51
VIII	अनुसंधान और विकास	53
IX	इस्पात के उपयोग का संवर्धन	59
X	ऊर्जा, पर्यावरण प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन	65
XI	उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास	69
XII	अंतरराष्ट्रीय सहयोग	71
XIII	सूचना प्रौद्योगिकी का विकास	73
XIV	सुरक्षा	84
XV	समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण	89
XVI	सतर्कता	93
XVII	केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली तथा लंबित मामलों के लिए विशेष निपटान अभियान	102
XVIII	दिव्यांग और इस्पात	106
XIX	हिंदी का प्रगामी प्रयोग	108
XX	महिला सशक्तिकरण	112
XXI	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व	115
XXII	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन	126
	संलग्नक	129

अध्याय-1

मुख्य अंश

1.1 इस्पात के क्षेत्र में रुझान और विकास

- जनवरी से दिसम्बर 2022 की अवधि के दौरान, भारत क्रूड इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था। [अनंतिम, स्रोतः विश्व इस्पात संघ]

- विगत पाँच वर्षों में, क्रूड इस्पात का उत्पादन 2018 में 109.25 मिलियन टन (एमटी) से बढ़कर 2022 में 124.72 एमटी (अनंतिम) हो गया। 2022 में क्रूड इस्पात के उत्पादन में 2021 की तुलना में 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई।

- क्रूड इस्पात की घरेलू क्षमता 2018 में 142.236 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) से बढ़कर 2022 में 157.585 एमटीपीए हो गई।

- वर्ष 2022 (जनवरी–दिसम्बर) के दौरान, इस्पात उद्योग का परिदृश्य निम्नलिखित थाः

  (क) क्रूड इस्पात के 124.72 एमटी के कुल उत्पादन में से सेल, आरआईएनएल, टीएसएल समूह, एएम/एनएस, जेएसडब्लूएल और जेएसपीएल ने मिलकर 61% शेयर के साथ, 76.681 एमटी का उत्पादन किया जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.9% अधिक था। शेष 48.039 एमटी की मात्रा अन्य उत्पादकों से आई थी। क्रूड इस्पात के कुल उत्पादन में 82% शेयर के साथ, निजी क्षेत्र ने 102.618 एमटी क्रूड इस्पात का उत्पादन किया जो पिछले वर्ष से 7.7% अधिक था।

  ख) पिग आयरन का उत्पादन 6.283 एमटी था जो पिछले वर्ष से 7.3% अधिक था। पिग आयरन के कुल उत्पादन में से 20% शेयर के साथ, सेल, आरआईएनएल, टीएसएल समूह, जेएसडब्लूएल और जेएसपीएल ने मिलकर 1.233 एमटी का उत्पादन किया जो पिछले वर्ष से 22.1% कम था। शेष पिछले वर्ष की तुलना में 18.2% की वृद्धि के साथ, अन्य उत्पादकों से आया। निजी क्षेत्र ने 5.851 एमटी का उत्पादन किया जो पिछले वर्ष से 14.1% अधिक था।

  ग) वर्ष 2022 में कुल तैयार इस्पात (गैर–मिश्र धातु + मिश्र धातु/स्टेनलेस) के तथ्य (अनंतिम):

  - कुल तैयार इस्पात का उत्पादन 118.714 एमटी हुआ जो पिछले वर्ष से 6.0% की वृद्धि दर्शाता है।
  - कुल तैयार इस्पात का निर्यात 7.906 एमटी हुआ जो 38.2% के वार्षिक गिरावट को दर्शाता है।
  - कुल तैयार इस्पात का आयात 5.615 एमटी था जो पिछले वर्ष से 12.3% अधिक था।
  - भारत कुल तैयार इस्पात का एक शुद्ध निर्यातक था।

- कुल तैयार इस्पात की खपत 114.894 एमटी थी जो पिछले वर्ष से 8.2% की वृद्धि दर्शाती है।

पिछले पाँच वर्षों (2018–2022) के दौरान, कुल तैयार इस्पात के उत्पादन, खपत, आयात एवं निर्यात और क्रूड इस्पात के उत्पादन पर विस्तृत जानकारी निम्न तालिका में दर्शायी गयी है:

(मिलियन टन में)

मद	2018	2019	2020	2021	2022*
क्रूड इस्पात					
उत्पादन	109.250	111.344	100.256	118.201	124.720
तैयार इस्पात					
उत्पादन	100.574	104.062	92.231	111.953	118.714
खपत	96.737	102.622	89.331	106.226	114.894
आयात	7.295	7.440	4.463	5.001	5.615
निर्यात	6.692	8.205	10.150	12.799	7.906

स्रोतः जेपीसी; अनंतिम, जनवरी–दिसम्बर, 2022

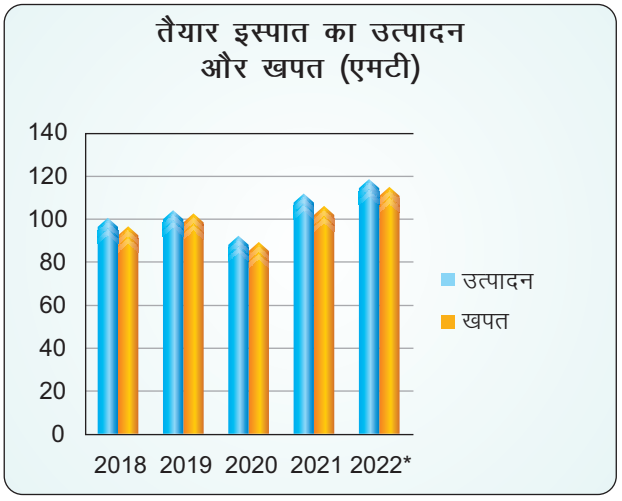

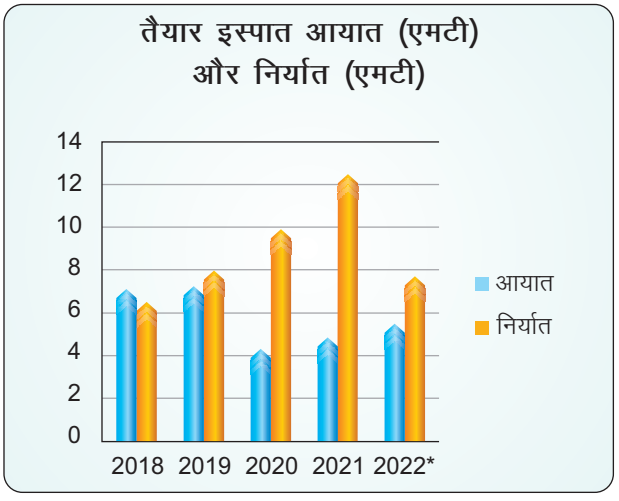

*अनंतिम

1.2 प्रमुख नीतिगत पहलें

उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना: विशेष इस्पात के घरेलू उत्पादन के लिए मंत्रिमंडल द्वारा 6322 करोड़ रुपए के परिव्यय से पीएलआई योजना अनुमोदित की गई है। यह योजना वित्त वर्ष 2023–24 से शुरू होनी नियत है (पीएलआई वित्त वर्ष 2024–25 में जारी की जानी है)। विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत चयनित 30 कंपनियों के 67 आवेदनों में से 57 एमओयू को अंतिम रूप दिया गया है। इसमें 25 मिलियन टन के डाउनस्ट्रीम क्षमता संवर्धन और 70000 लोगों की रोजगार सृजन संभावना के साथ 29530 करोड़ रु का प्रतिबद्ध निवेश आकर्षित होगा।

उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना: विशेष इस्पात के घरेलू उत्पादन के लिए मंत्रिमंडल द्वारा 6322 करोड़ रुपए के परिव्यय से पीएलआई योजना अनुमोदित की गई है। यह योजना वित्त वर्ष 2023–24 से शुरू होनी नियत है (पीएलआई वित्त वर्ष 2024–25 में जारी की जानी है)। विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत चयनित 30 कंपनियों के 67 आवेदनों में से 57 एमओयू को अंतिम रूप दिया गया है। इसमें 25 मिलियन टन के डाउनस्ट्रीम क्षमता संवर्धन और 70000 लोगों की रोजगार सृजन संभावना के साथ 29530 करोड़ रु का प्रतिबद्ध निवेश आकर्षित होगा।

पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान: इस्पात क्षेत्र में लॉजिस्टिक संबंधी चिंताओं को दूर करने, इस्पात मंत्रालय ने देश में कार्यरत 2100 से अधिक इस्पात इकाइयों की भू–स्थिति को अपलोड करके पीएम गतिशक्ति मास्टरप्लान के संबंध में अवसंरचना के प्रयोक्ता के तौर पर खुद को स्थापित किया है।

इस्पात में चक्रीय अर्थव्यवस्था: इस्पात मंत्रालय ने इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित किया है जिसमें भारत में धातु स्क्रैपिंग केन्द्रों की स्थापना को सुकर बनाने तथा प्रोत्साहित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की गई है। एमएसटीसी लिमिटेड, इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सीपीएसई ने मैसर्स महिन्द्रा एस्सेलो अर्थात महिन्द्रा एमएसटीसी रिसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड (एमएमआरपीएल) के साथ संयुक्त उद्यम में ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.), चेन्नई, पुणे, इंदौर, अहमदाबाद, और हैदराबाद में छह (6) वाहन स्क्रैपिंग केन्द्रों की स्थापना की है। एमएमआरपीएल ने देश में निकट भविष्य में और अधिक वाहन स्क्रैपिंग केन्द्रों की स्थापना करने की योजना बनाई है।

इस्पात संबंधी गुणवत्ता नियंत्रण: अब तक गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के तहत 145 भारतीय मानकों को अधिसूचित किया जा चुका है जिससे कि अंतिम उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त इस्पात की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के तहत मानकों को अधिसूचित किया गया है जिसमें कार्बन स्टील, अलॉय स्टील और स्टेनलेस स्टील शामिल हैं। इन क्यूसीओ में 144 भारतीय मानक लागू किए जा चुके हैं।

बीजू पटनायक नेशनल स्टील इंस्टीट्यूट (बीपीएनएसआई): कलिंगनगर, जाजपुर, ओडिशा: संस्थान के उन्नयन के लिए पुनर्गठन कार्य के भागस्वरूप, संस्थान के निदेशक मंडल का हाल ही में अक्टूबर, 2022 में अर्थात् 05 वर्षों के अंतराल के बाद पुनर्गठन किया गया है और 15.02.2023 को संस्थान के एक नियमित निदेशक की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा निदेशक की अध्यक्षता में अकादमिक परिषद गठित करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेण्डरी स्टील टेक्नोलॉजी (एनआईएसएसटी), मंडी गोविंदगढ, पंजाब:- एनआईएसएसटी द्वितीयक इस्पात क्षेत्र के लिए इस्पात नीति तैयार करने के संबंध में कार्य कर रहा है।

इस्पात मंत्रालय के सलाहकार समूह: माननीय नागर विमानन और इस्पात मंत्री की अध्यक्षता में दो सलाहकार समूह, एक एकीकृत इस्पात संयंत्रों (आईएमपी) के लिए तथा दूसरा द्वितीयक इस्पात उद्योग (एसएसआई) के लिए, का गठन किया गया है। इन दोनों सलाहकार समूहों का उद्देश्य उद्योग को बाधित करने वाले सामान्य मुद्दों की पहचान करना तथा मंत्रालय की सक्रिय सहभागिता से उनके समाधान हेतु उपाय तलाशना है।

प्रत्येक सलाहकार समूह में उद्योग/पूर्व सरकारी अधिकारियों/शैक्षणिक समुदाय/संघो के प्रमुखों इत्यादि से सदस्य हैं।

1.3 वर्ष 2022-23 के दौरान, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के मुख्य अंश

1.3.1 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

- 13.337 एमटी क्रूड इस्पात का उत्पादन और 10.918 एमटी तैयार इस्पात का उत्पादन हुआ है (दिसम्बर, 2022 तक)।
- विगत वर्ष की समान अवधि (सीपीएलवाई) के दौरान, बिक्री कारोबार रु. 74810 करोड़ की तुलना में रु. 72220 करोड़ (दिसंबर 2022 तक) हुआ है।

- विगत वर्ष की समान अवधि (सीपीएलवाई) के दौरान, रु. 12829 करोड़ के पीबीटी की तुलना में रु. 1157 करोड़ (दिसंबर 2022 तक) का कर–पूर्व लाभ (पीबीटी) दर्ज हुआ है।

- विगत वर्ष की समान अवधि के दौरान रू 9597 करोड़ की तुलना में रु. 854 करोड़ (दिसंबर, 2022 तक) का कर पश्चात लाभ अर्जित हुआ है।

- कंपनी का नेट–वर्थ 31.03.21 को रु. 43,495 करोड़, 31.03.22 को रु. 52,017 करोड़ और 31.12.22 को रु. 52,190 करोड़ था।

1.3.2 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

- 2.909 एमटी क्रूड इस्पात का उत्पादन और 2.722 एमटी बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन किया गया। (दिसंबर, 2022 तक)

- बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन में हुई 71% वृद्धि की तुलना में 2.494 एमटी तैयार इस्पात घटक में 92% की वृद्धि दर्ज की गयी। (दिसंबर, 2022 तक)

- बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन (2.722 एमटी में से 0.742 एमटी) में 18% वृद्धि की तुलना में हाई एंड मूल्य वर्धित इस्पात घटक में 27% वृद्धि दर्ज हुई। (दिसंबर, 2022 तक)

- रु. 14,858 करोड़ की घरेलू बिक्री और रु. 760 करोड़ की निर्यात बिक्री के साथ, रु. 15,643 करोड़ की कुल बिक्री हुई। (अनंतिम, दिसंबर, 2022 तक)

- 31.03.2022 को कंपनी का नेटवर्थ रु. 3175 करोड़ और 31.12.2022 को रु. 479 करोड़ था।

- रु. (–) 3025.94 करोड़ का पीबीटी (अनंतिम, दिसंबर 2022 तक) दर्ज किया गया है।

- रु. (–) 2751.34 करोड़ का पीएटी (अनंतिम, दिसंबर 2022 तक) दर्ज किया गया है।

1.3.3 एनएमडीसी लिमिटेड

- 26.69 एमटी लौह अयस्क का उत्पादन (दिसंबर, 2022 तक) हुआ है।

- कुल बिक्री 25.81 एमटी (दिसंबर 2022 तक) दर्ज की गयी।

- रु. 11,816 करोड़ का कारोबार (दिसंबर, 2022 तक) दर्ज किया गया।

- रु. 4,351 करोड़ का पीबीटी (दिसंबर, 2022 तक) दर्ज किया गया।

- रु. 3,252 करोड़ का पीएटी (वास्तविक, दिसंबर, 2022 तक) दर्ज किया गया।

1.3.4 मॉयल लिमिटेड

- 8.99 लाख टन मैंगनीज अयस्क का उत्पादन (अनंतिम, दिसंबर 2022 तक) दर्ज किया गया है।
- कंपनी की कुल आय रु. 961.65 करोड़ (अनंतिम, दिसंबर 2022 तक) दर्ज किया गया है।
- रु. 227.02 करोड़ का पीबीटी (अनंतिम, दिसंबर 2022 तक) दर्ज किया गया है।
- रु. 169.89 करोड़ का पीएटी (अनंतिम दिसंबर 2022 तक) दर्ज किया गया है।
- दिनांकः 31.03.2022 को कंपनी का नेटवर्थ रु. 2141.51 करोड़ और दिनांकः 31.12.2022 को रु. 2246 करोड़ (अनंतिम) था।

1.3.5 मेकॉन लिमिटेड

- रु. 471.61 करोड़ का कारोबार (अनंतिम, दिसंबर, 2022 तक) दर्ज किया गया है।
- दिनांकः 31.03.2022 को कंपनी का नेटवर्थ रु. 367.65 करोड़ (अनंतिम) था।
- रु. (–) 64.10 करोड़ का पीबीटी/पीएटी (अनंतिम, दिसंबर, 2022 तक) दर्ज किया गया।

1.3.6 एमएसटीसी लिमिटेड

- रु. 231.64 करोड़ (अनंतिम, दिसंबर 2022 तक) का कारोबार हुआ है।
- रु. 198.77 करोड़ का पीबीटी (अनंतिम, दिसंबर 2022 तक) प्राप्त हुआ है।
- रु. 149.64 करोड़ का पीएटी (अनंतिम, दिसंबर 2022 तक) प्राप्त हुआ है।

1.3.7 केआईओसीएल लिमिटेड

- दिसंबर, 2022 तक 8.340 लाख टन लौह अयस्क के पेलेट का उत्पादन हुआ।
- दिसंबर, 2022 तक 7.648 लाख टन लौह अयस्क के पेलेट की बिक्री हुई।
- दिसंबर, 2022 तक रु. 815.05 करोड़ का कारोबार हुआ है।
- रु. (–)181.64 करोड़ का पीबीटी/पीएटी (अनंतिम, दिसंबर 2022 तक) दर्ज किया गया है।

अध्याय-2

इस्पात मंत्रालय का संगठनात्मक ढांचा और कार्य

2.1 प्रस्तावना

इस्पात मंत्रालय केंद्रीय इस्पात मंत्री के प्रभार के अंतर्गत आता है और उन्हें इस्पात राज्य मंत्री का सहयोग मिलता है। यह मंत्रालय लौह एवं इस्पात उद्योग के नियोजन एवं विकास, लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैंगनीज अयस्क, क्रोमाइट, फेरो–अलॉय, स्पंज आयरन आदि जैसे आवश्यक इनपुट के विकास और अन्य सम्बंधित कार्यों के लिए उत्तरदायी है। मंत्रालय को आवंटित विषयों के विवरण **अनुलग्नक–I** में देखे जा सकते हैं। प्रभारी मंत्री और उप–सचिव स्तर तक के अधिकारियों के विवरण **अनुलग्नक–II** में दिए गए हैं। इस्पात मंत्रालय में 246 कर्मचारियों का स्वीकृत संख्याबल है जिसमें से 182 कर्मचारी 31 दिसंबर, 2022 की स्थिति के अनुसार पदस्थापित हैं।

2.1.1 इस्पात मंत्रालय के मुख्य कार्य

- इस्पात के घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आवश्यक अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देना।
- घरेलू और बाह्य स्रोतों से इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल की समुचित उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना।
- इस्पात उद्योग के विभिन्न खण्डों के लिए एक समग्र डेटा बेस का निर्माण और अद्यतनीकरण।
- सीपीएसई के भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन तथा परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय की निगरानी करना।
- एमओयू में की गई प्रतिबद्धताओं के निष्पादन तथा सीपीएसई के आधुनिकीकरण तथा विस्तार कार्यक्रम की निगरानी करना।
- तकनीकी–आर्थिक मापदंडों में अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी पहल, गुणवत्ता नियंत्रण एवं सुधारों के माध्यम से लौह एवं इस्पात उद्योग के प्रदर्शन में सुधार को सुसाध्य बनाना।
- प्रोत्साहन सम्बन्धी प्रयासों के माध्यम से इस्पात के लिए घरेलू माँग को बढ़ावा देना।

2.1.2 मुख्य प्रभाग

मंत्रालय में 36 अनुभाग हैं जो विभिन्न विषयों पर कार्य करते हैं। मुख्य प्रभागों में बोर्ड स्तर की नियुक्तियाँ, समन्वय, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, कच्चा माल, तकनीकी एवं औद्योगिक विकास (मेक इन इंडिया), इस्पात विकास (संस्थान), सेल, एमएफ, एनएमडीसी, मेकॉन, आरआईएनएल, केआईओसीएल, मॉयल, व्यापार एवं कराधान, सूचना प्रौद्योगिकी और ई–प्रशासन तथा औद्योगिक विकास (जलवायु और पर्यावरण) सम्मिलित हैं।

2.2 इस्पात मंत्रालय के अन्य सम्बंधित संगठन

2.2.1 संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)

2.2.1.1 आईएसओ 9001 के साथ मान्यताप्राप्तः 2015 के प्रमाणीकरण के साथ, संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में देश का एकमात्र संस्थान है जो भारतीय लौह और इस्पात उद्योग संबंधी आँकड़ें एकत्रित करता है, जिसके परिणामस्वरूप इस उद्योग के सम्पूर्ण और गैर–पक्षपातपूर्ण डाटाबैंक का निर्माण और अनुरक्षण किया जाता है। जेपीसी का मुख्यालय कोलकाता में है जिसकी उपस्थिति आँकड़ों के एकत्रीकरण में संलग्न क्षेत्रीय एवं विस्तार कार्यालयों के माध्यम से पूरे भारत में है।

2.2.1.2 वर्तमान में जेपीसी का नेतृत्व इस्पात मंत्रालय के अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार द्वारा इसके अध्यक्ष के रूप में किया जा रहा है और इसमें भारत सरकार, इस्पात उत्पादकों, इस्पात संघों और अन्य संगठनों के प्रतिनिधि इसके सम्मानित सदस्य के रूप में होते हैं। जेपीसी लोहे और इस्पात के आँकड़ों का संकलन और डाटाबेस का प्रबंधन करती है जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- सभी इस्पात उत्पादक इकाईयों की क्षमता, भंडार, उत्पादन के आँकड़े।
- लौह और इस्पात की मुख्य श्रेणियों के घरेलू खुदरा बाजार के मूल्य।
- पिग आयरन, स्पंज आयरन, तैयार इस्पात, स्क्रैप के निर्यात और आयात के आँकड़ें।
- डाटाबेस में प्राप्त मद के रूप में खपत संबंधी आँकड़ों की विशेषताएँ।
- इस्पात की चुनिंदा मदों की एफओबी, सीआईएफ मूल्य और आयातित माल की लागत।
- लौह अयस्क, कोयला एवं कोक, रिफ्रैक्टरी जैसे कच्चे माल के संरक्षित भंडार, उत्पादन, निर्यात, आयात, मूल्य के आँकड़ें।
- तैयार इस्पात का मदवार, राज्य–वार प्रेषण।
- विभिन्न खंडों के सर्वेक्षणों के दौरान, सम्पूर्ण भारत के फील्ड स्तर के एकत्रीकरण में सक्रिय भूमिका।
- इस्पात उद्योग में उभरते हुए रुझानों को समझने के लिए बाजार के अध्ययन।
- इस्पात मंत्रालय के लिए गोष्ठियों और प्रदर्शनियों को संगठनात्मक सहायता।

2.2.1.3 मासिक और वार्षिक आधार पर, प्रकाशनों और आँकड़ों के प्रतिवेदनों की एक श्रृंखला से उद्योग के सभी हितधारकों के लिए सूचना और आँकड़ों का प्रसार सुनिश्चित होता है। एक ऑनलाइन पूछताछ नमूने के साथ, एक सक्रिय वेबसाइट और एक मोबाइल ऐप सभी हितधारकों के लिए वास्तविक समय के आँकड़ों तक पहुँच को सुनिश्चित करता है।

2.2.2 इस्पात मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची निम्नवत है:

क्रमांक	कंपनी का नाम	मुख्यालय	प्रमुख सहायक कंपनी
1.	सेल (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड)	इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003	सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड, पोस्ट बैग सं. 565, सेलम–636005 (तमिलनाडु)
2.	आरआईएनएल (राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड)	प्रशासनिक भवन, विशाखापट्नम–530031 (आंध्र प्रदेश)	**(i) ईआईएल, बीएसएलसी** हाल प्लॉट सं. 428/3855, मौजा, गौतम नगर, जयदेव नगर, लेविस रोड, नागेवर टंगी, ओडिशा खोरधा, ओडिशा – 751002, भारत **(ii) ओएमडीसी** सेल कार्यालय, भूतल, भूखंड सं. 271, विद्युत् मार्ग, शास्त्री नगर, इकाई–iv, भुवनेश्वर, ओडिशा–751001
3.	एनएमडीसी लिमिटेड (नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड)	खनिज भवन, 10–3–311/ए, कैसल हिल्स, मसाब टैंक, हैदराबाद–500028 (तेलंगाना)	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड द्वारा एनएमडीसी लिमिटेड, खांजी भवन, कैस्टल हिल्स, मसाब टैंक, हैदराबाद, तेलंगाना–500028, भारत
4.	मॉयल लिमिटेड	मॉयल भवन, 1–ए, कटोल रोड, नागपुर–440013 (महाराष्ट्र)	
5.	एमएसटीसी लिमिटेड	एमएसटीसी लिमिटेड, प्लॉट सं. सीएफ–18/2, स्ट्रीट सं. 175, एक्शन एरिया 1सी, न्यू टाउन, कोलकाता–700156	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल) एफएसएनएल भवन, इक्विपमेंट चौक, सेंट्रल एवेन्यू, भिलाई–490001 (छत्तीसगढ़)
6.	मेकॉन लिमिटेड	मेकॉन लिमिटेड, विवेकानंद पथ, डोरंडा, राँची–834002 (झारखण्ड)	
7.	केआईओसीएल लिमिटेड	II ब्लॉक, कोरामंगला II, बेंगलुरु–560034 (कर्नाटक)	

2.3 31 जनवरी, 2023 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट

एएस और एफए	:	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
एएस	:	अपर सचिव
जेएस	:	संयुक्त सचिव
सीसीए	:	मुख्य लेखा नियंत्रक
सीसीए	:	मुख्य लेखा नियंत्रक
ईए	:	आर्थिक सलाहकार
डीडीजे	:	उप महानिदेशक
आईए	:	औद्योगिक सलाहकार
डिर	:	निदेशक
डीएस	:	उप सचिव
डीडी	:	उप निदेशक
एडी	:	सहायक निदेशक
यूएस	:	अवर सचिव

एक से अधिक अधिकारियों को रिपोर्ट करने वाले निदेशकों/डीएस'ओं/यूएस'ओं को स्पष्टता के लिए एक से अधिक बार दर्शाया गया है

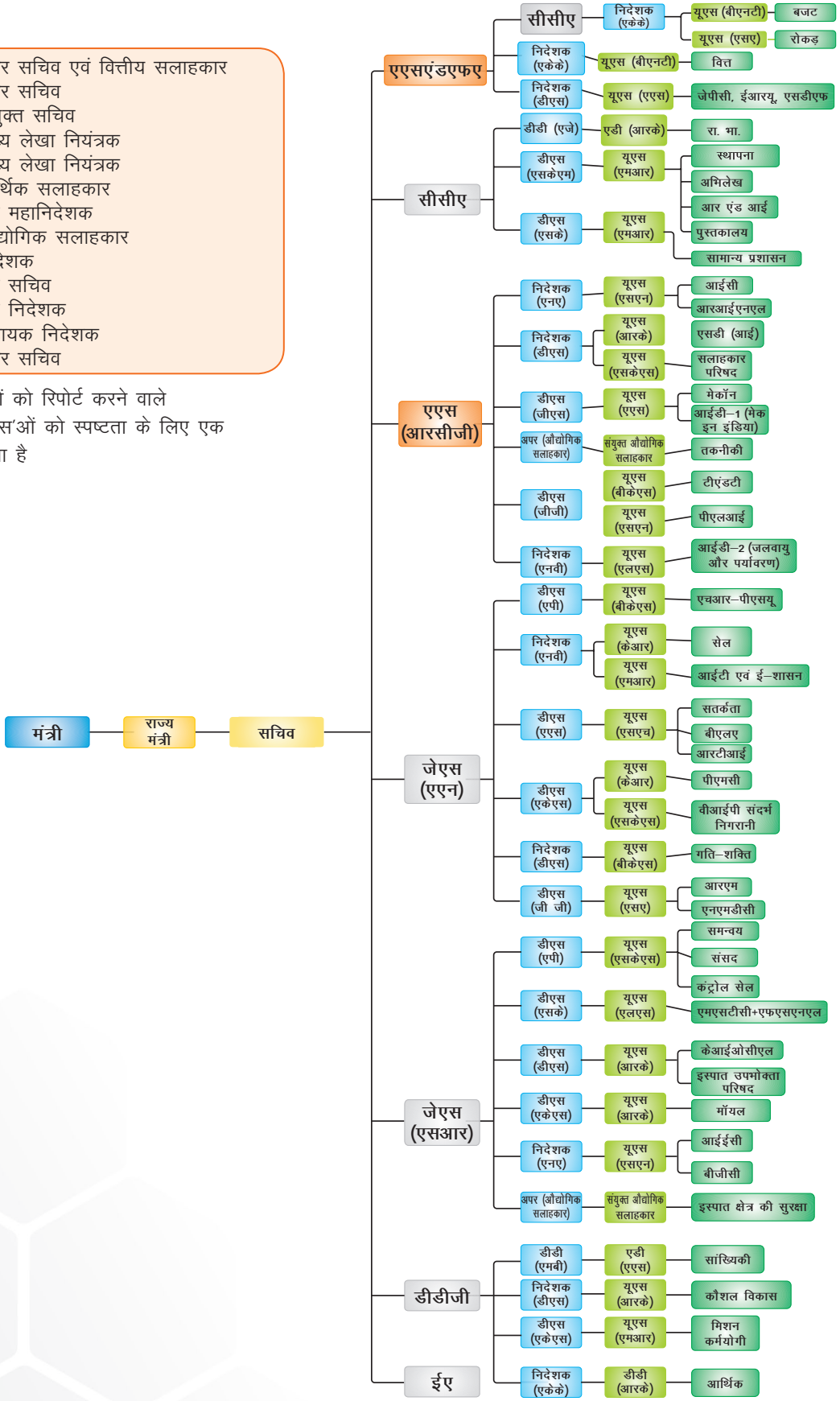

अध्याय-3

भारतीय इस्पात क्षेत्र: प्रगति और संभावना

3.1 प्रस्तावना

1947 में स्वतंत्रता के समय, भारत के पास इस्पात के केवल तीन संयंत्र थे; टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी और विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड और कुछ इलेक्ट्रिक आर्क आधारित संयंत्र। इस प्रकार, 1947 की अवधि तक देश एक छोटा परन्तु व्यावहारिक इस्पात उद्योग का साक्षी बना जो लगभग 1 मिलियन टन की क्षमता से संचालित होता था और पूरी तरह से निजी क्षेत्र में था। स्वतंत्रता के समय, एक मिलियन टन क्षमता की स्थिति से उबरकर, भारत अब विश्व में दूसरे सबसे बड़े क्रूड इस्पात के उत्पादक और स्पंज आयरन के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा है। नगण्य वैश्विक उपस्थिति से, भारतीय इस्पात उद्योग को अब वैश्विक रूप से इसके उत्पादों की गुणवत्ता के लिए पहचाना जाता है। चूँकि भारतीय इस्पात उद्योग ने स्वतंत्रता के बाद से अपने लम्बे इतिहास को पार किया है, इसने व्यवसाय के उच्च और निम्न चक्रों की चुनौतियों का सामना किया है। पहली प्रमुख चुनौती उस समय की अर्थव्यवस्था के अनुसार, पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान तब आई तो इस्पात उद्योग को राज्य के नियंत्रण के लिए निर्धारित किया गया। 50 के दशक के मध्य से 1970 के प्रारंभ तक, भारत सरकार ने भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो में निजी क्षेत्र में बड़े एकीकृत इस्पात संयंत्रों को स्थापित कियास इन वर्षों के दौरान, उद्योग को नियंत्रित करने वाले नीतिगत व्यवस्था में निम्न बिंदु सम्मिलित थे:

- **क्षमता नियंत्रण के उपाय:** सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए क्षमता को लाइसेंस के अंतर्गत लाना, बड़े स्तर पर क्षमता निर्माण को आरक्षित करना।
- **एक दोहरी मूल्य प्रणाली:** निजी और सार्वजनिक, दोनों क्षेत्रों में एकीकृत, बड़े स्तर के उत्पादकों के लिए मूल्य और वितरण पर नियंत्रण, जबकि शेष उद्योग मुक्त बाजार में संचालित हुए।
- मात्रात्मक प्रतिबन्ध और उच्च शुल्क के अवरोध।
- **रेलवे मालभाड़ा समता नीति:** संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास सुनिश्चित करना।
- प्रौद्योगिकी, पूंजीगत सामान सहित इनपुट्स के आयात पर नियंत्रण और वित्त एवं निर्यातों पर प्रतिबन्ध।

3.1.1 इन वर्षों के दौरान, निजी क्षेत्र में बड़े स्तर पर क्षमता में हुई वृद्धि ने भारत को विश्व के 10वें सबसे बड़े इस्पात उत्पादक बनाने में योगदान दिया, क्योंकि क्रूड इस्पात के उत्पादन में 1947 के मात्र 1 मिलियन टन से एक दशक के अन्दर लगभग 15 मिलियन टन तक की स्पष्ट वृद्धि दर्ज की गयी, परन्तु इस रुझान को 1970 के दशक के अंत एवं उससे आगे नहीं बनाए रखा जा सका क्योंकि आर्थिक मंदी ने भारतीय इस्पात उद्योग के विकास की गति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। हालाँकि, यह स्थिति 1991–92 में उस समय पलट गयी,

जब देश ने उदारीकरण और अविनियमन से नियंत्रण की व्यवस्था को बदल किया। 1990 के दशक के प्रारंभ में आरंभ की गयी नई आर्थिक नीति के प्रावधानों ने निम्नलिखित तरीकों से भारतीय इस्पात उद्योग को प्रभावित किया:

- बड़े स्तर की क्षमताओं को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से हटा दिया गया। अतिरिक्त क्षमताओं के लिए लाइसेंस की आवश्यकता को भी स्थानीय प्रतिबंधों के अधीन वापस ले लिया गया।
- निजी क्षेत्र समग्र ढ़ांचे में एक प्रमुख भूमिका निभाने आ गए।
- मूल्य निर्धारण और वितरण नियंत्रण के तंत्र को बंद कर दिया गया।
- लौह और इस्पात उद्योग को विदेशी निवेश के लिए उच्च प्राथमिकता की सूची में सम्मिलित कर लिया गया जिसमें सामान्य रूप से ऐसे निवेशों को नियंत्रित करने वाली विदेशी मुद्रा और अन्य शर्तों के अधीन, 50% तक विदेशी इक्विटी में भागीदारी के लिए स्वतः अनुमोदन अन्तर्निहित था।
- मालभाड़ा समता योजना को मालभाड़ा उच्चतम सीमा प्रणाली से बदल दिया गया।
- मात्रात्मक आयात प्रतिबंधों को अधिकतर हटा लिया गया। निर्यात प्रतिबंधों को हटा लिया गया।

3.1.2 इस्पात निर्माताओं के लिए, अर्थव्यवस्था के खुलने से विदेशी बाजारों से प्रतिस्पर्धी दरों पर उनके इनपुट की खरीद के नए चैनल और उनके उत्पादों के लिए नए बाजारों को भी अनुमति प्रदान की गयी। इसने विनिर्माण में वैश्विक प्रचालनों/तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया। इसने प्रतिस्पर्धी वैश्विक बाजार के दबावों के साथ दक्षता के स्तरों में वृद्धि करने की आवश्यकता को बढ़ा दिया, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना जा सके। दूसरी ओर, इस्पात के उपभोक्ता अब वस्तुओं की एक श्रृंखला से वस्तुओं का चयन करने में सक्षम था, चाहे वह स्वदेशी रूप से निर्मित हो या आयातित हो। 1992 में अर्थव्यवस्था के खुलने के साथ, देश ने इस्पात निर्माण की क्षमता में तीव्र वृद्धि का अनुभव किया। एस्सार इस्पात, इस्पात इंडस्ट्रीज, जिंदल ग्रुप आदि द्वारा निजी क्षेत्र में बड़े एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। टाटा इस्पात ने भी अपनी क्षमता का विस्तार किया। इस अवधि में कुछ उल्लेखनीय मील के पत्थरों में निम्नलिखित सम्मिलित थे:–

- अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित लगभग 9 मिलियन टन इस्पात निर्माण की क्षमता के साथ निजी क्षेत्र का उदय।
- शुल्क अवरोधकों में कमी/समाप्ति, व्यापार खाते पर रुपये का आंशिक प्रवाह, वैश्विक प्रौद्योगिकियों की सर्वोत्तम प्रक्रिया तक पहुंच और लागत में परिणामी कमी–इन सभी ने विश्व निर्यात बाजार में भारतीय इस्पात की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि की।

3.1.3 1996–97 के बाद, घरेलू अर्थव्यवस्था की विकास दर में लगातार गिरावट के साथ, भारतीय इस्पात उद्योग के विकास की गति धीमी हो गई और सभी प्रदर्शन संकेतकों–क्षमता निर्माण, उत्पादन, खपत, निर्यात और मूल्य/लाभप्रदता के संदर्भ में उद्योग का प्रदर्शन औसत से नीचे चला गया। विदेश व्यापार में, भारतीय इस्पात को भी पाटनरोधी/रक्षोपाय शुल्कों के अधीन कर दिया गया था, क्योंकि अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाओं में गैर–प्रशुल्क बाधाओं कों लागू किया गया था। एशियाई वित्तीय संकट के कारण हुई आर्थिक तबाही, वैश्विक अर्थव्यवस्था की मंदी और इस्पात के उत्पादन में सक्रिय नए देशों (पूर्ववर्ती यूएसएसआर की इस्पात अधिशेष की अर्थव्यवस्थाओं) से अतिरिक्त आपूर्ति द्वारा निर्मित ग्लूट के प्रभाव ऐसे कारक थे जिन्होंने विकास के स्तर को नीचे की ओर ढकेल लिया। हालांकि, वर्ष 2002 से वैश्विक उद्योग का कायापलट हुआ जिसमें चीन ने पर्याप्त सीमा तक सहयोग किया जिसकी शानदार आर्थिक वृद्धि और तेजी से बढ़ते आधारभूत ढाँचे के कारण इस्पात की अत्यधिक माँग बढ़ गई, जिसे इसकी घरेलू आपूर्ति पूरी नहीं कर सकती थी। इसी समय, प्रमुख बाजारों की रौनक लौट आई जो उत्पादन में वृद्धि, मूल्यों की प्रतिपूर्ति, लाभप्रदता की वापसी, नए बाजारों के उभरने, व्यापार अवरोधकों को हटाने और अंत

में, इस्पात की माँग में वृद्धि वैश्विक स्तर पर परिलक्षित हुई। भारतीय इस्पात उद्योग के लिए स्थिति अलग नहीं थी जो गहन अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर बल देने, घरेलू प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत को बढ़ाने के उपायों और बाजार के अन्य विकास परियोजनाओं, आयात प्रतिस्थापन उपायों को अपनाने, निर्यात प्रोत्साहन पर बल देने और निवेश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैश्विक अवसरों को तलाशने के साथ, अब तक परिपक्वता का स्तर प्राप्त कर चुका था। पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाकर विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी इस्पात उद्योग विकसित करने के लिए, सरकार ने वर्ष 2019 के दौरान इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित किया है।

3.1.4 उद्योग के विकास की तीव्र गति और बाजार में देखे गए रुझानों की वजह से कुछ दिशानिर्देश और ढाँचे अपेक्षित हुए। इस प्रकार, राष्ट्रीय इस्पात नीति की अवधारणा को भारतीय इस्पात उद्योग की प्रगति और विकास के लिए एक ढाँचा तैयार करने के उद्देश्य से विकसित किया गया। राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी) की घोषणा नवंबर 2005 में एक आत्मनिर्भर और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए एक आधारभूत ब्लू प्रिंट के रूप में की गई थी। राष्ट्रीय इस्पात नीति 2005 का दीर्घकालिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भारत के पास विश्व स्तर का एक आधुनिक और कुशल इस्पात उद्योग हो, जो इस्पात की विविध माँग को पूरा कर सके। इस नीति का केंद्रबिंदु दक्षता और उत्पादकता के वैश्विक मापदंड के संदर्भ में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के स्तर को प्राप्त करना था। समय बीतने और घरेलू इस्पात उद्योग में निरंतर वृद्धि के साथ, यह अनुभव किया गया कि एनएसपी 2005 को बदलते समय के साथ तालमेल बिठाने की आवश्यकता है। तदनुसार, एक विस्तृत समीक्षा के बाद, सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 को जारी किया है जिसमें तकनीकी रूप से उन्नत और वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने वाले प्रतिस्पर्धात्मक इस्पात उद्योग को सृजित करने के दृष्टिकोण के साथ, 2030–31 तक भारतीय इस्पात उद्योग के लिए माँग और आपूर्ति के परिपेक्ष्य में दीर्घकालिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक ढाँचा स्थापित किया गया है। साथ ही, वर्तमान नियंत्रणमुक्त, उदार आर्थिक/बाजार परिदृश्य में एक सुविधाप्रदाता के रूप में, सरकार ने सरकारी खरीद में घरेलू स्तर पर निर्मित लौह और इस्पात उत्पादों को वरीयता प्रदान करने के लिए एक नीति की भी घोषणा की है। इसी के साथ वर्तमान नियंत्रणमुक्त उदारीकृत आर्थिक/बाजार परिदृश्य में एक सुविधा प्रदाता के रूप में सरकार ने सरकारी खरीद में घरेलू रूप से विनिर्मित लोहा और इस्पात उत्पादों को वरीयता देने के लिए एक नीति अर्थात घरेलू रूप से विनिर्मित लोहा और इस्पात उत्पाद (डीएमआईएंडएसपी) भी घोषित की है। इस नीति का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री के राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य के साथ, 'मेक इन इंडिया' के ध्येय को पूरा करना और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है और यह सभी सरकारी निविदाओं पर लागू होता है जिनमें मूल्य की बोली अभी लगाई जानी बाकी है।

3.2 इस्पात का उत्पादन, खपत और विकास

3.2.1 नीचे दी गई तालिका पिछले पांच वर्षों में देश में कुल तैयार इस्पात (मिश्र + गैर–मिश्र धातु) के उत्पादन, आयात, निर्यात और खपत की प्रवृत्ति को दर्शाती है:

वर्ष	कुल तैयार इस्पात (मिश्र + गैर-मिश्र धातु)			
	उत्पादन	आयात	निर्यात	खपत
2018	100.574	7.295	6.692	96.737
2019	104.062	7.440	8.205	102.622
2020	92.231	4.463	10.15	89.331
2021	111.953	5.001	12.799	106.226
2022*	118.714	5.615	7.906	114.894

स्रोतः जेपीसी; *अनंतिम, जनवरी–दिसंबर, 2022

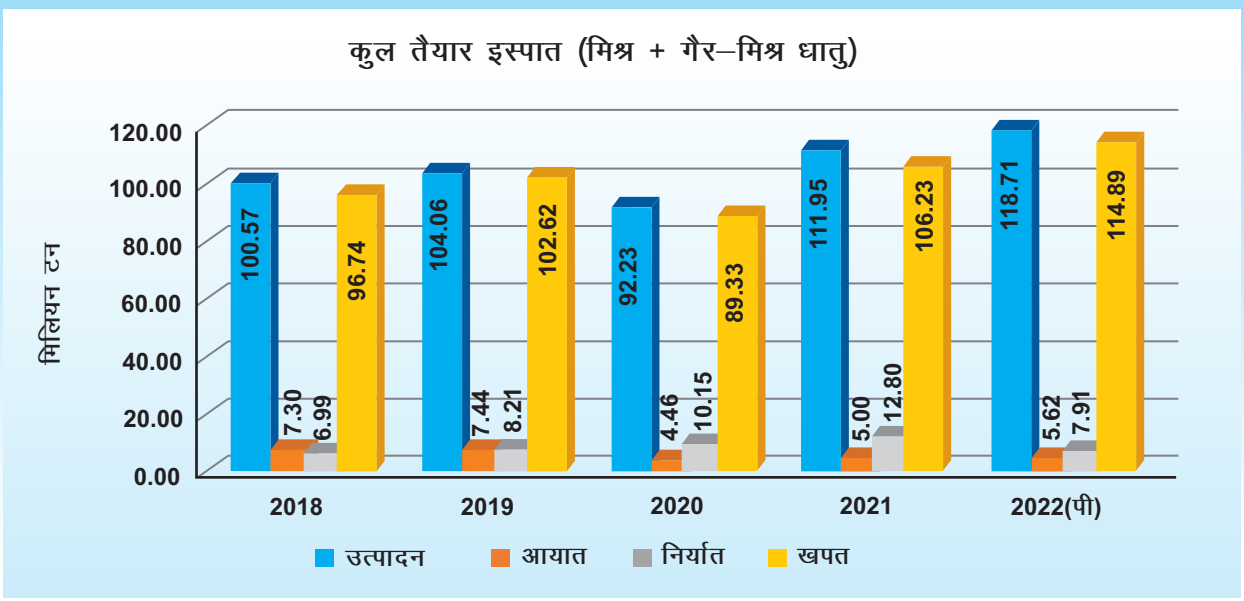

3.2.2 नीचे दी गई तालिका पिछले पांच वर्षों में देश में कुल तैयार इस्पात (मिश्र + गैर–मिश्र धातु) के उत्पादन, आयात, निर्यात और खपत की प्रवृत्ति को दर्शाती है:

	क्रूड इस्पात		
वर्ष	**क्षमता (एमटी)**	**उत्पादन (एमटी)**	**क्षमता उपयोग %**
2018	142.236	109.250	77
2019	142.299	111.344	78
2020	143.914	100.256	70
2021	154.062	118.201	77
2022*	157.585	124.720	79

स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम, जनवरी–दिसंबर, 2022

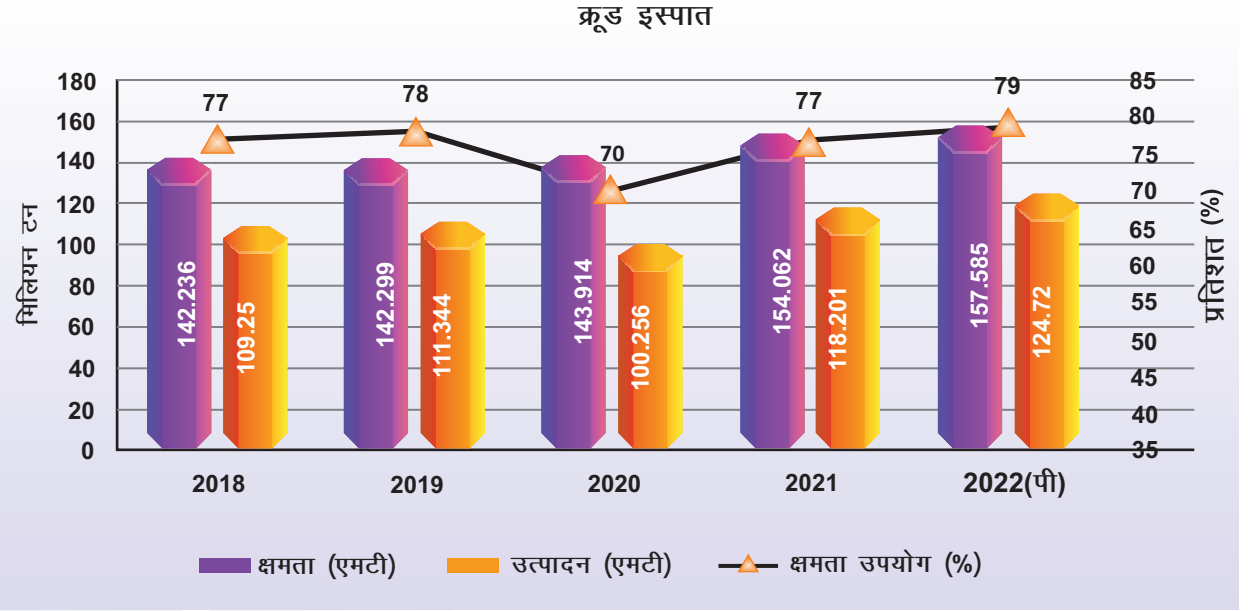

- क्रूड इस्पात का उत्पादन 2018 में 109.250 एमटी से बढ़कर 2022 में 124.720 एमटी हो गया।
- उल्लिखित अवधि के दौरान, उत्पादन में वृद्धि 2018 में 142.236 मिलियन टन (एमटी) से 2022 में 157.585 एमटी तक क्षमता में विस्तार से प्रेरित थी।
- कुल तैयार इस्पात (मिश्र + गैर–मिश्र धातु) की घरेलू खपत 2018 में 96.737 एमटी के मुकाबले, 2022 में 114.894 एमटी थी।
- 2022 के दौरान, कुल तैयार इस्पात (मिश्र+गैर–मिश्र धातु) का निर्यात 7.906 एमटी रहा, जबकि 2018 में यह 6.692 एमटी था; 2022 के दौरान कुल तैयार इस्पात (मिश्र+गैर–मिश्र धातु) का आयात 2018 में 7.295 एमटी की तुलना में 5.615 एमटी रहा।
- भारत वर्ष 2022 में कुल तैयार इस्पात का शुद्ध निर्यातक था।

3.2.3 पिछले पाँच वर्ष की अवधि के अंतिम वर्षों के दौरान देश में क्रूड इस्पात के कुल उत्पादन में प्रक्रियागत विभिन्न मार्गों का हिस्सा नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

प्रक्रियागत मार्ग के माध्यम से क्रूड इस्पात का उत्पादन		
प्रक्रिया मार्ग	**प्रतिशत हिस्सा (%)**	
	2018	**2022***
बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस (बीओएफ)	45	46
इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ)	29	31
इंडक्शन फर्नेस (आईएफ)	26	23
कुल	**100**	**100**

स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम, जनवरी–दिसंबर, 2022

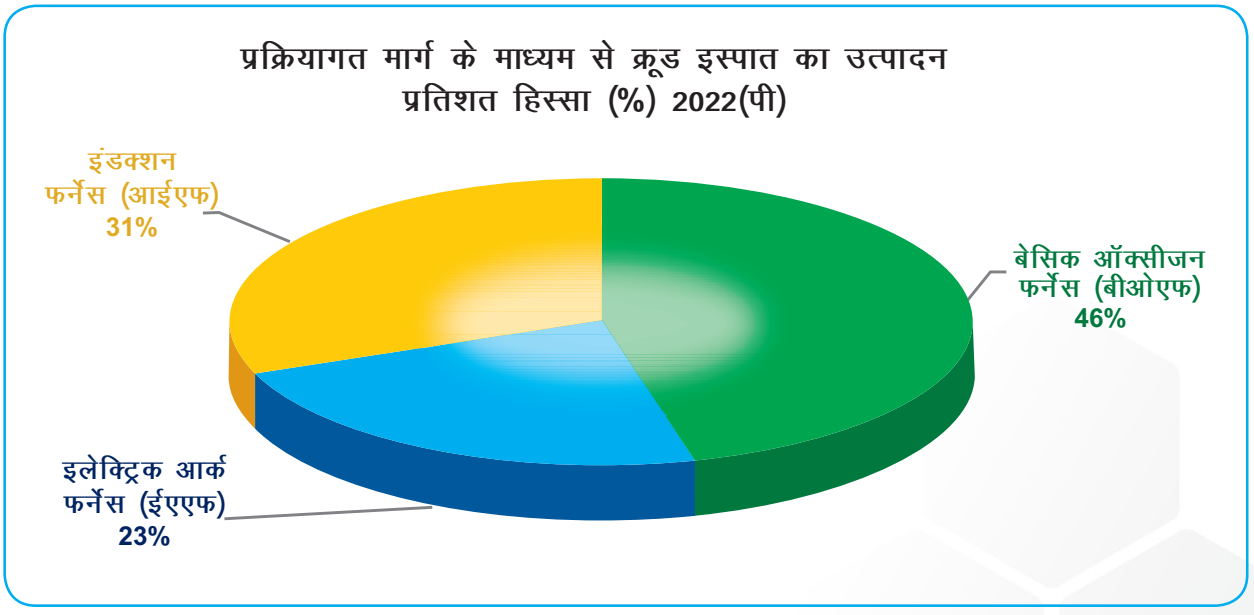

3.2.4 देश के खनिज समृद्ध राज्यों में स्थित अनेक कोयला आधारित इकाइयों के साथ भारत स्पंज आयरन का एक प्रमुख उत्पादक भी है। विगत वर्षों में, कोयला आधारित मार्ग एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में उभरा है और 2022 में देश में कुल स्पंज आयरन के उत्पादन का 81% हिस्सा है। भारत 2003 से हर वर्ष दुनिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन उत्पादक रहा है। नीचे दी गई तालिका देश में स्पंज आयरन के कुल उत्पादन को दर्शाती है जिसमें पिछले पांच वर्षों के दौरान कोयले और गैस आधारित उत्पादन के हिस्से के ब्योरे को दर्शाया गया है:

	स्पंज आयरन का उत्पादन (एमटी)				
वर्ष	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022***
कोयला आधारित	27.161	30.120	27.519	30.637	33.878
गैस आधारित	7.052	6.699	6.074	8.402	8.123
कुल	**34.213**	**36.819**	**33.593**	**39.039**	**42.001**

स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम, जनवरी–दिसंबर, 2022

3.2.5 भारत पिग आयरन का भी एक महत्त्वपूर्ण उत्पादक है। उदारीकरण के बाद की अवधि के दौरान, निजी क्षेत्र में कई इकाइयों की स्थापना के साथ, आयात कम हो गया है और भारत पिग आयरन का शुद्ध निर्यातक बन गया है। वर्ष 2022 में देश में पिग आयरन के कुल उत्पादन में निजी क्षेत्र का हिस्सा 93% था। पिछले पाँच वर्षों में पिग आयरन की घरेलू उपलब्धता की स्थिति नीचे की तालिका में दी गई है:

पिग आयरन की घरेलू उपलब्धता का परिदृश्य (एमटी)					
वर्ष	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022***
उत्पादन	6.249	5.983	4.548	5.855	6.283
आयात	0.067	0.013	0.007	0.015	0.104
निर्यात	0.335	0.421	0.823	1.407	0.675
खपत	5.841	5.669	3.735	4.433	5.065

स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम, जनवरी–दिसंबर, 2022

3.3 भारतीय इस्पात की वैश्विक रैंकिंग

विश्व इस्पात संघ द्वारा 31 जनवरी, 2023 को जारी अनंतिम आंकड़ों के आधार पर जनवरी–दिसंबर 2022 के दौरान विश्व के क्रूड इस्पात का उत्पादन 1831.5 एमटी रहा, जिसमें विगत वर्ष की तत्संबंधी अवधि (सीपीएलवाई) से 4.3% की कमी हुई। इस अवधि के दौरान, चीनी क्रूड इस्पात का उत्पादन 1013 एमटी तक पहुंच गया; पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2.1% की गिरावट हुई। चीन दुनिया में क्रूड इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक बना रहा, जो इस अवधि के दौरान दुनिया के क्रूड इस्पात के कुल उत्पादन के 55% भाग के लिए उत्तरदायी था। भारत क्रूड इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था और इस अवधि के दौरान सीपीएलवाई की तुलना में क्रूड इस्पात के उत्पादन में 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई। दुनिया के क्रूड इस्पात के उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 7% थी।

क्रूड वैश्विक परिदृश्य निम्नानुसार है:

दुनिया में क्रूड इस्पात का उत्पादन जनवरी-दिसंबर 2022			
क्रम	देश	गुणवत्ता (एमटी)*	पिछले वर्ष की उसी अवधि के मुकाबले % में परिवर्तन
1	चीन	1013.0	(-)2.1
2	भारत	124.7	**5.5**
3	जापान	89.2	(-)7.4
4	यूएसए	80.7	(-)5.9
5	रूस	71.5	(-)7.2
6	दक्षिण कोरिया	65.9	(-)6.5
7	जर्मनी	36.8	(-)8.4
8	तुर्की	35.1	(-)12.9
9	ब्राजील	34.0	(-)5.8
10	ईरान	30.6	8.0
	शीर्ष 10	1581.6	(-)2.8
	विश्व	**1831.5**	**-4.3**

स्रोत: *अनंतिम, विश्व इस्पात संघ

जनवरी–दिसंबर 2022 के दौरान क्रूड इस्पात के उत्पादन में देशों का प्रतिशत हिस्सा (%)

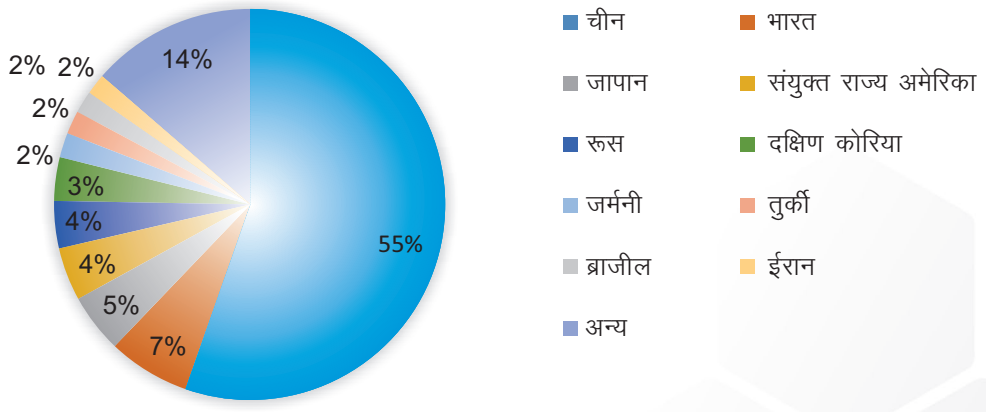

3.4 इस्पात: वर्ष 2022 के दौरान, भारतीय इस्पात क्षेत्र के तथ्य:

भारतीय इस्पात का परिदृश्य: 2022*		
कुल तैयार इस्पात (मिश्र + गैर-मिश्र धातु)	**मात्रा (एमटी)**	**% बदलाव**
उत्पादन	118.714	6.0
आयात	5.615	12.3
निर्यात	7.906	-38.2
खपत	114.894	8.2
क्रूड इस्पात		
उत्पादन	124.72	5.5
क्षमता का उपयोग (%)	79	-

स्रोतः जेपीसी; *अनंतिम, जनवरी–दिसंबर, 2022

क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में विस्तार की कई परियोजनाओं के साथ, भारतीय इस्पात उद्योग का भविष्य आशावादी है। इस्पात क्षेत्र के उत्पादन, खपत, आयात, निर्यात आदि से सम्बंधित आँकड़ें **अनुलग्नक III-XI** में हैं।

3.5 उत्पादन में रुझान, निजी/सार्वजनिक क्षेत्र

नीचे दी गई तालिका में विगत पांच वर्षों के दौरान देश में क्रूड इस्पात उत्पादन में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के योगदान का उल्लेख किया गया है:

भारतीय क्रूड इस्पात का उत्पादन						
क्षेत्र	**इकाई**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022***
सार्वजनिक क्षेत्र	एमटी	21.191	21.014	18.948	22.908	22.102
निजी क्षेत्र	एमटी	88.059	90.330	81.308	95.293	102.618
कुल उत्पादन	**एमटी**	**109.250**	**111.344**	**100.256**	**118.201**	**124.720**
सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी	%	19.4	18.9	18.9	19.4	17.7

स्रोतः जेपीसी; *अनंतिम, जनवरी–दिसंबर, 2022

सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों द्वारा भारतीय क्रूड इस्पात का उत्पादन

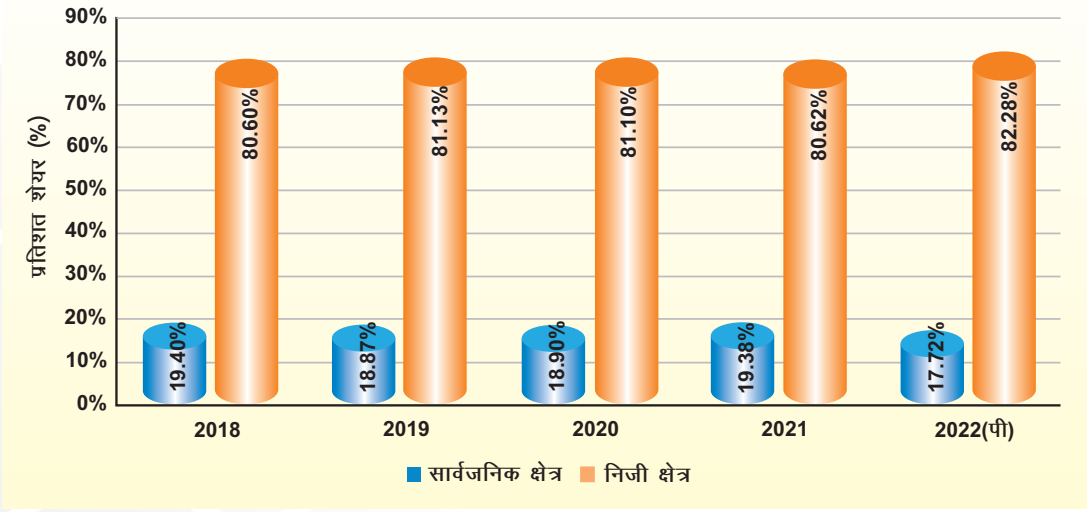

3.6 वार्षिक योजना 2022-23

2022–23 के संशोधित प्राक्कलनों के आधार पर मंत्रालय की वार्षिक योजना रु. 11606.95 करोड़ है। इसमें रु. 11590.46 करोड़ का आंतरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर) और रु. 16.49 करोड़ की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) सम्मिलित है, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

वार्षिक योजना 2022-23 के लिए परिव्यय

(रुपये करोड़ में)

क्रमांक	सीपीएसई/संगठन का नाम	आईईबीआर	जीबीएस	कुल
क. सीपीएसई की योजना				
1.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	6803.00	0.00	6803.00
2.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	603.00	0.00	603.00
3.	एनएमडीसी लिमिटेड	2012.00	0.00	2012.00
4.	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड	1500.00	0.00	1500.00
5.	केआईओसीएल लिमिटेड	384.63	0.00	384.63
6.	मॉयल लिमिटेड	242.58	0.00	242.58
7.	मेकॉन लिमिटेड	17.25	0.00	17.25
8.	एमएसटीसी लिमिटेड	10.00	0.00	10.00
9.	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड	18.00	0.00	18.00
	योग-क	**11590.46**	**0.00**	**11590.46**
ख. इस्पात मंत्रालय की योजना				
10.	लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं	0.00	4.49	4.49
11.	भारत में वाणिज्यिक पोतों की फ्लैगिंग	0.00	12.00	12.00
	योग-ख	**0.00**	**16.49**	**16.49**
	कुल योग: क + ख	**11590.46**	**16.49**	**11606.95**

3.7 सांविधिक निकायों/स्वायत्त संगठनों/समितियों/निजी/स्वैच्छिक संगठनों/सार्वजनिक निगमों/ संयुक्त उद्यमों/संगठनों आदि को भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियां/अनुदान।

वित्तीय वर्ष 2022–23 (31.12.2022 तक) के दौरान, इस्पात मंत्रालय ने एक संस्थान, अर्थात आईसीएआर–आईएआरआई (भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान) को कुल रु. 69.41225 लाख की राशि जारी की। यह राशि मंत्रालय के अनुसंधान एवं विकास योजना, अर्थात 'लोहा और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने की योजना' के अंतर्गत, जारी की गई है। उपरोक्त योजना के अंतर्गत, 2022–23 के दौरान जारी की गई धनराशि का विवरण **अनुलग्नक-XV** में है।

अध्याय-4

इस्पात नीतियाँ और नवीनतम पहलें

4.1 राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी) 2017

एनएसपी 2017 का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करना, कच्चे माल की सुनिश्चितता में सुधार करना, अनुसंधान एवं विकास की गतिविधियों में वृद्धि करना, आयात पर निर्भरता और उत्पादन की लागत को कम करना है और इस प्रकार, उत्पादन में आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए, कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता के साथ निवेशों और लागत प्रभावी उत्पादनों को सरलीकृत करके वैश्विक रूप से कम खर्चीले इस्पात निर्माण की क्षमताओं को विकसित करते हुए ''तकनीकी रूप से उन्नत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक इस्पात उद्योग को विकसित करना है जो आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देता है''।

अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान देने के साथ, अगले दशक में प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक ध्यान दिया जाएगा और एमएसएमई इस्पात संयंत्र भारत की खपत पर आधारित प्रगति और समग्र उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रमुख प्रेरक होंगे।

एनएसपी 2017 का अपेक्षित प्रभाव/परिणाम

एनएसपी 2017 में निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं:

क्र. सं.	मापदंड	अनुमान (2030-31)
1.	क्रूड इस्पात की कुल क्षमता (एमटीपीए में)	300
2.	क्रूड इस्पात की कुल माँग/उत्पादन (एमटीपीए में)	255
3.	तैयार इस्पात की कुल माँग/उत्पादन (एमटीपीए में)	230
4.	स्पंज आयरन की माँग/उत्पादन (एमटीपीए में)	80
5.	पिग आयरन की माँग/उत्पादन (एमटीपीए में)	17
6.	तैयार इस्पात का प्रति व्यक्ति खपत (किग्रा में)	158

अन्य अपेक्षित प्रभाव निम्नानुसार हैं:

क) भारत ऊर्जा दक्षता और संपोषणीयता में विश्व में अग्रणी होगा

इस्पात मंत्रालय, उपयुक्त एजेंसी के सहयोग से, वैश्विक सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के अनुरूप देश के भीतर सभी इस्पात संयंत्रों के तकनीकी–आर्थिक प्रदर्शन की लगातार निगरानी करेगा। ऑटोमोटिव इस्पात और अन्य विशेष इस्पातों के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के अंतरण को वैश्विक नेताओं के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करके सुविधाजनक बनाया जाएगा।

ख) लागत-प्रभावी और गुणवत्तायुक्त इस्पात केन्द्र

बीआईएस के अनिवार्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण चिह्न योजना के अंतर्गत, इस्पात और इस्पात उत्पादों के लिए 145 भारतीय मानकों को पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है। मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य योजना के अंतर्गत, अतिरिक्त इस्पात उत्पादों को लाने का प्रयास किया जाएगा जिनका उपयोग महत्त्वपूर्ण अंतिम उपयोग में किया जाता है।

ग) औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य में वैश्विक मानक प्राप्त करना

मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए इस्पात कंपनियों के साथ समन्वय कर रहा है कि इस्पात कंपनियों के कर्मचारियों को कार्य के दौरान किसी कार्यस्थल को सुरक्षित बनाए रखने के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

घ) उद्योग में कार्बन के फुटप्रिंट को पर्याप्त रूप से कम करना

पर्यावरण से संबंधित विषयों को हल करने के लिए, मंत्रालय सर्वोत्तम प्रक्रियाओं की योजना बनाने के लिए एक मंच के गठन को सुविधाजनक बना रहा है और उद्योग के लिए एक अपशिष्ट प्रबंधन योजना के विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है।

ङ) उच्च ग्रेड के ऑटोमोटिव इस्पात, इलेक्ट्रिकल इस्पात, विशेष इस्पात और मिश्र धातु की समग्र मांग को घरेलू स्तर पर पूरा करना

उपरोक्त के अलावा, सरकार विभिन्न सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे कि पीएमएवाई, ऊर्जा गंगा, उड़ान, सागरमाला, भारतमाला, अमृत, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन, गतिशक्ति आदि सहित अवसंरचना विकास और परियोजना कार्यकरण की गति बढ़ाने में निवेश पर भी जोर दे रही है।

4.2 सरकारी खरीद में घरेलू स्तर पर निर्मित लौह और इस्पात उत्पादों (डीएमआई एंड एसपी नीति) को वरीयता प्रदान करने की नीति

सरकार ने 8 मई, 2017 को सरकारी निविदाओं में घरेलू रूप से उत्पादित लौह और इस्पात सामग्री को वरीयता देने के लिए डीएमआई और एसपी नीति लागू की थी। इसके अतिरिक्त, इस उद्देश्य को और बेहतर करने के लिए नीति को 29 मई, 2019 और 31 दिसंबर, 2020 को संशोधित किया गया था। इस नीति की मुख्य विषेशताएं इस प्रकार हैं:

- यह नीति सरकारी खरीद में घरेलू रूप से निर्मित लौह और इस्पात उत्पादों (डीएमआईएंडएसपी) को वरीयता प्रदान करती है।

- इस नीति में लौह और इस्पात के 49 विनिर्मित उत्पादों की एक सूची सम्मिलित है। इस नीति में लोहा और इस्पात उत्पादों के विनिर्माण के लिए पूंजीगत सामान भी सम्मिलित हैं।

- हालाँकि, पूर्व में लौह और इस्पात के 49 उत्पादों पर घरेलू सामग्री को 15–50 प्रतिशत के रूप में निर्दिष्ट किया गया था, फिर भी 49 उत्पादों की नई सूची में निर्धारित मूल्य संवर्धन न्यूनतम है जो 20–50 प्रतिशत के बीच अलग–अलग है, जिससे सरकारी अनुबंधों में आयातित इस्पात के लिए घरेलू बोलीदाताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करना कठिन होता है।

- प्रत्येक मंत्रालय या सरकारी विभाग और उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत, आने वाली सभी एजेंसियाँ/संस्थाएँ इस्पात मंत्रालय द्वारा अधिसूचित डीएमआई और एसपी नीति के दायरे में आती हैं। केंद्रीय क्षेत्र की सभी योजनाएँ (सीएस)/केंद्रीय स्तर पर प्रायोजित सभी योजनाएँ (सीएसएस) जिनके लिए राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा खरीद की जाती है, इस नीति के दायरे में आती हैं, यदि वह परियोजना/योजना भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से/आंशिक रूप से वित्त पोषित होती है।

- यह नीति उन परियोजनाओं पर लागू होती है, जिसमें लौह और इस्पात उत्पादों का खरीद मूल्य 5 लाख रुपये से अधिक होता है। यह नीति अन्य खरीद (गैर–परियोजना) के लिए भी लागू होती है, जिसमें उस सरकारी संगठन के लिए लौह और इस्पात उत्पादों का वार्षिक खरीद मूल्य 5 लाख रुपये से अधिक होता

है। हालांकि, खरीद संस्थाओं द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस नीति के प्रावधानों से बचने के उद्देश्य से खरीद को विभाजित नहीं किया गया है।

- यह नीति ईपीसी अनुबंध को पूरा करने के लिए निजी एजेंसियों द्वारा लौह और इस्पात उत्पादों की खरीद और/या मंत्रालय या सरकारी विभाग या उनके सीपीएसई की किसी अन्य आवश्यकता के लिए और निर्धारित गुणवत्ता मानक; जैसा भी प्रयोजन हो, के अनुपालन में लौह और इस्पात उत्पादों के निर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर भी लागू होती है।

- लौह और इस्पात उत्पादों की खरीद से संबंधित निविदाओं के लिए कोई भी वैश्विक निविदा पूछताछ (जीटीई) आमंत्रित नहीं की जाएगी। लौह और इस्पात उत्पादों के निर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं की खरीद से संबंधित निविदाओं के लिए कोई भी वैश्विक निविदा पूछताछ (जीटीई) आमंत्रित नहीं की जाएगी जिसका अनुमानित मूल्य 200 करोड़ रु तक है, सिवाय व्यय विभाग द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के।

- इस नीति में ऐसी सभी खरीदों के लिए छूट का प्रावधान है, जिसमें विशिष्ट श्रेणियों के इस्पात का निर्माण देश में नहीं किया जाता है, या परियोजना की मांग के अनुसार मात्राओं को घरेलू स्रोतों से पूरी नहीं किया जा सकता।

इस नीति की परिकल्पना घरेलू इस्पात उद्योग की प्रगति और विकास को बढ़ावा देने और सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं में कम गुणवत्तायुक्त और कम लागत (अनुचित रूप से व्यापार) वाले आयातित इस्पात का उपयोग करने के झुकाव को कम करने के लिए की गई है।

डीएमआई और एसपी नीति का प्रभाव

अधिक घरेलू मूल्य वर्धन से जीवंत इस्पात क्षेत्र और संबंधित उद्योगों के उत्पादों के लिए रोजगार और घरेलू बाजार निर्मित करके उन्हें योगदान दिया जाना अपेक्षित है।

इस नीति ने आयात के विकल्प के लिए घरेलू क्षमता विकसित करने के साथ–साथ, भारतीय अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण बचत प्रदान की है और इससे महत्वपूर्ण बचत प्रदान किए जाने तथा सरकारी वित्त पोषित परियोजनाओं में कम गुणवत्तायुक्त और सस्ते आयातित इस्पात के उपयोग को प्रतिबंधित किया जाना अपेक्षित है। डीएमआई एंड एसपी नीति के परिणामस्वरूप, अब तक लगभग रु. 26,600 करोड़ का आयात प्रतिस्थापन हुआ है।

4.3 आयात के आँकड़ों के प्रसार के लिए इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस)

इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) को संस्थागत रूप दिया गया है जो इस्पात आयात पर सूक्ष्म आँकड़ा प्रदान करने के लिए इस्पात के अभिप्रेत आयातों के अग्रिम पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन मंच है जिससे आयातों में किसी भी उछाल के बारे में अग्रिम चेतावनी देने के अतिरिक्त, घरेलू विनिर्माण की योजना बनाने के लिए देश में आयात किए जा रहे सटीक ग्रेड को पहचानने में 0–60 दिन अग्रिम में मंत्रालय और उद्योग को सहायता प्रदान किया जा सके। दिनांक 1 नवंबर 2019 को पोर्ट ऑफ एंट्री पर आरंभ किए गए आयात के खेप के लिए दिनांक 16 सितंबर 2019 को एसआईएमएस मंच का शुभारंभ किया गया था। एसआईएमएस पंजीकरण पूरी तरह से ऑनलाइन है और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वचालित है और इस उद्देश्य के लिए निर्धारित टोकन पंजीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के बाद इस्पात आयातक द्वारा पंजीकरण संख्या प्राप्त की जा सकती है। एसआईएमएस ने घरेलू उद्योग को उनके मूल्य निर्धारण और उत्पादन रणनीति की योजना बनाने में सक्षम बनाया है और देश को इस्पात निर्माण में आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने में सहायता की है।

4.4 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश/बीआईएस

सरकार अवसंरचना, निर्माण, आवास और इंजीनियरिंग क्षेत्र, जैसे महत्त्वपूर्ण अंतिम उपयोग के अनुप्रयोगों के लिए गुणवत्तायुक्त इस्पात की आपूर्ति को सुविधाजनक बनाती रही है। इस्पात मंत्रालय बीआईएस प्रमाणन चिह्न योजना के अंतर्गत, अधिकतम उत्पादों को सम्मिलित करने वाला अग्रणी मंत्रालय है। इस्पात और इस्पात उत्पादों पर कुल 145 भारतीय मानकों को अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ये आदेश घटिया इस्पात उत्पादों के आयात, बिक्री और वितरण पर रोक लगाते हैं। क्यूसीओ लागू करना जनहित में है या मानव, पशु या पौधों के स्वास्थ्य, पर्यावरण की सुरक्षा, या अनुचित व्यापार पद्धतियों की रोकथाम या बीआईएस अधिनियम, 2016 में यथा वर्णित राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है। उपरोक्त आदेशों के माध्यम से, इस्पात मंत्रालय ने अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन योजना के अंतर्गत, अब तक 99 कार्बन इस्पात, 44 स्टेनलेस इस्पात एवं मिश्र धातु इस्पात उत्पाद के मानकों और 2 फेरो मिश्र धातुओं को सम्मिलित किया है।

इसके अतिरिक्त, कंटेनर निर्माण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, भारतीय मानक 11587 जो पहले से ही गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के दायरे में था, को बीआईएस द्वारा कोर्टेन इस्पात को सम्मिलित करते हुए संशोधित किया गया था और घरेलू इस्पात के निर्माताओं से उत्पाद के बीआईएस प्रमाणन के लिए आवेदन करने का आग्रह किया गया। 4 घरेलू निर्माताओं को पहले ही बीआईएस द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है और घरेलू निर्माता कॉर्टेन इस्पात के आयात पर निर्भरता को कम करने और कंटेनर निर्माण के उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कंटेनर निर्माता द्वारा अपेक्षित वांछित गुणवत्तायुक्त कॉर्टन इस्पात की आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं।

इसके अतिरिक्त, बीआईएस के साथ साझा किए गए आयातित श्रेणी के इस्पात के आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान मानकों में 250 से अधिक इस्पात की नई श्रेणियों को सम्मिलित किया गया है और 5 नए मानक तैयार किए जा रहे हैं। यह पद्धति वैश्विक मानकों के अनुरूप भारतीय इस्पात मानकों के उन्नयन को सरलीकृत कर रही है। यह पद्धति आयात प्रतिस्थापन और मेक इन इंडिया पहल के लिए कई आयातित श्रेणी के इस्पात के स्वदेशीकरण को सुविधाजनक बना रही है।

इस्पात मंत्रालय द्वारा अधिसूचित गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों तथा हितधारकों के साथ हुई चर्चाओं से प्राप्त अनुभव से कई लाभ हुए हैं जिनका नीचे उल्लेख किया गया हैं:–

- इस्पात मंत्रालय द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर भारतीय मानकों का सुदृढ़ीकरण तथा साथ ही नए मानक तैयार किए जाने।
- आयातों तथा घरेलू इस्पात उत्पादकों को एक साथ लाकर आयातित इस्पात ग्रेडों के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना।
- अनुचित व्यापारिक प्रक्रियाओं जैसे कि आयातित इस्पात माल की गलत घोषणा और कम बीजक प्रस्तुति को रोकना। इस्पात मंत्रालय द्वारा साझा की गई सूचना के आधार पर संबंधित प्राधिकरणों ने उपाय जैसे कि एडीडी, गलत घोषणा के लिए शास्तियाँ इत्यादि आरोपित की हैं।

4.5 प्रमुख पहलें:

4.5.1 उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना: विशेष इस्पात के घरेलू उत्पादन के लिए पीएलआई योजना को मंत्रिमंडल द्वारा 6322 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत, पहचाने गए विशेष इस्पात की पाँच व्यापक श्रेणियों का उपयोग व्हाइट गुड्स, ऑटोमोबाइल बॉडी और कंपोनेंट्स, तेल और गैस के परिवहन के लिए पाइप, बॉयलर, बैलिस्टिक और आर्मरशीट्स, हाई–स्पीड रेलवे लाइन, टर्बाइन कंपोनेंट वितरण और विद्युत ट्रांसफॉर्मर सहित विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है। इस योजना को

29.7.2021 को अधिसूचित किया गया है और विस्तृत योजना दिशानिर्देशों को 20.10.2021 को प्रकाशित किया गया। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से 29.12.2021 से 15.09.2022 तक उपलब्ध थी।

यह योजना वित्त वर्ष 2023–24 से आरम्भ होगी (पीएलआई वित्त वर्ष 2024–25 में जारी की जाएगी)। विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत, चयनित 30 कंपनियों के 67 आवेदनों में से 57 को अंतिम रूप दिया गया है। इससे 25 मिलियन टन की डाउनस्ट्रीम क्षमता संवर्धन और 70000 की रोजगार सृजन क्षमता के साथ रु. 29530 करोड़ का प्रतिबद्ध निवेश आकर्षित होगा।

4.5.2 इस्पात क्षेत्र में अकार्बनीकरण: इस्पात मंत्रालय वर्ष 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए इस्पात उद्योग के हितधारकों और संबंधित मंत्रालयों/विभागों, जैसे कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी), ऊर्जा मंत्रालय, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), नीति आयोग आदि के साथ लगातार काम कर रहा है। ''6 मई, 2022 को निम्न कार्बन इस्पात–स्वच्छ इस्पात की ओर पारगमन'' और "1 जुलाई, 2022 को इस्पात क्षेत्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए रोडमैप" पर संसद की परामर्शदात्री समितियों की बैठकों में इस्पात क्षेत्र में अकार्बनीकरण और संसाधन दक्षता में सुधार पर भी विस्तृत चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त, इस्पात मंत्रालय ने 11 नवंबर 2022 को शर्म–अल–शेख, मिस्र में कॉप 27 कार्यक्रम के 6वें दिन एक सत्र का आयोजन किया, जिसमें इस्पात के निर्माण में ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर, स्टोरेज और यूटिलाइजेशन (सीसीयूएस), ऊर्जा दक्षता पर उपलब्ध सर्वोत्तम तकनीकों के साथ–साथ, अक्षय ऊर्जा की ओर पारगमन, जैसी प्रौद्योगिकियों पर निर्भर कार्बन उत्सर्जन को कम करने के मुद्दों पर चर्चा की गई।

4.5.3 पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान: भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियोइन्फॉर्मेटिक्स (बीआईएसएजी–एन) की सहायता से अवसंरचना संबंधी मंत्रालयों ने अपने रेल, सड़क, पत्तन नेटवर्कों आदि को पीएम गतिशक्ति नेशनल पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। इस्पात मंत्रालय ने देश में कार्यरत 2100 (इक्कीस सौ) इस्पात इकाइयों (बड़े इस्पात कारोबारियों सहित) से अधिक की भूस्थितियों को अपलोड करके बीआईएसएजी–एन द्वारा सृजित मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से खुद को पीएम गतिशक्ति पोर्टल (राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल) पर स्थापित किया है। सभी लौह अयस्क खदानों तथा मैंगनीज अयस्क खदानों की भू–स्थितियों को भी अपलोड किया जा चुका है। इस्पात मंत्रालय मौजूदा स्लरी पाइपलाइनों तथा इस्पात क्षेत्र में कार्यरत प्रयोगशालाओं की भू–स्थितियों को अपलोड करने का कार्य कर रहा है।

इसके अलावा, पीएम गतिशक्ति के लक्ष्य के अनुरूप इस्पात मंत्रालय ने मल्टीमोडल कनेक्टिविटी को विकसित करने तथा अवसंरचना संबंधी अंतरालों को पाटने के लिए 22 उच्च प्रभावन परियोजनाओं को चिन्हित किया है। रेलमार्गों के योजनाबद्ध विस्तार, नए अंतर्देशीय जल मार्गों के निर्माण, सड़कों, पतनों, गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी से अत्यावश्यक लॉजिस्टिक समाधान प्राप्त होगा जिससे इस्पात क्षेत्र एनएसपी, 2017 में यथा उल्लिखित अपने लक्षित उद्देश्यों को वर्ष 2030–31 तक प्राप्त करने की ओर अग्रसर होगा।

4.5.4 द्वितीयक इस्पात क्षेत्र के साथ जुड़ाव: लौह और इस्पात उद्योग का एक प्रमुख भाग द्वितीयक उत्पादकों का एक भाग है जो क्रूड इस्पात के उत्पादन में 40% से अधिक का योगदान देता है। अवसंरचना के विकास में द्वितीयक इस्पात क्षेत्र की भूमिका बहुत अधिक है। अवसंरचना के विकास से ना केवल इस्पात की मांग को प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि इस्पात के गहन निर्माण से भी अवसंरचना का तीव्र गति से निर्माण होता है। इस क्षेत्र के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए, जिसमें ज्यादातर एमएसएमई सम्मिलित हैं, इस्पात मंत्रालय ने माननीय इस्पात मंत्री की अध्यक्षता में द्वितीयक इस्पात क्षेत्र के उत्पादकों को इस्पात क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों और उन तरीकों, जिसके आधार पर मंत्रालय एक पारिस्थितिकी तंत्र बना सकता है, जिसमें यह उद्योग फल–फूल सकता है, पर अपने विचार साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया।

चर्चा के दौरान उठाए गए मुद्दों को वित्त मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और पीएनजी मंत्रालय जैसे संबंधित मंत्रालयों के साथ उठाया गया। इस्पात मंत्रालय ने देश में इस्पात की माँग बढ़ाने के लिए द्वितीयक इस्पात उत्पादकों और उपभोक्ताओं के साथ बातचीत करने के लिए भुवनेश्वर, इंदौर, रुड़की और सूरत में संगोष्ठियाँ भी आयोजित कीं।

4.5.5 इस्पात के मूल्य: महत्त्वपूर्ण कच्चे माल और मध्यवर्ती सामग्रियों जिनमें लोहा और इस्पात सम्मिलित हैं, के ऊँचे मूल्यों से राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कुछ उपाय किए गए। तदनुसार, दिनांकः 21.05.2022 की अधिसूचना के माध्यम से इस्पात और इस्पात के अन्य उत्पादों के कच्चे माल पर प्रशुल्क में संशोधन किए गए, जिसके द्वारा एन्थ्रेसाइट/पल्वराइज्ड कोल इंजेक्शन (पीसीआई) कोयला, कोक और सेमी–कोक और फेरो–निकल पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया। लौह अयस्क/कंसन्ट्रेट और लौह अयस्क पेलेट पर निर्यात शुल्क को बढ़ाकर क्रमशः 50% और 45% तक कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, पिग आयरन और इस्पात के कई उत्पादों पर 15% निर्यात शुल्क लगा दिया गया।

इस्पात की सामग्रियों के मूल्य सीधे–सीधे 15–25% तक नीचे गिर गए और उपरोक्त उपायों के परिणामस्वरूप स्थिर हो गए। सभी सम्बंधित हितधारकों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, उक्त अधिसूचना को दिनांकः 18.11.2022 की अधिसूचना के माध्यम से रद्द कर दिया गया है और दिनांकः 21.05.2022 के पूर्व की स्थिति को बहाल कर दिया गया है।

4.6 अन्य पहलें:

4.6.1 इस्पात क्षेत्र के लिए कच्चे माल की सुरक्षा: लौह और इस्पात उद्योग में निरंतर विकास सुनिश्चित करने के लिए कच्चा माल एक महत्त्वपूर्ण घटक है। लौह अयस्क और कोयले के संबंध में कच्चे माल की सुरक्षा के संबंध में, इस उद्योग को अल्पावधि और दीर्घावधि, दोनों में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस्पात मंत्रालय ने खान मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों के साथ संबंधित मुद्दों को उठाया है।

लौह अयस्क

- लौह अयस्क का घरेलू उत्पादन 2017–18 के 199.88 मिलियन टन से बढ़कर 2021–22 में 253.97 मिलियन टन हो गया।
- एनएसपी, 2017 के अनुसार, इस्पात मंत्रालय ने 2030–31 तक 255 एमटी क्रूड इस्पात के उत्पादन के साथ, 300 एमटी क्रूड इस्पात की क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए 437 एमटी लौह अयस्क की आवश्यकता है।
- लौह अयस्क के उत्पादन में 4.75% की सीएजीआर पर 2017–18 में ~200 एमटी से 2021–22 में 254 एमटी तक वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान, क्रूड इस्पात के उत्पादन की सीएजीआर 3.1% थी।
- इस्पात मंत्रालय ने खान मंत्रालय से बेनिफिशिएशन और एग्लोमरेशन उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए एक नीति तैयार करने और बेनिफिशिएशन और पेलेटाइजेशन के लिए निम्न–श्रेणी के फाइंस का अनिवार्य उपयोग करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है जिससे देश में शून्य अपशिष्ट के खनन की ओर बढ़ा जा सके। खान मंत्रालय ने ''देश में निम्न और हल्की श्रेणी के लौह अयस्क के संसाधनों के उपयोग'' से संबंधित मुद्दे की जाँच करने के लिए भारतीय खान ब्यूरो में एक समिति का गठन किया है।

कोयला

कोकिंग कोल की समग्र माँग घरेलू उत्पादन से पूरी नहीं होती है, क्योंकि देश में उच्च गुणवत्ता वाले कोयले/कोकिंग कोल (कम राख वाले कोयले) की आपूर्ति सीमित है। देश में घरेलू रूप से उत्पादित अधिकांश कोकिंग कोल में राख की मात्रा बहुत अधिक थी, जो इसे इस्पात के निर्माण में अनावश्यक बना देता है। तदनुसार, भारतीय इस्पात उद्योग व्यापक रूप से आयातित कोकिंग कोल पर निर्भर रहा है।

- कोयला मंत्रालय के कोकिंग कोल मिशन के अनुसार, कच्चे कोकिंग कोल का उत्पादन बढ़कर 120 मिलियन और धुले हुए कोकिंग कोल का उत्पादन लगभग 40 मिलियन टन होने की आशा है। मिशन ने कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), सेल और निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादन के लिए अतिरिक्त कोकिंग कोल ब्लॉक्स की पहचान करके, कोल बेड मीथेन (सीबीएम) ओवरलैप कोकिंग कोल ब्लॉकों की नीलामी और सीआईएल द्वारा निजी वाशरियों को कोकिंग कोल लिंकेज के आवंटन द्वारा कोकिंग कोल उत्पादन बढ़ाने की संस्तुति की है।

- इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोकिंग कोल 42% इस्पात उत्पादन में लागत का एक प्रमुख घटक है, इस्पात मंत्रालय आयात क्षेत्रों में विविधता लाकर कोकिंग कोयले पर आयात बिल को कम करने का प्रयास कर रहा है। इस्पात निर्माण में उपयोग होने वाले कोकिंग कोल के संबंध में सहयोग पर भारत सरकार के इस्पात मंत्री और रूसी संघ के ऊर्जा मंत्री ने एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू से कोकिंग कोल के स्रोतों में विविधता लाकर भारतीय इस्पात क्षेत्र को लाभ होगा, जिससे भारत को उच्च गुणवत्तायुक्त कोकिंग कोल की आपूर्ति की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता (2035 तक 40एमटी तक) के कारण इस्पात के उत्पादकों के लिए इनपुट की लागत में कमी आ सकती है। इस एमओयू में कोकिंग कोल क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाओं/वाणिज्यिक गतिविधियों के कार्यान्वयन की भी परिकल्पना की गई है, जिसमें कोकिंग कोल भंडारों का विकास और संभार–तंत्र का विकास, कोकिंग कोल उत्पादन के प्रबंधन में प्राप्त अनुभव को साझा करना, खनन की प्रौद्योगिकी, बेनिफिशिएशन, प्रसंस्करण के साथ–साथ प्रशिक्षण भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, समझौता ज्ञापन में दोनों देशों के बीच अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने की भी परिकल्पना की गई है।

मैंगनीज अयस्क

- (एनएसपी, 2017 के आधार पर) वर्ष 2030–31 तक देश में मैंगनीन अयस्क की घरेलू मांग करीब 11 एमटी होगी जबकि मैंगनीज अयस्क का संभावित घरेलू उत्पादन करीब 6 एमटी होगा।

- मैंगनीज अयस्क की घरेलू खपत उसके उत्पादन से अधिक है। इसके अलावा, भारत में उच्च ग्रेड, निम्न फॉस्फोरस वाले मैंगनीज अयस्क की कमी है। इसमें अपेक्षित मैंगनीज अलॉय के उत्पादन के लिए मैंगनीज अयस्क को घरेलू किस्म के साथ मिश्रित करने के लिए उच्च–ग्रेड के अयस्क का आयात आवश्यक हो जाता है।

- मॉयल ने उत्पादन 1.14 एमटी से बढाकर वर्ष 2030 तक 3.00 एमटी करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अपने मौजूदा शैफ्ट की गहराई बढाने, नए शैफ्ट की मौजूदा खदानों में सिंकिंग हेतु कई परियोजनाएं चलाई हैं, और नए अपेक्षित पट्टा क्षेत्रों का विकास कार्य शुरू किया है।

फेरस स्क्रैप

- इस्पात बनाने के लिए फेरस स्क्रैप का प्रयोग ईएएफ/आईएफ प्रक्रिया में किया जाता है। स्टेनलेस स्टील का उत्पादन केवल स्टेनलेस स्टील के स्क्रैप से ही किया जाता है। कुल चार्ज मिक्स में स्क्रैप की खपत बीओएप–15%, ईएएफ–2% तथा आईएफ–20% है।

- वर्ष 2021–22 में भारत ने करीब 25–30 एमटी फेरस स्क्रैप का उत्पादन किया तथा करीब 4–5 एमटी का आयात किया। विगत 3 वर्षों से फेरस स्क्रैप का आयात घटता रहा है। उपयोगिता अवधि समाप्त वाहन (ईएलवी) नीति के कार्यान्वयन से भी घरेलू स्तर पर स्क्रैप की उपलब्धता में बढ़ोतरी होने की आशा है।
- स्क्रैप का अधिक उपयोग इस्पात क्षेत्र में कार्बन तीव्रता में कमी लाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। अतः आशा है कि आने वाले वर्षों में घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय, दोनों मांगे बढ़ेंगी। घरेलू स्तर पर स्क्रैप की घरेलू उपलब्धता को बढाने के लिए स्क्रैप संग्रहण केन्द्रों का संवर्धन और आधुनिकीकरण एक महत्वपूर्ण उपाय है।

4.6.2 खदानों का डिजिटलीकरण: देश में लौह अयस्क खनन की प्रवाह क्षमता को अनुकूलित करने के लिए डिजिटलीकरण को उपयोग में लाना एक महत्त्वपूर्ण तत्व है। दुनिया भर में, उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए खनन मूल्य श्रृंखला में डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाया जा रहा है। ये प्रौद्योगिकियाँ खनन उद्योग में पारदर्शिता को सुधारती हैं, खनन और इस्पात उद्योग दोनों के महत्व को उजागर करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके लिए, देश में लौह अयस्क खनन क्षेत्र के लिए डिजिटलीकरण की यात्रा आरंभ करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की गयी है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उद्यमों की भागीदारी के साथ इस परियोजना को 2 चरणों में क्रियान्वित किया जा रहा है। एनएमडीसी ने छत्तीसगढ़ में अपनी लौह अयस्क खदानों के डिजिटलीकरण की परियोजना पहले ही आरंभ कर दी है।

4.6.3 इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति: दिनांक 07.11.2019 को इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति (एसएसआरपी) को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। यह नीति उपयोगिता अवधि समाप्त वाहनों (ईएलवी) सहित, विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फेरस स्क्रैप के वैज्ञानिक प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण के लिए भारत में धातु स्क्रैपिंग केंद्रों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए एक ढाँचा प्रदान करती है। एसएसआरपी प्रदूषण पर अंकुश लगाने और स्वास्थ्य संबंधी खतरों को रोकने के लिए एक संगठित, सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल तरीके से संग्रहण, विखंडन और कतरन बनाने की गतिविधियों के लिए एक मॉडल तैयार करती है। विखंडन केंद्र और स्क्रैप प्रसंस्करण केंद्र के दायित्वों, एग्रीगेटर्स की भूमिकाओं और सरकार, निर्माता और मालिक के दायित्वों को एक–एक करके बताया गया है। एसएसआरपी एक समर्थकारी नीति है जिसमें इस्पात मंत्रालय देश में स्क्रैप केन्द्रों की स्थापना करने के लिए उद्यमियों और निवेशकों हेतु स्क्रैपिंग ईको–सिस्टम स्थापित करने के लिए एक सुविधाप्रदाता की भूमिका निभा रहा है। पुनर्चक्रण द्वारा उत्पादित ग्रेडेड स्क्रैप का उपयोग इस्पात बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाएगा। यह स्क्रैप की आयात निर्भरता को कम करने और आयात के प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने में सहायक होगा। यह नीति असंगठित से संगठित क्षेत्र में धातु पुनर्चक्रण की वर्तमान प्रक्रिया को बदलने में सहायता करेगी, जिससे कार्यरत श्रमिकों को लाभ प्राप्त होगा। इस्पात के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले पुनर्चक्रण के माध्यम से उत्पन्न लोहे के स्क्रैप से लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर, जैसे मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग में सहायता मिलेगी, जिससे संसाधन दक्षता और ऊर्जा की बचत होगी तथा जीएचजी उत्सर्जन में कमी आएगी।

मैसर्स महिंद्रा एक्सेलो, अर्थात् महिंद्रा एमएसटीसी रीसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड (एमएमआरपीएल) के साथ संयुक्त उद्यम (जेवी) में एमएसटीसी लिमिटेड, इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत, एक सीपीएसई ने ग्रेटर नोएडा (यूपी), चेन्नई, पुणे, इंदौर, अहमदाबाद और हैदराबाद में छह (6) वाहन स्क्रैपिंग केंद्र स्थापित किए हैं। एमएमआरपीएल ने निकट भविष्य में देश में और अधिक वाहन स्क्रैपिंग केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है।

4.6.4 कैपेक्स: सरकार आर्थिक गतिविधियों में कोविड–19 से उत्पन्न संकुचन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) को उच्च प्राथमिकता दे रही है। पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) सीपीएसई द्वारा या तो अपने स्वयं के संसाधनों से या सरकारी बजटीय सहायता (जीबीएस) के माध्यम से किया जाता है। इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत, सीपीएसई का पूंजीगत व्यय पूरी तरह से उनके अपने

संसाधनों अर्थात आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आईईबीआर) के माध्यम से वित्तपोषित किया जा रहा है। इस्पात के सीपीएसई ने वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, 10147.33 करोड़ रुपये का कैपेक्स प्राप्त किया। चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2022–23) के दौरान, इस्पात मंत्रालय के सीपीएसई के लिए कैपेक्स का लक्ष्य रु. 13,156.46 करोड़ (बीई) और 2023–24 के लिए लक्ष्य रु. 10,300.85 करोड़ है।

महामारी के बाद की अवधि में आधारभूत ढाँचे को सुदृढ़ करने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने में कैपेक्स के महत्त्व और पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के लिए कैपेक्स के लिए निर्धारित उच्चतर लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय नियमित रूप से सीपीएसई के साथ कैपेक्स की भी निगरानी कर रहा है।

कैपेक्स में तेजी लाने के लिए इस्पात के सीपीएसई को प्रोत्साहित करने और निर्देशित करने के अतिरिक्त, मंत्रालय सीपीएसई द्वारा कैपेक्स परियोजनाओं के द्रुत कार्यान्वयन के लिए अंतर–मंत्रालयी मुद्दों का भी समाधान कर रहा है।

4.6.5 सुरक्षा दिशानिर्देशों के तैयार करना: भारतीय इस्पात क्षेत्र में कार्य करने हेतु सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए, इस्पात मंत्रालय ने ''लौह और इस्पात क्षेत्र के लिए सुरक्षा दिशानिर्देश'' शीर्षक से एक पुस्तक के रूप में 25 सुरक्षा दिशानिर्देश तैयार किए हैं स ये दिशानिर्देश भारतीय इस्पात उद्योग (बड़े और छोटे दोनों) द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट गतिविधियों/खतरों से संबंधित हैं। ये दिशानिर्देश इस्पात मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। भारतीय इस्पात उद्योग और इसके संघों के हितधारकों से आग्रह किया गया है कि वे कार्यबल के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने हेतु इन दिशानिर्देशों को पूरे तौर पर अपनाएँ। श्रम और रोजगार मंत्रालय से लोहा एवं इस्पात उद्योग द्वारा सुरक्षा दिशा–निर्देशों के अनिवार्य अंगीकरण को सुविधाजनक बनाने का अनुरोध किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सूचित किया है कि यह व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य दशाएं (ओएसएच और डब्ल्यू सी) संहिता, 2020 की धारा 18 के अन्तर्गत मानक को तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के विचाराधीन है।

इस्पात मंत्रालय ने भी प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से इस्पात कंपनियों के कर्मचारियों और संविदागत कामगारों की सुरक्षा संबंधी जागरूकता को बढ़ाने की आवश्यकता को समझा है। इस संबंध में, इस्पात पीएसयू द्वारा की गई प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। इस्पात पीएसयू को इस्पात संयंत्रों में सुरक्षा जागरूकता संस्कृति तथा प्रक्रियाओं का उन्नयन करने हेतु वित्त वर्ष 2022–23 तक सुरक्षा पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रतिवर्ष न्यूनतम 60–80% कर्मचारियों (सेल 60% आरआईएनएल 80% तथा एनएमडीसी 70%) और वित्त वर्ष 2023–24 तक 100% कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश दिया गया है।

4.6.6 जीईएम: विगत वर्षों में इस्पात के सीपीएसई द्वारा जीईएम के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है जहाँ वित्त वर्ष 2022–23 के लिए निर्धारित आर्डरों के मूल्य रु. 6710.95 के लक्ष्य के मुकाबले 31 जनवरी, 2023 तक रु. 10367.80 हो गए जो लक्ष्य से 54.49% अधिक है।

4.6.7 एमएसएमई भुगतान: इस्पात मंत्रालय के सीपीएसई द्वारा एमएसएमई को लंबित भुगतानों की स्थिति की साप्ताहिक आधार पर निगरानी की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह समय पर तथा ऐसे भुगतान के लिए विहित 45 दिनों की समय–सीमा के भीतर जमा कर दिया जाता है। वर्तमान वित्त वर्ष के अप्रैल–दिसंबर के दौरान 98 प्रतिशत भुगतान 30 दिनों के भीतर किए गए हैं। अप्रैल–दिसंबर 2022 के दौरान इस्पात सीपीएसई ने एमएसएमई को 5434.60 करोड़ रु. का भुगतान किया है जो विगत वर्ष की तत्संबंधी अवधि (सीपीएलवाई) के दौरान किए गए 3358.61 करोड़ रु. के भुगतान से 61.81 प्रतिशत अधिक है।

4.6.8 इस्पात मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठकें

4.6.8.1 इस्पात मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक 6 मई, 2022 को ''स्वच्छ इस्पात की ओर पारगमन'' विषय पर शिमला में आयोजित की गई। वर्तमान परिदृश्य और स्वच्छ इस्पात की ओर पारगमन को बढ़ावा देने के लिए आगे के तरीकों पर चर्चा की गई। स्वच्छ इस्पात का उत्पादन करने के लिए इस्पात उद्योग द्वारा अपनाई

जा सकने वाली विभिन्न रणनीतियों और तकनीकों, उनके लाभ एवं हानि और उनकी प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर (टीआरएल) और कब इसे व्यावसायिक रूप से उपलब्ध किए जाने की संभावना है, पर चर्चा की गई। लोहे के उत्पादन में उपयोग के लिए ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग की संभावनाओं और कॉप 26 में की गई प्रतिबद्धताओं के अनुरूप उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (सीसीयूएस) प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर भी चर्चा की गई। समस्याओं और बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक सरकारी पहलों और स्वच्छ इस्पात के उत्पादन के लिए आगे की राह पर भी चर्चा की गई।

4.6.8.2 इस्पात मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक 1 जुलाई, 2022 को ''इस्पात क्षेत्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए रोडमैप'' विषय पर तिरुपति, आंध्र प्रदेश में आयोजित की गई। बैठक के दौरान, खनन से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट के उपयोग की अपार संभावनाओं, इस्पात निर्माण प्रक्रिया और उपयोगिता अवधि समाप्त उत्पादों पर चर्चा की गई। सरकार का ध्यान चक्रीय अर्थव्यवस्था पर केन्द्रित किए जाने पर बल डाला गया जिसमें 6आर के सिद्धांत, अर्थात् रिड्यूस, रियूज, रीसायकल, रिकवर, रिडिजाइन और रीमैन्यूफैक्चर को अपनाना सम्मिलित है, जिसका उद्देश्य पदार्थ की संसाधन दक्षता को बढ़ाने और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करना है। खनन और इस्पात निर्माण के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट, स्क्रैप और उप–उत्पादों के उपयोग और इस्पात निर्माण तथा अन्य अनुप्रयोगों जैसे सीमेंट निर्माण, सड़क निर्माण, कृषि आदि में उनके कारगर उपयोग पर चर्चा की गई।

4.6.8.3 इस्पात मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक 8 दिसंबर, 2022 को नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया की अध्यक्षता में ''इस्पात क्षेत्र में कच्चा माल'' विषय पर आयोजित की गई। यह नोट किया गया कि जहां तक घरेलू लौह अयस्क की आवश्यकताओं का संबंध है, भारत आत्म–निर्भर है। हालांकि, घरेलू स्तर पर गुणवत्तापूर्ण कोकिंग कोल की अनुपलब्धता के कारण कोकिंग कोल के संबंध में, कोकिंग कोल की वर्तमान आवश्यकता का लगभग 80% आयात के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। सदस्यों को अवगत कराया गया कि कोकिंग कोल के स्रोतों में विविधता लाने के प्रयास जारी हैं और इस दिशा में कोयला मंत्रालय ने कोकिंग कोल पर आयात बिल के बोझ को कम करने के लिए मिशन कोकिंग कोल के अंतर्गत, कोकिंग कोल उत्पादन को बढ़ाने की योजना पहले ही तैयार कर ली है। कच्चे माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एमएमडीआर अधिनियम, 1957 में संशोधन, जैसे कि सरकार द्वारा किए गए उपायों का भी उल्लेख किया गया। सरकार द्वारा किए गए अन्य पहलों, जैसे कि इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति, हरित हाइड्रोजन उत्पादन और उपयोग हेतु राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और घरेलू इस्पात उद्योग के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और इस्पात बनाने के लिए स्वच्छ तरीकों की ओर बढ़ने पर भी चर्चा की गई।

माननीय केन्द्रीय इस्पात मंत्री, श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया, इस्पात मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए

4.6.9 आज़ादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) का स्मरणोत्सव: इस्पात मंत्रालय ने मंत्रालय को आवंटित सप्ताह के दौरान अर्थात 4–10 जुलाई, 2022 के बीच आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। निजी और सार्वजनिक, दोनों क्षेत्रों की इस्पात कंपनियों द्वारा प्रत्येक दिन विषय–आधारित गतिविधियों का आयोजन किया गया, जैसे कि झांकी के साथ चलती प्रदर्शनी, इस्पात के उपयोग को प्रदर्शित करने वाले बैनर और पोस्टर, इस्पात की बढ़ती खपत पर गोष्ठियाँ/कार्यशालाएं, शहरों, कस्बों, कार्यालयों और संयंत्र परिसरों में भारत में स्वच्छ भारत गतिविधियाँ, हरित इस्पात/पर्यावरण और स्थिरता, सुरक्षा और स्वास्थ्य पर बच्चों के लिए पेंटिंग/निबंध लेखन प्रतियोगिता। एकेएएम के तत्वावधान में सरकार द्वारा आरंभ किए गए 'हर घर तिरंगा' अभियान में भी इस्पात मंत्रालय और इसके संगठनों के कर्मचारियों ने अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर, सोशल मीडिया पर झंडे के साथ सेल्फी पोस्ट करते हुए व्यापक रूप से भाग लिया।

4.6.10 विचार-मंथन सत्र: केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया और इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते के मार्गदर्शन में 21 अक्टूबर, 2022 को नई दिल्ली में इस्पात मंत्रालय द्वारा विचार–मंथन सत्र का आयोजन किया गया। विचार–मंथन सत्र में इस्पात मंत्रालय के अधिकारियों तथा इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सीपीएसई के सीएमडी तथा कार्यात्मक निदेशकों ने भाग लिया। संगठन के वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए टीम निर्माण के महत्व पर बल दिया गया।

विचार–मंथन सत्र के दौरान, माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री, श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया

प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी के साथ लघु नाटकों के माध्यम से टीम निर्माण पर एक संवादात्मक कार्यशाला आयोजित की गई। सिविल सेवकों के साथ नेतृत्व और सामूहिक कार्य के प्रमुख सिद्धांतों को साझा किया गया। इस्पात मंत्रालय के प्रतिभागियों और इस्पात सीपीएसई के अधिकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने विचार और सुझाव साझा किए।

4.6.11 इस्पात मंत्रालय ने कच्चे माल के खनन, विकास और इस्पात क्षेत्र की भविष्य की चुनौतियों से संबंधित विषयों पर राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार को विचार–विमर्श करने का अवसर प्रदान करने के लिए 15 नवंबर, 2022 को नई दिल्ली में **''राज्य सरकारों के उद्योग/खान/इस्पात मंत्रियों के सम्मेलन''** का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया, माननीय केन्द्रीय इस्पात मंत्री ने की। भारत के इस्पात क्षेत्र की उपलब्धियाँ और अन्य विषय, जैसे कि इस्पात की ग्रामीण खपत में वृद्धि, इस्पात निर्माण में लौह अयस्क के सभी श्रेणियों का उपयोग, खदानों की समय पर नीलामी, पुनर्चक्रण उद्योग की औपचारिकता और उपयोगिता अवधि समाप्त वाहनों को स्क्रैप में परिवर्तित करना आदि, सम्मेलन के मुख्य आकर्षण थे।

राज्य सरकारों के उद्योग/खनन/इस्पात मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री, श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया

4.6.12 इस्पात मंत्रालय ने दिनांक 17 फरवरी, 2023 को नई दिल्ली में केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया की मौजूदगी में एक **'चिंतन शिविर'** का आयोजन किया। कई मुद्दों जैसे कि इस्पात क्षेत्र में कच्चे माल की समस्याएं तथा इस्पात क्षेत्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था पर विचार–विमर्श किए गए। संगठित तथा असंगठित, दोनों क्षेत्रों में स्क्रैप के उत्पादन तथा पुनर्प्राप्ति के उपायों की पहचान करने की जरूरत को शामिल करते हुए, रिवर्स लॉजिस्टिक तथा देश में चक्रीय अर्थव्यवस्था की प्रबलता को बढ़ाने के लिए नीतियां और ढांचे तैयार करने की आवश्यकता को समझाया गया।

चिंतन शिविर में माननीय केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया

अध्याय-5

सार्वजनिक क्षेत्र

5.1 प्रस्तावना

इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत, 07 (सात) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) हैं। सीपीएसई का विस्तृत अवलोकन निम्नानुसार है:

5.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, एक पंजीकृत कंपनी है और एक ''महारत्न'' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है। इसके भिलाई (छत्तीसगढ़), राउरकेला (ओडिशा), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), बोकारो (झारखंड) और बर्नपुर (पश्चिम बंगाल) में पाँच एकीकृत इस्पात संयंत्र हैं। सेल के तीन विशेष और मिश्र धातु इस्पात संयंत्र हैं, जैसे कि दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) में मिश्र धातु इस्पात संयंत्र, सेलम (तमिलनाडु) में सेलम इस्पात संयंत्र और भद्रावती (कर्नाटक) में विश्वेश्वरैया आयरन एंड इस्पात संयंत्र। सेल की कई इकाईयाँ भी हैं, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील (आरडीसीआईएस), सेंटर फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीईटी), मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (एमटीआई) और सेल सेफ्टी आर्गेनाइजेशन (एसएसओ) और ये सभी रांची में स्थित हैं, कोलियरी डिवीजन धनबाद में स्थित है, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट डिवीजन (ईएमडी) और लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट (एल एंड आई) कोलकाता में स्थित है, कल्टी में सेल ग्रोथ वर्क्स और सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट मुख्यालय के साथ बोकारो में स्थित है। चंद्रपुर फेरो अलॉय प्लांट (सीएफपी) चंद्रपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। सेंट्रल मार्केटिंग आर्गेनाइजेशन (सीएमओ), जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, कंपनी के देशव्यापी विपणन और वितरण नेटवर्क का समन्वय करता है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र में डिस्पैच के लिए एचआर क्वाइल्स

5.2.1 पूंजीगत संरचना

सेल की अधिकृत पूंजी 5,000 करोड़ रुपये है। दिनांक 31.12.2022 के अनुसार कंपनी की प्रदत्त पूंजी 4,130.53 करोड़ रुपये है, जिसमें से 65% भारत सरकार के पास है और शेष 35% वित्तीय संस्थानों, जीडीआर के धारकों, बैंकों, कर्मचारियों, खुदरा निवेशकों आदि के पास है।

5.2.2 वित्तीय प्रदर्शन

कंपनी ने अप्रैल–दिसंबर 2022 के दौरान 74,810 करोड़ रूपए और वित्त वर्ष 21–22 के दौरान 1,02,805 करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया। अप्रैल–दिसंबर 22' के दौरान कर पश्चात लाभ 854 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 21–22 के दौरान 12,015 करोड़ रूपए था।

5.2.3 उत्पादन का प्रदर्शन

(मिलियन टन में)

सेल	2020-21	2021-22	2022-23*
गर्म धातु	16.58	18.73	14.16
कच्चा इस्पात	15.21	17.36	13.33
बिक्री योग्य इस्पात	14.60	16.89	12.54

*दिसंबर, 2022 तक

5.2.4 कच्चा माल

अप्रैल–दिसंबर 2022 के दौरान, सेल ने अपने कैप्टिव खदानों से 24.78 एमटी लौह अयस्क का उत्पादन करके अपने इस्पात संयंत्रों के लिए लौह अयस्क की संपूर्ण आवश्यकता को पूरा किया। अप्रैल–दिसंबर 2022 के दौरान, कैप्टिव खदानों से फ्लक्स (चूना पत्थर और डोलोमाइट) का उत्पादन 1.27 एमटी था। इसी अवधि के दौरान, सेल की कैप्टिव कोलियरियों से कच्चे कोकिंग कोयले का उत्पादन 0.27 एमटी था और सेल की कैप्टिव कोलियरियों से मिडिलिंग सहित कच्चे गैर–कोकिंग कोयले का उत्पादन 0.39 एमटी था।

5.2.5 वाशरी का प्रदर्शन

अप्रैल–दिसंबर 2022 के दौरान, चासनाला में सेल की वाशरी ने कुल 0.91 एमटी कच्चे कोकिंग कोयले को संसाधित किया, जिसका उत्पादन सेल के कोयला खदानों में और खरीदारी सीआईएल स्रोतों से किया गया। संसाधित कच्चे कोयले में से 0.46 एमटी स्वच्छ कोयले का उत्पादन किया गया।

5.2.6 लौह अयस्क फाइन्स/डंप फाइन्स/टेलिंग्स की बिक्री

अप्रैल–दिसंबर' 2022 के दौरान सेल की खदानों से लौह अयस्क फाइन्स/डंप फाइन्स/टेलिंग्स की बिक्री 0.38 एमटी थी।

5.2.7 जनशक्ति

दिनांक 01.01.2023 के अनुसार सेल की कर्मचारी सं. 60,039 (कार्यकारी 10,050 और गैर–कार्यकारी 49,989) थी।

5.2.8 क्षमता विस्तार और आधुनिकीकरण परियोजनाएँ

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भिलाई, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, बर्नपुर में अपने एकीकृत इस्पात

संयंत्रों और सेलम में विशेष इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण और विस्तार योजना (एमईपी) की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत, कच्चे इस्पात की उत्पादन क्षमता को 12.8 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 21.4 मिलियन टन प्रति वर्ष करने की परिकल्पना की गई थी। हालांकि, सेल की वर्तमान में प्रचालित किए जा रहे कच्चे इस्पात की क्षमता 19.51 एमटीपीए है।

भिलाई, राउरकेला, बर्नपुर, दुर्गापुर, बोकारो और सेलम इस्पात संयंत्रों में एमईपी पूरा कर लिया गया है और सुविधाओं का प्रचालन, स्थिरीकरण और रैंप अप किया जा रहा है। एमईपी के अंतर्गत, बीम ब्लैंक कास्टर के रूप में परिकल्पित भिलाई इस्पात संयंत्र के एसएमएस–III के चौथे कास्टर को ब्लूम–कम–बीम ब्लैंक कास्टर में परिवर्तित किया जा रहा है।

परिवर्धन, संशोधन, प्रतिस्थापन (एएमआर) परियोजनाएँ

आधुनिकीकरण और विस्तार परियोजनाओं के अतिरिक्त, सेल समय–समय पर एएमआर योजनाओं के अंतर्गत, पूंजी निवेश भी करता है। 2022–23 के दौरान, आरम्भ की गई बड़ी परियोजनाओं (लागत > 50 करोड़ रुपये) की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

नई परियोजनाएँ

- बोकारो इस्पात संयंत्र में प्रस्तावित 2000 टीपीडी बीओओ ऑक्सीजन संयंत्र के लिए विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था।
- आरएसपी में जेडएलडी के कार्यान्वयन के लिए उपचार प्रणाली–I की स्थापना।
- बीएसएल में बीओओ आधार पर 2000 टीपीडी ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना।
- एसएमएस–II, आरएसपी में एक नई लैडल फर्नेस और सहायक सहित चौथे स्लैब कास्टर की स्थापना।
- व्हील और एक्सल प्लांट, डीएसपी में एनडीटी सुविधाओं की स्थापना।

5.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड एक नवरत्न पीएसई है, जो विशाखपट्टनम इस्पात संयंत्र की एक कॉरपोरेट इकाई है, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत, पंजीकृत विशाखपट्टनम, आंध्र प्रदेश में स्थित देश का पहला तट–आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र है और इसका पंजीकृत कार्यालय विशाखपट्टनम में है।

आरआईएनएल का विशाखपट्टनम, आंध्र प्रदेश में 7.3 एमटीपीए तरल इस्पात क्षमता का एक एकीकृत इस्पात संयंत्र है। इसके अतिरिक्त, कंपनी तीन खदानों का संचालन करती है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में जग्यापेटा खदान (चूना पत्थर), गर्भम (मैंगनीज) खदानें और तेलंगाना राज्य में मधराम खदानें (डोलोमाइट)। आरआईएनएल के पास आंध्र प्रदेश के किंटाडा में क्वार्टजाइट और नदी के रेत की खदान भी हैं।

ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (ईआईएल) 51% शेयरधारिता के साथ, आरआईएनएल की एक सहायक कंपनी है, जिसके और 2 सहायक कंपनियां, मेसर्स उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसी) और मेसर्स बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बीएसएलसी) हैं। ये तीन कंपनियाँ 19.03.2010 से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बन गईं और इन कंपनियों का मुख्यालय भुवनेश्वर (ओडिशा) में स्थित है।

आरआईएनएल अपने उत्पादों का विपणन 5 क्षेत्रीय कार्यालयों, 23 शाखा बिक्री कार्यालयों और 23 स्टॉक यार्डों के व्यापक विपणन नेटवर्क के माध्यम से कर रहा है जो देश भर में वितरण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

आरआईएनएल ने आयात प्रतिस्थापन के लिए भारतीय रेलवे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश के लालगंज में फोर्ज्ड व्हील प्लांट (एफडब्ल्यूपी) की स्थापना की। इस इकाई से वाणिज्यिक प्रचालन पहले ही शुरु हो गया है।

आरआईएनएल एफडब्लूपी के डिस्पैच क्षेत्र में एलएचबी पहियों का भण्डारण

5.3.1 पूंजी संरचना

आरआईएनएल–वीएसपी इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत, एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है। कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 8000 करोड़ रुपये है और 31.12.2022 के अनुसार जारी/सब्स्क्राइब्ड/पूर्ण चुकता शेयर 4889.85 करोड़ रुपये है।

5.3.2 वित्तीय प्रदर्शन

आरआईएनएल ने अप्रैल, 2022 से दिसंबर, 2022 की अवधि के दौरान 15,618 करोड़ रु. (अनंतिम) का कारोबार दर्ज किया और कंपनी को दिसंबर, 2022 तक 2,751.34 करोड़ रु. (अनंतिम) का निवल घाटा हुआ।

5.3.3 उत्पादन का प्रदर्शन

(इकाई: '000 टन)

उत्पादन	2020-21	2021-22	2022-23*
गर्म धातु	4682	5774	3106
कच्चा इस्पात	4302	5272	2909
बिक्री योग्य इस्पात	4163	5138	2722

* दिसम्बर, 2022 तक अनंतिम

5.3.4 कच्चा माल

आरआईएनएल के पास लौह अयस्क और कोकिंग कोयला जैसे प्रमुख कच्चे माल के लिए कैप्टिव खदानें नहीं हैं। कंपनी मुख्य रूप से एनएमडीसी से और आंशिक रूप से नीलामी/निविदाओं से लौह अयस्क की खरीद करती रही है। कोकिंग कोयला मुख्य रूप से वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त किया जाता है।

5.3.5 जनशक्ति

दिनांक 31.12.2022 के अनुसार आरआईएनएल की जनशक्ति 14935 (कार्यपालक–4,889 और गैर–कार्यपालक–10,046) थी।

5.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी लिमिटेड भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत, एक ''नवरत्न'' सीपीएसई है, जो मुख्य रूप से इस उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करने हेतु खनिजों की खोज और खदानों के विकास के व्यवसाय में लगी हुई है। यह इस्पात बनाने और अन्य मूल्यवर्धित उत्पादों की दिशा में भी अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रहा है।

एनएमडीसी देश में बैलाडिला (छत्तीसगढ़) और दोणिमलै (कर्नाटक) में बड़ी मशीनीकृत लौह अयस्क खदानों का संचालन करती है। एनएमडीसी का हीरा खदान, पन्ना (मध्य प्रदेश) में स्थित है, एनएमडीसी की स्पंज आयरन यूनिट पलोंचा, तेलंगाना में और 1.2 एमटी क्षमता का पेलेट संयंत्र कर्नाटक में स्थित है।

छत्तीसगढ़ में किरंदुल काम्प्लेक्स का हवाई दृश्य

5.4.1 पूंजीगत संरचना

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 400 करोड़ रुपये है। दिनांक 31.12.2022 के अनुसार प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी 293.07 करोड़ रुपये है जिसमें से 60.79% भारत सरकार के पास सुरक्षित है और शेष 39.21% वित्तीय संस्थानों/बैंकों/व्यक्तियों/कर्मचारियों आदि के पास है।

5.4.2 वित्तीय प्रदर्शन

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022–23 (दिसंबर, 2022 तक) के दौरान, 11,816 करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया। वर्ष के लिए कर–पश्चात शुद्ध लाभ 3,252 करोड़ रुपये (वास्तविक दिसंबर, 2022 तक) था।

5.4.3 उत्पादन का प्रदर्शन

वास्तविक उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया है:

मद	2020-21	2021-22	2022-23*
लौह अयस्क (एमटी में)	34.15	42.19	26.69

* दिसंबर, 2022 तक

5.4.4 जनशक्ति

दिनांक 31.12.2022 के अनुसार एनएमडीसी की जनशक्ति 5667 थी।

5.4.5 प्रमुख विस्तार/पहल:

- एनएमडीसी नगरनार, जगदलपुर के निकट, जिला–बस्तर, छत्तीसगढ़ में 3.0 एमटीपीए का एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित कर रहा है। यह संयंत्र पूर्ण होने के उन्नत चरण में है। दिनांक 28.10.2022 को कोक पुशिंग के साथ चरणबद्ध तरीके से इसका प्रचालन आरंभ कर दिया गया है।

- एनएमडीसी ने स्लरी पाइपलाइन परियोजना का निर्माण आरंभ कर दिया है जिसमें नगरनार में 2.0 एमटीपीए का पेलेट प्लांट, बचेली में 2.0 एमटीपीए का अयस्क प्रसंस्करण संयंत्र और बचेली से नगरनार तक 130 किलोमीटर की स्लरी पाइपलाइन और छत्तीसगढ़ राज्य में इसकी सहायक प्रणालियां शामिल हैं। प्रमुख पैकेज, जैसे स्लरी पाइपलाइन बिछाने का पैकेज, स्लरी पंप हाउस पैकेज, नगरनार में पेलेट संयंत्र का प्रौद्योगिकीय पैकेज और मुख्य सबस्टेशन पैकेज दिए गए हैं और साइट पर काम चल रहा है। एनएमडीसी बचेली में अयस्क प्रसंस्करण संयंत्र के लिए एजेंसियों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

- एनएमडीसी ने किरंदुल कॉम्प्लेक्स, बैलाडिला, छत्तीसगढ़ में 12.0 एमटीपीए की स्क्रीनिंग संयंत्र–III की स्थापना आरंभ कर दी है। ड्राई सर्किट पैकेज, वेट सर्किट पैकेज, आरडब्ल्यूएलएस पैकेज, सबस्टेशन पैकेज, बिल्डिंग पैकेज, जैसे प्रमुख पैकेज प्रदान किए गए हैं और कार्य प्रगति पर है।

- एनएमडीसी निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाओं को स्थापित करके अपनी उत्पादन और निकासी क्षमता को बढ़ाने की प्रक्रिया में भी है:

  - मौजूदा स्क्रीनिंग संयंत्र में **5वीं स्क्रीनिंग लाइन का निर्माण** और भंडार–5, बचेली कॉम्प्लेक्स, बैलाडीला, छत्तीसगढ़ में डाउनहिल कन्वेयर प्रणाली का उन्नयन प्रगति पर है।

  - **दोणिमलै कॉम्प्लेक्स, कर्नाटक में 7.0 एमटीपीए की स्क्रीनिंग और बेनिफिशिएशन संयंत्र-II की स्थापना:** परियोजना के लिए एनएमडीसी वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। साथ–साथ निविदा प्रलेखों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है।

  - **किरंदुल का दोहरीकरण :** कोट्टावलासा रेलवे लाइन, किरंदुल से जगदलपुर (लगभग 150 किलोमीटर) तक एनएमडीसी द्वारा वित्तपोशित जमा राशि के आधार पर ईस्ट कोस्ट रेलवे द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। जगदलपुर से दंतेवाड़ा तक कुल 106 किलोमीटर रेलवे लाइन का दोहरीकरण चालू हो गया

है और यातायात के लिए खोल दिया गया है, किरंदुल से बचेली तक 9.5 किलोमीटर का दोहरीकरण मार्च 2023 तक पूरा होने की संभावना है। बचेली से दंतेवाड़ा तक शेष 34.5 किलोमीटर का दोहरीकरण मार्च 2024 तक उत्तरोत्तर रूप से पूरा करने की योजना है।

- **एनएमडीसी की सौर परियोजनाएँ :** एनएमडीसी एसआईयू, पलोंचा में 4.5 मेगावाट का भूमि पर स्थापित ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। एनएमडीसी ने पहले ही तेलंगाना राज्य प्राधिकरणों से ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए बिजली निकासी व्यवस्था व्यवहार्यता प्रमाणपत्र/अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। अगस्त, 2024 तक इसकी स्थापना को पूरा करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

5.5 मॉयल लिमिटेड

मॉयल एक अनुसूची–ए, मिनी रत्न श्रेणी–I का एक सीपीएसई है। मॉयल घरेलू उत्पादन में लगभग 48% की हिस्सेदारी के साथ देश में मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। वर्तमान में, मॉयल ग्यारह खदानों का संचालन करती है, जिसमें से सात महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा जिलों में और चार मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित हैं। एक को छोड़कर, मॉयल की सभी खदानें लगभग एक सदी पुरानी हैं। सात खदानों में भूमिगत विधि से कार्य किया जाता है और शेष 4 खदानों में ओपनकास्ट विधि से कार्य किया जाता है। बालाघाट खदान कंपनी की सबसे बड़ी खदान है। मॉयल ने इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड (ईएमडी) की 1500 एमपीटीए क्षमता के निर्माण के लिए स्वदेशी तकनीक पर आधारित एक संयंत्र स्थापित किया है। इस उत्पाद को मुख्य रूप से शुष्क बैटरी सेलों के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। मॉयल द्वारा उत्पादित ईएमडी अच्छी गुणवत्ता की है और बाजार द्वारा इसे अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है। मूल्य संवर्धन के लिए मॉयल द्वारा 12,000 एमटीपीए की वर्तमान क्षमता वाला फेरो मैंगनीज संयंत्र स्थापित किया गया है। गैर–पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए, मॉयल ने नागदा हिल्स में 4.8 मेगावाट का पवन ऊर्जा फार्म और रेटडी हिल्स, जिला देवास, मध्य प्रदेश में 15.2 मेगावाट का पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया है।

महाराष्ट्र सरकार ने 212.931 हेक्टेयर सहित चार पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान किए हैं जिसमें कोर ड्रिलिंग द्वारा दो क्षेत्रों में गवेषण पूरा कर लिया गया है। कुल पट्टा क्षेत्र में 126.84 हेक्टेयर का नया खनन पट्टा क्षेत्र सम्मिलित है जिसे मैंगनीज अयस्क के खनन के लिए नागपुर जिले के कोडेगाँव में महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया है जो मॉयल की गुमगाँव खदान से सटा हुआ है।

बालाघाट खदान, मध्य प्रदेश

इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश सरकार ने मैंगनीज अयस्क के दोहन के लिए बालाघाट के ग्राम तवेझरी और मंझरा के 202.501 हेक्टेयर क्षेत्र में पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान किया है, जिसके लिए कोर ड्रिलिंग द्वारा गवेषण प्रक्रियाधीन है।

मॉयल ने गुजरात राज्य में मैंगनीज अयस्क के खनन की संभावना का पता लगाने के लिए अक्टूबर, 2019 में गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड (जीएमडीसी), जो गुजरात राज्य का एक उद्यम है, के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। विस्तृत गवेषण और विश्लेषण के लिए, मॉयल ने मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमईसीएल), खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत, एक सीपीएसई के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। गवेषण कार्य संपन्न होने के बाद, एक तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार की गई है जो यह इंगित करती है कि परियोजना तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य है। कोर ड्रिलिंग द्वारा गवेषण पहले ही पूरा हो चुका है और इसके परिणाम मैंगनीज अयस्क के अच्छे ग्रेड की उपलब्धता और लगभग 9.51 मिलियन एमटी की मात्रा का संकेत देते हैं। अब, मॉयल एमओयू के संदर्भ में जीएमडीसी के साथ संयुक्त उद्यम (जेवी) समझौते पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है।

5.5.1 पूंजीगत संरचना

31 दिसंबर, 2022 तक कंपनी की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी क्रमशः 300.00 करोड़ रुपये और 203.48 करोड़ रूपए है। 15 दिसंबर, 2010 को मॉयल को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया। भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार की वर्तमान शेयरधारिता क्रमशः 53.34 प्रतिशत, 5.37 प्रतिशत और 5.96 प्रतिशत है और शेष 35.33 प्रतिशत जनता के पास है।

5.5.2 वित्तीय निष्पादन

(रुपये करोड़ में)

मापदंड	2020-21	2021-22	2022-23*
कुल आय	1279.85	1515.57	961.65
कर पूर्व लाभ	240.11	523.29	227.02
कर पश्चात लाभ	176.63	376.98	169.89

*दिसंबर, 2022 तक अनंतिम

5.5.3 उत्पादन संबंधी प्रदर्शन

मापदंड	2020-21	2021-22	2022-23*
मैंगनीज अयस्क (लाख मीट्रिक टन)	11.43	12.31	8.99
ई.एम.डी. (मीट्रिक टन)	1070	1202	808
फेरो मैंगनीज (मीट्रिक टन)	8851	10245	7363

*दिसंबर, 2022 तक अनंतिम

5.5.4 जनशक्ति

दिनांक 31.12.2022 के अनुसार मॉयल की जनशक्ति 5666 है।

5.6 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन लिमिटेड, एक मिनीरत्न सीपीएसई है और इस्पात मंत्रालय के अधीन एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है और यह धातु और खनन, ऊर्जा (विद्युत, तेल और गैस), अवसंरचना, पर्यावरण इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित/विविधीकृत क्षेत्रों में व्यापक विदेशी अनुभव के साथ एक अग्रणी बहु–आयामी डिजाइन, इंजीनियरिंग, परामर्शदात्री और संविदाकार संगठन है। मेकॉन टर्नकी निष्पादन सहित, अवधारणा से लेकर चालू करने तक ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं की स्थापना के लिए आवश्यक सेवाओं की पूरी श्रृंखला प्रदान करता है। मेकॉन एक आईएसओ 9001:2015 मान्यता प्राप्त कंपनी है और वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन आदि, जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ पंजीकृत है। मेकॉन ने बदले हुए व्यावसायिक परिदृश्य से उभरने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए रणनीतिक साझेदारों के साथ व्यापार के नए क्षेत्रों में भी उद्यम किया है।

मेकॉन पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है।

5.6.1 वित्तीय निष्पादन

(रुपये करोड़ में)

मापदंड	2020-21	2021-22	2022-23*
कारोबार	718.00	586.67	471.61
प्रचालन लाभ	(-) 25.34	(-) 18.92	(-) 124.84
पीबीटी	19.11	19.54	(-) 64.10
पीएटी	6.24	13.70	(-) 64.10

*दिसंबर, 2022 तक अनंतिम

5.6.2 जनशक्ति

दिनांक 31.12.2022 के अनुसार मेकॉन की जनशक्ति 1083 थी।

5.7 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी लिमिटेड फरवरी, 1992 तक कार्बन इस्पात मेल्टिंग स्क्रैप, स्पंज आयरन, हॉट ब्रिकेटेड आयरन और री–रोलेबल स्क्रैप के आयात के लिए कैनालाइजिंग एजेंसी थी। यह पुराने जहाजों को विखंडित करने हेतु आयात करने के लिए कैनालाइजिंग एजेंसी भी थी। अगस्त, 1991 से ऐसी वस्तुओं के आयात को अप्रभावी कर दिया गया था। इसके बाद, कंपनी मुख्य रूप से ई–नीलामी/ई–खरीद सेवाएँ प्रदान करने जैसे विविध कार्य में लग गए। इस सेगमेंट के अंतर्गत, यह कंपनी सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी कंपनियों के लिए फेरस और नॉन–फेरस से उत्पन्न होने वाले स्क्रैप, अधिशेष भंडार, अनुपयोगी संयंत्र, खनिजों, कृषि और वन उपज आदि का निपटान करती है। व्यापार करने वाला विभाग वास्तविक उपयोगकर्ताओं के साथ–साथ व्यापारियों के लिए थोक औद्योगिक कच्चे माल के आयात के साथ–साथ घरेलू सोर्सिंग में भी लगा हुआ है। यह विभाग इस्पात, तेल एवं गैस, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में विद्युत् के ग्राहकों की ओर से कम राख वाले मेटलर्जिकल कोक, एचआर क्वाइल, नेफ्था, कच्चे तेल, कोकिंग कोयला, स्टीम कोल, लाइन पाइप आदि जैसे औद्योगिक कच्चे माल की सोर्सिंग, खरीद और बिक्री का काम देखता है। कंपनी के प्रमुख गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

ई-कॉमर्स: व्यवसाय के इस खंड के अंतर्गत, एमएसटीसी पारदर्शी और निष्पक्ष बिक्री और खरीद के लेनदेनों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र/राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और अन्य निजी संस्थाओं के लिए एक स्टैंडअलोन और तटस्थ ई–कॉमर्स सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। व्यवसाय के इस खंड के अंतर्गत, एमएसटीसी एकमात्र सीपीएसई के रूप में विकसित हुआ है, जिसमें पूर्ण रूप से इन–हाउस प्रचालन होते हैं और यह ई–कॉमर्स क्षेत्र में भारत में सबसे बड़ी सरकारी कंपनी बन गई है।

पुनर्चक्रण: एमएसटीसी ने एंड–ऑफ–लाइफ वाहनों (ईएलवी) के स्क्रैप के प्रसंस्करण के लिए भारत में पहली मशीनीकृत ऑटो श्रेडिंग संयंत्र की स्थापना आरंभ की है। महिंद्रा एमएसटीसी रिसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया गया है। ईएलवी के लिए कंपनी का पहला कलेक्शन और डिस्मेनटलिंग संयंत्र ग्रेटर नोएडा में स्थापित हुआ था और इसने प्रचालन के तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज की तिथि में ग्रेटर नोएडा, चेन्नई, पुणे, इंदौर, अहमदाबाद और हैदराबाद में कुल छह संयंत्र स्थित हैं। वित्त वर्ष 22–23 के दौरान इंदौर, अहमदाबाद और हैदराबाद में संयंत्र स्थापित किए गए हैं।

5.7.1 पूंजीगत संरचना

दिनांक 31.12.2022 के अनुसार कंपनी की अधिकृत पूंजी 150.00 करोड़ रुपये और प्रदत्त पूंजी 70.40 करोड़ रुपये है। भारत सरकार के पास 64.75% शेयरधारिता है और शेष 35.25% शेयरधारिता जनता और अन्य लोगों के पास है।

5.7.2 भौतिक कार्य-निष्पादन

(रुपये करोड़ में)

मापदंड	2020-21	2021-22	2022-23*
ई–वाणिज्य	128796.31	136425.55	156896.98
व्यापार	189.59	379.35	145.06
व्यवसाय की कुल राशि	**128985.90**	**136804.90**	**157042.04**

*दिसंबर, 2022 तक अनंतिम

5.7.3 वित्तीय निष्पादन

(रुपये करोड़ में)

मापदंड	2020-21	2021-22	2022-23*
कारोबार**	427.75	470.64	231.64
प्रचालन से लाभ	117.16	224.76	203.27
कर से पूर्व लाभ	114.68	220.08	198.77
कर के पश्चात लाभ	101.07	200.09	149.64

*दिसंबर, 2022 तक अनंतिम

** जोखिम वाले व्यापारिक गतिविधियों को बंद करने के कारण कारोबार घट रहा है।

5.7.4 जनशक्ति

दिनांक 31.12.2022 के अनुसार एमएसटीसी में जनशक्ति 303 थी।

5.8 केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल लिमिटेड इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत, एक अनुसूची–ए, मिनी रत्न श्रेणी–I सीपीएसई है, जिसे दिनांक 02.04.1976 को कर्नाटक राज्य के चिकमंगलुरु जिले में कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान से निम्न श्रेणी के मैग्नेटाइट लौह अयस्क के खनन और लाभकारी बनाने के उद्देश्य से निगमित किया गया था। दिनांक 31.03.2022 के अनुसार, भारत सरकार के पास इसकी 99.03 प्रतिशत इक्विटी है और शेष 0.97 प्रतिशत बीमा कंपनियों, कारपोरेट निकायों और जनता/अन्य के पास है। कंपनी वर्तमान में मंगलुरु में 3.5 एमटीपीए का पेलेटाइजेशन संयंत्र और 0.216 एमटीपीए का मिनी–ब्लास्ट फर्नेस इकाई की विनिर्माण सुविधाओं से लौह अयस्क के पेलेट्स और फाउंड्री ग्रेड के पिग आयरन के विनिर्माण और बिक्री के कारोबार में लगी हुई है। कंपनी के पास मेंगलुरु में कैप्टिव बर्थ और शिप लोडिंग सुविधाएं थी। विनिर्माण सुविधाओं को आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2018 से मान्यता मिली हुई है।

कंपनी अपने प्रचालनों को व्यवहार्य बनाने के लिए मौजूदा ब्लास्ट फर्नेस यूनिट, जैसे कि कोक ओवन संयंत्र और डक्टाइल आयरन स्पन पाइप (डीआईएसपी) के संयंत्रों के साथ अतिरिक्त उत्पादन सुविधाओं को फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन के रूप में जोड़ने की प्रक्रिया में है।

विविधीकरण गतिविधियों के अंतर्गत, कंपनी प्रचालन और रख–रखाव सेवाएँ प्रदान कर रही है।

खान मंत्रालय, भारत सरकार ने केआईओसीएल को खदान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 के अंतर्गत, गवेषण इकाई के रूप में अधिसूचित किया। तदनुसार, कंपनी ने देश के लिए खनिज भंडार के गवेषण संबंधी व्यवसाय में प्रवेश किया है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 27.02.2020 के पत्र के माध्यम से मैंगलोर में ब्लास्ट फर्नेस इकाई के वर्तमान परिसर के अन्दर कोजेन कैप्टिव पावर प्लांट (10एमडब्लू) और डक्टाइल आयरन स्पन पाइप (डीआईएसपी) (0.2 एमटीपीए) के साथ नॉन–रिकवरी कोक ओवन प्लांट (0.18 एमटीपीए) की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की थी।

कर्नाटक सरकार ने एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 17क(2क) के प्रावधानों के अन्तर्गत केआईओसीएल लिमिटेड के पक्ष में लौह अयस्क और मैग्नीज के लिए देवदारी रेंज, संदूर तालुक, बेल्लारी जिले में 470.40 हेक्टेयर क्षेत्र आरक्षित करने के लिए दिनांक 23.01.2017 को राजपत्र अधिसूचना जारी की। कंपनी ने 2 एमटीपीए लौह अयस्क के उत्पादन और 2 एमटीपीए क्रशिंग, कन्वेइंग और बेनिफिकेशन संयंत्र स्थापित करने के लिए 08.03.2018 को भारतीय खान ब्यूरो से खनन योजना हेतु अनुमोदन प्राप्त किया। एमओईएफएंडसीसी, भारत सरकार ने दिनांक 13 अगस्त, 2021 के पत्र के माध्यम से 2 एमटीपीए के लौह अयस्क (आरओएम) की खनन क्षमता वाले देवदारी लौह अयस्क खदान और 2 एमटीपीए के वेट बेनिफिशिएशन प्लांट के साथ, 500 टीपीए के मैंगनीज अयस्क के लिए पर्यावरण मंजूरी प्रदान की। एमओईएफएंडसीसी, भारत सरकार ने दिनांक 16.12.2022 के पत्र के माध्यम से स्वामीमलाई (एसएम) ब्लॉक वन, संदूर तालुक, बल्लारी जिला, कर्नाटक में 401.5761 हेक्टेयर वन भूमि (कुल 401.5761 हेक्टेयर में से खनन के लिए 388.00 हेक्टेयर + कन्वेयर कॉरिडोर, पावर ट्रांसमिशन लाइन, संपर्क मार्ग के लिए 13.5761 हेक्टेयर) के परिवर्तन के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत, अंतिम/चरण–II का अनुमोदन प्रदान किया। केआईओसीएल ने लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क के लिए 50 वर्षों की अवधि तक 388 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए दिनांक 02.01.2023 को निदेशक, खदान और भूविज्ञान, कर्नाटक सरकार के साथ देवदारी लौह अयस्क खदान के खनन पट्टे के विलेख का निष्पादन किया। दिनांक 13.01.2023 को स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क के लिए 329.18 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया। उक्त खनन पट्टा विलेख दिनांक 18.01.2023 को पंजीकृत किया गया।

5.8.1 भौतिक कार्य-निष्पादन

(मिलियन टन में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23*
लौह अयस्क पेलेट्स का उत्पादन	2.210	2.030	0.834
लौह अयस्क पेलेट्स की बिक्री	2.311	2.072	0.765

*दिसंबर, 2022 तक अनंतिम

5.8.2 वित्तीय निष्पादन

(रुपये करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23*
प्रचालनों से प्राप्त राजस्व	2,383.61	3006.45	815.05
कर–पूर्व लाभ	410.23	411.03	(-) 181.64
कर–पश्चात लाभ	301.17	313.41	(-) 181.64

*दिसंबर, 2022 तक अनंतिम

5.8.3 जनशक्ति

दिनांक 31.12.2022 को केआईओसीएल लिमिटेड की जनशक्ति 652 थी।

अध्याय-6

निजी क्षेत्र

6.1 प्रस्तावना

इस्पात उद्योग का निजी क्षेत्र वर्तमान में देश में उत्पादन और इस्पात उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। निजी क्षेत्र की इकाइयों में एक ओर वृहत इस्पात उत्पादक और दूसरी ओर अपेक्षाकृत छोटे और मध्यम आकार की इकाइयों जैसे स्पंज आयरन संयंत्र, लघु ब्लास्ट फर्नेस इकाईयां, इलैक्ट्रिक आर्क फर्नेस, रि–रोलिंग मिल्स, कोल्ड–रोलिंग मिल्स और कूलिंग इकाइयां हैं। वे प्राथमिक और द्वितीयक इस्पात के उत्पादन में न केवल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बल्कि गुणवत्ता, अभिनवता और लागत प्रभाविता के मामले में बहुत अधिक मूल्यवर्धन में भी योगदान करते हैं।

6.2 निजी क्षेत्र में अपनी निर्धारित क्षमताओं के साथ अग्रणी इस्पात उत्पादकों का ब्योरा नीचे तालिका में दिया गया है:–

क्र. सं.	इस्पात कंपनी का नाम	वर्ष 2022-23 के लिए मौजूदा क्षमता (एमटीपीए में)
1.	जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	23
2.	टाटा स्टील लिमिटेड	20.6
3.	आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड	9.6
4.	जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड	8.1
5.	वेदांता (ईएसएल स्टील लिमिटेड)	1.88
6.	जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड	1.1
7.	जिंदल स्टेनलेस (हिसार) लिमिटेड	0.78

स्रोतः जेपीसी

6.3 जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड

जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड 28 एमटीपीए की संस्थापित क्षमता के साथ भारत में अग्रणी एकीकृत उत्पाद कंपनियों में से एक है और इसकी योजना भारत तथा विदेश में इस क्षमता को बढ़ाने की है। विजयनगर कर्नाटक में जेएसडब्ल्यू स्टील की विनिर्माण सुविधा 12 एमटीपीए की क्षमता के साथ भारत में सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन इस्पात उत्पादन सुविधा है। यह कंपनी दीर्घ अवधि विकास के लिए नींव रखते समय अत्याधुनिक, अति विकसित प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और अभिनवता में आगे रही है। वैश्विक प्रौद्योगिकी की अग्रणी कंपनियों के साथ नीतिगत सहयोग से विभिन्न अनुप्रयोगों जैसे कि निर्माण, ऑटोमोबाइल, उपकरणों और अन्य क्षेत्रों के लिए उच्च मूल्य वाला विशेष इस्पात उत्पाद उपलब्ध होगा।

जेएसडब्ल्यूवीएन का हवाई दृश्य

6.4 टाटा स्टील ग्रुप

टाटा स्टील ग्रुप 34 मिलियन टन प्रति वर्ष की वार्षिक क्रूड इस्पात क्षमता के साथ शीर्ष वैश्विक इस्पात कंपनियों में से है। यह पूरे विश्व में प्रचालनों और वाणिज्यिक उपस्थिति के साथ विश्व के सबसे अधिक भौगोलिक रूप से विविधिकृत इस्पात उत्पादकों में से है। इस ग्रुप ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में 32.84 बिलियन यूएस डॉलर का समेकित कारोबार किया।

टाटा स्टील लिमिटेड अपनी अनुषंगी कंपनियों, संबद्ध और संयुक्त उद्यमों के साथ 65,000 से अधिक कर्मचारियों के साथ पांच महाद्वीपों में फैला हुआ है। टाटा स्टील डीजेएसआई उभरते बाजार सूचकांक का 2012 से हिस्सा रहा है और इसे निरंतर रूप से वर्ष 2016 से डीजेएसआई कॉरपोरेट निरंतरता आकलन में शीर्ष 10 इस्पात कंपनियों का दर्जा दिया गया है। टाटा स्टील जिम्मेदार इस्पात टीएम, विश्व इस्पात के जलवायु एक्शन प्रोग्राम और विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक समता गठजोड़ का एक सदस्य है। यह कंपनी जिसे ब्रांड फाइनेंस द्वारा भारत के बहुमूल्य धातु और खनन ब्रांड का दर्जा दिया गया है, को सीआईआई की शीर्ष 25 अविनव भारतीय कंपनियों में स्थान मिला।

कलिंगानगर संयंत्र

6.5 आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील (एएम/एनएस) इंडिया

एएम/एनएस इंडिया, जो आर्सेलर मित्तल और निप्पॉन स्टील के बीच एक संयुक्त उद्यम है, की स्थापना 10 मिलियन टन की वर्तमान वार्षिक क्षमता के साथ दिसंबर, 2019 में की गई थी। एएम/एनएस इंडिया लौह अयस्क से तैयार उत्पादों तक एक एकीकृत फ्लैट कार्बन इस्पात निर्माता है। कंपनी की निर्माण सुविधाओं में पूरे भारत में फैले हुए लौह निर्माण, इस्पात निर्माण और डाउनस्ट्रीम सुविधाएं शामिल हैं। एएम/एनएस इंडिया 300 से अधिक ग्रेड के उत्पाद उपलब्ध कराता है जिनमें से सभी अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मापदंडों के अनुरूप होते हैं और उसे भारत तथा उससे बाहर के ग्राहकों को इस्पात समाधान का एक विश्वसनीय और भरोसेमंद प्रदाता माना जाता है। इन उत्पादों का प्रत्यायन भारतीय और वैश्विक उद्योग निकायों द्वारा किया जाता है। यह कंपनी 20 मिलियन टन की मौजूदा वार्षिक क्षमता के साथ बहुत अधिक मात्रा में लौह अयस्क के पैलेट्स बनाने की सुविधाएं भी प्रचालित करती है।

6.6 जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड

जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड एक औद्योगिक पॉवर हाउस है और व्यापक वैश्विक मौजूदगी के साथ भारतीय इस्पात उद्योग में अग्रणी कंपनियों में से एक है। यह विश्व में सबसे बड़े कोयला आधारित स्पंज आयरन संयंत्र भी चलाता है और इसका घरेलू विद्युत, खनन और अवसंरचना क्षेत्रों में व्यापक मौजूदगी है। कंपनी का भौगोलिक फुटप्रिंट एशिया, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया और मध्य पूर्व में फैला हुआ है।

यह कंपनी बैकवर्ड और फॉरवर्ड एकीकरण के द्वारा किफायती और कार्यक्षम इस्पात और विद्युत का उत्पादन करती है। कंपनी का उत्पाद पोर्टफोलियो सबसे चौड़े सतही उत्पादों से लेकर लंबे उत्पादों ओर रेलों के संपूर्ण दायरे तक इस्पात मूल्य श्रृंखला तक फैला हुआ है। जेएसपीएल के पास 4554 मी3, 2.75 एमटीपीए नई इलैक्ट्रिक ऑक्सीजन फर्नेस (एनईओएफ), उन्नत प्लेट मिल जो 5 मीटर चौड़ी प्लेटों–भारत में सर्वप्रथम सबसे चौड़ी निर्मित प्लेट का उत्पादन करने में सक्षम है, 9 एमटीपीए गोली बनाने के लिए परिसर, सिन गैस आधारित डीआरआई संयंत्र और स्वदेशी कोयला पर आधारित इस्पात निर्माण के लिए कोयला गैसिफिकेशन संयंत्र और 2.4 एमटीपीए रिबार मिल की मात्रा के साथ ब्लास्ट फर्नेस है।

6.7 वेदांता (ईएसएल स्टील लिमिटेड)

ईएसएल स्टील लिमिटेड (जिसे पहले इलैक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड के रूप में जाना जाता था), जो वेदांता ग्रुप की एक कंपनी है, एक एकीकृत इस्पात उत्पादक है, जिसे बोकारो, झारखंड, भारत में प्रचालनों के साथ एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में 2006 में निगमित किया गया था। वेदांता लिमिटेड ने जून, 2018 में, कारपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के माध्यम से ईएसएल का प्रबंधन नियंत्रण अधिग्रहीत किया था। कंपनी की 1.88 मिलियन टन प्रति वर्ष की वर्तमान वार्षिक क्षमता है। इस सुविधा में प्राथमिक रूप से सिंटर संयंत्र, कोक ओवन, ब्लास्ट फर्नेस, ऑक्सीजन संयंत्र, बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस, बिलेट कास्टर, और वायर रॉड मिल, बार मिल, डक्टाइल ऑयरन पाइप्स संयंत्र और एक विद्युत संयंत्र है। कंपनी के उत्पाद दायरे में टीएमटी बार, वायर रॉड्स, डक्टाइल ऑयरन पाइप्स, पिग ऑयरन और बिलेट्स शामिल हैं।

संयंत्र का हवाई दृश्य

6.8 जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड (जेएसएल)

जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड (जेएसएल) प्रति वर्ष 1.1 मिलियन टन प्रतिवर्ष की क्षमता (एमटीपीए) की गलन क्षमता के साथ भारत का स्टेनलेस स्टील का अग्रणी विनिर्माता है। जेएसएल की अति आधुनिक इकाई भारत के पूर्वी राज्य ओडिशा में स्थित है। विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी से लैस निर्माण परिसर का वर्तमान में विस्तार हो रहा है और वित्तीय वर्ष 2023 के अंत तक इसकी गलत क्षमता लगभग दुगुनी होकर 2.1 मिलयन टन प्रतिवर्ष तक पहुंच जाना तय है। इसे अंततोगत्वा स्टेनलेस इस्पात के उत्पाद के उत्पादन में 3.2 मिलियन टन प्रति वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। एक रेल संबद्ध अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) भी जयपुर सुविधा में कार्य कर रहा है। यह कंपनी विजाग बंदरगाह से नियमित ट्रेन सेवाओं के साथ 40 रेक और 150 रोड ट्रेलर्स के समूह का प्रचालन करती है। दिसंबर, 2022 में, जेएसएल ने अपनी सुविधा को लगभग 300 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करने के लिए यूटिलिटी स्केल कैप्टिव नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना विकसित करने के लिए देश की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी, रिन्यू पॉवर के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किए। 2024 तक वाणिज्यिक प्रचालन शुरु होने की आशा है, यह परियोजना सौर और पवन प्रौद्योगिकियों के मिश्रण के द्वारा प्रतिवर्ष 700 मिलियन यूनिट पैदा करेगी।

जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड का हवाई दृश्य

6.9 जिंदल स्टेनलेस (हिसार) लिमिटेड (जेएसएचएल)

1975 में स्थापित जिंदल स्टेनलेस (हिसार) लिमिटेड (जेएसएचएल) की हिसार, हरियाणा में 0.8 मिलियन टन प्रतिवर्ष की क्षमता का एक स्टेनलेस स्टील सेटअप है। यह रेजर ब्लेड के लिए स्टेनलेस स्टील का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक और भारत का कॉयन ब्लैंक्स, जो भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मिंट की आवश्यकताओं को पूरा करता है, का सबसे बड़ा उत्पादक है। जेएसएचएल का अति आधुनिक स्पेशिलिटी उत्पाद प्रभाग (एसपीडी) प्रतिष्ठित भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों की अत्यधिक सटीकता और स्पेशिलिटी स्टेनलेस स्टील की आवश्यकताओं को पूरा करता है। उत्पाद दायरे में स्टेनलेस स्टील सैलब्स और ब्लूम्स, हॉट–रोल्ड क्वायल्स, स्ट्रिप्स, प्लेट्स, ब्लेड स्टील, कॉयन ब्लैंक्स, प्रिसिजन स्ट्रिप्स और कोल्ड रोल्स क्वाल्स शामिल हैं। जेएसएचएल रक्षा क्षेत्र के लिए उच्च–नाइट्रोजन इस्पात का भी निर्माण करता है, जो कवच अनुप्रयोगों में सामग्रीगत कार्य–क्षमता को बढ़ाता है।

जिंदल स्टेनलेस (हिसार) लिमिटेड का हवाई दृश्य

जेएसएचएल ने हाल में हरित हाइड्रोजन संयंत्र संस्थापित करने के लिए हाइजेनको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। यह हरित हाइड्रोजन संयंत्र, इस कंपनी को लगभग 2700 एमटी प्रति वर्ष तक सीओ2 उत्सर्जन को काफी हद तक कम करने में सक्षम बनाएगा। इस घटनाक्रम के साथ, कंपनी एक हरित हाइड्रोजन संयंत्र संस्थापित करने के लिए भारत में पहला स्टेनलेस स्टील कंपनी बन जाएगी।

अध्याय-7

क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी संस्थाएं और कौशल विकास

7.1 क्षमता निर्माण-मिशन कर्मयोगी को शुरू करना

सरकार ने 'मिशन कर्मयागी', जो सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी) को अनुमोदित किया है, जो सिविल सेवकों के व्यावहारिक, क्षेत्र–विशेष और कार्यात्मक योग्याताओं का निर्माण कर उनकी क्षमता में वृद्धि लाने के लिए एक प्रतिमान परिवर्तन है, इससे शिक्षण को लोकतांत्रिक बनाने और भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा के लिए साझा संसाधनों की रूपरेखा तैयार होगी और सिविल सेवा के नियम–आधारित मॉडल भूमिका–आधारित मॉडल में परिवर्तित होंगे। यह कार्यक्रम डीओपीटी के ऑनलाइन आई–गॉट–कर्मयोगी ई–लर्निंग प्लैटफॉर्म के द्वारा संपादित किया जाएगा, जो सभी सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों के लिए विश्व–स्तरीय कभी भी–कहीं भी शिक्षण तक न्यायपरक पहुंच बनाएगा।

इस कार्यक्रम का लक्ष्य किसी भी पद पर सरकारी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आवश्यकता महसूस किए गए व्यावहारिक और कार्य संबंधी क्षमताओं को बढ़ाना है और यह उन्हें अपने कर्त्तव्यों का सर्वश्रेष्ठ तरीके से निर्वहन करने के लिए सभी आवश्यक ज्ञान उपलब्ध कराएगा। इस कार्यक्रम में ई–एचआरएमएस के साथ एकीकरण, निगरानी और मूल्यांकन तथा कार्य–क्षमता संबंधी रूपरेखा के द्वारा मानव संसाधन प्रबंधन सहित प्रशिक्षण के अनेक पहलुओं को शामिल किया जाएगा। कार्य–क्षमता एफआरएसी–व्यवहार संबंधी, कार्य संबंधी और क्षेत्र स्तर के साथ भूमिकाओं, कार्यकलापों और कार्यक्षमताओं की रूपरेखा नामक ढांचे पर आधारित होगी। एफआरएसी के द्वारा भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों की पहचान, विषय–वस्तु का निर्माण और आंकलन तथा मूल्यांकन जैसे कार्यान्वयन में शामिल की गई तीन तरह की प्रक्रियाएं शामिल होगी।

मंत्रालय के भीतर मिशन कर्मयोगी को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से, संयुक्त सचिव (स्थापना प्रभाग के प्रभारी), इस्पात मंत्रालय के नेतृत्व में एक क्षमता निर्माण इकाई (सीबीयू) का गठन मंत्रालय में सभी कर्मचारियों की क्षमता निर्माण की प्रगति की निगरानी करने तथा आई–गॉट–कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाने की विषय वस्तु के साथ–साथ इस कार्यक्रम को लागू करने की किया गया है। इस्पात मंत्रालय में वर्ष 2021 के दौरान 'लौह और इस्पात निर्माण' (भाग–1) और 'निवारक सतर्कता' पर दो विषय–वस्तु और वर्ष 2022 में आई–गॉट–कर्मयोगी प्लेट फार्म पर 'लौह और इस्पात निर्माण' (भाग–2) पर पूरक विषय–वस्तु को एक साथ लाया गया है।

इस्पात मंत्रालय ने मंत्रालय के भीतर क्षमता निर्माण को संस्थागत रूप देने के लिए क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) के सहयोग से वार्षिक क्षमता निर्माण योजना (एसीबीपी) बनाने के लिए और व्यक्तिगत स्तर पर, संगठनात्मक और संस्थागत स्तर पर क्षमता हस्तक्षेप को समझने के लिए भी पहल शुरु की है।

7.2 तकनीकी संस्थाएं

7.2.1 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सैकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी (एनआईएसएसटी)

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी पूरे भारत में समग्र द्वितीयक इस्पात क्षेत्र के लिए प्रशिक्षित तकनीकी जन–शक्ति, औद्योगिक सेवाएं, परीक्षण सुविधाएं और परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 18 अगस्त, 1987 को एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित की गई थी। इस संस्थान का प्रबंधन बोर्ड ऑफ गवर्नस द्वारा किया जाता है, जिसमें इस्पात मंत्रालय के अलावा औद्योगिक संघों, प्रमुख शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं। वर्तमान में, अपर सचिव, इस्पात मंत्रालय संस्थान के अध्यक्ष हैं।

एनआईएसएसटी निम्नानुसार विभिन्न कार्यकलाप करता है:

- औद्योगिक परामर्श सेवा।
- इन–हाउस प्रशिक्षण सहित प्रशिक्षण और कौशल विकास।
- ऊर्जा संपरीक्षा (ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से प्रत्यायन।
- सुरक्षा निरीक्षण (सुरक्षा निरीक्षणों के लिए पंजाब सरकार और दमन और दीव तथा दादरा नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के सुरक्षा निरीक्षण के लिए सक्षम व्यक्ति)।
- प्रयोगशाला परीक्षण (यांत्रिक और रासायनिक प्रयोगशालाओं का एनएबीएल प्रत्यायन तथा बीआईएस मान्यता।

एनआईएसएसटी विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि स्पंज ऑयरन, इलैक्ट्रिक आर्क फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस, सतत कास्टिंग, रीहीटिंग फर्नेस, रोलिंग मिल्स, इस्पात की गुणवत्ता और अन्य संबंधित प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर द्वितीयक इस्पात क्षेत्र के लाभ के लिए निरंतर रूप से कार्य कर रहा है। एनआईएसएसटी द्वितीयक इस्पात क्षेत्र के लिए इस्पात नीति बनाने पर भी कार्य कर रहा है।

7.2.2 बीजू पटनायक नेशनल स्टील इंस्टीट्यूट (बीपीएनएसआई)

बीपीएनएसआई उत्कृष्टता केन्द्र होने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है, जो इस्पात उद्योग को प्रौद्योगिकी, सेवा और प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराएगा। यह संस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है और इसने 1 जनवरी, 2002 से कार्य करना शुरु किया। मंत्रिमंडल ने 20 फरवरी, 2004 को जेपीसी से पूंजीगत वित्त पोषण के साथ एक पूरे विकसित संस्थान के रूप में पुरी में बीपीएनएसआई के स्थाई परिसर की स्थापना का अनुमोदन किया है परंतु भूमि की समस्या के कारण उसे स्थापित नहीं किया जा सका। यह संस्थान 1 मार्च, 2021 को ओडिशा के मेगा स्टील कलस्टर, कलिंगा नगर में इस्पात क्षेत्र में फिनिशिंग विद्यालय होने के विज़न को प्राप्त करने तथा वहां के युवकों को रोजगार के लायक बनाने के लिए स्थानांतरित किया गया। इस संस्थान के लिए एक पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति इस संस्था के पुनरुद्धार करने के लिए की गई है।

7.3 कौशल विकास

प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार इस्पात उद्योग सृजित करने के लिए, इस्पात मंत्रालय घरेलू उद्योगों के उन्नयन से लेकर हरित प्रौद्योगिकी तक व्याप्त अपनी पहलों के साथ श्रम बाजार में नई ऊचाइंयां प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है। इस परिवर्तनात्मक मार्ग पर, एक गहन चिंतन कार्य इस मंत्रालय द्वारा इसके अन्य हितधारकों (अर्थात आईआईएसएससी, एनआईएसएसटी, बीपीएनएसआई, आईएनएसडीएजी, खनन क्षेत्र के लिए कौशल परिषद, आईआईटी, खड़गपुर, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड एएम/एनएस) द्वारा 7 अप्रैल, 2022 को नई प्रौद्योगिकियों (हरित प्रौद्योगिकी और उद्योग 4.0) में भारतीय इस्पात कार्य–बलों की कार्य संबंधी क्षमताएं विकसित करने के लिए रोड–मैप बनाने के वास्ते किया गया था। उनमें उल्लिखित कार्यकलापों को वर्तमान में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सैकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी (एनआईएसएसटी) ने अप्रैल से दिसंबर, 2022 की अवधि के दौरान इस्पात क्षेत्र के लिए 19 इन–हाउस और अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए थे। इसके अलावा, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की अग्रणी योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को सहयोग प्रदान करने के लिए इस्पात सीपीएसई और आईआईएसएसएससी इस्पात क्षेत्र में जनशक्ति को कुशल बनाने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से मुख्य भूमिका निभा रहा है। यह प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण अल्पावधिक कौशल विकास प्रशिक्षण, अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) के द्वारा किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, 662 सीपीएसई कर्मचारियों को आईआईएसएसएससी द्वारा पुनः कौशल प्रदान किया गया है और उनका आकलन किया गया है जिनमें से 178 कर्मचारी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड से, 99 राउरकेला इस्पात संयंत्र और 385 भिलाई इस्पात संयंत्र से थे।

अध्याय-8

अनुसंधान एवं विकास

8.1 पृष्ठभूमि

भारत में, लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) का विभिन्न हितधारकों अर्थात सीएसआईआर के अन्तर्गत आरएंडडी प्रयोगशालाओं (एनएमएल और आईएमएमटी), शैक्षणिक संस्थाओं (आईआईटी और एनआईटी) और अग्रणी इस्पात कंपनियों, अर्थात् सेल, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और एएम/एनएस द्वारा अनुसरण किया जाता है। अग्रणी इस्पात कंपनियां अपनी निजी निधियों से अनुसंधान कर रही हैं। इस्पात मंत्रालय सरकार द्वारा वित्तपोषित योजना; "इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का संवर्धन" के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान कर इस्पात क्षेत्र की आरएंडडी पहल को पूरा कर रहा है।

8.2 इस्पात मंत्रालय से वित्तीय सहायता के साथ आरएंडडी

इस्पात मंत्रालय इस क्षेत्र के समक्ष आ रहे प्रौद्योगिकीय मुद्दों से निपटने और साथ ही प्रक्रियाओं/प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी विकास के लिए आरएंडडी का अनुसरण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक आरएंडडी योजना अर्थात् 'लौह और इस्पात क्षेत्र में आरएंडडी का संवर्धन' का संचालन कर रहा है।

आरएंडडी परियोजना प्रस्ताव देश में लौह और इस्पात क्षेत्र के लाभ के लिए आरएंडडी परियोजनाओं का अनुसरण करने के लिए प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं/अनुसंधान प्रयोगशालाओं और भारतीय इस्पात कंपनियों से आमंत्रित किए जाते हैं।

8.2.1 आरएंडडी के प्रमुख क्षेत्र

इस प्रमुख क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं:

- लौह अयस्क फाइन्स और गैर–कोकिंग कोयला के उपयोग के लिए अभिनव/अग्रणी प्रौद्योगिकियों का विकास।
- लौह अयस्क, कोयले आदि जैसे कच्चे मालों का परिष्करण तथा संकुलन।
- इंडक्शन फर्नेस मार्ग सहित उत्पाद विनिर्माण के विभिन्न मार्गों के द्वारा उत्पादन किए गए इस्पात की गुणवत्ता में सुधार।
- एलडी/ईएएफ/आईएफ स्लैग सहित इस्पात संयंत्र और खनन अपशिष्टों के उपयोग के लिए वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम प्रौद्योगिकी का विकास।
- उत्पादकता, गुणवत्ता, कच्चे माल की खपत, ऊर्जा खपत, जल खपत, रिफ्रैक्टरी खपत आदि में वैश्विक बेंचमार्क प्राप्त करने के लिए आरएंडडी।
- जीएचजी उत्सर्जन में कमी के लिए निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियों का विकास।

- डाउनस्ट्रीम प्रक्रियाओं सहित अलग–अलग लौह एवं इस्पात प्रक्रियाओं में अपशिष्ट ताप को प्रभावी रूप से प्राप्त करने के लिए अभिनव प्रौद्योगिकी का विकास।
- इस्पात की खपत में वृद्धि करने के लिए आरएंडडी का अनुसरण करना।
- लौह और इस्पात उद्योग द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों को दूर करने के लिए अभिनव समाधान का विकास।
- लौह और इस्पात क्षेत्र से संबंधित राष्ट्रीय महत्व के अन्य विषय पर आरएंडी का अनुसरण करना।

8.2.2 सहयोग का क्षेत्र

इस योजना के अंतर्गत सहयोग के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

- लैब स्केल/बैंच स्केल में आरएंडडी कार्य तथा पायलट स्केल/डेमोंस्ट्रेशन संयंत्रों तक स्केल–अप को सहयोग दिया जाएगा।
- अन्य प्रयोगशालाओं/संस्थाओं/उद्योग के साथ संयुक्त प्रस्ताव इस योजना के अन्तर्गत सहयोग प्रदान करने के लिए वांछनीय हैं।
- अनुसंधान प्रयोगशालाओं और शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा लैब स्केल अनुसंधान के मामले में, कुल लागत के 70 प्रतिशत तक निधि प्रदान करने की अनुमति दी जा सकती है।
- औद्योगिक/वाणिज्यिक संगठनों के मामले में, कुल लागत के 50 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता की अनुमति दी जा सकती है।
- प्रायोगिक/प्रदर्शन स्तर पर आरएंडडी परियोजनाओं के लिए, वित्तीय सहायता कुल लागत के 40 प्रतिशत तक सीमित होगी और शेष राशि औद्योगिक भागीदार द्वारा दी जाएगी।

8.2.3 सहायता की मात्रा

पिछले पांच वर्षों के दौरान इस्पात मंत्रालय से आरएंडडी परियोजनाओं को निधि प्रदान करने की मात्रा नीचे दी गई है:

क्र. सं.	वर्ष	सरकार द्वारा वित्तपोषण (करोड़ रु. में)
1.	2018-19	15.00
2.	2019-20	15.00
3.	2020-21	0.54
4.	2021-22	4.81
5.	2022-23*	0.70
	कुल	**36.05**

*दिसंबर 2022 तक

'लौह और इस्पात क्षेत्र में आरएंडडी का संवर्धन' योजना के अन्तर्गत 2022–23 के दौरान जारी की गई निधियों का ब्यौरा **अनुलंग्नक-XV** में है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए इस योजना के लिए आबंटित बजट 4.49 करोड़ रु. है और वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए यह 10 करोड़ रु. है।

8.2.4 आरएंडडी परियोजनाओं का अनुमोदन और

अनुमोदन और निगरानी तंत्र में निम्नलिखित शामिल हैं:

- इस योजना के अन्तर्गत निधि प्रदान करने के लिए प्राप्त आरएंडडी प्रस्तावों का मूल्यांकन भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, डीआरडीओ, डीएसटी, प्रमुख शैक्षिक संस्थान और उद्योग के सदस्य वाला मूल्यांकन समूह करता है।
- अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में एक परियोजना अनुमोदन और निगरानी समिति (पीएएमसी) जिसमें संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय, निदेशक आईआईटी खड़गपुर, निदेशक आईएमएमटी, निदेशक होते हैं, एनएमएल मूल्यांकन समूह द्वारा संस्तुत आरएंडी प्रस्तावों के लिए दूसरे चरण का अनुमोदन करने वाला निकाय है।
- अंतिम अनुमोदन व्यय विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार परियोजना की लागत के आधार पर नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किया जाता है।
- एक परियोजना समीक्षा समिति नियमित आधार पर चालू परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करती है।

8.2.5 इस योजना के अंतर्गत अनुसरण की गई आरएंडडी परियोजनाएं

इस योजना के अन्तर्गत आरएंडडी परियोजनाओं हेतु कुछ शैक्षिक संस्थाओं जैसे आईआईटी, खड़गपुर, आईआईटी, कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बीएचयू, एमएनआईटी, जयपुर आदि के अलावा सभी प्रमुख हितधारकों अर्थात सेल, सीएसआईआर प्रयोगशालाओं अर्थात् सीएसआईआर–एनएमएल, सीएसआईआर–आईएमएमटी, सीएसआईआर, सीबीआरआई, सीएसआईआर–सीआरआरआई आदि को निधियां प्रदान की गई हैं।

इस योजना के अन्तर्गत शामिल की गई प्रमुख परियोजनाओं में भारतीय लो अथवा लीन ग्रेड के लौह अयस्क और भारतीय कोकिंग/गैर–कोकिंग कोयला को उन्नत करने तथा जलवायु परिवर्तन के मुद्दों आदि को ध्यान में रखते हुए इंडेक्शन फर्नेस में कम फास्फोरस वाले उच्चस्तरीय इस्पात का उत्पादन करने तथा वैकल्पिक लोहा विनिर्माण का विकास तथा इस्पात संयंत्र के अपशिष्टों जैसे कि इस्पात स्लैग का उपयोग करने के तरीकों का पता लगाने हेतु विशिष्ट आरएंडडी पहलें शामिल हैं।

8.2.6 इस्पात कंपनियों द्वारा आरएंडडी (सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र)

8.2.6.1 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों द्वारा पहलें

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल):

लौह और इस्पात के लिए अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (आरडीसीआईएस) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की निगमित आरएंडडी इकाई है। पिछले कुछ वर्षों में, आरडीसीआईएस ने फेरस मेटलर्जी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के आरएंडडी केन्द्र होने का गौरव प्राप्त किया है। आरडीसीआईएस का प्रमुख बल गुणवत्ता, उत्पादकता और उत्पादन से संबंधित प्रमुख कार्य–निष्पादन सूचकांकों में सुधार लाने के लिए सेल के इस्पात संयंत्रों में बहु–विषयक आरएंडडी कार्यक्रमों की योजना बनाना, उसका प्रदर्शन करना और उसे कार्यान्वित करना है। आरडीसीआईएस इस्पात संयंत्रों, केन्द्रीय विपणन संगठन और सेल की अन्य इकाईयों के साथ निकटता से मूल्यवर्धित बाजार केन्द्रित उत्पादों को विकसित करने, उत्पाद लागत को कम करने, प्रक्रियागत प्रौद्योगिकियों में सुधार करने और संपोषणीयता के संवर्धन के लिए कार्य करता है। यह मूल अनुसंधान, उत्पाद विकास, संयंत्र कार्य–निष्पादन सुधार, वैज्ञानिक अनुसंधान और डिजाइन तथा तकनीकी सेवाओं की श्रेणियों के अन्तर्गत लौह और

इस्पात प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में आरएंडडी परियोजनाएं चलाता है। इस केन्द्र ने लौह और इस्पात प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में गहराई से वैज्ञानिक अनुसंधान सुनिश्चित करने के लिए अति आधुनिक सुविधाएं सृजित की हैं। 15 प्रमुख प्रयोगशालाओं के अन्तर्गत 300 से अधिक निदान संबंधी उपकरणों और सह–प्रायोगिक सुविधाओं से यह लैस है। इस्पात संयंत्र के अपशिष्टों का मूल्य बढ़ाने के उद्देश्य से, आरडीसीआईएस ने मार्ग–खंडों और ईंटों को बनाने के लिए एलडी स्लैग, फ्लाई–ऐश और बीएफ ग्रेनुलेटेड स्लैग का उपयोग करने की प्रयोगशाला जांच शुरु की हैं। प्रयोगशाला में कुछ उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं। विस्तृत अध्ययन प्रयोगशाला अनुसंधानों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत के बाद, लगभग 700 मार्ग–खंडों का निर्माण आरडीसीआईएस में किया गया है। उत्साहवर्धक परिणामों के साथ, एक प्रायोगिक संयंत्र आगे जांच और अनुसंधान कार्यकलाप करने के लिए विकसित किया गया है और आरडीसीआईएस में स्थापित किया गया है।

सेल इस्पात मंत्रालय और आईसीएआर–भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) के द्वारा संधारणीय कृषि और समावेशी विकास के लिए इस्पात स्लैग आधारित लागत प्रभावी पर्यावरण–अनुकूल उर्वरकों के विकास पर अनुसंधान के लिए उपयोग भागीदारों में से एक भागीदार के रूप में भी जुड़ा हुआ है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल):

आरआईएनएल में आरएंडडी पहल इस संयंत्र की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को पूरा करने की ओर निर्देशित है। प्रक्रिया में सुधार, अपशिष्ट प्रबंधन, नया उत्पाद विकास, लागत में कटौती, पर्यावरण संरक्षण आदि के क्षेत्रों में कार्यक्रम सहयोगी अनुसंधान के अंतर्गत आंतरिक रूप से तथा बाह्य अनुसंधान संगठनों के साथ किया जाता है। आंतरिक रूप से किए गए अध्ययन और शुरु की गई परियोजनाओं के अलावा, आरआईएनएल–आरएंडडी ने संयुक्त अनुसंधान पहल के लिए प्रमुख शैक्षिक संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और अनुसंधान संगठनों के साथ सहयोग किया है। बाह्य साझेदारों के साथ शुरु की गई सहयोगी परियोजनाओं में केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई), नई दिल्ली और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर शामिल हैं।

एनएमडीसी लिमिटेड:

एनएमडीसी में आरएंडडी केन्द्र आधुनिक अभिलक्षण–वर्णन संबंधी सुविधाओं से लैस है और खनिज परिष्करण, विस्तृत और थोक मात्रा में ठोस प्रवाह गुणों से संबंधित अनुसंधान परियोजना चलाता है। हाल ही में, प्रायोगिक स्केल को निर्माण के साथ कोयला के अभिलक्षण–वर्णन के लिए सुविधा को बहुत कम समय में आरएंडडी केन्द्र में जोड़ा गया है। आरएंडडी केन्द्र एनएमडीसी की मौजूदा और आने वाली परियोजनाओं को अपना महत्वपूर्ण सहयोग देता है। आरएंडडी केन्द्र अन्य संगठनों (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, दोनों में) को अपनी विशेषज्ञता भी देता है। वर्तमान में यह निम्न/कम ग्रेड के लौह अयस्क के उन्नयन के लिए शुष्क धातुशोधन प्रौद्योगिकी के विकास पर सक्रिय रूप से कार्यरत है। चूंकि भविष्य में पानी कम रहेगा, इसलिए भावी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए परियोजना प्रयोगशाला स्केल शुष्क धातुशोधन प्रौद्योगिकी विकसित और प्रदर्शित की गई है। यह आवेदन विकसित शुष्क धातुशोधन प्रौद्योगिकी की पेटेंटिंग के लिए दाखिल किया जाता है।

8.2.6.2 निजी क्षेत्र की इकाईयों द्वारा पहलें

टाटा स्टील लिमिटेड (टीएसएल):

वित्तीय वर्ष 2022–23 में चल रही प्रमुख परियोजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है:

- सौर सेवा अनुप्रयोग के लिए एपीआई एक्स–70 सौर इस्पात ग्रेड का डिजाइन और विकास।
- कीलों पर जंग प्रतिरोधी कोटिंग का विकास।
- सिंटर संयंत्रों के लिए एफईओ सेंसर का विकास।

- क्यूएंडपी तकनीक का उपयोग करते हुए तीसरी पीढ़ी का एएचएसएस।
- उच्च शक्ति वाले इस्पात के लिए इलैक्ट्रोड विकास।
- एक्स–70/एक्स80 ग्रेड के लिए क्रायोजेनिक तापक्रमों (–45 डिग्री सेल्शियस) पर लाइन पाइप इस्पातों का टूट और विच्छेद वृद्धि व्यवहार (सीटीओडी)।
- उन्नत फैटीग कार्य–निष्पादन के लिए सूक्ष्म पिलर्ड व्हील डिस्क।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में शुरु की गई प्रमुख परियोजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है:

- अलग–अलग भवन निर्माण सामग्रियों में एलडी स्लैग और फेरोक्रोम स्लैग के मिलावटों का उपयोग।
- सीओ2 से सीओ का उत्प्रेरक परिवर्तन।
- सीओ2 का मूल्यवर्धित उत्पादों में परिवर्तन के लिए जेनेटिक रूप से बनाए गए साइनोबैक्टीरिया और एलगी।
- आईएफ इस्पात ग्रेडों के लिए समावेशन उत्पादन तंत्र का अध्ययन।
- बीओएफ में बॉटम टायर्स के माध्यम से सीओ2 डालना।
- ऊर्जा कार्यक्षम कूलिंग टॉवर के लिए स्मार्ट साल्युशन पैकेज।
- ऑटोमेटेड कोक पैट्रोग्राफी और कोक मेकिंग में इसके भार के लिए प्रक्रिया का विकास।

जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड :

जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड में अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) कार्यकलाप नई प्रक्रियाओं और उत्पादों के विकास, प्रक्रिया सुधार, गुणवत्ता और उत्पादकता सुधार, ऊर्जा दक्षता सुधार, लागत में कमी, अपशिष्ट के उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर केन्द्रित है।

आरएंडडी के प्रमुख क्षेत्र :

- नए उत्पाद का विकास, उत्पाद को ग्राहक के अनुकूल बनाना और नए अनुप्रयोग।
- प्रक्रिया कार्य–क्षमता सुधारों के माध्यम से गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार।
- प्रक्रिया अपशिष्ट उपयोग और मूल्यवर्धित उत्पाद विकास।
- प्रक्रिया तीव्रीकरण के लिए नई प्रक्रिया/प्रौद्योगिकी विकास।
- प्राकृतिक संसाधनों का ईष्टतम उपयोग और संरक्षण।

- प्रमुख संस्थाओं और अनुसंधान केन्द्रों के साथ सहयोग के माध्यम से अनुसंधान के दायरे में वृद्धि करना।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बढ़ाई गई आरएंडडी अवसंरचना और सुविधाएं :

- रोटेटिंग बीम फैटीग परीक्षण मशीन
- एक्यूपीवाईसी पिक्नोमीटर
- जियोपीवाईसी इन्वेलप डेंसिटी एनेलाइजर
- ऑटो पोलिशिंग मशीन
- पोलराइज्ड माइक्रोस्कोप इमेज एनेलाइजर

आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील (एएम/एनएस)

आरएंडडी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित क्षेत्रों में सकेंद्रित अनुप्रयुक्त अनुसंधान के द्वारा भारत में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड को एक अग्रणी और संधारणीय इस्पात उत्पादक बनाना है:–

- नए और अभिनव इस्पात उत्पाद।
- इस्पात संयंत्र के उपोत्पाद।
- प्रक्रिया सुधार।
- नया और स्थानीय कच्चा माल।

आरएंडडी डीएसआईआर द्वारा अनुमोदित एक 'इन–हाउस आरएंडडी' है। इन सुविधाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ईडीएक्स और ईबीएसडी, माइक्रोहार्डनेस टेस्टर, हाईटेरेसिस लूप ट्रेसर आदि के साथ ऑप्टिकल और स्कैनिंग इलैक्ट्रोन माइक्रोस्कोप के साथ उन्नत मेटलर्जी प्रयोगशाला।
- थर्मोकॉल, मैटलैब, जेमैट–प्रो जैसे सॉफ्टवेयर के साथ उच्च कार्य–निष्पादन कंप्यूटर सिमुलेशन लैब।
- प्रयोगशाला स्केल हाई ग्रैडिएंट मैग्नेटिक सेप्रेटर्स, एक्स–रे डिफ्रैक्शन, एफटीआईआर, पार्टिकल साइज एनेलाइजर, हाड्रो–साइक्लोन, बाल मिल, पेलेटाइजर, पैलेट इनडुरेशन और सिंटरिंग सिमुलेटर्स के साथ कच्चा माल अनुसंधान प्रयोगशाला।

नए उत्पाद का विकास: कुल 16 नए ग्रेडों और 6 आयात विकल्प ग्रेडों को वित्तीय वर्ष 2022–23 में विकसित किया गया है।

अध्याय-9

इस्पात के उपयोग का संवर्धन

9.1 पृष्ठभूमि

इस्पात किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अपनी पुनःचक्रीय प्रकृति तथा अपेक्षाकृत तेजी से जुड़े पूर्णता समयों के कारण पर्यावरणीय रूप से सतत आर्थिक विकास के लिए एक संवाहक के रूप में सिद्ध रहा है। निर्माण और अवसंरचना विकास परियोजनाओं में अपेक्षाकृत अधिक इस्पात के उपयोग के फलस्वरूप इस्पात की उच्च शक्ति से भार अनुपात और टिकाऊपन के कारण संरचनाओं की बेहतर गुणवत्ता और परियोजनाओं का तेजी से कार्यान्वयन होता है। इसके साथ ही, इस्पात की 100 प्रतिशत पुनःचक्रीयता से समग्र जीवन चक्र में उन्नत पर्यावरणीय निष्पादन संभव होता है।

इस्पात की खपत विशेष रूप से राष्ट्र के निर्माण के चरण के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के साथ एक मजबूत सह–संबंध दर्शाता है। राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 में अन्य बातों के साथ–साथ इस देश को इस्पात के सभी प्रकारों में आत्म–निर्भर बनाने तथा भारतीय लौह और इस्पात उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की परिकल्पना की गई है। इस्पात मंत्रालय निरंतर रूप से घरेलू स्तर पर इस्पात की उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा साथ ही साथ घरेलू मांग और उत्पाद के उपयोग में वृद्धि करने का प्रयास कर रहा है।

9.2 भारत में इस्पात के उपयोग का परिदृश्य

9.2.1 पिछले 5 वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, भारत में इस्पात की खपत नीचे दी गई है:

कुल तैयार इस्पात (अलाय/स्टेनलेस+नॉन अलाय) की खपत		
वर्ष	मात्रा (एमटी)	पूर्व वर्षों की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन
2017-18	90.71	7.9
2018-19	98.71	8.8
2019-20	100.17	1.5
2020-21	94.89	-5.3
2021-22	106	11.7%
2022-23*	85.88	-

स्रोतः जेपीसी, *अप्रैल–दिसंबर, 2022 तक

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान इस्पात की खपत कोविड–19 महामारी के प्रभाव के कारण कम हुई।

9.2.2 भारत में इस्पात की खपत प्राथमिक रूप से विकास को बढ़ावा देने वाले क्षेत्रों जैसे आवास और निर्माण (43 प्रतिशत), अवसंरचना विकास (25 प्रतिशत), इंजीनियरिंग और पैकेजिंग (22 प्रतिशत), ऑटोमोटिव्स (8–9 प्रतिशत) और रक्षा एवं जल शक्ति (1–2 प्रतिशत) में होती है। वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान, देश में इस्पात की कुल खपत 106 मिलियन टन थी। हालांकि, भारत की वार्षिक प्रति व्यक्ति इस्पात खपत 77 कि.ग्रा. प्रति वर्ष है और यह वैश्विक औसत का एक तिहाई (233 कि.ग्रा) है। भारत की 21.3 किलोग्राम प्रति वर्ष की ग्रामीण प्रति व्यक्ति खपत राष्ट्रीय स्तर से बहुत कम है। विभिन्न क्षेत्रों में उत्पाद के उपयोगों में सुधार करने के व्यापक अवसर हैं।

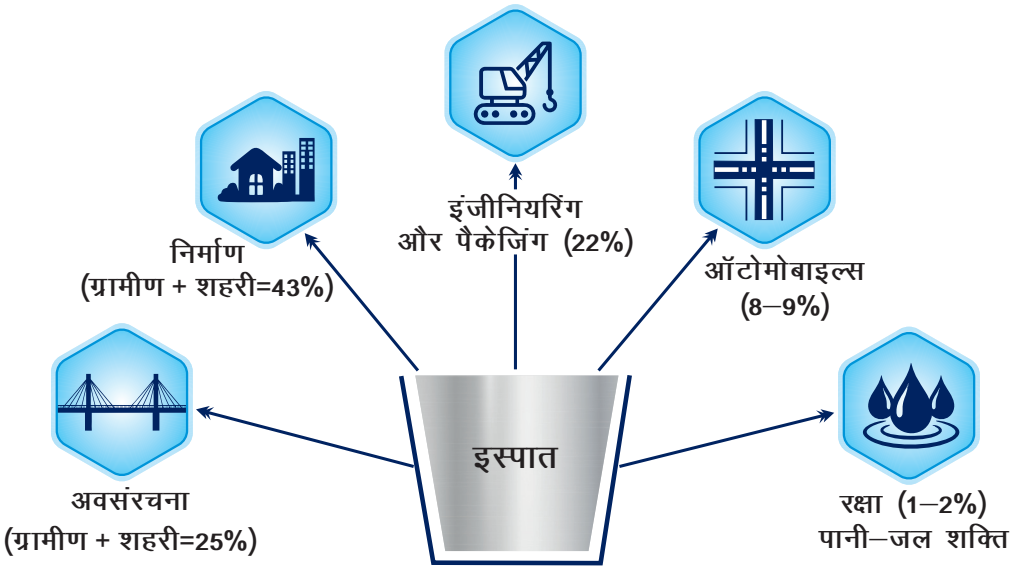

9.2.3 भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के 2026 तक मात्रा के मामले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोटिव बाजार बनने की आशा है। ऑटो उद्योग का विकास निश्चित रूप से इसके संबद्ध उद्योगों जैसे इस्पात के लिए शुभ होगा, जो ऑटोमोबाइल का विनिर्माण करने के लिए कच्चे माल का बहुत बड़ा हिस्सा उपलब्ध कराता है। ऑटोमोबाइल के विनिर्माण के लिए घरेलू स्तर पर उत्पादित इस्पात की हिस्सेदारी भी बढ़ रही है।

9.3 भारत की इस्पात मांग का परिदृश्य

भारत की कुल इस्पात मांग वित्तीय वर्ष 31 तक 7.2 प्रतिशत सीएजीआर की दर से बढ़ने और ~ 230 एमटी तक पहुंचने की आशा है। यह विकास भवन और निर्माण (बढ़ती हुई शहरीकरण दर, बढ़ती हुई इस्पात गहनता) और अवसंरचना खंडों (सड़क, रेलवे और विमानपत्तन में निवेश, इस्पात का बढ़ा हुआ उपयोग) द्वारा प्रभावित होगा।

9.4 इस्पात के उपयोग को बढ़ाने के लिए सरकार की पहल

सरकारी की पहलों में निम्नलिखित शामिल हैः

- सरकार ने 'मेक–इन–इंडिया' कार्यक्रम शुरु किया है, जिसका लक्ष्य विभिन्न नीतिगत पहलों और प्रोत्साहनों के माध्यम से देश के विनिर्माण और खनन क्षेत्र को बढ़ावा और प्रोत्साहन देना है जिससे घरेलू इस्पात उद्योग को लाभ प्राप्त होने की संभावना है।

- सरकार ने पूरे देश में वित्तीय वर्ष 2022–25 से पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान के माध्यम से अवसंरचना विकास जैसे समर्पित फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी), भारतमाला, सागरमाला, नए पोर्ट, जहाजरानी, जलमार्ग, विमानपत्तन, रक्षा कॉरिडोर आदि के लिए 103 लाख करोड़ रु. के निवेश की योजना है। सरकार की गतिशक्ति योजना देश में अवसंरचना को बढ़ावा देने में मदद करेगी और सीधे तौर पर अपेक्षाकृत अधिक इस्पात मांग पैदा करने में सहायता करेगी।

- सरकार की पहलों जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी और ग्रामीण, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन, उडान (विमानपत्तन), सिंचाई (पीएमकेएसवाई), राष्ट्रीय गैस ग्रिड, सागरमाला, और अमृत और स्वच्छ गंगा मिशन इस्पात की मांग को बढ़ाने में सहायक होगा और भारत को विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक बनने में प्रमुख भूमिका निभाएगा।

- सरकार ने विशेष इस्पात के विनिर्माण में इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना आरंभ की है। सरकार ने सरकारी खरीद में घरेलू रूप से विनिर्मित लौह और इस्पात उत्पादों को अधिमानता प्रदान करने के लिए एक नीति की भी घोषणा की है। यह नीति राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से 'मेक इन इंडिया' के प्रधानमंत्री के विज़न को पूरा करने तथा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है और यह सभी सरकारी निविदाओं पर लागू है।

9.5 इस्पात मंत्रालय द्वारा इस्पात के उपयोग को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास

9.5.1 इस्पात मंत्रालय विभिन्न क्षेत्रों जैसे आवास और निर्माण, अवसंरचना, शहरी विकास, रेलवे, रक्षा, तेल और गैस, नागर विमानन, ग्रामीण विकास, कृषि, डेयरी उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण के हितधारकों के साथ कार्य करता रहा है। क्षेत्र–वार पहल नीचे दी गई हैः

- इस्पात मंत्रालय ने इस्पात गहन निर्माण हेतु कोड के विकास के लिए बीआईएस के साथ कार्य शुरु किया है और बीआईएस ने इस्पात उद्योग और एसआरटीएमआई के सदस्यों से युक्त एक समिति का गठन किया है। कोड का विकास अग्रिम चरण में है।
- इस्पात उपयोग के लाभों के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए–केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, प्रयोक्ता उद्योगों और इस्पात उत्पादकों को शामिल करते हुए नियमित रूप से संगोष्ठियों/वेबिनार का आयोजन किया जाता है। अब तक रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, नागर विमान मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आदि के साथ कार्यशालाओं/वेबिनार का आयोजन किया गया। इससे इस्पात उद्योग को संबंधित क्षेत्र के इस्पात की लघु, मध्यम और दीर्घ अवधि की आवश्यकता तक पहुंचने में सहायता मिली। इसके अलावा, ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन भारतीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, ऑटोमोबाइल उद्योग के साथ इस वर्ष के दौरान किया जाएगा।
- इस्पात मंत्रालय द्वारा पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ तेल और गैस क्षेत्र में इस्पात की लघु अवधि, मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए एक समिति बनाई गई। इस समिति की अंतिम रिपोर्ट अगस्त, 2022 में प्रस्तुत की गई है।
- इस्पात मंत्रालय ने लंबी अवधि (30एम, 35एम, और 40एम) इस्पात आधारित पुलों के डिजाइन के विकास के लिए आईएनएसडीएजी, आईआईटी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के विशेषज्ञों तथा उद्योग विशेषज्ञों की एक समिति भी बनाई है। 30एम के लिए डिजाइन का अनुमोदन किया गया है और उसे अधिग्रहण के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेजा गया है। 35एम और 40एम के लिए डिजाइन प्रगति पर है।

9.5.2 आवासन और निर्माण क्षेत्र में इस्पात के उपयोग को बढावा देने के लिए इस्पात मंत्रालय तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) की सह अध्यक्षता और बीआईएस, के.लो.नि.वि., तकनीकी संस्थाओं (आईआईटी/एनआईटी) और उद्योग के सदस्यों वाली एक संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की भी स्थापना की गई है। जेडब्ल्यूजी के अन्तर्गत एक कोर समिति बनाई गई थी जिसमें पूरे भारत में आंगनवाड़ी और आवासों के टाइप डिजाइनों के विकास के लिए वित्तीय आवश्यकताओं के साथ विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। 'आवासन क्षेत्र में इस्पात के उपयोग में वृद्धि करने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना के भाग के रूप में संरचनात्मक इस्पात का उपयोग करते हुए आंगनवाड़ी और गृहों के टाइप डिजाइनों के विकास' हेतु आरएंडडी परियोजना के लिए इस्पात मंत्रालय से वित्तीय सहायता (40 प्रतिशत) और शेष (60 प्रतिशत) उद्योग साझेदारों से उपलब्ध कराने के लिए इस्पात मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है।

9.5.3 ग्रामीण भारत में इस्पात के उपयोग को बढ़ावा: ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात का उपयोग शहरी क्षेत्रों में इस्पात के उपयोग की तुलना में बहुत कम रहा है। देश में ग्रामीण प्रति व्यक्ति इस्पात खपत 77 कि.ग्रा. के अखिल भारतीय

औसत की तुलना में 21.3 किग्रा. का रहा है। इस्पात मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की खपत में वृद्धि करने के लिए सक्रिय रूप से अवसरों को देख रहा है। कृषिगत उपकरणों का ग्रामीण भारत में प्रवेश (ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर आदि), अनाज के भंडारण के लिए इस्पात सिलो में वृद्धि और अपेक्षाकृत अधिक ग्रामीण वाहन का प्रवेश के साथ प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण के अन्तर्गत स्थाई घरों का निर्माण ग्रामीण भारत में इस्पात के उपयोग में वृद्धि को सक्षम बनाएगा। संयुक्त कार्य समूह के अन्तर्गत कोर समिति पीएमएवाई–जी और के अन्तर्गत इस्पात आधारित घरों और आंगनबाड़ी घरों का विकास करता रहा है।

9.6 इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत सीपीएसई द्वारा इस्पात के उपयोग में वृद्धि करने के लिए किए गए प्रयास

9.6.1 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल):

नए उत्पादों का विकास तथा ग्राहक तक पहुंच

अपने ग्राहकों द्वारा अपेक्षित नए उत्पादों को विकसित करने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:–

- नए उत्पादों को विभिन्न अनुप्रयोगों जैसे प्रि–इंजीनियर्ड भवनों के लिए उच्च शक्ति वाला इस्पात, सिसमिक ग्रेड थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार, पनडुब्बियों के लिए विशेष इस्पात प्लेट, रक्षा के लिए उन्नत लचीलेपन वाले उच्च लचीले स्ट्रक्चरल्स और प्लेट, तेल और गैस पाइप लाइन को पूरा करने के लिए विभिन्न ग्रेड के एपीआई (अमेरिकन पैट्रोलियम इंस्टीट्यूट), वायर ड्राइंग के लिए उच्च कार्बन वायर रॉड आदि के लिए विकसित किए गए हैं।

- सेल ने इसको इस्पात संयंत्र की नई वायर रॉड मिल से उपभोक्ताओं को विशेष गुणवत्ता के इस्पात की बिक्री में वृद्धि करने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाया है। इलेक्ट्रोड ग्रेड, उच्च लचीला ग्रेड, केबल आर्मर गुणवत्ता, ब्राइट बार अनुप्रयोग और ऑटो उद्योग ग्रेड विकसित किए गए हैं और उन्हें वाणिज्यीकृत किया गया है।

- इस्पात गहन निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सेल ने 'एनईएक्स' ब्रांड नाम के अन्तर्गत अपना समानांतर फलैंज बीम्स आरंभ किया है। इन खंडों से डिजाइन में लचीलापन और लागत को ईष्टतम करने में सहायता मिलेगी। सेल ने ग्राहकों/डिजाइनरों के साथ 50 से अधिक संवाद किए हैं।

- सेल, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से, ''सेल–एसईक्यूआर'' रेनफोर्समेंट बार रिटेल ब्रांड की आपूर्ति करता है, जिसको अपेक्षाकृत सुरक्षित घरों के लिए बेहतर गुणवत्ता इस्पात के रूप में बढ़ावा मिला है।

- शिपिंग कन्टेनरों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सेल ने अन्य उत्पादकों के साथ मिलकर अपेक्षित इस्पात के लिए उपयुक्त बीआईएस मानदंड जारी करने के वास्ते बीआईएस और अन्य सरकारी मंत्रालय के साथ बातचीत की है। बीआईएस द्वारा अपेक्षित मानदंड जारी करने पर, बोकारो और राउरकेला इस्पात संयंत्र अपेक्षित बीआईएस प्रमाणन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। मानकीकरण के अलावा, इससे आयातों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।

- डिजाइनों में इस्पात के उपयोग को बढ़ाने के लिए, सेल पूरे देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में कार्यशालाएं/व्याख्यान आयोजित कर रहा है। इस्पात संरचना के डिजाइनों को बढ़ावा देने के लिए 'इस्पात डिजाइन और निर्माण में नई चुनौतियां' विषय पर वास्तुविद और डिजाइनरों के लिए संगोष्ठी आयोजित की गई है।
- नए उत्पादों के विकास के लिए विपणन और संयंत्र के प्रतिनिधियों से युक्त क्रास कार्यात्मक दल बनाए गए थे। उत्पाद ज्ञान में वृद्धि करने, उत्पाद विकास को आसान बनाने, उत्पाद के प्रत्याहार (रिकॉल) के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ संगोष्ठियों, प्रस्तुतियों और बैठकों का आयोजन किया गया है।
- अप्रैल–अक्तूबर वित्तीय वर्ष 22–23 में, अगरतला, जम्मू, रुड़की, चंडीगढ़ और सूरत में इस्पात मंत्रालय के साथ इस्पात उपभोक्ता बैठकें आयोजित की गई थी, जहां केन्द्रीय इस्पात मंत्री ने स्टेकहोल्डरों को संबोधित किया।
- सेल इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए परियोजनाओं में जीवनचक्र लागत और सरकारी पहलों पर बल देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के साथ सक्रिय रूप से संपर्क में रहा है।

उपलब्धता और पहुंच में वृद्धि करने के लिए प्रयास

इस्पात के उपयोग में वृद्धि करने के उद्देश्य से, सेल ने पूरे देश में विशेषकर सुदूर प्रदेशों में अपने चैनल नेटवर्क के माध्यम से अपने नए उत्पादों की पहुंच और उपलब्धता को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। इनमें निम्नलिखित हैं:

- निर्माण ग्रेड रेनफोर्समेंट बार (टीएमटी) के लिए टियर–2 डिस्ट्रीब्यूटरशिप योजना के अन्तर्गत, रिटेल नेटवर्क (टीएमटी के लिए) को 42 वितरकों और 4433 डीलरों के साथ मजबूत बनाया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान अक्तूबर 22 तक टियर–2 खुदरा बिक्री लगभग 0.44 मिलियन टन रहा है।
- सेल का एक ई–पोर्टल (www.sailsuraksha.com) भी है जहां ग्राहक ऑन लाइन टीएमटी ऑर्डर बुक कर सकते हैं।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 के पूर्वार्द्ध में कुल 78 कार्यशालाएं ('सेल गांव की ओर' नामक) आयोजित किए गए हैं।
- इस्पात के बेहतर उपयोग हेतु राजमिस्त्रियों को मार्गदर्शन प्रदान करने तथा सेल–एसईक्यूआर टीएमटी को बढ़ावा देने के लिए इंस्डाग के साथ संयुक्त रूप से राजमिस्त्री बैठक का आयोजन।
- 'मीडिया पोस्ट' के माध्यम से व्यापक विज्ञापन के अन्य माध्यमों जैसे, पासबुक, 'मेघदूत पोस्ट कार्ड' और एलईडी स्क्रींस को ग्रामीण क्षेत्रों में शुरु किए जाने की योजना बनाई गई है। सेल ग्रामीण पोस्ट आफिस से संबद्ध ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) के बीच वितरण के लिए टोपियों, टी–शर्ट आदि का प्रायोजन करेगी।
- एमएसएमई और छोटे व्यापारों की आवश्यकतों को पूरा करने के उद्देश्य से, सेल ने टियर–1 डिस्ट्रीब्यूटरशिप योजना (अन्य विशिष्ट उत्पादों) को मजबूत बनाया है। बी2बी खंड की मांग को पूरा करने के लिए 16 वितरक हैं। टियर–1 योजना ने अप्रैल–अक्तूबर, 2022 में 0.24 मिलियन टन बिक्री करने में योगदान किया है। अक्तूबर, 2022 में कुल उठाव 42514 टन है।
- सेल ने राष्ट्रीय महत्व की कई प्रमुख परियोजनाओं अर्थात आईएनएस विक्रांत, क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली, दिल्ली मेरठ एक्सप्रैसवे, पूर्व समर्पित फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन, पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन, तटीय सड़क परियोजना मुंबई, एनपीसीआईएल फतेहाबाद हरियाणा, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड बाड़मेर, अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन परियेाजना को इस्पात की आपूर्ति की है।

- इस्पात के उपयोग को दर्शाने और स्मार्ट सिटी सौंदर्यकरण को बढ़ाने के एक पहल के रूप में, सेल स्टेनलेस स्टील आर्टिपैक्ट और उपयोग के लिए तैयार उत्पादों जैसे आइकोनिक जयांट चरखा, मेक इन इंडिया लॉयन, बस शेल्टर्स, लिटर बिन्स आदि का डिजाइन बना रहा है और उसकी आपूर्ति कर रहा है।

9.6.2 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल):

आरआईएनएल द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:–

- आरआईएनएल अपने बाजार और उत्पाद मिश्रण में संवर्धनात्मक और ब्रांडिंग कार्यकलापों के रूप में हमेशा दृष्टिगत रहा है। यह ग्रामीण वितरक नेटवर्क (आरडीएस) के माध्यम से इस्पात उपलब्ध कराकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लघु इस्पात उपभोक्ता को शक्ति प्रदान करने के लिए कार्य कर रहा है।
- ग्रामीण भारत में इस्पात की खपत को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण और अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक अवसंरचना में आरआईएनएल के उत्पादों के उपयोग और उनके लाभों को दर्शाने के लिए सह–सक्रिय अभियान चलाया जाता है। आरआईएनएल ने ग्रामीण वितरक योजना में नए क्षेत्रों को अपना सहयोग देते हुए तथा विभिन्न प्रोत्साहन देते हुए सुधार लाया है। होर्डिंग, वाल पेंटिग, समाचार–पत्र/केबल टीवी विज्ञापन आदि जैसे संवर्धनात्मक कार्यकलाप में लगे ग्रामीण विक्रेता उनके संवर्धनात्मक कार्यकलापों के लिए प्रतिपूर्ति पाने का हकदार हैं।
- आरआईएनएल ने ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रयुक्त बाजारों के क्षेत्रों तक आरआईएनएल की पहुंच प्रदान करने के लिए पूरे भारत में बाजार अनुसंधान संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की है।
- देश के सुदूर क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लिए एक नया पोर्टल 'ई–सुविधा' की शुरुआत की गई है। आरआईएनएल ने ई–सुविधा के माध्यम से माल की ऑन–लाइन बिक्री शुरु की है। यह पहल इंटरनेट पूछताछ और घर तक पहुंचाने के प्रावधान के द्वारा डिजिटल इंडिया के प्रत्येक कोने की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से है।
- वितरक/विक्रेता नेटवर्क की नियुक्ति कर वितरक/विक्रेता नेटवर्क का विस्तार करना।
- आरआईएनएल ने अर्द्ध–शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की खपत में वृद्धि करने के लिए वास्तुकार, बिल्डर और निर्माण अभियंता बैठकें (एबीसी बैठकें), अच्छी निर्माण कार्य–पद्धतियों पर कार्यशाला (राज मिस्त्री बैठक), विशेष इस्पात उपभोक्ता बैठक और मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) की बैठक जैसे कई प्रोत्साहन अभियान चलाए हैं।
- रायबरेली में फोर्ज्ड व्हील प्लांट (एफडब्ल्यूपी) लोको और एलएचबी कोच, दोनों की श्रेणी में भारतीय रेलवे के लिए फोर्ज्ड व्हील, जो मूल रूप से एक आयात प्रतिस्थापन इकाई है, के उत्पादन के लिए शुरु किया गया है।

9.6.3 एमएसटीसी लिमिटेड:

एमएसटीसी, स्क्रैप की ई–नीलामी की संगठित और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से इस्पात और अन्य सामग्री की रि–साइकलिंग का संवर्धन करता है। यह ऊर्जा की बचत करता है और कार्बन उत्सर्जन को कम करता है तथा देश के सतत विकास को बढ़ावा देता है।

एमएसटीसी अपनी सहायक कंपनी, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल) के माध्यम से विभिन्न प्रमुख इस्पात संयंत्रों के लिए स्लैग की पुनःचक्रण करता है। इसके अलावा, अपने संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी महिन्द्रा एमएसटीसी रि–साईकलिंग प्राइवेट लिमिटेड (एमएमआरपीएल) के माध्यम से, एंड–आफ–लाइफ वाहनों (ईएलवी) को इस्पात स्क्रैप की पुनःचक्रण हेतु पर्यावरण अनुकूल तरीके से नष्ट किया जा रहा है।

अध्याय-10

ऊर्जा, पर्यावरण प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन

10.1 परिचय

पर्यावरण प्रबंधन और ऊर्जा दक्षता लौह और इस्पात उद्योग के मूल्यांकन के लिए एक महत्वपूर्ण बेंचमार्क है। इस्पात मंत्रालय, विभिन्न योजनाओं और विनियमों के माध्यम से इस्पात संयंत्रों में ऊर्जा खपत और कार्बन–डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के साथ पर्यावरण प्रदूषण में कमी लाने में सहायता प्रदान कर रहा है। जलवायु परिवर्तन को दूर करने के लिए पेरिस करार के अन्तर्गत की गई भारत की प्रतिबद्धता को देखते हुए, इस्पात मंत्रालय विभिन्न हरित पहलों के द्वारा इस्पात उद्योग को कार्बन मुक्त करने के लिए कार्य कर रहा है।

इस्पात मंत्रालय द्वारा विभिन्न मंचों और तंत्रों के माध्यम से उठाए जा रहे कुछ कदम/की जा रही पहल निम्नानुसार हैः

10.2 हरित इस्पात

ग्लासगो प्रतिबद्धताओं के भाग के रूप में, भारत की योजना वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना है। इस्पात मंत्रालय नीतिगत हस्तक्षेपों और सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा इस्पात क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए सभी संभव प्रयास कर रहा है। यह वर्तमान में इस्पात क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए नीति, रोडमैप और कार्य योजना बना रहा है तथा कार्बन न्यूनीकरण से कार्बन से बचने से लेकर कार्बन के उपयोग तक के समाधानों पर कार्य कर रहा है। इस्पात उत्पादन के हरित मार्ग को निम्नलिखित पांच स्तंभों–ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय दक्षता का उपयोग, पैलेट और स्क्रैप के द्वारा सामग्री दक्षता, ग्रीन हाइड्रोजन और सीसीयूएस (कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण) में श्रेणीबद्ध किया गया है। यह इस्पात उद्योग की उत्सर्जन तीव्रता में वृद्धिशील कमी के लक्ष्य से इस्पात उद्योग के लिए लघु, मध्यम और दीर्घावधि अकार्बनीकरण के लक्ष्य की स्थापना की परिकल्पना कर रहा है। इस्पात मंत्रालय नीतिगत फ्रेमवर्क, नियामक तंत्र, प्रौद्योगिकीय नवाचारों, आरएंडडी, वैश्विक सहयोगों तथा वित्तीय तंत्रों सहित इस परिवर्तन के लिए प्रमुख समर्थकारी तंत्र पर कार्य कर रहा है।

इस उद्देश्य से, इस्पात मंत्रालय इस्पात उद्योग के हितधारकों तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, बीईई, एमएनआरई, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नीति आयोग आदि जैसे संबंधित हितधारक मंत्रालयों/विभागों के साथ निरंतर संपर्क में है। इस्पात क्षेत्र में अकार्बनीकरण तथा संसाधन क्षमता में सुधार पर '6 मई, 2022 को निम्न कार्बन इस्पात–हरित इस्पात की ओर परिवर्तन और '1 जुलाई, 2022 को इस्पात क्षेत्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए मार्ग चित्र' पर संसद की परामर्शदात्री समितियों की बैठकों में विस्तृत चर्चा भी की गई थी।

10.3 ऊर्जा दक्षता के लिए पहल

इस्पात मंत्रालय इस्पात क्षेत्र की ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने के लिए पहलों पर कार्य कर रहा है। इसके अन्तर्गत, राष्ट्रीय स्तर पर इस चुनौती का सामना करने के लिए 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) आरंभ की गई। एनएपीसीसी 8 राष्ट्रीय मिशनों का उल्लेख करता है, उनमें से एक मिशन बढ़ी हुई ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमईईई) है। प्रफोर्म, एचिव एंड ट्रेड (पीएटी) एनएमईईई के अन्तर्गत बीईई की अग्रणी योजना है। पीएटी ऊर्जा बचत प्रमाणन के द्वारा एक बाजार आधारित तंत्र है, जिसका व्यापार किया जा सकता है। पीएटी अप्रैल, 2012 से प्रभावी बन गया है। तेल के समतुल्य 20,000 टन की आरंभिक सीमा (टीओई) को लौह और इस्पात क्षेत्र में किसी इकाई के लिए निर्णायक सीमा मापदंड के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसे निर्दिष्ट उपभोक्ता के रूप में पहचाना जाएगा।

पैट योजना के अन्तर्गत, 197 लौह एवं इस्पात संयंत्रों को अधिसूचित किया गया है जिन्हें अपने बेसलाइन मूल्य से विशिष्ट ऊर्जा खपत (एसईसी) को कम करने के लिए अपेक्षित होगी। इन निर्दिष्ट उपभोक्ताओं (डीसी) में से 67 ने 9 नए डीसी के साथ पैट 1 पूरा किया है और पैट 2 चक्र में प्रवेश किया है। वर्तमान में 71 डीसी ने पैट 2 चक्र में भाग लिया है जो मार्च, 2019 में समाप्त हो गया है। पैट–III, पैट IV, पैट V और पैट VI चक्र को भी पैट साइकिल III में 29 नए डीसी, पैट चक्र–IV में 35 नए डीसी, चक्र–V में 23 नए डीसी और चक्र–VI में 5 नए डीसी के साथ क्रमशः 2017, 2018, 2019 और 2020 में बीईई द्वारा अधिसूचित किया गया है।

पैट साईकिल-I उपलब्धियां: पैट साईकिल 1 में निर्दिष्ट उपभोक्ताओं द्वारा लौह और इस्पात क्षेत्र द्वारा प्राप्त की गई कुल बचत 2.10 मिलियन टीओई थी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, डीसी ने विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों में 5199 करोड़ रु. निवेश किया है।

पैट साईकिल-II उपलब्धियां: पैट साईकिल II में निर्दिष्ट उपभोक्ताओं द्वारा लौह और इस्पात क्षेत्र द्वारा प्राप्त की गई कुल बचत 2.913 मिलियन टीओई थी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, डीसी ने विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों में 4396 करोड़ रु. निवेश किया है।

पैट योजना की साईकिल–I और साइकिल–II के दौरान, इस क्षेत्र ने 5.013 एमटीओई ऊर्जा की बचत की है और कुल के रूप में 18.64 एमटीसीओ2 के समतुल्य उत्सर्जन कम हुई।

लौह और इस्पात क्षेत्र

पैट लौह और इस्पात क्षेत्र में लौह और इस्पात संयंत्र कवरेज							
क्र. सं.	पैट साईकिल	कार्यान्वयन वर्ष	पैट के अधीन शामिल की गई इकाईयों की कुल संख्या (संचयी)	इकाईयों का कुल उत्पादन (एमटी) (संचयी)	इकाईयों की कुल ऊर्जा खपत (मिलियन टीओई) (संचयी)	ऊर्जा बचत लक्ष्य (मिलियन टीओई)	बचत (मिलियन टीओई)
1	पैट साइकिल–1	2012–13 से 2014–15 तक	67	42.55	25.32	1.486	2.10 (प्राप्त किया गया)
2	पैट साइकिल–2	2016–17 से 2018–19 तक	71	107.04	65.76	2.37	2.913 (प्राप्त किया गया)
3	पैट साइकिल–3	2017–18 से 2019–20 तक	100	117.71	73.40	0.456	–

पैट लौह और इस्पात क्षेत्र में लौह और इस्पात संयंत्र कवरेज							
क्र. सं.	पैट साईकिल	कार्यान्वयन वर्ष	पैट के अधीन शामिल की गई इकाईयों की कुल संख्या (संचयी)	इकाईयों का कुल उत्पादन (एमटी) (संचयी)	इकाईयों की कुल ऊर्जा खपत (मिलियन टीओई) (संचयी)	ऊर्जा बचत लक्ष्य (मिलियन टीओई)	बचत (मिलियन टीओई)
4	पैट साइकिल–4	2018–19 से 2020–21 तक	135	122.57	76.62	0.192	–
5	पैट साइकिल–5	2019–2020 से 2021–22 तक	158	127.27	79.44	0.168	–
6	पैट साइकिल–6	2020–21 से 2022–23 तक	163	128.91	79.955	0.031	
7	पैट साइकिल–7	2022–23 से 2024–25 तक	161	211.98	128.305	2.09	
8	पैट साइकिल –7 क	2022–23 से 2024–25 तक	197	230.95	140.005	0.821	

टिप्पणी- पैट साईकिल तीन वर्षों के लिए अधिसूचित की जाती है। पैट–III, पैट IV, पैट V और पैट VI चक्र को पैट साइकिल III में 29 नए डीसी, पैट चक्र–IV में 35 नए डीसी, पैट चक्र–V में 23 नए डीसी और पैट चक्र–VI में 5 नए डीसी के साथ क्रमशः वर्ष 2017, 2018, 2019 और 2020 में बीईई द्वारा अधिसूचित किया गया है। दो डीसी पैट–VII में बंद पाए गए हैं और 36 नए डीसी को पैट–VII, में जोड़े गए हैं।

10.4 ऊर्जा दक्षता सुधार के लिए एनईडीओ मॉडल परियोजनाएं

अर्थव्यवस्था व्यापार और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जापान की सरकार इस्पात सहित विभिन्न क्षेत्रों में मॉडल परियोजनाओं के रूप में ज्ञात ऊर्जा दक्षता, पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं की स्थापना के लिए भारत सरकार में आर्थिक कार्य–विभाग के द्वारा अपनी हरित सहायता योजना (जीएपी) के अन्तर्गत विदेश विकास सहायता (ओडीए) के रूप में निधियां प्रदान करती है। इन परियोजनाओं को एनईडीओ (नई ऊर्जा और औद्योगिक प्रौद्योगिकी विकास संगठन), जापान के द्वारा चलाया जाता है और प्रबंधित किया जाता है। इस्पात मंत्रालय लौह और इस्पात क्षेत्र में शुरु की गई परियोजनाओं का समन्वय कर रहा है। अब तक ये परियोजनाएं चालू की गई और निम्नानुसार प्रगति में है:

- बीएफ स्टोव वेस्ट हीट रिकवरी: टाटा स्टील में पूरा किया गया।
- कोक ड्राई क्वेंचिंग: टाटा स्टील में पूरा किया गया।
- सिंटर कूलर वेस्ट हीट रिकवरी: आरआईएनएल में पूरा किया गया
- आईएसपी बर्नपुर, सेल में ऊर्जा निगरानी और प्रबंध प्रणाली प्रगति पर है।

10.5 इस्पात निर्माण में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग

एमएनआरई द्वारा, जैसा कि प्रारूप बनाया गया है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन में, लौह और इस्पात क्षेत्र को एक हितधारक बनाया गया है। हरित हाइड्रोजन भारतीय इस्पात उद्योग के अकार्बनीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में एक वैकल्पिक अपचायक के रूप में कार्य करता है।

कोयला कार्बन–डाइऑक्साइड का उत्पादन करने वाले लौह अयस्क को कम करता है जबकि हाइड्रोजन जल का उत्पादन करने वाले लौह अयस्क को कम करता है।

- **बीएफ मार्ग**

भारत में, 68 प्रतिशत इस्पात ब्लास्ट फर्नेस मार्ग से बनाया जाता है जिसमें कोकिंग कोयला प्राथमिक अपचायक है जबकि पुलवराइज्ड कोल इंजेक्शन (पीसीआई) या प्राकृतिक गैस के एक अनुषंगी अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। बीएफ–बीओएफ मार्ग में पीसीआई के स्थान पर ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग का कार्य प्रक्रियाधीन है।

- **डीआरआई मार्ग**

गैस आधारित डीआरआई मार्ग के द्वारा लौह निर्माण में, ग्रीन हाइड्रोजन संभावित रूप से फोसिल ईंधनों के उपयोग को कम कर सकता है जिसके फलस्वरूप कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। आरंभ में, ग्रीन हाइड्रोजन को वर्टिकल शाफ्ट में प्राकृतिक गैस के साथ मिलाया जा सकता है।

10.6 सीओपी-27 में साइड इवेंट का संगठन

इस्पात मंत्रालय ने 11 नवंबर, 2022 को श्रम–ईल–शेख मिस्र में सीओपी–27 कार्यक्रम के छठे दिवस में एक सत्र की मेजबानी की। इस कार्यक्रम में भारतीय इस्पात उद्योग के अकार्बनीकरण पर केन्द्रित विभिन्न उप–सत्र शामिल थे। इस्पात में कार्बन को कम करने और उसका उपयोग करने तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री के विज़न के संदर्भ में चर्चाएं आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम में, एएमएनएस, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील और सेल सहित प्रमुख इस्पात कंपनियों ने इस्पात निर्माण में ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर, भंडारण और उपयोग (सीसीयूएस), ऊर्जा दक्षता पर सर्वोत्तम उपलब्ध प्रौद्योगिकियों तथा नवीकरणीय ऊर्जा की ओर पारगमन जैसे प्रौद्योगिकियों पर निर्भर करते समय कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए उन्होंने रोडमैप साझा किया।

इस्पात मंत्रालय, यूनिडो, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, आर्सेलर मित्तल ग्रुप, भारतीय इस्पात संघ, क्लीन एनर्जी मिनिस्टेरियल, ऊर्जा और संसाधन संस्था, विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र, जलवायु बोंड्स पहल, ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद, टाटा स्टील और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के प्रसिद्ध पैनेलिस्ट ने भारतीय इस्पात क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही अकार्बनीकरण संबंधी चुनौतियों और आगे के मार्ग से संबंधित संगत अनेक मुद्दों पर चर्चा की।

अध्याय-11

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का विकास

11.1 परिचय

इस्पात मंत्रालय को उत्तर–पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) के लिए इसकी बजटीय आबंटन/सकल बजटीय सहायता का 10 प्रतिशत निर्धारित करने की आवश्यकता से छूट दी गई है।

11.2 उत्तर पूर्व में स्टील सीपीएसई द्वारा पहल

11.2.1 स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड(सेल)

उत्तर पूर्व सेल के लिए एक प्रमुख क्षेत्र रहा है क्योंकि यह क्षेत्र उत्पाद के उपयोग के मामले में अपेक्षाकृत कम प्रवेश वाला रहा है। सेल के पास उत्तर पूर्व क्षेत्र में एक स्थापित विपणन नेटवर्क है। इसका गुवाहाटी में एक शाखा बिक्री कार्यालय है जो संपूर्ण उत्तर–पूर्व क्षेत्र में इस्पात के उत्पादों के विपणन का कार्य देखता है। शाखा बिक्री कार्यालय के अलावा, गुवाहाटी में एक कन्साइनमेंट हैंडलिंग एजेंसी (सीएचए) और सिल्चर तथा ईटानगर में स्थित दो कन्साइनमेंट एजेंसी (सीए) वेयरहाउस है। अप्रैल–दिसंबर, 2022 अवधि के दौरान, सेल ने उत्तर–पूर्व क्षेत्र में 2.14 लाख टन से अधिक की बिक्री की है और यह विगत वर्षों की तुलना में विकास के रास्ते पर है।

उत्तर–पूर्व क्षेत्र में, सेल राष्ट्रीय महत्व की विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं जैसे असम में सुबानसिरी लोअर हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट, असम से मेघालय को जोड़ने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी से फुलवारी तक 19 किलोमीटर का भारत का प्रस्तावित सबसे लंबी नदी सड़क पुल, 52 सुरंगों और 149 पुलों को शामिल करते हुए जीरीबाम–टुपुल–इंफाल को जोड़ने वाली 111 किलोमीटर लंबी बीजी विस्तार परियोजना, एम्स गुवाहाटी और असम में सिल्चर, तिनसुकिया और शिवसागर में मेडिकल कॉलेज, न्यू गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तवांग, अरूणाचल प्रदेश में सेला पास टनल, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की विस्तार परियोजना की आवश्यकता की पूर्ति करता रहा है।

सेल कोल्ड रिडुसर्स एलपीजी मैन्यूफेक्चर, इलैक्ट्रोड मैन्यूफेक्चर, वायर ड्राइंग और अनेक अन्य उद्योगों को इस्पात की आपूर्ति कर इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास में योगदान दे रहा है। परियोजनाओं और उद्योगों को बिक्री के अलावा, सेल गुवाहाटी स्थित सिंगल टियर वितरक के माध्यम से मध्यम और लघु ग्राहकों की आवश्यकतों को पूरा करने पर ध्यान केन्द्रित करता है। इसके अलावा, खुदरा आवश्यकताओं के लिए, सेल ने एक व्यापक भौगोलिक क्षेत्र को शामिल करते हुए वितरक से संबद्ध वितरक और विक्रेता वाला दो टियर वितरण रिटेल चैनल नेटवर्क स्थापित किया है। उत्तर–पूर्व भारत में रिटेल बिक्री का पदचिन्ह विस्तृत हो गया है, जैसा कि दिसंबर, 2022 तक विक्रेताओं की संख्या बढ़कर 230 तक पहुँच गया है।

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य एक कार्यक्षम वितरण चैनल के माध्यम से खुदरा में अंतिम ग्राहक तक पहुंचने और उत्पादों, प्रदायगी और सेवाओं में मूल्यवर्धन के माध्यम से उपभोक्ताओं/ग्राहकों को उच्चतर मूल्य प्रदान करना है।

दो टियर डिस्ट्रीब्यूटरशिप पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित अंतिम निर्धारित दुकानों (लास्ट माइल शॉप्स) और उपभोक्ताओं को सामग्री पहुँचाने में सहायता करेगा, जो लघु मात्राओं, कठिन क्षेत्रों और दूरस्थ स्थानों के कारण आमतौर पर लॉजिस्टिक से संबंधित समस्याओं का सामना करता है।

खुदरा ग्राहकों के बीच ब्रांड जागरुकता और प्रत्याहार (रिकॉल) को बढ़ाने के उद्देश्य से वितरकों के द्वारा असम राज्य परिवहन निगम (एएसटीसी) के माध्यम से बस ब्रांडिंग, विमानपत्तन जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स और सांस्कृति कार्यक्रमों जैसे विभिन्न संवर्धनात्मक क्रियाकलाप शुरु किए गए हैं।

11.2.2 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

उत्तर–पूर्व क्षेत्र रेल नेटवर्क विस्तार, रिफाइनरीज, हाइड्रो पॉवर, थर्मल पावर स्टेशन, कोयला और प्राकृतिक गैस सुविधाओं के मामले में अवसंरचना विकास की संभावना वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक है क्योंकि यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हैं। आरआईएनएल कोलकाता में आरआईएनएल के स्टॉक यार्ड से सेवा प्रदान कर विभिन्न परियोजना ग्राहकों, विनिर्माताओं से इस क्षेत्र की आवश्यकता पूरी कर रहा है।

उत्तर पूर्व क्षेत्र में उपस्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से आरआईएनएल ने गुवाहाटी में अपनी जमीन पर स्टॉक यार्ड प्रचालन के लिए आईडब्ल्यूएआई (इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के साथ समझौता किया है। हैंडलिंग कान्ट्रेक्टर की नियुक्ति की गई है और बिक्री शुरु हो गई है।

इसके अलावा, आरआईएनएल, असम, मेघालय, मणिपुर आदि जैसे विभिन्न उत्तर–पूर्व राज्यों में स्थित ग्रामीण विक्रेताओं के माध्यम से इस क्षेत्र में माल की आपूर्ति को दिशा दे रहा है। भविष्य में, आरआईएनएल की 2–टियर बिक्री और वितरण प्रणाली के माध्यम से उत्तर–पूर्वी क्षेत्र तक पहुंच का विस्तार करने की संभावना है।

11.2.3 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी ने उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए गुवाहाटी में शाखा कार्यालय स्थापित किया है। किसानों की जीविका में सुधार लाने में सहायता करने के लिए पिछले कुछ वर्षों से कृषि और उद्यान क्षेत्रों में ई–वाणिज्य कार्यान्वित करने हेतु कई गतिविधियाँ शुरु की गई थी। एमएसटीसी ने मेघालय से कोयले की बिक्री के लिए पोर्टल भी बनाया है।

11.2.4 मेकॉन लिमिटेड

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) का हाइड्रो कार्बन विज़न 2030 के अन्तर्गत उत्तर–पूर्व के सभी राज्यों और सिक्किम को जोड़ने वाले प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का एक नेटवर्क बिछाया जा रहा है। इस ग्रिड को उत्तर–पूर्व गैस ग्रिड (एनईजीजी) कहा जाता है और इसे बन रहे बरौनी–गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा जो ऊर्जा गंगा योजना का हिस्सा है। इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल) ग्रिड विकसित करने और उसके प्रचालन के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) है। मेकॉन को इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रबंधन संविदा (पीएमसी) सेवाएं देने के लिए परियोजना के परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है।

अध्याय-12

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

12.1 ओईसीडी इस्पात समिति और भारत

अंतरराष्ट्रीय सहयोग इस्पात क्षेत्र में अति–आधुनिक प्रौद्योगिकियों को लाने के लिए तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) इस्पात समिति भागीदारों को वैश्विक इस्पात उद्योग द्वारा सामना की गई चुनौतियों का संयुक्त रूप से समाधान करने और इस्पात उद्योग के लिए खुले और पारदर्शी बाजार को बढ़ावा देने के लिए समाधान की पहचान करने में समर्थ बनाता है। यह देशों को अन्य बातों के साथ–साथ इस्पात क्षेत्र, वैश्विक इस्पात बाजार परिदृश्य, क्षेत्रीय इस्पात बाजार घटनाक्रमों, इस्पात व्यापार और नीतिगत घटनाक्रमों, इस्पात निर्माण क्षमता में विकास, सब्सिडी और सरकार की सहायता के अन्य प्रकार के उपाय और उनके प्रभाव, नीतिगत हस्तक्षेप और उत्पाद तथा प्रौद्योगिकी; विकास से संबंधित विषयों पर सूचना प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह इस्पात क्षेत्र से संबंधित उपर्युक्त विषयों और अन्य विषयों पर अच्छी तरह से अनुसंधान किए हुए दस्तावेजों को भी प्रकाशित और परिचालित करता है। विश्व इस्पात संघ इस मंच पर दो वर्ष में एक बार क्षेत्र से संबंधित प्रस्तुति भी करता है।

भारत वर्ष 2000 से ओईसीडी इस्पात समिति में एक 'भागीदार' है। एक भागीदार के रूप में, भारत को इस्पात समिति की बैठकों में सभी अगोपनीय कार्य–सूची मदों में भाग लेने और इसकी चर्चाओं में अंशदान करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

भारत यह सुनिश्चित करने के लिए ओईसीडी इस्पात समिति की बैठक में नियमित रूप से भाग लेता रहा है कि भारतीय घरेलू इस्पात उद्योग के हित को वैश्विक समुदाय के समक्ष उपयुक्त रूप से प्रस्तुत किया जाए और कोई भी गलत अनुमान भारतीय इस्पात उद्योग और इसके विकास की कहानी के बारे में नहीं निकाला जाए। इस्पात समिति का 91वां सत्र 29–31 मार्च, 2022 को वर्चुअल रूप में आयोजित किया गया था। समिति का 92वां सत्र पेरिस, फ्रांस में 19–20 सितंबर, 2022 को आयोजित किया गया था।

12.2 इस्पात मंत्रालय ने दिए गए ब्यौरे के अनुसार निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय बैठकों/संगोष्ठियों में भाग लिया:

- माननीय इस्पात मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने 10–12 मार्च, 2022 के दौरान संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का दौरा किया और विश्व एक्सपो, दुबई में भारतीय पैवेलियन में 'इस्पात सप्ताह' का शुभारंभ किया। इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल (आईबीपीसी) और पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन चौंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीआईओसीसीआई), आबूधाबी निवेश प्राधिकरण (एडीआईए) और संयुक्त अरब अमीरात के इस्पात उत्पादकों और उपभोक्ताओं के साथ बैठक आयोजित की गई थी। इन चर्चाओं में

इस्पात क्षेत्र में भारत में निवेश को आकर्षित करना, स्पेशियलिटी इस्पात के लिए उत्पादकता संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) और संयुक्त अरब अमीरात को भारतीय इस्पात का निर्यात करना शामिल था।

- भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने 29–31 मार्च, 2022 को वर्चुअल रूप से आयोजित ओईसीडी की 91वीं इस्पात समिति की बैठक में भाग लिया।

- भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने पेरिस, फ्रांस में 19–20 सितंबर, 2022 को आयोजित ओईसीडी की 92वीं इस्पात समिति की बैठक में भाग लिया।

- इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार और अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय (एमईटीआई), जापान सरकार के बीच सहयोग ज्ञापन के अन्तर्गत प्रथम भारत–जापान इस्पात संवाद वर्चुअल रूप से 14 अक्तूबर, 2022 को आयोजित किया गया था। इस बैठक की सह–अध्यक्षता अपर सचिव, इस्पात मंत्रालय और उप महानिदेशक, एमईटीआई, जापान सरकार द्वारा की गई थी और इस्पात मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), विदेश मंत्रालय, भारत के दूतावास (टोकियो) के अधिकारियों, नीति आयोग, उपभोक्ता मामले मंत्रालय के प्रतिनिधि, भारतीय इस्पात कंपनियों (सार्वजनिक और निजी) के वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारी और भारत की ओर से भारतीय इस्पात संघ (आईएसए) द्वारा भाग लिया गया था। जापान की ओर से, इस बैठक में एमईटीआई, जापान सरकार, भारत में जापान दूतावास के अधिकारियों और जापान लौह एवं इस्पात संघ (जेआईएसएफ) के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया था।

- सचिव, इस्पात मंत्रालय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने शर्म–अल–शेख, मिस्र में भारतीय इस्पात उद्योग को कार्बन मुक्त करने के संबंध में साथ–साथ कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 11 नवंबर, 2022 को आयोजित सीओपी 27 कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में भारतीय इस्पात उद्योग को कार्बन मुक्त करने पर केन्द्रित विभिन्न उप–सत्र थे। इस्पात में कार्बन को कम करने और उसका उपयोग करने तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था का संवर्धन करने पर चर्चा की गई थी।

अध्याय-13

सूचना प्रौद्योगिकी का विकास

13.1 परिचय

इस्पात मंत्रालय और इसके केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आईसीटी अवसंरचना, सेवाओं और अनुप्रयोगों को विकसित करने से संबंधित मामलों पर अद्यतन रहने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। इस संबंध में प्रमुख प्रयासों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- इस्पात मंत्री, इस्पात राज्य मंत्री, सचिव (इस्पात), इस्पात मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और कार्मिकों को आईसीटी सेवाएँ प्रदान करने के लिए मंत्रालय में आधुनिक सर्वर, ग्राहक प्रणालियों, लोकल एरिया नेटवर्क (लैन), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा और वाई–फाई व्यवस्था के साथ कंप्यूटर केंद्र संचालित किया जा रहा है।
- मंत्रालय के सभी वेब एप्लिकेशंस और सेवाएँ पीएएएस (सेवा के तौर पर प्लेटफॉर्म) का उपयोग करते हुए एनआईसी क्लाउड पर होस्ट की जाती हैं।
- मंत्रालय में गीगाबाइट ऑप्टिकल फाइबर (ओएफसी) के साथ लगभग 250 नोड्स का एक लैन (एलएएन) है।
- मंत्रालय के सभी अधिकारियों/प्रभागों को एनआईसी/सरकारी डोमेन के तहत ईमेल की सुविधा के साथ एनआईसीएनईटी आधारित इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है।

मंत्रालय में कागजरहित कार्यालय की संकल्पना को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय में कार्यान्वित किए गए ई-गवर्नेंस एप्लिकेशंस

- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीएजी) की राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना के तहत मंत्रालय में कागज के कम उपयोग वाले कार्यालय का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रोनिक फाइल प्रबंधन प्रणाली, जानकारी प्रबंधन प्रणाली, अवकाश प्रबंधन प्रणाली और स्पैरो (स्पैरो) (ई–अपार) जैसे अंतर्निहित मॉड्यूल्स के साथ **''ई-ऑफिस''** सॉफ्टवेयर (भारत सरकार की मिशन मोड परियोजना) कार्यान्वित किया गया है।
- मंत्रालय में एक मंत्रालयव्यापी इंट्रानेट पोर्टल भी प्रचालन में है।
- वस्तुएँ मँगवाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक अनुरोध, स्टॉक एवं सूची प्रबंधन प्रणाली प्रचालन में है और मंत्रालय के इंट्रानेट पोर्टल के माध्यम से इसका प्रयोग किया जा सकता है। वस्तुएँ मँगवाने के लिए इलैक्ट्रॉनिक अनुरोध की प्रक्रिया को स्वचालित बनाने, फाइलिंग और प्रशासन एवं सामान्य अनुभाग द्वारा इसके अनुमोदन, और बैकएंड पर स्टॉक तथा सूची को व्यवस्थित बनाने के लिए वस्तुएँ मँगवाने हेतु अनुरोध, स्टॉक एवं सूची प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है।
- मंत्रालय में ईमेल, फाइल साझा करने, नेटवर्क प्रिंटर पर प्रिंट करने, इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई–आफिस फाइल प्रबंधन, प्राप्ति, फाइलों, वीआईपी/पीएमओ संदर्भों, और मंत्रिमंडल टिप्पण आदि की ट्रैकिंग के लिए लैन (एलएएन) का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग अवकाश प्रबंधन प्रणाली, जानकारी प्रबंधन तथा सूचना के प्रसार, वार्षिक रिपोर्टों के लिए सूचना/सामग्री के संकलन, संसदीय प्रश्नों, लंबित मामलों, प्रभागों से एप्लिकेशंस (न्यायालयी मामलों, लेखापरीक्षा पैरों और संसदीय आश्वासनों आदि) की ट्रैकिंग तथा निगरानी के लिए भी किया जाता है।

- माननीय इस्पात मंत्री, माननीय इस्पात राज्य मंत्री और सचिव (इस्पात) के चैंबर्स में हाई–डेफिनेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था है। स्टील कॉन्फ्रेंस रूम में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा है। इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणालियों का उपयोग करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की मासिक प्रगति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर की अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती हैं। इस वर्ष के दौरान लगभग 1000 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्र आयोजित किए गए हैं।

ईगवर्नेंस योजना के तहत मंत्रालय में निम्नलिखित केंद्रीयकृत नागरिक केंद्रित वेब आधारित प्रणालियाँ भी कार्यान्वित की गई हैं:

- मंत्रालय और इसके केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में जनता और पेंशनधारकों की शिकायतों के समाधान के लिए केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस)।
- सूचना का अधिकार अधिनियम – प्रबंधन सूचना प्रणाली (आरटीआई–एमआईएस) – इसके माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त अनुरोधों और अपीलों की निगरानी की जाती है। यह प्रणाली मंत्रालय और इसके केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में लागू की जाती है।
- मंत्रालय में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के तौर पर एक वित्तीय प्रबंधन प्लेटफॉर्म कार्यान्वित किया गया है।
- प्रगति–सक्रिय प्रशासन तथा समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए प्लेटफॉर्म।
- सेवानिवृत्ति के समय बकाया राशि के समय पर भुगतान और पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी करने के लिए ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति तथा भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली 'भविष्य'।
- कानूनी सूचना प्रबंधन तथा जानकारी प्रणाली (एलआईएमबीएस)।
- अनुभव–सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए सरकार के साथ काम करने के अनुभव साझा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म।
- भर्ती नियम निर्धारण, संशोधन तथा निगरानी प्रणाली (पीआरएफएएमएस)।
- सीएसीएमएस, भारत सरकार में पदों तथा सेवाओं में आरक्षित वर्गों के प्रतिनिधित्व (आरआरसीपीएस) की निगरानी की प्रणाली।
- एसीसी रिक्ति निगरानी प्रणाली (एवीएमएस)।
- ईविजिटर निगरानी प्रणाली (ईवीएमएस)।
- ईसमीक्षा पोर्टल।
- वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (अपार) और वार्षिक संपत्ति विवरणी ऑनलाइन माध्यम से दाखिल करने के लिए स्पैरो (स्पैरो) (स्मार्ट कार्य निश्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो) भी लागू किया गया है।

इस्पात मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक (एसओएम) के रिकॉर्ड नोट्स और माननीय इस्पात मंत्री और सचिव (इस्पात) द्वारा मंत्रालय के अन्य अधिकारियों को सौंपे गए कार्यों के लंबित होने की स्थिति की निगरानी के लिए एक कार्य प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वित की गई है।

एनआईसी ने मंत्रालय के सभी कार्मिकों को ई–ऑफिस पर कार्य करने और देश में कोविड–19 महामारी के कारण लॉकडाउन की स्थितियों के बीच घर से कार्य करने की सुविधा प्रदान करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/वेब–आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणालियों के माध्यम से व्यापक रूप से अंतःमंत्रालयी और अंतरमंत्रालयी स्तर पर वर्चुअल बैठकें आयोजित कीं।

मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट

विषयवस्तु प्रबंधन ढाँचा (सीएमएफ) प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई इस्पात मंत्रालय की द्विभाषी वेबसाइट (https://steel.gov.in) प्रचालन में है और इसमें इस्पात मंत्रालय तथा इसके अन्य कार्यालयों/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विस्तृत विवरण एवं उनके कार्यों की जानकारी दी गई है और इसे नियमित आधार पर अद्यतन किया जाता है।

मंत्रालय का टीसी-क्यूसीओ पोर्टल

एनआईसी द्वारा अधिसूचित इस्पात ग्रेड्स के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए आयातकों द्वारा आवेदनों के प्रक्रियान्वयन हेतु एक ऑनलाइन प्रणाली (https://tc-qco.steel.gov.in/tc-qco) डिजाइन और विकसित की गई है। इस पोर्टल का प्रयोग करते हुए अब तक लगभग 35000 स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं। एक माह में पाक्षिक आधार पर लगभग 1500 स्पष्टीकरण जारी किए जाते हैं।

मंत्रालय का पुरस्कार पोर्टल

पुरस्कार पोर्टल (https://awards.steel.gov.in) राष्ट्रीय धातु विज्ञानी दिवस पुरस्कारों के नामांकन के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल है। यह पोर्टल प्राप्ति से निपटान तक एक पूर्ण कार्यप्रवाह–आधारित प्रणाली है। आवेदक इस पोर्टल पर पुरस्कारों की पाँच श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी के लिए ऑनलाइन रजिस्टर करता है और आवेदन करता है। सभी आवेदन ऑनलाइन प्रोसेस किए जा रहे हैं। आवेदक अपने आवेदन को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं और इसकी स्थिति की समीक्षा कर सकते हैं। वर्ष 2021 के लिए आवेदनों का ऑनलाइन प्रक्रियान्वयन सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया गया था। ऑनलाइन प्रक्रियान्वयन के बाद 20 अप्रैल, 2022 को पुरस्कारों का वितरण किया गया।

राष्ट्रीय धातु विज्ञानी दिवस पुरस्कारों के नामांकन के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु पोर्टल को 12 सितंबर, 2022 को दोबारा खोला गया। आवेदन प्राप्त करने और इनके प्रक्रियान्वयन के लिए ऑनलाइन पोर्टल एनआईसी–इस्पात मंत्रालय द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है और इसे एनआईसी–क्लाउड पर होस्ट किया गया है। मंत्रालय को अब तक कुल 100 ऑनलाइन नामांकन प्राप्त हुए हैं।

निगरानी डैशबोर्ड

मंत्रालय का विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड: इस्पात मंत्रालय का स्टील डैशबोर्ड 2.0 एक संवादात्मक तथा क्रियाशील ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो इस्पात क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मानकों जैसे इस्पात क्षमता का उपयोग, उत्पादन तथा उपभोग, कीमतों, कच्चे माल का उत्पादन, व्यापार, स्टॉक्स और रेल उत्पादन आदि के संबंध में प्रदर्शन का विवरण दर्ज करता है। यह डैशबोर्ड इस्पात क्षेत्र के विभिन्न प्रमुख प्रदर्शन सूचकों (केपीएलएस) के लिए तत्काल समय आधार पर इस्पात कंपनियों के प्रदर्शन की निगरानी और विश्लेषण करने में सहायक है। इस्पात क्षेत्र के प्रदर्शन के संबंध में एक विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड–स्टील डैशबोर्ड (https://analytics.steel.gov.in/) को विशेषीकृत व्यवसाय जानकारी (बीआई) साधनों का उपयोग करते हुए डिजाइन किया गया है। विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड की प्रमुख विशेषताएँ निम्नानुसार हैं: –

- तैयार इस्पात, कच्चे इस्पात, स्पंज आयरन तथा पिग आयरन उत्पादन का मासिक, तिमाही तथा वार्षिक विश्लेषण, मासिक रुझान विश्लेषण, सार्वजनिक क्षेत्र बनाम निजी क्षेत्र उत्पादन का विश्लेषण, श्रेणीवार, उत्पादक के अनुसार और भट्टी के अनुसार उत्पादन का विश्लेषण।
- कच्चे इस्पात, स्पंज आयरन तथा पिग आयरन क्षमता उपयोग का मासिक, तिमाही तथा वार्षिक विश्लेषण, उपयोग का मासिक रुझान, सार्वजनिक क्षेत्र बनाम निजी क्षेत्र और उत्पादक के अनुसार उपयोग का विश्लेषण।
- व्यापार (आयात तथा निर्यात) का दैनिक, मासिक, तिमाही तथा वार्षिक रुझान विश्लेषण, व्यापार शेष विश्लेषण, प्रमुख आयातक तथा निर्यातक देशों का विश्लेषण, श्रेणीवार और उपश्रेणी–वार विश्लेषण।
- तैयार तथा मूल्यवर्धित इस्पात के उपभोग का मासिक, तिमाही तथा वार्षिक विश्लेषण, श्रेणीवार तथा उपश्रेणी–वार विश्लेषण।
- देश के चार महानगरों में इस्पात उत्पादों की कीमतें, इस्पात उत्पादों की पाक्षिक कीमतों का रुझान।

- उत्पादक–वार और सेक्टर–वार मासिक स्टॉक विश्लेषण।
- दैनिक रेल उत्पादन।
- कच्चे माल के भंडार की स्थिति और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की खानों से निकाले जाने वाले कच्चे माल की दैनिक मात्रा।
- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रदर्शन के संबद्ध में कंपनी का दृष्टिकोण और सकारात्मक तथा नकारात्मक चेतावनियाँ।
- कच्चे इस्पात और तैयार इस्पात के उत्पादन, क्षमता उपयोग और व्यापार के संबंध में पिछले 10 वर्षों के ऐतिहासिक आंकड़ों का विश्लेषण।

पीएम डैशबोर्ड ऑफ डैशबोर्ड-प्रमुख प्रदर्शन सूचकों (केपीएलएस) का एकीकरण: पीएम डैशबोर्ड ऑफ डैशबोर्ड्स प्रयास में इस्पात मंत्रालय के लिए प्रमुख प्रदर्शन सूचकों (केपीएलएस) का एकीकरणः इस्पात मंत्रालय के प्रमुख प्रदर्शन सूचकों को पीएम डैशबोर्ड ऑफ डैशबोर्ड्स प्रयास के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत कर दिया गया है। इन प्रमुख प्रदर्शन सूचकों पर सहज दृश्यावलोकन विकसित किए गए हैं। एसआईएमएस के प्रमुख प्रदर्शन सूचकों से उत्पादन, उपभोग, व्यापार (आयात तथा निर्यात) के आंकड़ों को एकीकृत किया गया है।

नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल के साथ योजनाओं का एकीकरण: इस्पात मंत्रालय ने एनजीओ दर्पण पोर्टल के साथ एकीकरण के लिए 'लौह तथा इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास को प्रोत्साहन' संबंधी योजना को चिह्नित किया है। इस स्कीम को नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत कर दिया गया है।

13.2 खातों का कंप्यूटरीकरण

लेखों का संकलन और कंप्यूटरीकरण: भुगतान एवं लेखा कार्यालय (पीएओ) द्वारा एनआईसी द्वारा विकसित पीएफएमएस में इसके भुगतान नियंत्रण के अंतर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारियों के भुगतान तथा प्राप्तियों, यदि कोई हों, की सूची को शामिल करने के बाद भुगतान एवं लेखा कार्यालय द्वारा माह के दौरान किए गए लेन–देन के लिए मासिक लेखों का संकलन किया जाता है।

भुगतान एवं लेखा कार्यालय से मासिक लेखे प्राप्त होने के बाद प्रधान लेखा कार्यालय सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) की सहायता से पूरे मंत्रालय के लेखों का संकलन करता है। इस प्रकार संकलित मासिक लेखे ऑनलाइन माध्यम से ई–लेखा पर (http://164.100.12.160/Elekha/elekhaHome.asp) सीजीए के कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।

ई-लेखा: वर्ष के दौरान किसी भी समय मंत्रालय के खर्च तथा प्राप्तियाँ देखने के लिए लेखों का दैनिक सार, ई–डीडीजी का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण, उचित लेखों (चरण–I तथा II), एससीटी (एससीटी) को सफलतापूर्वक ई–लेखा वेबसाइट (http://164.100.12.160/Elekha/elekhaHome.asp) पर अपलोड कर दिया गया है।

ई-पेमेंट: महालेखानियंत्रक के कार्यालय ने भुगतान एवं लेखा कार्यालय (पीएओ) में इलैक्ट्रोनिक माध्यम से भुगतान करने के लिए एक प्रणाली विकसित की है। ई–पेमेंट की प्रणाली कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) और पीएफएमएस (ई–भुगतान गेटवे) के बीच एक साझा प्लेटफॉर्म पर स्थापित की गई है। भुगतान एवं लेखा कार्यालय, इस्पात मंत्रालय में भी ई–पेमेंट प्रणाली लागू कर दी गई है और सभी भुगतान ई–पेमेंट प्रणाली के माध्यम से किए जा रहे हैं। मंत्रालय के आहरण एवं वितरण अधिकारियों को सरकारी अधिकारियों तथा निजी विक्रेताओं को ई–पेमेंट के माध्यम से भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस): सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) सभी योजना स्कीमों, सभी प्राप्तिकर्ता एजेंसियों के एक डेटाबेस, योजना निधियाँ जमा रखने वाले बैंकों के कोर बैंकिंग समाधान के साथ एकीकरण, राज्य कोषागारों के साथ एकीकरण और सरकार की योजना स्कीम के लिए

कार्यान्वयन के सबसे निचले स्तर पर निधि के प्रवाह की कुशल तथा प्रभावी ट्रैकिंग के लिए एक वित्तीय प्रबंधन प्लेटफॉर्म है। यह देश की सभी योजना स्कीमों/कार्यान्वयन एजेंसियों में निधि के उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान करता है जिससे योजना स्कीमों के कार्यान्वयन में सार्वजनिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए बेहतर निगरानी, समीक्षा एवं निर्णय समर्थन प्रणाली तैयार होती है। पीएफएमएस ने धीरे–धीरे प्रशासन तथा प्रबंधन कार्यक्रम में सुधार किया है, प्रणाली में निधि के एक स्थान पर बने रहने में कमी आई है, लाभार्थियों को सीधे भुगतान किया जा रहा है और लोक निधि के उपयोग में अधिक पारदर्शिता तथा जवाबदेही आई है। इसके बाद इस एप्लिकेशन का विस्तार करते हुए लेखों का संकलन, बजट मॉड्यूल, लेखों का मिलान, एजेंट मंत्रालयों/विभागों को वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति, उनके द्वारा कार्यों के निष्पादन आदि के लिए निधि के प्राधिकार को शामिल किया गया। चरणबद्ध रूप से लागू करने की प्रक्रिया में उपर्युक्त सुविधाओं के साथ विस्तारित पीएफएमएस को अब तक सभी सिविल मंत्रालयों/विभागों में लागू कर दिया गया है।

योजना स्कीम के अंतर्गत सभी भुगतान सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन (http://pfms.nic.in) किए जाने होते हैं। इस्पात मंत्रालय के भुगतान एवं लेखा कार्यालय में ऐसा किया जा रहा है।

गैर-कर प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी): गैर–कर प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी) का उद्देश्य नागरिकों/कॉर्पोरेट इकाइयों/अन्य प्रयोक्ताओं को भारत सरकार को देय गैर–कर प्राप्तियाँ ऑनलाइन जमा करवाने के लिए एक वन स्टॉप विंडो उपलब्ध करवाता है। एनटीआरपी भुगतान गेटवे एग्रीगेटर (पीजीए) की पद्धति का प्रयोग करता है। इस प्रकार कोई जमाकर्ता क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या पीजीए के साथ एकीकृत किसी बैंक की नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन जमा कर सकता है। वर्तमान में एसबीआई ई–पे एनटीआरपी के लिए पीजीए है। एनटीआरपी को विभिन्न मंत्रालयों के अधिकृत बैंकों के साथ एकीकृत किया गया है। इसलिए इसके माध्यम से जमा की गई कोई भी राशि संबंधित भुगतान एवं लेखा कार्यालय (पीएओ) के लेखों में भी दिखाई देगी। यह पोर्टल भारत सरकार के उन सभी विभागों/मंत्रालयों को सेवाएँ प्रदान करेगा जिनके पास अपनी प्राप्तियों के ऑनलाइन एकत्रण के लिए वर्तमान में कोई समाधान नहीं है। माननीय वित्त मंत्री द्वारा 15 फरवरी, 2016 को औपचारिक रूप से एनटीआरपी पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इस्पात मंत्रालय द्वारा एनटीआरपी पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में एनटीआरपी से लेन–देन के माध्यम से 4662.81 करोड़ रुपये का गैर–कर राजस्व एकत्रित किया गया। वित्तीय वर्ष 2022–23 में (दिसंबर 2022 तक) एनटीआरपी से लेन–देन के माध्यम से 736.53 करोड़ रुपये का गैर–कर राजस्व एकत्रित किया गया।

अंतरण की तुलना में खर्च (ईएटी मॉड्यूल): ईएटी मॉड्यूल का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा एजेंसियों/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को अंतरित निधि पर निगरानी की सुविधा प्रदान करना है। प्रयुक्त/अप्रयुक्त निधि की निगरानी ईएटी मॉड्यूल के अंतर्गत पीएफएमएस के माध्यम से की जाती है।

13.3 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

सेल व्यवसाय प्रदर्शन में सुधार करने के लिए डिजिटल रूपांतरण और इंडस्ट्री 4.0 के प्रयासों में तेजी लाया है और इस प्रकार ग्राहक के समग्र अनुभव को बेहतर बनाया है। सभी एकीकृत इस्पात संयंत्र, विपणन इकाइयां और कॉर्पोरेट कार्यालय पहले से ही ईआरपी समाधान पर काम कर रहे हैं और निरंतर अपनी व्यवसाय प्रक्रियाओं में सुधार लाने के प्रयास कर रहे हैं ताकि स्वचालन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके और मैनुअल कार्य को कम किया जा सके। सेल ने अपनी आईटी अवसंरचना और साइबर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए भी विभिन्न प्रयास किए हैं। कुछ प्रमुख प्रयास हैं:

- सेल डिजिटाइजेशन इंडस्ट्री 4.0 कार्य योजना तैयार कर ली गई है और सेल में इंडस्ट्री 4.0 के डिजिटल रूपांतरण प्रयासों को ट्रैक करने के लिए एक डैशबोर्ड तैयार किया गया है।
- सेल की आईटी सुरक्षा नीति को संशोधित करते हुए नवीनतम सुरक्षा पहलुओं को इसमें शामिल किया गया। साइबर सुरक्षा के लिए भारत सरकार की पहल के अनुसार विभिन्न मंचों पर साइबर–खतरों और सुरक्षित पद्धतियों के संबंध में विभिन्न साइबर सुरक्षा जागरूकता सत्रों का भी आयोजन किया गया।

- विभिन्न क्षेत्रों जैसे चिकित्सा रेफरल पत्र जारी करने, एरिया पास अनुमोदन, बंद करने के अनुरोधों, कर्मचारी सेवाओं, मरीज के फीडबैक आदि में डिजिटल मोबिलिटी तथा प्रयोक्ता की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप्स प्रस्तुत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त चिकित्सा बुकलेट्स के प्रक्रियान्वयन, संविदा कार्मिकों को गेट पास जारी करने, मशीनों के रखरखाव आदि की प्रक्रिया को स्वचालित बनाने के लिए बार कोडिंग शुरू की गई है।
- अन्य महारत्न कंपनियों के पास उपलब्ध जानकारी, उनके अनुभव और उनके द्वारा किए गए डिजिटल प्रयासों को साझा करने और एक सहयोगी प्लेटफॉर्म विकसित करने के दृष्टिकोण से सेल द्वारा "डिजीटल एक्सेलेरेशन–द सीपीएसई पर्सपेक्टिव" पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की एक बैठक आयोजित की गई।
- भिलाई इस्पात संयंत्र के खान प्रचालनों में भी ईआरपी को लागू किया गया है। अन्य संयंत्रों जैसे आरएसपी और बीएसएल के लिए यह प्रक्रिया जारी है।
- कुछ एकीकृत इस्पात संयंत्रों में मैनुअल कार्य को कम करने के लिए गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (जैम) को ईआरपी के साथ एकीकृत किया गया है।
- ब्लास्ट फर्नेस, हॉट स्ट्रिप मिल जैसे क्षेत्रों में एमईएस और पुरानी प्रणालियों के साथ ईआरपी की इंटरफेसिंग भी की जा रही है जहाँ पूरी जानकारी के साथ रिपोर्टें जनरेट करने के लिए विभिन्न पीएलसी से आंकड़े लिए जा रहे हैं।
- कुछ गोदामों में उत्पादकता बढ़ाने और मानवीय हस्तक्षेप को कम से कम करने के लिए वाहन की नंबर प्लेट, वाहन की स्थिति आदि का पता लगाने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए स्वचालित वाहन प्रवेश–निकास प्रणाली संस्थापित की गई है।
- संयंत्र के कार्य क्षेत्र में सुरक्षा के लिए मार्ग बदलने, गति निर्धारित सीमा से अधिक होने के अलर्ट आदि जैसी सुविधाओं के साथ विभिन्न वाहनों के आवागमन को ट्रैक करने के लिए जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग शुरू की गई है।
- सुरक्षा की स्थिति में सुधार करने के लिए लगभग हो चुकी दुर्घटना की रिकॉर्डिंग, सुरक्षा निरीक्षणों, सुरक्षा प्रशिक्षणों आदि जैसी ऑनलाइन सुविधाओं के साथ सुरक्षा पोर्टल तैयार किया गया है और लागू किया गया है।

13.4 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल निरंतर आईटी अवसंरचना तथा विभिन्न आईटी प्रणालियाँ/एप्लिकेशंस विकसित करने के लिए प्रयास कर रहा है। वर्ष 2022–23 से दिसंबर 2022 के दौरान उपलब्धियाँ नीचे दर्शाई गई हैं:

- एफडब्ल्यूपी से संबंधित सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए एसएपी–एसआरएम प्लेटफॉर्म पर एफडब्ल्यूपी में ई–निविदा और ई–नीलामी कार्यान्वित किए गए हैं।
- स्टील मेल्ट शॉप और ब्लास्ट फर्नेस में सुधार:
  - वास्तविक समय में एलएफ लेवल2 और कैस्टर लेवल2 की गर्मी का विवरण प्राप्त करके एसएमएस2 के लेडल परिसंचरण समय की स्वतः गणना का कार्यान्वयन।
  - संयंत्र ओवरव्यू स्क्रीन पर आरएच की स्थिति, एसएमएस1 और एसएमएस2 कैस्टर कूलिंग मानकों को प्रदर्शित करना।
  - मॉल्ड विविध तापमान, जोनवार जल प्रवाह, जल दबाव, निकासी तथा स्ट्रेटनिंग रोल मॉड्यूल फोर्सेज, एसएमएस2 कास्टर्स के लिए जोनवार प्रदर्शित करने के लिए कार्यक्रम का कार्यान्वयन।

- दैनिक आधार पर एसएमएस2 प्रमुख प्रदर्शन सूचक (केपीएलएस) (औसत O2, स्क्रैप उपभोग, हीट वेट) जनरेट करने के लिए एक ऐप का कार्यान्वयन।
- बीएफ2 स्थिति/नकल के लिए मोबाइल ऐप कार्यान्वित किया गया है।

- रोलिंग मिल्स में कार्यान्वयनः
  - एसबीएम के लिए रोल शॉप मॉड्यूल कार्यान्वित किया गया।
  - एल1 तथा एल2 दोनों के द्वारा प्रयुक्त नेटवर्क तथा प्रमुख स्विचों की अतिरेकता स्थापित करने के लिए डब्ल्यूआरएम2 प्रोसेस नेटवर्क में बड़े पैमाने पर सुधार किया गया है।
- वित्तीय कार्यों में सुधार
  - विभिन्न चरणों में उल्लेखनीय संयंत्र परिणामों के लिए सांकेतिक लागत निर्धारित तथा कार्यान्वित की गई।
  - विभिन्न इनपुट्स के आधार पर उत्पाद की लागत के पूर्वानुमान के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, केंद्रीय सर्वर में स्थापित और कार्यान्वित किया गया है।
  - विदेशी सेवा प्रदाताओं के लिए तकनीकी सेवाओं हेतु शुल्क के भुगतान के लिए नए विदहोल्डिंग कर (धारा 195 के अंतर्गत) की गणना की गई।
  - नए सरकारी निर्देशों के अनुसार पीएफ और स्रोत पर आय कर कटौती के लिए कर योग्य अंशदान की गणना की प्रणाली कार्यान्वित की गई है।
- सतर्कता विभाग के लिए संविदाओं के संबंध में तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार करना और इसका कार्यान्वयन।
- पठन सामग्री और प्रश्नावली के साथ सुरक्षित कार्य पद्धतियों के लिए ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली विकसित और कार्यान्वित की गई है।
- एसीवीएस विभाग में विभागीय सूची प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वित की गई है।
- दिनांक 01.09.2022 से सॉफ्टवेयर में परिवर्तनों को समाविष्ट करने के बाद इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों रेक्स के लिए नवीनतम परिपत्र के आधार पर विलंब शुल्क की नई गणना लागू की गई है।
- भारी वाहन निगरानी प्रणाली (एचवीएमएस) के लिए एक प्रणाली विकसित और कार्यान्वित की गई है।
- वर्ष 2022 के लिए आरआईएनएल के व्यवसाय डेटा केंद्रों हेतु आईएसओ 27001 के लिए पर्यवेक्षण लेखापरीक्षा पूरी कर ली गई है।

13.5 एनएमडीसी लिमिटेड

- **ईआरपी (एसएपी) का कार्यान्वयनः** एनएमडीसी ईआरपी एसएपी एस/4 एचएएनए पर लाइव हो गया और सभी प्रमुख मॉड्यूल कार्यान्वित किए गए हैं। उत्पादन, डिस्पैच तथा सीएसआर के लिए प्रबंधन डैशबोर्ड अप्रैल–2022 में शुरू किया गया था और अन्य कार्यों जैसे सामग्री प्रबंधन, गुणवत्ता तथा मानव संसाधन के लिए डैशबोर्ड शीघ्र ही शुरू किया जा रहा है। ये विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड प्रबंधन को तत्काल समय/लगभग तत्काल समय आधार पर जानकारी के साथ निर्णय लेने के लिए जानकारी प्रदान करेंगे।

- पीएलसी के अद्यतन, स्काडा (SCADA) और अन्य डिजिटल प्रयासों जैसे फ्लीट प्रबंधन प्रणाली जैसे प्रगतिशील स्वचालन के साथ अब तत्काल समय में आंकड़े प्राप्त करने के लिए इन सभी स्वचालनों को ईआरपी के साथ एकीकृत करने पर जोर दिया जा रहा है। शीघ्र ही एनएमडीसी की लौह अयस्क खानों में संयंत्र उत्पादन के लिए वजन से मीटर तक स्वचालित आंकड़ों को दर्ज करने की प्रणाली प्रचालन में आ जाएगी।
- एनएमडीसी को आईसीटी तथा डिजिटल रूपांतरण सेवाएँ प्रदान करने के लिए दिनांक 10.10.2022 को मैसर्स रेलटेल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किसी भी डिजिटल प्रयास के लिए सुदृढ़ आईटी अवसंरचना एक प्रमुख आवश्यकता और पूर्वापेक्षा है। नई प्रौद्योगिकी लाने से न केवल प्रदर्शन में सुधार होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुविधाओं के साथ सक्रिय केंद्रीयकृत प्रबंधन की सुविधा मिलेगी बल्कि इससे हमारे आईटी सुरक्षा परिदृश्य का भी विस्तार होगा।
- जून–2022 में ई–इनवॉयसिंग और जीएसटी रिपोर्टिंग के लिए एसएपी डिजिटल अनुपालन समाधान लागू किया गया था। अनुपालन निगरानी प्रणाली के लिए सतर्कता पोर्टल तैयार किया जा रहा है।
- पूर्व में बचेली में कार्यान्वित की गई रिवार्ड पॉइंट्स प्रबंधन प्रणाली को केंद्रीयकृत कर दिया गया है और इसे हैदराबाद में होस्ट किया गया है। एक आईआर स्वीकृति मॉड्यूल भी जोड़ा गया है। इस वर्ष के दौरान किरंदुल और पन्ना में भी इस सॉफ्टवेयर को कार्यान्वित किया गया है।

13.6 मॉयल लिमिटेड

कंपनी ने अपने सभी कार्य क्षेत्रों का प्रभावी कंप्यूटरीकरण सुनिश्चित करने के लिए एक अलग सिस्टम्स विभाग स्थापित किया है। एक पर्याप्त आईटी अवसंरचना सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम विभाग द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- अपने सभी कार्यालयों और खानों/संयंत्रों में कंप्यूटर और आईटी उपकरणों का संस्थापन।
- नागपुर स्थित मुख्यालय और कंपनी की सभी खानों में विंडोज तथा लाइनक्स प्लेटफॉर्म पर ईथरनेट आधारित लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) की व्यवस्था है।
- नियमित आधार पर एप्लिकेशंस, डेटाबेस/सूचना और अन्य संसाधनों को प्रभावी रूप से साझा करने के लिए सभी खानों और मुख्यालय को एमपीएलएस वीपीएन तथा वीपीएन ओवर लीज्ड लाइन के माध्यम से कनेक्ट किया गया है।
- सतत रूप से जानकारी प्राप्त करने, ई–मेल करने और डेटा के अंतरयूनिट अंतरण की सुविधाओं के लिए मुख्यालय के सभी संबंधित कार्मिकों को इंटरनेट लीज्ड लाइन ऑन ओएफसी के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन प्रदान किया गया है। सभी खानों में लीज्ड लाइन इंटरनेट कनेक्शन ऑन ओएफसी प्रदान किया गया है।
- खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए एमएसटीसी के ई–खरीद पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद।
- कंपनी में ईआरपी का कार्यान्वयन। प्रमुख मॉड्यूल्स जैसे एफआईसीओ, एमएम, एसडी, पीपी, पीएम, एचआरएम, एसएपी के अतिरिक्त कंपनी ने फाइल लाइफसाइकल मैनेजमेंट, दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली और कर्मचारी स्वयं सेवा पोर्टल भी कार्यान्वित किए हैं।
- नागपुर स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय में ईआरपी के लिए अत्याधुनिक डेटा सेंटर डिजाइन और कमीशन किया गया है।
- प्रभावी फाइल ट्रैकिंग और कागजी कार्य में कमी लाने के लिए फाइल लाइफ साइकल प्रबंधन (एफएलएम) का उपयोग।

- ग्राहक पोर्टल का कार्यान्वयन, जहाँ ग्राहक कीमतों, किसी स्थान पर उपलब्धता के संबंध में विभिन्न जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- विक्रेता इनवॉयस ट्रैकिंग प्रणाली का कार्यान्वयन, जहाँ विक्रेता अपने इनवॉयस ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं और इसकी स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
- इसमें सभी अभिलेखों की स्कैनिंग/डिजिटाइजेशन किया जाता है और इन्हें इलैक्ट्रोनिक इंडेक्स के साथ संग्रहित किया जाता है। इससे कार्यालय में स्थान खाली हो सकेगा और रिकॉर्ड प्राप्त करने का कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा।
- एमओआईएल ने बोर्ड बैठक में और उप–समिति की बैठकों में एजेंडा टिप्पणियाँ तथा संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन अग्रेषित करके डिजिटाइजेशन शुरू किया है।
- एमओआईएल ने डिजिटाइजेशन प्रयास के तहत निम्नलिखित परियोजनाएँ शुरू की हैं
  - ❖ खान–मजदूर की ट्रैकिंग, भूमिगत खानों के लिए ध्वनि एवं डेटा संचार प्रणाली।
  - ❖ विभिन्न खानों के लिए ईंधन वितरण तथा उपभोग निगरानी प्रणाली।
  - ❖ डोंगरी बजर्ग खान के लिए भारी अर्थ मूविंग मशीनों (एचईएमएम) की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली।
  - ❖ विभिन्न खानों के लिए सीसीटीवी निगरानी प्रणाली के माध्यम से घुसपैठ का पता लगाना।

13.7 मेकॉन लिमिटेड

लागू किए गए डिजिटल प्रयास:

मेकॉन में संगठन के स्तर पर निम्नलिखित डिजिटल प्रयास किए गए हैं:

- रांची में आधुनिक ब्लेड सर्वर्स, एसएएन (संग्रहण एरिया नेटवर्क), एनएएस (नेटवर्क से जुड़ा संग्रहण), यूटीएम (एकीकृत जोखिम प्रबंधन) के साथ केंद्रीयकृत डेटा सेंटर मौजूद है और यह तीन अलग–अलग इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ा होता है।
- व्यवसाय प्रचालनों के लिए आधुनिक कम्प्यूटरों/लैपटॉप/टैबलेट्स का उपयोग किया जाता है। 2डी/3डी डिजाइन तथा विश्लेषण के लिए नए इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर के साथ वर्क स्टेशन तथा बड़े डिस्पले का प्रयोग किया जाता है।
- प्रमुख इंजीनियरिंग तथा साइट कार्यालयों में पूरे कैंपस में नेटवर्किंग।
- प्रमुख इंजीनियरिंग तथा साइट कार्यालयों में व्यवसाय तथा समीक्षा बैठक आयोजित करने के लिए एचडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है।
- कार्मिक, मानव संसाधन विकास, खरीद, कॉर्पोरेट फाइनेंस, विपणन, परियोजना प्रबंधन तथा परियोजना फाइनेंस जैसे विभागों की सभी सेवाओं के निर्बाध एकीकरण के लिए कंपनी में विकसित सॉफ्टवेयर।
- निम्नलिखित सेवाएँ भी ऑनलाइन वेब प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं:
  - ◆ निष्पादन प्रबंधन प्रणाली
  - ◆ ई–स्वास्थ्य अस्पताल प्रबंधन प्रणाली
  - ◆ नगर प्रशासन प्रबंधन प्रणाली

- संपदा प्रबंधन प्रणाली
- हार्ड कॉपी में मौजूद दस्तावेजों और चित्रों का डिजिटाइजेशन

व्यापार में सरलता के लिए किए गए डिजिटल प्रयास

मेकॉन ने व्यापार में सफलता की दिशा में निम्नलिखित प्रयास किए हैं:

- मेकॉन में सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ स्कीम में आवेदन करने के लिए एक नई ऑनलाइन प्रणाली कार्यान्वित की गई है, जो अब मेकॉन पूर्व–कर्मचारी पोर्टल का हिस्सा है। इस पोर्टल का उपयोग अलग हो चुके कर्मचारियों द्वारा इस स्कीम में सदस्यता के लिए नए सिरे से आवेदन करने या नवीकरण का आवेदन करने के लिए किया जाता है। इन आवेदनों को प्रणाली का प्रयोग करते हुए प्रक्रियान्वित किया जाता है। अलग हो चुके कर्मचारी इस पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं।
- मेकॉन द्वारा एक नई ऑनलाइन भुगतान गेटवे प्रणाली कार्यान्वित की गई है जो प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान के डिजिटल माध्यम का एक आसान तरीका प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करेगी कि भुगतान समय पर प्राप्त हो और प्राप्तकर्ता तथा मेकॉन के बीच पारदर्शिता बनी रहे। विक्रेता के पंजीकरण, भर्ती, निविदा शुल्क आदि से संबंधित भुगतान गेटवे के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ऑनलाइन भुगतान गेटवे से लेन–देन को सुरक्षित रखने, ग्राहक आधार बढ़ाने, लेन–देन के शीघ्र प्रक्रियान्वयन में सुविधा होती है और किसी भी समय भुगतान करने की सुविधा मिलती है।
- मेकॉन द्वारा आपूर्तिकर्ताओं तथा संविदाकारों के बिल ट्रैक करने के लिए विक्रेता बिल ट्रैकिंग प्रणाली कार्यान्वित की गई है। विक्रेता मेकॉन की कॉर्पोरेट वेबसाइट पर ईमेल द्वारा भेजी गई रसीद के नंबर का उपयोग करके बिल को ट्रैक कर सकते हैं। कटौती सहित विस्तृत भुगतान जानकारी आपूर्तिकर्ताओं और संविदाकारों को उपलब्ध होती है। इसके माध्यम से अनुमोदन प्रवाह को सुचारु बनाया जाता है और त्रुटियों में कमी लाई जाती है। बिल की यात्रा दर्शाने के लिए एक नया प्रावधान शुरू किया गया है। इससे समय पर भुगतान सुनिश्चित होता है जिससे संबंध स्थापित करने में सहायता मिलती है और पारदर्शिता आती है।
- निरीक्षण कॉल प्रबंधन विक्रेता पोर्टल कहीं से भी निरीक्षण तथा छूट की कॉल्स उठाने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। पिछले एक वर्ष में विक्रेता द्वारा प्रणाली में दस्तावेज अपलोड किए जाने के माध्यम से हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने पर निर्भरता को दूर किया गया है। वर्तमान में निरीक्षण कॉल प्रबंधन की प्रक्रिया कागजरहित है। हार्ड कॉपी की बाध्यता दूर होने से अब दस्तावेज अधिक व्यवस्थित हैं और पणधारियों द्वारा इन्हें आसानी से फाइल और पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। इससे डेटा सुरक्षा और तीव्र संचार भी सुनिश्चित हुआ है।
- मेकॉन द्वारा विक्रेता पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली प्रदान करने हेतु विक्रेता पंजीकरण पोर्टल शुरू किया गया है जहाँ विभिन्न उद्योगों के विक्रेता तेल एवं गैस और गैर–तेल एवं गैस श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न मदों के लिए स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं वहीं वे अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं और पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

प्रचलित नए डिजिटल प्रयास:

मेकॉन में ईआरपी और डीएमएस के कार्यान्वयन का उद्देश्य ईआरपी उत्पाद द्वारा दी जा रही सर्वश्रेष्ठ उद्योग एवं व्यवसाय पद्धतियों को अपनाना होगा। इस परियोजना में ईआरपी समाधान के साथ सघन एकीकरण के साथ डीएमएस का कार्यान्वयन भी शामिल है। डीएमएस प्रणाली उद्यम स्तर पर दस्तावेजों/चित्रों/फाइलों हेतु कार्यप्रवाह/अभिलेखीय आवश्यकताओं के लिए एक कागजरहित प्लेटफॉर्म प्रदान करेगी।

13.8 एमएसटीसी लिमिटेड

निम्नलिखित डिजिटल प्रयास किए गए हैं: –

- आईएसओ 27001:2013 प्रमाणन प्राप्त है और एसटीक्यूसी, कोलकाता द्वारा इसकी वार्षिक निगरानी लेखापरीक्षा की जा रही है।

- एमएसटीसी ने 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी, ईएलवी पोर्टल, ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के बेहतर प्रबंधन के लिए बैंक के साथ एपीआई एकीकरण, कर्नाटक वन विभाग और उत्तर प्रदेश खान विभाग के साथ नीलामी संबंधी डेटा के आदान–प्रदान आदि के लिए एपीआई एकीकरण जैसी विभिन्न अनुकूलित परियोजनाएँ कंपनी में विकसित की हैं और कार्यान्वित की हैं।

- एमएसटीसी ने डैशबोर्ड, परियोजना ट्रैकिंग प्रणाली, एयर टिकट प्रबंधन प्रणाली, ई–ऑफिस आदि के लिए कंपनी में ही एप्लिकेशंस विकसित तथा कार्यान्वित की हैं और आईएसटीएमएस, पीएनए, बिल ट्रैकिंग, ऑनलाइन वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट आदि जैसे अन्य एप्लिकेशंस में सुधार किया है।

- ई–खरीद पोर्टल के उन्नत संस्करण के लिए एसटीक्यूसी प्रमाणन प्राप्त कर लिया गया है।

13.9 केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल में सभी संयंत्रों तथा कार्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। कुछ एप्लिकेशंस कंपनी में ही विकसित किए गए हैं और कुछ बाहरी विक्रेताओं के माध्यम से विकसित किए गए हैं जैसे वित्त एवं लेखांकन, ऑनलाइन स्वयं–सेवा एप्लिकेशन जैसे वेतन पर्ची, अवकाश प्रबंधन, वार्षिक संपत्ति विवरणी आदि, सूची प्रणाली, खरीद विभाग के लिए आईएमआईएस एप्लिकेशन, निर्णय समर्थन प्रणाली, प्रशिक्षण सूचना पोर्टल, ऑनलाइन एसीआर प्रणाली, कर्मचारियों के मास्टर डेटाबेस के लिए एचआरएमआईएस प्रणाली।

एक एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापित करने के लिए अन्य मॉड्यूल्स/कार्यों के साथ–साथ वित्त (एफआईसीओ), एचआर (एचसीएम), सामग्री (एमएम), योजना अनुरक्षण (पीएम), उत्पादन, आयोजना एवं गुणवत्ता (पीपी तथा क्यूएम) और परियोजना प्रणालियाँ (पीएस) जैसे प्रमुख मॉड्यूल्स के लिए क्लाउड पर ईआरपी एसएपी 4 एचएएनए होस्टिंग का कार्यान्वयन जारी है। वर्तमान में सभी मॉड्यूल्स के लिए यूएटी जारी है।

कंपनी की वेबसाइट को दुरुस्त करना: मौजूदा वेबसाइट को दुरुस्त करने का कार्य पूरा कर लिया गया है। वेबसाइट द्विभाषी है और इसका मुख पृष्ठ हिन्दी में है।

अध्याय-14

सुरक्षा

14.1 पृष्ठभूमि

लौह एवं इस्पात उद्योग में जटिल प्रक्रियाओं और बड़े पैमाने पर प्रचालनों का एक मिश्रण होता है, जो जोखिमपूर्ण प्रकृति के होते हैं। उद्योग के कार्य वातावरण में संभावित जोखिम अंतर्निहित हैं और यहाँ के कर्मचारियों को इन जोखिमों का सामना करना पड़ता है। लौह तथा इस्पात उद्योग को चोटों तथा दुर्घटनाओं को रोकने और अपने कार्मिकों को एक स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करने की जरूरत है।

14.2 इस्पात मंत्रालय के प्रयास

- लौह तथा इस्पात उद्योग के कार्य वातावरण को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए इस्पात मंत्रालय ने लौह तथा इस्पात निर्माण उद्योग में मौजूद जोखिमों की पहचान करने और दुर्घटनाओं से बचने हेतु अपनाए जाने के लिए जरूरी उपायों का पता लगाने हेतु हितधारकों के साथ विस्तार से बातचीत की है।

- इस्पात उद्योग तथा इसके संबद्ध संगठनों के हितधारकों एवं प्रतिष्ठित शिक्षाविदों के साथ विचार–विर्मश और इस उद्देश्य से गठित कार्य समूह के प्रयासों के परिणामस्वरूप लौह तथा इस्पात क्षेत्र के लिए 25 साझा न्यूनतम सुरक्षा दिशानिर्देशों का एक सेट बनाया गया।

- ये सुरक्षा दिशानिर्देश वैश्विक मानकों के समान हैं। ये लौह तथा इस्पात उद्योग में सुरक्षा की पद्धति के आईएलओ कोड की आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं। विश्व इस्पात संघ के "सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सिद्धान्त एवं परिभाषाएँ" से संबंधित दिशानिर्देश दस्तावेज से भी इनपुट्स लिए गए हैं।

- ये दिशानिर्देश माननीय इस्पात मंत्री द्वारा 17 फरवरी 2020 को एक पुस्तक अर्थात "लौह एवं इस्पात सेक्टर के लिए सुरक्षा दिशानिर्देश" के रूप में जारी किए गए और इस्पात मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किए गए।

- भारतीय इस्पात उद्योग और इसके संबद्ध संगठनों के हितधारकों से पूरी निष्ठा के साथ इन दिशानिर्देशों को अपनाने का अनुरोध किया गया है ताकि कार्मिकों के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से लौह एवं इस्पात उद्योग द्वारा सुरक्षा दिशानिर्देशों को अनिवार्य रूप से अपनाने को सुविधाजनक बनाने का अनुरोध किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सूचित किया है कि यह व्यवसाय सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्य स्थितियाँ (ओएसएच तथा डब्ल्यूसी) कोड 2020 के अनुच्छेद 18 के तहत मानक तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के साथ विचार–विमर्श कर रहा है।

14.3 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

सेल प्रबंधन अपने सभी कर्मचारियों, संविदाकारों और अपने संयंत्रों, खानों तथा इकाइयों के आस–पास रह रहे लोगों सहित अपने प्रचालनों से संबंधित सभी हितधारकों/व्यक्तियों को सुरक्षित तथा स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और अन्य व्यवसाय कार्यों के बीच इस महत्वपूर्ण मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।

14.3.1 प्रबंधन की प्रतिबद्धता

सेल की एक व्यापक सुरक्षा नीति है जो हमारे सबसे मूल्यवान संसाधनों अर्थात मानव संसाधन एवं मशीनों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे के प्रति प्रबंधन की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

हर स्तर पर सुरक्षा मुद्दों की निगरानी के लिए कंपनी में सुरक्षा कार्यों के विभिन्न स्तर निम्नानुसार हैं:

बोर्ड स्तर: अनुपालनों, निष्पादन की समीक्षा एवं निगरानी, दिशानिर्देश जारी करने तथा बोर्ड को इसकी जानकारी देने हेतु स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण संबंधी बोर्ड की उप–समिति (बीएससी ऑन एचएससी)।

कॉरपोरेट स्तर: निदेशक (तकनीकी, परियोजना एवं कच्चा माल), सेल के अंतर्गत सेल सुरक्षा संगठन (एसएसओ) का कार्य संयंत्रों/इकाइयों के सुरक्षा संबंधी कार्यकलापों का समन्वय, निगरानी इन्हें सुविधाजनक बनाना तथा दिशानिर्देश बनाना है।

संयंत्र स्तर: निदेशक प्रभारियों/इकाइयों के प्रमुखों के अंतर्गत सुरक्षा एवं विभागीय प्रमुखों के माध्यम से कार्यनीतियाँ बनाता है/सुरक्षा उपायों, सांविधिक आवश्यकताओं के कार्यान्वयन में सहयोग करता है।

14.3.2 सुरक्षा उपाय और नए प्रयास

संयंत्रों द्वारा दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने की दृष्टि से सुरक्षा प्रबंधन के संबंध में एक प्रणालीबद्ध दृष्टिकोण और संविदा कार्मिकों सहित सभी स्तर के कर्मचारियों के बीच सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने पर जोर देने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इनमें सुरक्षा जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, सुरक्षा मानक/दिशानिर्देश/प्रक्रियाएँ तैयार करना; सुरक्षा निरीक्षण तथा बाह्य लेखापरीक्षा सहित लेखापरीक्षाएँ आयोजित करना; कार्मिक सुरक्षात्मक उपकरण (पीपीई) तथा सुरक्षा उपकरणों के उपयोग को लागू करना, दुर्घटना की जाँच तथा विश्लेषण आदि शामिल हैं।

नए प्रयास: कुछ नए सुरक्षा प्रयास हैं– भिलाई, बोकारो, राउरकेला और इस्को (आईआईएससीओ) इस्पात संयंत्र में सुरक्षा संस्कृति में सुधार लाने हेतु प्रतिष्ठित सुरक्षा प्रबंधन परामर्शदाताओं की नियुक्ति; पुरस्कार योजनाऐं शुरू करना जैसे 'एकीकृत इस्पात संयंत्रों के लिए सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार (आई–एसईए)' और 'नियर मिस रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वोच्च सुरक्षा पुरस्कार', संयंत्रों तथा इकाइयों के साथ चिंताजनक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 'सुरक्षा मंथन' की शुरुआत; विभाग प्रमुखों तथा फ्रंट लाइन कार्यपालक अधिकारियों के लिए संवाद मॉड्यूल 'संपर्क' की शुरुआत; एमटीआई में प्रत्येक प्रशिक्षण के प्रारंभ में सुरक्षा कैप्सूल 'स्पर्श'; बाह्य विशेषज्ञ नियुक्त करते हुए विषय आधारित गैस सुरक्षा लेखापरीक्षा; इस्पात मंत्रालय द्वारा प्रक्रिया सुरक्षा दिशानिर्देश तैयार करना; सुरक्षा चेतावनी संदेशों (एसएएम) और अच्छी सुरक्षा पद्धतियों (जी–एसएपीएस) का प्रसार, सेल संयंत्रों और देश के प्रतिष्ठित इस्पात उत्पादकों की भागीदारी के साथ सुरक्षा संबंधी चिंताओं के क्षेत्र में एलईओ (एक–दूसरे

से सीखना) कार्यशालाएँ आयोजित करना और डीजीएफएएसएलआई (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत फैक्ट्री सलाह सेवा एवं श्रम महानिदेशक संस्थानों) के विशेषज्ञों के साथ संयंत्र के कार्मिकों के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर वेबिनार आयोजित करना, ओएचएसएएस–18001:2007 से आईएसओ 45001:2018 में जाना, जो व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन के लिए एक नया अंतर्राष्ट्रीय मानक है।

14.4 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

प्रबंधन की प्रतिबद्धता

आरआईएनएल ने एक एकीकृत नीति अपनाई है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के अनुसार सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति शामिल हैं। आरआईएनएल का प्रबंधन एक ऐसा वातावरण तैयार करने का प्रयास करता है जिसमें कर्मचारियों को कर्मचारियों तथा कार्मिकों की सुरक्षा एवं कल्याण के कार्यों में भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहन मिले। शून्य दुर्घटना के लक्ष्य को प्राप्त करने और कंपनी में सुरक्षा संस्कृति में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। निदेशकों के साथ सीएमडी मासिक समीक्षा बैठकें करते हैं। सुरक्षा मानदंडों के कार्यान्वयन, जोखिम नियंत्रण उपायों की निगरानी और अन्य सक्रिय उपायों के संबंध में सतत् प्रयासों से संभावित जोखिमों में कमी आई है।

आरआईएनएल में सुरक्षा व्यवस्था

आईएसओ 45001:2018 प्रणाली निवारक सुरक्षा प्रबंधन पद्धतियाँ सुनिश्चित करती है। मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों और प्रबंधन के प्रतिनिधियों की समान भागीदारी के साथ एक केंद्रीय सुरक्षा समिति और 31 विभागीय सुरक्षा समितियां मौजूद हैं।

सुरक्षा प्रयास:

- शॉप फ्लोर पर कार्मिकों को क्रेन की आवाजाही के बारे में अलर्ट करने के लिए क्रेन पर घूमने वाली लेजर चेतावनी लाइट के साथ डिजिटल बैरिकेडिंग प्रदान की गई है।
- सुरक्षा सामग्री की निगरानी करने के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल "सेफ्टी बेल्ट निगरानी प्रणाली" विकसित की गई।
- आंध्र प्रदेश सरकार के फैक्टरीज विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में संयंत्र स्तरीय मॉक ड्रिल की गई।
- स्पीड गन का प्रयोग करते हुए औचक जाँच की गई और उल्लंघनकर्ताओं की काउंसलिंग की गई।

14.5 एनएमडीसी लिमिटेड

प्रत्येक प्रचालित खान में सुरक्षा समितियाँ गठित की गई हैं और कार्य वातावरण के संबंध में सुरक्षा उपायों तथा सुधारात्मक कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए प्रति माह सुरक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

सभी परियोजनाओं में खान स्तरीय त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति बैठकें आयोजित की जा रही हैं। ये बैठकें वर्ष में एक बार परियोजना स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों, यूनियन के प्रतिनिधियों और डीजीएमएस के अधिकारियों के साथ आयोजित की जाती हैं जिनमें सुरक्षा निष्पादन तथा इसका मूल्यांकन किया जाता है और सिफारिशें कार्यान्वित की जाती हैं। कॉरपोरेट स्तरीय त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति बैठकें मुख्यालय में नियमित रूप से वर्ष में एक बार आयोजित की जाती हैं।

सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली: सभी खानों में सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वित की गई है और सभी खानों में नियमित रूप से जोखिम आकलन अध्ययन किए जा रहे हैं। परियोजनाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा टीम द्वारा परियोजनाओं की आंतरिक सुरक्षा लेखापरीक्षा की जा रही हैं और इस संबंध में टिप्पणियाँ अनुपालन के लिए परियोजनाओं को प्रस्तुत की जाती हैं तथा आंतरिक सुरक्षा संगठन द्वारा इनकी निगरानी की जा रही है।

एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन (आईएमएस): एनएमडीसी के सभी परियोजनाओं जैसे बीआईओएम, किरंदुल कॉम्प्लेक्स; बीआईओएम, बचेली कॉम्प्लेक्स; दोणिमलै लौह अयस्क खान और कुमारस्वामी लौह अयस्क खान को (क्यूएमएस) आईएसओ 9001:2015; (ईएमएस) आईएसओ 14001:2015; (ओएचएसएमएस) आईएसओ 45001:2018 और एसए 8000:2014 मानकों के साथ एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन से प्रमाणित किया गया है।

14.6 मॉयल लिमिटेड

मॉयल खानों तथा संयंत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर देता है। यह नवीनतम खनन तकनीकों के प्रयोग और खनन प्रचालनों के मशीनीकरण के माध्यम से सुरक्षा उपकरणों के मानकों में निरंतर सुधार करते हुए दुर्घटनाओं में कमी लाने का भी सतत प्रयास करता है। खानों में सुरक्षा मानकों में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

- कार्मिकों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए उनका प्रशिक्षण तथा पुनः प्रशिक्षण।
- यथासंभव दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सभी स्तर के कर्मचारियों के साथ बात–चीत। खानों, संयंत्रों आदि में प्रत्येक प्रचालन के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएँ (एसओपीएस) बनाई गई हैं और खानों तथा संयंत्रों में उनके सुरक्षित ढंग से कार्य करने हेतु उनके संबंधित कार्यों के लिए उन्हें प्रदान की गई हैं।
- व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं प्रबंधन प्रणाली के क्षेत्र में मॉयल को व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों (ओएचएसएएस) के लिए आईएसओ 45001:2018, पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) के लिए आईएसओ 14001:2015, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) के लिए आईएसओ 9001:2015, सामाजिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रमाण–पत्र के लिए एसए 8000 तथा बालाघाट, भंडारा और नागपुर जिले में खानों हेतु स्थायित्व रिपोर्ट के लिए जीआरआई मानकों के अनुसार प्रमाणन प्राप्त हुआ है।
- सभी भूमिगत/ओपनकास्ट खानों के लिए जोखिम प्रबंधन अध्ययन किए जाते हैं और खान की आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन समिति तथा बाह्य विशेषज्ञों द्वारा सुरक्षा प्रबंधन योजना की समीक्षा की जाती है।
- खानों, संयंत्रों, विद्यालयों, अस्पतालों और प्रशासनिक कार्यालयों के लिए एक आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना।

14.7 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन ने सुरक्षा नीति विवरण तैयार किया है जिसे उन्मुखीकरण प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों को नियमित रूप से संप्रेषित किया जाता है। सुरक्षा नीति कथन की कुछ विशेष बातों को कंपनी के आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमों में शामिल किया गया है ताकि सुरक्षा नियमों का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। मेकॉन में कोई रिपोर्ट करने योग्य दुर्घटना नहीं हुई है। मेकॉन में आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए एक पूर्णतया प्रलेखित आपदा प्रबंधन योजना भी है।

14.8 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी एक व्यापार संगठन है और इसका कोई संयंत्र/विनिर्माण इकाई नहीं है। तथापि एमएसटीसी के सभी कार्यालयों में मुख्यालय में कार्यालय समय के दौरान एक डॉक्टर की उपस्थिति सहित आग लगने, प्राकृतिक आपदा, नियंत्रण कक्ष आदि के संबंध में सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाते हैं।

14.9 केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल के सभी संयंत्रों में अच्छे ढंग से तैयार की गई व्यापक सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली है। केआईओसीएल पेलेट संयंत्र तथा ब्लास्ट फर्नेस इकाइयाँ फैक्टरी अधिनियम के अंतर्गत आती हैं और फैक्टरी अधिनियम 1948 एवं इसके उत्तरवर्ती संशोधनों में दिए गए नियमों व विनियमों के अनुसार सभी सुरक्षा मानदंडों, मानकों का अनुपालन किया जाता है।

फैक्टरीज निदेशक द्वारा अनुमोदित ऑनसाइट आपातकाल योजना पेलेट संयंत्र और ब्लास्ट फर्नेस इकाई दोनों में लागू है।

केआईओसीएल मानक संचालन प्रक्रियाओं का अनुसरण कर रहा है और संयंत्र के प्रत्येक विभाग में अपनी स्वयं की मानक संचालन प्रक्रियाएँ हैं जिनका अनुसरण किया जा रहा है। पेलेट संयंत्र में उत्पादन प्रक्रिया में शामिल विभागों के आधार पर संबंधित कार्मिकों द्वारा इन सुरक्षा पद्धतियों का पूरी सावधानी के साथ अनुसरण करने के लिए सुरक्षा विभाग की ओर से पेलेट संयंत्र में "सुरक्षा पद्धतियों के कोड" पर एक बुकलेट तैयार की गई है। हमारे पेलेट संयंत्र में प्रयोग किए जा रहे उपकरणों से संबंधित सुरक्षा पहलुओं पर अधिक जोर दिया गया है।

कंपनी ने क्षेत्रवार सुरक्षा समितियाँ गठित की हैं। केआईओसीएल की पीपीयू तथा बीएफयू इकाइयों में इन सुरक्षा समितियों में कार्मिकों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

पेलेट संयंत्र और ब्लास्ट फर्नेस इकाई में किसी बड़ी दुर्घटना के लिए आपात स्थिति की तैयारी की जाँच करने हेतु सुरक्षा लेखा परीक्षा तथा ऑनसाइट आपातकाल मॉक ड्रिल की जाती हैं। सुरक्षा अधिकारी/स्टाफ और संबंधित विभाग के इंजीनियरों तथा सुरक्षा समिति के सदस्यों द्वारा नियमित रूप से सप्ताह में एक बार और दो महीने में एक बार सुरक्षा निरीक्षण किए जाते हैं। निरीक्षण के दौरान की गई टिप्पणियाँ नोट की जाती हैं और अनुपालन के लिए संबंधित विभाग प्रमुखों को भेजी जाती हैं। संविदा श्रमिकों सहित सभी कर्मचारियों को कार्य स्थल पर जोखिम से बचाने के लिए उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे सुरक्षा हेलमेट, जूते, रेस्पिरेटर, रेन कोट, दस्ताने, सुरक्षा चश्मे, फेस शील्ड, एप्रन, ईयर प्लग/मफ खरीदे जाते हैं और उन्हें जारी किए जाते हैं।

सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और मानव संसाधन विकसित करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मानक संचालन प्रक्रियाओं तथा रखरखाव कार्यकलापों, प्राथमिक उपचार, अग्निशमन प्रशिक्षण के संबंध में पुनश्चर्या प्रशिक्षण और पर्यावरण, व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सतर्कता सतत् विकास, उत्पादकता के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

अध्याय-15

समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण

15.1 परिचय

इस्पात मंत्रालय समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के संबंध में सरकार के दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है। 31 दिसंबर, 2022 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय में 246 कार्मिकों की स्वीकृत संख्या में से 182 कार्मिकों की कुल जनशक्ति में से 42 अनुसूचित जाति (23.08%), 7 अनुसूचित जनजाति (3.85%), 45 अन्य पिछड़ा वर्ग (24.73%) और 1 कार्मिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग (0.55%) से है। केंद्रीय सचिवालय सेवाओं (सीएसएस), केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवाओं (सीएससीएस) और केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) से संबंधित पद कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा भरे जाते हैं और भारतीय उद्यम विकास सेवा (आईईडीएस) से संबंधित पद सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा भरे जाते हैं।

15.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

सेल भर्ती तथा पदोन्नतियों के मामले में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के संबंध में सरकार के निर्देशों का अनुसरण करता है। दिनांक 01.01.2023 की स्थिति के अनुसार 60039 कार्मिकों की कुल जनशक्ति में से 10,126 अनुसूचित जाति (16.9%), 9,540 अनुसूचित जनजाति (15.9%) और 9,645 अन्य पिछड़ा वर्ग (16.1%) से हैं। दिनांक 01.01.2023 की स्थिति के अनुसार 60,039 कार्मिकों में से 73 कार्मिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग से हैं अर्थात लगभग 0.12%। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण दिनांक 08.09.1993 से लागू हुआ और अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन कार्मिकों ने इस दिनांक से पूर्व कार्यभार ग्रहण किया था उन्हें अनारक्षित श्रेणी में दर्शाया गया है।

खानों सहित सेल के संयंत्र और इकाइयाँ देश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य आर्थिक पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हैं। इसलिए सेल ने इन क्षेत्रों में नागरिक, चिकित्सा, शिक्षा तथा अन्य सुविधाओं के समग्र विकास की दिशा में कार्य किया है। सेल के कुछ योगदान निम्नानुसार हैं:

- गैर–कार्यपालक कर्मचारियों की भर्ती, जो कुल कर्मचारियों का लगभग 83% है, संयंत्र/इकाई स्तर पर की जाती है और सामान्यतः इसमें क्षेत्र के स्थानीय आवेदक आते हैं और इस प्रकार बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के व्यक्ति सेल में रोजगार के माध्यम से लाभान्वित होते हैं।
- पिछले कुछ वर्षों में इस्पात संयंत्रों के आस–पास बड़ी संख्या में सहायक उद्योग भी खड़े हो गए हैं। इससे स्थानीय बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार तथा उद्यमिता विकसित करने के अवसर मिले हैं।
- अस्थायी तथा अल्पकालीन प्रकृति के कार्यों के लिए सामान्यतः ठेकेदार स्थानीय क्षेत्रों से कार्मिकों को काम पर रखते हैं जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्थानीय आवेदकों को रोजगार के अवसर मिलते हैं।
- सेल द्वारा विकसित स्टील टाउनशिप्स में बेहतरीन चिकित्सा, शिक्षा तथा नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हैं और इनका लाभ बिना किसी भेदभाव के सभी को दिया जा रहा है।

- सेल ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए विभिन्न प्रयास किए हैं जो प्रमुख रूप से निम्नानुसार हैं:
- पाँच एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थलों पर विशेष रूप से गरीब एवं वंचित बच्चों के लिए विद्यालय खोले गए हैं। इन विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा, मध्याह्न भोजन, यूनिफॉर्म (जूतों सहित), पाठ्य पुस्तकों, स्टेशनरी के सामान, स्कूल बैग, पानी की बोतलों तथा कुछ मामलों में परिवहन की सुविधा दी जा रही है।
- कंपनी द्वारा संचालित विद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों (सेल कर्मचारियों के बच्चे या गैर–कर्मचारी के बच्चे) से ट्यूशन फीस नहीं ली जाती।
- भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, बर्नपुर (गुटगुटपारा) में गरीबों के लिए निःशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं जहाँ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों की बहुलता वाले आस–पास के क्षेत्रों के लोगों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श, दवाइयाँ आदि प्रदान की जाती हैं।
- सेल के संयंत्रों ने जनजातीय बच्चों को गोद लिया है। उन्हें आवासीय छात्रावासों जैसे सुरंदा सुवन छात्रावास किरीबुरु, ज्ञानोदय हॉस्टल, भिलाई और झारखंड की लगभग विलुप्त जनजाति बिरहोर के लिए विशेष ज्ञान ज्योति योजना के तहत उनके समग्र विकास के लिए निःशुल्क शिक्षा, यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी, भोजन, आवास, और चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।
- कौशल विकास और बेहतर रोजगार योग्यता के लिए आस–पास के गाँवों के युवाओं और महिलाओं को नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, एलएमवी ड्राइविंग, कम्प्यूटर्स, मोबाइल रिपेयरिंग, वेल्डर, फिटर तथा इलैक्ट्रीशियन प्रशिक्षण, बेहतर खेती, मशरूम की खेती, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, सूअर पालन, आचार/पापड/अगरबत्ती/मोमबत्ती बनाने, स्क्रीन प्रिंटिंग, हस्तशिल्प, रेशम के कीड़ों के पालन, सूट की बुनाई, टेलरिंग, बुनाई एवं कढ़ाई, दस्ताने, मसाले, तौलिये, टाट के बोरे, कम लागत वाले सेनीटरी नैपकिन, मिठाई के डिब्बे, साबुन, धुआँरहित चूल्हा बनाने के क्षेत्र में विभिन्न आईटीआई, नर्सिंग तथा अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक तथा विशेषीकृत कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- सेल के संयंत्रों/इकाइयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों/दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण के संबंध में आदेशों तथा निर्देशों के उचित अनुपालन के लिए सरकार के निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
- संपर्क अधिकारी उन्हें रिपोर्ट करने वाले अधीनस्थ कार्मिकों के साथ मिल कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों के हितों का ध्यान रखते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के कार्यों का संचालन किया जाता है। सभी डीपीसी/चयन समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के एक सदस्य को शामिल किया जाता है। भर्ती बोर्ड/चयन समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित किया जाता है।
- सेल के संयंत्रों/इकाइयों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के संपर्क अधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण नीति तथा अन्य संबंधित मामलों के संदर्भ में अपडेट रखने के लिए एक आंतरिक/बाह्य विशेषज्ञ के माध्यम से उनके लिए आंतरिक कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं।
- सेल के संयंत्रों/इकाइयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ हैं जो आरक्षण नीति के कार्यान्वयन तथा अन्य मुद्दों के संबंध में समन्वय अधिकारी के साथ नियमित बैठकें करती हैं। इसके अतिरिक्त सेल में समन्वित तरीके से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के मुद्दों को रखने के लिए सेल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी महासंघ नामक एक सर्वोच्च व्यापक निकाय भी है।

15.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार आरआईएनएल की कुल जनशक्ति 14935 है जिसमें 2348 कार्मिक अनुसूचित जाति (15.72%), 1134 कार्मिक अनुसूचित जनजाति (7.59%), 3042 कार्मिक अन्य पिछड़ा वर्ग (20.37%) और 60 कार्मिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग (0.4%) से हैं।

"अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में डॉ. बी. आर. अंबेडकर मेरिट प्रोत्साहन योजना के तहत अनुदान" – आरआईएनएल के अनुदान केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के कर्मचारियों के बच्चों के लिए हैं। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारियों के उन बच्चों को पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के दौरान 1500/– रुपए प्रति माह का पुरस्कार दिया जाता है जो 12वीं या इंटरमिडीएट परीक्षा पास करते हैं और इंजीनियरिंग/वास्तुकला/चिकित्सा/पशु चिकित्सा/दंत चिकित्सा/कृषि विज्ञान/फार्मेसी/कानून के विषय में डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाना चाहते हैं। अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के बच्चों को ऐसे कुल 8 पुरस्कार और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के बच्चों को ऐसे कुल 4 पुरस्कार दिए जाते हैं।

15.4 एनएमडीसी लिमिटेड

दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार एनएमडीसी में कर्मचारियों की कुल संख्या 5667 थी जिनमें से 842 कार्मिक अनुसूचित जाति (14.85%), 1449 कार्मिक अनुसूचित जनजाति (25.56%), 1191 कार्मिक अन्य पिछड़ा वर्ग (21.01%) और 44 कार्मिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग (0.78%) से हैं। नीतिगत रूप से वर्ष में भरी नहीं जा सकी रिक्ति/बैकलॉग को सतत आधार पर अगले वर्ष भरने के प्रयास किए जाते हैं और कंपनी अब तक आरक्षित रिक्तियों को भरने में सफल रही है। कॉरपोरेट कार्यालय और सभी परियोजनाओं में राष्ट्रपति महोदय के निर्देशों के अनुसार संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। चयन के लिए सभी साक्षात्कारों/डीपीसी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एक सदस्य को शामिल किया जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के संपर्क अधिकारियों, विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत संबंधित अधिकारियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण नीति और अन्य संबंधित मामलों के बारे में अद्यतन रखने हेतु उनके लिए नियमित कार्यशालाएँ आयोजित की जा रही हैं। इकाइयों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण संघों और कॉरपोरेट स्तर पर उनके सर्वोच्च निकाय के साथ नियमित बैठकें की जाती हैं।

15.5 मॉयल लिमिटेड

दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या 5666 (4858 पुरुष, 808 महिलाएँ) है जिनमें से 1114 कार्मिक अनुसूचित जाति (19.66%), 1437 कार्मिक अनुसूचित जनजाति (25.36%), 2092 कार्मिक अन्य पिछड़ा वर्ग (36.92%) और 283 कार्मिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग (5%) से हैं।

कल्याणकारी गतिविधियाँ

मॉयल द्वारा अपने कर्मचारियों और दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित खानों के आस–पास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लाभार्थ कुछ कल्याणकारी योजनाऐं कार्यान्वित की जा रही हैं। ऐसी योजनाओं की उल्लेखनीय विशिष्टताएँ निम्नानुसार हैं: –

- आवासीय घरों का निर्माण किया गया है और अधिकतर कर्मचारियों को आवंटित किए गए हैं।
- खदान कॉलोनियों में रहने वाले कर्मचारियों को पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है।
- रियायती दरों पर बिजली का प्रावधान किया गया है।
- अस्पताल/स्वास्थ्य सेवा केंद्रों का प्रावधान।
- कमजोर वर्गों के कार्मिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए प्राथमिक विद्यालय में सहयोग किया जाता है। सभी खानों में स्कूल बसों की सुविधा दी जाती है ताकि बच्चों को आस–पास के क्षेत्रों के हाई स्कूल/कॉलेज पहुंचाया जा सके।
- खान क्षेत्रों के आस–पास स्थित स्कूल को वित्तीय सहायता, स्टेशनरी, किताबें आदि प्रदान की जाती हैं।
- स्वरोजगार योजना के लिए प्रशिक्षण कक्षाओं का आयोजन किया जाता है।
- जनजातीय महिलाओं के विकास तथा उत्थान के लिए अन्य कल्याणकारी उपाय जैसे सिलाई कक्षाओं, वयस्क साक्षारता कक्षाओं, एड्स जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन, पोस्टर, नोटिस तथा बैनर लगा कर ऐसे अन्य कार्यक्रमों का प्रचार करना, कुष्ठ रोग जागरूकता कार्यक्रम आदि।

15.6 मेकॉन लिमिटेड

दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार कंपनी की जनशक्ति के कुल 1083 कार्मिकों में से 234 कार्मिक अनुसूचित जाति (21.6%), 106 कार्मिक अनुसूचित जनजाति (9.8%), 144 कार्मिक अन्य पिछड़ा वर्ग (13.3%) और 4 कार्मिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग (0.4%) से हैं।

मेकॉन ने कमजोर वर्गों के हित तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं। कंपनी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों के विकास तथा कल्याण के लिए अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से पूरी तरह अवगत है। श्यामली टाउनशिप में रहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों और उनके परिवारों को वे सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं जो अन्य कार्मिकों को उपलब्ध हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गों की भर्ती तथा पदोन्नति के संदर्भ में भारत सरकार के निर्देशों तथा पद–आधारित रोस्टर के कार्यान्वयन के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ का गठन किया गया है और वरिष्ठ महाप्रबंधक (एचआर) इसके संपर्क अधिकारी हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों की भर्ती तथा पदोन्नति और उनसे संबंधित आंकड़ों का उचित रिकॉर्ड रखा जाता है एवं यह नियमित आधार पर इस्पात मंत्रालय को रिपोर्टें प्रस्तुत करता है। कंपनी ने सरकार के निर्देशों के अनुसार मेकॉन में सभी भर्तियों और अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को शामिल करने के लिए सतत् प्रयास किए हैं। आरक्षित वर्ग के पद को समय–समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार भरने के लिए सभी संभव कदम उठाए जाते हैं।

15.7 एमएसटीसी लिमिटेड

दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या 303 है जिनमें से 46 कार्मिक अनुसूचित जाति (15.18%), 16 कार्मिक अनुसूचित जनजाति (5.28%), 82 कार्मिक अन्य पिछड़ा वर्ग (27.06%) से और 09 दिव्यांग कार्मिक (2.97%) हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, छूट, रियायत आदि के बारे में नीतियों तथा प्रक्रियाओं के संबंध में समय–समय पर सरकार द्वारा जारी निर्देशों का उचित रूप से अनुपालन किया जाता है। कमजोर वर्गों के आरक्षण तथा पदोन्नति से संबंधित निर्देशों का उचित रूप से अनुपालन किया जाता है। वर्ष के दौरान गठित सभी विभागीय पदोन्नति समितियों और चयन समितियों (भर्ती के मामले में) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिनिधि होते हैं।

वर्ष के दौरान दिनांक 31.12.2022 तक कंपनी के 15 अनुसूचित जनजाति, 37 अनुसूचित जाति, 72 अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 8 पीडब्ल्यूडी श्रेणी के कर्मचारियों को घरेलू तथा संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त एमएसटीसी की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी परिषद को हर संभव सहयोग तथा सहायता दी जाती है, जिसका प्रमुख कार्य कंपनी के आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना है।

15.8 केआईओसीएल लिमिटेड

दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार केआईओसीएल में कर्मचारियों की कुल संख्या 652 है जिनमें से 100 कार्मिक अनुसूचित जाति (15.34%), 45 कार्मिक अनुसूचित जनजाति (6.90%), 94 कार्मिक अन्य पिछड़ा वर्ग (14.42%) से और 2 कार्मिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग (0.31%) से हैं।

कंपनी ने मंगलुरु में एक आधुनिक टाउनशिप, अस्पताल, मनोरंजन सुविधाएँ स्थापित करते हुए संपूर्ण सुविधाएँ स्थापित की हैं। टाइप "ए" तथा "बी" के क्वार्टर्स में 10% और टाइप "सी" तथा "डी" क्वार्टर्स में 5% क्वार्टर्स अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए आरक्षित हैं।

दिसंबर 2022 तक समूह 'क','ख','ग','घ' और घ (एस) में कुल मिला कर 140 कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया जिनमें से 17 कर्मचारी अनुसूचित जाति और 09 कर्मचारी अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं।

कुद्रेमुख, मंगलुरु और बेंगलुरु में प्रबंधन तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण संघ के साथ नियमित बातचीत की जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार किया गया और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए उचित कार्रवाई की गई।

अध्याय-16

सतर्कता

16.1 इस्पात मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग की गतिविधियां

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की सलाह पर नियुक्त संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के स्तर पर मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग का नेतृत्व एक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) करता है। सचिव, इस्पात के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत मंत्रालय के सतर्कता ढांचे में एक उप–सचिव, एक अवर सचिव और सहायक कर्मचारियों के साथ सीवीओ नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है। सतर्कता इकाई, अन्य बातों के साथ–साथ, इस्पात मंत्रालय और इसके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सीपीएसई के संबंध में निम्नलिखित गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है:

- सतर्कता शिकायतों की जांच और उचित जांच उपायों की शुरूआत;
- जहां भी आवश्यक हो, बोर्ड स्तर के अधिकारियों से संबंधित पूछताछ/जांच रिपोर्ट केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को मंत्रालय की टिप्पणियां/तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना;
- जहां आवश्यक हो, सीवीसी की प्रथम और द्वितीय चरण की सलाह प्राप्त करना;
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) तथा सीवीसी के परामर्श से सीपीएसई में सीवीओ की नियुक्ति;
- निवारक/प्रणालीगत सुधार उपायों सहित सतर्कता संबंधी मुद्दों के संबंध में इस्पात सीपीएसई के सीवीओ के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई;
- बोर्ड स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति, स्थायीकरण, सेवा विस्तार आदि के संबंध में सतर्कता मंजूरी प्राप्त करना;
- सीवीसी के दिशा–निर्देशों के अनुसार संवेदनशील पदों पर पदाधिकारियों/अधिकारियों का रोटेशन सुनिश्चित करना; और
- सीवीसी/डीओपीटी को आवधिक रिपोर्ट/रिटर्न भेजना;

सभी सीपीएसई में सतर्कता विभागों का नेतृत्व भारत सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा किया जाता है। इस्पात मंत्रालय में सतर्कता विभाग–सीवीओ की पदस्थापना की स्थिति की निगरानी करता है और यह सुनिश्चित करने के लिए डीओपीटी को नियमित रूप से अद्यतित करता है कि सीवीओ के पद रिक्त नहीं है। वर्ष 2022 के दौरान दो नए सीवीओ, एक एनएमडीसी में और दूसरा आरआईएनएल में नियुक्त किए गए।

मंत्रालय ने बैठकों और मासिक जांच सूची, आवधिक रिटर्न और सीवीओ द्वारा भेजे गए बयानों के माध्यम से इस्पात सीपीएसई में सतर्कता गतिविधियों की समीक्षा की। इसके अलावा, मंत्रालय ने मामलों की समीक्षा भी की और जहां भी आवश्यक हुआ, मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए संबंधित सीपीएसई के सीवीओ के साथ विचार–विमर्श किया। सीवीसी आदि से प्राप्त सतर्कता प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर निर्देशों और दिशानिर्देशों वाले परिपत्रों को भी अनुपालन के लिए सभी संबंधितों को उपयुक्त रूप से सूचित किया जाता है।

वर्ष 2022–23 (01.04.2022 से 31.12.2022) के दौरान सतर्कता प्रभाग को विभिन्न स्रोतों से 60 शिकायतें प्राप्त हुईं। प्राप्त 60 शिकायतों में से 41 शिकायतों का उपयुक्त रूप से निपटान कर दिया गया है और शेष 19 शिकायतों/संदर्भों के संबंध में उचित कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके अलावा, 22 मामलों में तथ्यात्मक रिपोर्ट/टिप्पणियां सीवीसी को प्रस्तुत की गईं और आयोग की सलाह को उपयुक्त रूप से लागू किया गया। वर्ष 2021 में सीवीसी की सलाह के अनुसरण अनुरूप, दो इस्पात सीपीएसई के 18 बोर्ड स्तर के अधिकारियों/बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों से जुड़े 2 मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई और वर्ष 2022 में 2 अधिकारियों के संबंध में कार्रवाई पूरी की गई। 01.04.2022 से 31.12.2022 की अवधि के दौरान बोर्ड स्तर के 26 अधिकारियों के संबंध में सतर्कता मंजूरी प्रस्ताव सीवीसी को भेजे गए थे।

मंत्रालय ने 31.10.2022 से 06.11.2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह भी मनाया। इस अवसर पर, इस्पात मंत्रालय के सचिव द्वारा सभी कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई। कार्यालय परिसर में प्रमुख स्थानों पर बैनर/पोस्टर प्रदर्शित करने के अलावा, ''सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और अखंडता'' विषय पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता तथा ''समृद्धि और सभी की आर्थिक भलाई के लिए पूर्व–आवश्यकता'' पर एक निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस्पात मंत्रालय के अधीन सीपीएसई ने भी इस अवधि के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया।

16.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

सेल सतर्कता औचक निरीक्षण, फाइलों की जांच, मौजूदा प्रणाली की निरंतर जांच/समीक्षा के माध्यम से निवारक सतर्कता पर जोर देता है और प्रणाली में सुधार का सुझाव देता है जिससे संगठनात्मक प्रभावशीलता बढ़ती है। अप्रैल 2022–दिसंबर 2022 की अवधि के दौरान सेल सतर्कता द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां की गईं:

सेल सतर्कता द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम : सेल में अपनाई जाने वाली प्रणाली और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सेल के विभिन्न संयंत्रों और इकाइयों में कुल 131 प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रम/कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें 2498 प्रतिभागियों को शामिल किया गया। इन प्रशिक्षणों में 28 समर्पित दो दिवसीय निवारक सतर्कता कार्यक्रम शामिल हैं, जिसमें कुल 471 अधिकारियों को शामिल किया गया है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 : सेल में सतर्कता जागरुकता सप्ताह मनाया गया था। यह सप्ताह सेल के निगम कार्यालय और सेल के सभी अन्य संयंत्रों/इकाइयों में 31 अक्तूबर को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाकर और पदाधिकारियों के संदेश को पढ़कर शुरु हुआ था। सप्ताह के दौरान, कार्यशालाएं/संवेदीकरण कार्यक्रम, ग्राहकों की बैठक, प्रश्नोत्तरी, निबंध, स्लोगन और ड्राइंग/पोस्टर, वाद–विवाद प्रतियोगिता आदि जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। सप्ताह के दौरान की गई गतिविधियों को व्यापक प्रचार के लिए सेल के ट्विटर हैंडल और फेसबुक अकाउंट जैसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान एक निवारक सतर्कता पुस्तिका ''क्या करें और क्या न करें'' भी जारी की गई।

सेल सतर्कता के प्रमुख क्षेत्र:

- उच्च मूल्य सेवा संविदाओं में मजदूरी और अन्य वैधानिक लाभों के भुगतान का सत्यापन।
- परियोजना मामलों में अवरोध पंजिका का रखरखाव/अद्यतन।
- उच्च मूल्य के कच्चे माल की प्राप्ति, नमूनाकरण और परीक्षण।
- पिछले एक साल में बनाए गए यूसीएस कोड के मुकाबले एलटीई खरीद।
- मूल निविदा में एल–1 मूल्य खोज के बाद पुनः निविदा मामले।

निवारक जांच: सेल के विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों के संवेदनशील क्षेत्रों में दस्तावेज समीक्षा और संयुक्त जांच सहित कुल 1894 निवारक जांच की गईं, जिनमें से 25 जांच विस्तृत जांच के लिए की गईं, जबकि 489 मामलों में निवारक/प्रणाली सुधार की सिफारिशें की गईं।

प्रणाली सुधार परियोजनाएं: संबंधित क्षेत्रों की पहचान करने के बाद सेल के विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में कुल 16 प्रणाली सुधार परियोजनाएं (एसआईपी) शुरू की गईं।

गहन जांच: विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में गहन जांच के लिए कुल 12 मामले उठाए गए। गहन जांच के दौरान उच्च मूल्य की खरीद/निविदाओं की व्यापक जांच की जाती है और सुधार के सुझावों को लागू करने के लिए आवश्यक सिफारिशें संबंधित विभागों को भेजी जाती हैं।

एसीवीओ की बैठक: अपर मुख्य सतर्कता अधिकारियों (एसीवीओ), जो संयंत्र/इकाई स्तर पर सतर्कता विभागों के प्रमुख हैं, के साथ नियमित बातचीत बनाए रखने के एक भाग के रूप में सीवीओ ने नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की, जिन्हें एसीवीओ बैठकें कहा जाता है। बैठकों के दौरान सेल सतर्कता के प्रदर्शन की समीक्षा की गई। विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों द्वारा मामले के अध्ययन/सतर्कता से संबंधित अन्य मामलों पर प्रस्तुतीकरण दिया गया, जो सभी के द्वारा अच्छी प्रणालियों/प्रक्रियाओं को अपनाना सुनिश्चित करेगा।

एबीएमएस का कार्यान्वयन: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली (एबीएमएस) को लागू करने वाली पहली महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र इकाई बनने का गौरव हासिल किया है। 5 नवंबर 2022 को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के समापन समारोह के दौरान, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने श्री पी के श्रीवास्तव सतर्कता आयुक्त की उपस्थिति में निगम कार्यालय और सेल के बोकारो इस्पात संयंत्र को आईएस/आईएसओ 37001:2016 के अनुसार एबीएमएस प्रमाणपत्र प्रदान किया।

सेल सतर्कता नियमावली 2022, जिसमें अद्यतन दिशा–निर्देश और ई–सतर्कता, हितों के टकराव आदि जैसे उभरते मुद्दे शामिल हैं, को 18 जून, 2022 को सेल के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा जारी किया गया था।

16.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

सतर्कता विभाग ने जहां भी आवश्यक हो, मौजूदा प्रक्रिया और प्रणालियों में सुधार के लिए क्षेत्र विस्तार सहित खरीद, बिक्री और संविदा देने में अपनाई जा रही प्रक्रियाओं पर प्रणालीगत अध्ययन किया। संविदा/क्रय आदेशों

की गहन जांच की गई और लेखापरीक्षा पैरा/आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। संवेदनशील पदों की पहचान और अनुवर्ती कार्रवाई, निगरानी जांच आयोजित करना, बिलों की यादृच्छिक जांच आदि भी की गई। इसके अलावा, निष्पक्षता और समानता लाने के लिए प्रबंधन के एक कार्यात्मक उपकरण के रूप में, निवारक सतर्कता पर कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने हेतु विशेष सतर्कता जागरूकता अभियान भी चलाए गए। ई–नीलामी, ई–रिवर्स नीलामी और 100% ई–भुगतान आदि जैसी ई–पहलों के माध्यम से अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया गया। पारदर्शिता और सत्यनिष्ठता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां की गईं:

- 174 प्रणाली निगरानी जांच की गई थीं जिनमें 25 गुणवत्ता जांच, 7 संविदा प्रावधानों की जांच और चिकित्सा सेवाओं संबंधी 4 आवधिक औचक जांच शामिल थीं।
- 476 कर्मचारियों को शामिल करते हुए निवारक सतर्कता संबंधी 10 वास्तविक सत्र आयोजित किए गए थे।
- 30 फाइलों की जांच की गई जिनमें प्रक्रिया, नियम, नीतियां, दिशा–निर्देशों आदि में सुधार के लिए 7 प्रणाली अध्ययन शामिल थे। इन्हें शुरु किया गया था और सतर्कता समुक्तियां/सिफारिशें संबंधित विभागों को सूचित की गई थी।
- सतर्कता जागरुकता सप्ताह–2022 को 'एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत' विषय के साथ जोशपूर्ण ढंग से मनाया गया था। अनेक कार्यक्रम जैसे; शपथ लेना, पोस्टर पर प्रदर्शन, निबंध लेखन, क्विज इलोकुशन प्रतिस्पर्धा आदि, कर्मचारियों और उनके आश्रितों तथा अन्य हितधारकों को शामिल करते हुए आयोजित किए गए थे।

16.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी सतर्कता विभाग ने पिछले वर्ष के दौरान कई पहलें शुरू की हैं। कुशलतापूर्वक परिभाषित प्रणालियों और प्रक्रियाओं के रूप में पर्याप्त नियंत्रण और संतुलन पर जोर दिया गया। निगम के कर्मचारियों के लिए सतर्कता मामलों पर जागरूकता हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। परियोजनाओं में सतर्कता अधिकारियों ने सतर्कता मामलों पर कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कक्षाओं का आयोजन किया है। प्राप्त शिकायतों को जांच प्रक्षेत्र में लिया गया है तथा आवश्यक सुधारात्मक उपायों और प्रणाली में सुधार के लिए नियमित निवारक जांच की गई।

निरीक्षण/जांच: वर्ष के दौरान सभी उत्पादन परियोजनाओं/प्रधान कार्यालय में कुल 97 आकस्मिक जांच, 82 नियमित जांच और 12 सीटीई प्रकार के निरीक्षण किए गए।

संरचित बैठक और सतर्कता इकाई की प्रबंधन लेखापरीक्षा (एमएवीयू): सतर्कता विभाग की संरचित बैठक सीएमडी, एनएमडीसी की अध्यक्षता में तिमाही आधार पर आयोजित की गई, जिसमें सीवीओ, एनएमडीसी ने सतर्कता टीम के साथ सतर्कता गतिविधियों का विवरण दिया और अनुपालन के लिए लंबित मुद्दों पर चर्चा की। जुलाई, 2022 के अंतिम सप्ताह में सीवीसी अधिकारियों के एक दल ने एनएमडीसी की सतर्कता इकाई का प्रबंधित लेखापरीक्षा करने के लिए एनएमडीसी कॉरपोरेट कार्यालय का दौरा किया। अपर सचिव, सीवीसी ने जांच/लेखापरीक्षा के बाद एमएवीयू समूह की टिप्पणियों पर सीएमडी और सीवीओ, एनएमडीसी के साथ एक एक्जिट बैठक भी आयोजित की।

शिकायत निवारण: सतर्कता विभाग को 67 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन पर आवश्यक कार्रवाई की गई है। जांच के निष्कर्षों के आधार पर, संबंधित विभाग को सुधारात्मक कार्रवाई/प्रणाली में सुधार के लिए 05 सुझाव दिए

गए हैं। एनएमडीसी की शिकायत निवारण नीति जो 01.01.2022 से प्रभाव में आई है, को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा व्यापक प्रचार और सभी हितधारकों की जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

सतर्कता विभाग के लिए आईएसओ प्रमाणन: एनएमडीसी सतर्कता विभाग को आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन प्रदान किया गया है और यह 30.06.2025 तक वैध है। मैसर्स रीना (आरआईएनए) द्वारा गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की आवधिक लेखा परीक्षा की गई थी और गुणवत्ता लेखा परीक्षक के सुझावों के आधार पर सतर्कता विभाग के कामकाज में आवश्यक सुधार लागू किए गए हैं।

कार्यशालाएं/सम्मेलन/प्रशिक्षण कार्यक्रम: सतर्कता विभाग द्वारा खरीद, निविदा, सीडीए नियम, घरेलू पूछताछ आदि के क्षेत्रों में कर्मचारियों के संवेदीकरण और जागरूकता पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस प्रक्रम में, खरीद और जेम संबंधी मुद्दों, घरेलू जांच आयोजित करना, आईओ और पीओ की भूमिकाऐं, आचरण, अनुशासन और अपील नियम आदि जैसे विषयों पर कई प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया गया था। सीवीसी, वित्त एवं व्यय मंत्रालय, भारतीय रेल, एसवीपीएनपीए, बीडीएल, आदि के वरिष्ठ एवं अनुभवी वक्ताओं ने ऐसे प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया गया जिनमें एनएमडीसी के औसतन 70 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया।

निवारक सतर्कता मॉड्यूल के तहत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम: सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार एनएमडीसी निवारक सतर्कता प्रशिक्षण माड्यूल के अन्तर्गत बनाई गई कार्य–योजना के अनुसार अपने कर्मचारियों के बीच जागरुकता बढ़ाने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। वर्ष के दौरान, 186 कर्मचारियों को शामिल करते हुए प्रवेश स्तर के कर्मचारियों के लिए निवारक सतर्कता के तहत हाइब्रिड मोड के माध्यम से 3 प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई और 478 कर्मचारियों को शामिल करने वाले मध्य–करियर स्तर के कर्मचारियों के लिए 43 प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई। उत्पादन परियोजनाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्यालय से कुल 664 कर्मचारियों को निवारक सतर्कता माड्यूल के अन्तर्गत प्रशिक्षण में शामिल किया गया था।

प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: ऑनलाइन आईआर क्लीयरेंस मॉड्यूल का कार्यान्वयन प्रगति पर है। यह प्रणाली न केवल प्रचालन दक्षता में वृद्धि करेगी बल्कि पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी और संस्थाओं/संविदाकारों को विपत्रों के समय पर भुगतान में मदद करेगी।

सत्यनिष्ठा संधि का कार्यान्वयन: एनएमडीसी ने नवंबर 2007 से सत्यनिष्ठा संधि के कार्यान्वयन को अपनाया है। सतर्कता विभाग द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार 07.09.2018 से खरीद और संविदाओं दोनों के लिए, सीमा मूल्य को घटाकर 1.0 करोड़ रूपये कर दिया गया है। सभी संविदाओं, जहाँ अधिकतम सीमा के अनुसार सत्यनिष्ठा संधि पर हस्ताक्षर किए जाने थे, का अनुपालन किया गया था और संविदाओं के कुल मुल्य के 92% से अधिक सत्यनिष्ठा संधि के तहत शामिल थे। एनएमडीसी द्वारा दिए गए कार्यों/संविदाओं के लिए अब तक कुल 603 विक्रेता/बोलीदाता सत्यनिष्ठ समझौते में शामिल हो चुके हैं।

वीओ के साथ सीवीओ की तिमाही समीक्षा बैठक: एनएमडीसी के सतर्कता अधिकारियों की तिमाही समीक्षा बैठक नियमित आधार पर आयोजित की गई। इन त्रैमासिक बैठकों के दौरान नियमित और औचक निरीक्षण, सीटीई निरीक्षण तथा विभिन्न परिचालन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए सुझाई गई प्रणाली में सुधार सहित सतर्कता मामलों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई/साझा किए गए।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू): एनएमडीसी के सभी परियोजनाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रधान कार्यालय में 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक ''एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत'' विषय पर सतर्कता

जागरूकता सप्ताह–2022 मनाया गया। सीवीओ, एनएमडीसी द्वारा निगम कार्यालय के कर्मचारियों और उत्पादन परियोजनाओं के परियोजना/आरएम प्रमुखों तथा एनएमडीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा शपथ दिलाई गई थी।

16.5 मॉयल लिमिटेड

सतर्कता विभाग के कामकाज में निवारक सतर्कता शामिल है। सतर्कता के क्षेत्र में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और विकसित करने के लिए सतर्कता परामर्श जारी करके संगठन में प्रणाली सुधार पर मुख्य जोर दिया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिकारी बिना किसी डर के, आत्मविश्वास से निर्णय ले सकें ताकि दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार हो सके एवं उत्पादकता के माध्यम से निर्णय लेने में तेजी लाई जा सके। सतर्कता विभाग की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्नानुसार हैं:–

आईएसओ 9001-2015 प्रमाणन : सतर्कता विभाग ने मॉयल लिमिटेड के प्रबंधन को सतर्कता सेवाएं प्रदान करने हेतु गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रदान करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त प्रत्यायन प्रणाली द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई द्वारा 9001:2015 प्रमाणपत्र प्राप्त किया है। आईसीएस द्वारा जारी प्रमाणपत्र आईएएफ (अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम) दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है। यह प्रमाणपत्र 21 मई 2023 तक वैध है।

निरीक्षण : संविदा के निष्पादन के दौरान मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने और प्रणाली में सुधार का सुझाव देने के लिए नियमित/आवधिक और औचक निरीक्षण नियमित रूप से किए जाते हैं। 13 आवधिक, 17 आकस्मिक और 6 सीटीई प्रकार के निरीक्षण किए गए हैं। निरीक्षण के आधार पर प्रबंधन को सलाह जारी की गई है। जो प्रक्रियाओं में सुधार लाने और प्रणाली में कमियों को कम करने के लिए तथा भ्रष्टाचार कुप्रबंधन का कारण बन सकता है।

शिकायत निपटान : सतर्कता विभाग ने कुल 52 शिकायतों पर कार्रवाई की है जिनमें इस्पात मंत्रालय को भेजी गई 12 शिकायतें शामिल हैं।

प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों की जांच : सतर्कता विभाग ने खरीद, बोली प्रक्रिया आदि से संबंधित प्रक्रिया का अध्ययन किया है तथा जाँच के आधार पर प्रबंधन को सुधारात्मक कार्रवाई और व्यवस्था में सुधार के लिए एडवाइजरी जारी की गई है।

मोबाइल ऐप 'विजिलेंस मॉयल': मॉयल विजिलेंस द्वारा आंतरिक समूह के साथ विकसित मोबाइल ऐप विजिलेंस मॉयल किसी भी समय, किसी भी स्थान से मुफ्त डाउनलोड करने और शिकायत करने के लिए गूगल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है।

टोल फ्री नंबर : आम जनता को सतर्कता संबंधी सहायता देने के लिए एक टोल फ्री नंबर 18002333606 प्रदान किया गया है।

प्रबंधन के साथ संरचित बैठक : सीवीसी और इस्पात मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2022 के दौरान सीएमडी मॉयल की उपस्थिति में मॉयल प्रबंधन के साथ सतर्कता विभाग की 4 संरचित बैठक हुई हैं, जिसमें जेम खरीद, मैनुअल के अद्यतन, खदान में बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली, नामांकन के आधार पर संविदा देना, संपदा अधिकारी की नियुक्ति, सतर्कता द्वारा जारी प्रणालीगत सुधार सलाह की स्थिति और अन्य एजेंडा मदों पर चर्चा की गई है।

मॉयल बोर्ड द्वारा सतर्कता कार्य की समीक्षा : सीवीसी नियमावली के निर्देशों के अनुसार, मॉयल बोर्ड द्वारा सतर्कता कार्य की समीक्षा 25 मई, 2022 को की गई थी जिसमें सतर्कता विभाग द्वारा किए गए प्रदर्शन और कार्रवाई को सीवीओ द्वारा बोर्ड को पेश किया गया था। बोर्ड ने अधिकारियों को सतर्कता प्रवण क्षेत्र पर प्रशिक्षण, प्रतिबंधात्मक पात्रता मानदंड के लिए जेम खरीद मामलों की जांच, विभिन्न मापदंडों के आधार पर शिकायतों के विश्लेषण आदि के बारे में विशेष रूप से सलाह दी है। सतर्कता विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई है।

प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना : सीवीसी के परिपत्र के संदर्भ में, सतर्कता विभाग ने नियामक, प्रवर्तन गतिविधियों के निर्वहन और शिकायतों से निपटने में वेबसाइट के प्रभावी उपयोग और प्रौद्योगिकी के लाभ उठाने पर जोर दिया है। सतर्कता विभाग और मॉयल प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई में उपभोक्ताओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल, ऑनलाइन बिल ट्रैकिंग प्रणाली, रिकॉर्डों को डिजिटल बनाना, फाइल लाइफ साईकिल प्रबंधन प्रणाली (एफएलएम) में वार्षिक संपत्ति विवरणी (एपीआर) को ऑनलाइन प्रस्तुत करना, खानों और संयंत्रों में बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली लगाना, ऑनलाइन सतर्कता स्वीकृति प्रणाली का कार्यान्वयन, अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की ऑनलाइन प्रणाली, रिपोर्ट बनाने के लिए शिकायत के डाटा बेस का विकास, एक ऑटोमेटेड सिस्टम से डाटा को सिस्टम एप्लीकेशन्स एंड प्रोडक्ट्स (एसएपी) में भेजना शामिल है।

कार्य रोटेशन : 3 वर्षों से अधिक संवेदनशील पदों पर कार्यरत अधिकारियों के रोटेशन के लिए संवेदनशील पदों की पहचान की गई है। रोटेशन के लिए अभिज्ञात 218 पदों में से अब तक 153 स्थानांतरण किए गए हैं।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह : मॉयल लिमिटेड के सभी खानों/कार्यालयों में 31 अक्टूबर से 6 नवंबर, 2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

16.6 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन की सतर्कता व्यवस्था मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के तहत कार्य कर रही है। मेकॉन लिमिटेड द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देश के अनुरूप सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2022 को 31 अक्टूबर से 6 नवंबर, 2022 तक उपयुक्त तरीके से और बड़े उत्साह के साथ ''एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत'' विषय के साथ मनाया गया। जागरुकता फैलाने के लिए विभिन्न प्रमुख स्थानों पर सतर्कता जागरूकता के संदेश का प्रचार करने वाले बैनर प्रदर्शित किए गए।

आकस्मिक और नियमित जांच, फाइलों की जांच, वार्षिक संपत्ति रिटर्न की जांच आदि जैसे निवारक उपाय किए जाते हैं।

प्रबंधन के साथ सतर्कता की नियमित संरचित बैठक आयोजित की जाती है और बोली दस्तावेजों के मानकीकरण, संगठन की प्रक्रियाओं और नियमावली के अद्यतन, संपत्ति प्रबंधन/भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, जांच अधिकारी (आईओ) के रूप में सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति, कम्प्यूटरीकृत फाइल ट्रैकिंग सिस्टम (एसएपी/ईआरपी कार्यान्वयन सहित) आदि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती है।

मेकॉन ने 324 आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों के साथ सत्यनिष्ठा समझौते (आईपी) पर हस्ताक्षर किए हैं (व्यापक कवरेज के लिए सीमा मूल्य कम किया गया है: ईपीसी परियोजनाओं के लिए 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक तथा नगर प्रशासन के साथ–साथ आंतरिक खरीद के लिए 25 लाख रुपये और उससे अधिक)।

16.7 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी के सतर्कता ढांचे का नेतृत्व एक पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) करता है। सतर्कता विभाग का जोर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए प्रभावी निवारक उपाय करने और संगठन के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर रहा है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार प्राप्त शिकायतों की जांच की जाती है और प्रबंधन को प्रणाली में सुधार/अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए आवश्यक सुझाव देने की सिफारिश की जाती है तो वहीं संविदा/क्रय आदेशों की जांच की जाती है और लेखापरीक्षा अनुच्छेद की जांच की जाती है। सीबीआई के साथ सहमत सूची पर हस्ताक्षर किए गए हैं और संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची तैयार की गई है। संवेदनशील पदों की पहचान और उनका समय पर आवर्तन सुनिश्चित करना, औचक निरीक्षण करना, बिलों की यादृच्छिक जांच के साथ–साथ एमएसटीसी के कुल कर्मचारियों के 27% से अधिक की संपत्ति रिटर्न भी की जाती है। जनवरी–दिसंबर, 2022 की अवधि के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां इस प्रकार हैं:–

- 62 शिकायतें प्राप्त हुई और 52 शिकायतों का निपटान किया गया।
- 18 संविदाओं/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की जांच की गई; जिसमें से 2 की जांच–पड़ताल की गई।
- 7 औचक निरीक्षण और 5 नियमित निरीक्षण किए गए।
- विभिन्न मुद्दों पर 5 प्रणालीगत अध्ययन किए गए हैं।
- सतर्कता कार्यकलापों के आधार पर प्रबंधन को 11 प्रणालीगत सुधार सिफारिशें की गईं थी।
- **प्रशिक्षण कार्यक्रम :** सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2022 में सतर्कता विभाग द्वारा एक विक्रेता बैठक का आयोजन किया गया। 2 निवारक सतर्कता प्रशिक्षण सत्र ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित किए गए जहां 49 कर्मचारियों को शामिल किया गया। दिल्ली, हैदराबाद, भुवनेश्वर, रायपुर और रांची में एमएसटीसी कार्यालयों सहित 6 संवेदीकृत कार्यक्रम आयोजित किए गए।

एमएसटीसी के सभी कार्यालयों में ''एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत'' विषय पर **सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2022** मनाया गया। कर्मचारियों के साथ–साथ जनता के लिए विषय पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह के पालन के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए संगठन की वेबसाइट का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा था।

16.8 केआईओसीएल लिमिटेड

इन सभी वर्षों में निवारक सतर्कता, सतर्कता विभाग का प्रमुख क्षेत्र रहा है और पिछले वर्ष के दौरान इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रबंधन के साथ सतर्कता की नियमित संरचित बैठक आयोजित की गई और ई–गवर्नेंस, प्रौद्योगिकी के लिए लाभ उठाने, निविदा प्रबंधन, कार्यों का आवंटन, प्रणालीगत सुधार, आचरण नियमों की समीक्षा, कंपनी के अनुशासन और अपील नियमों, संवेदनशील पदों के अधिकारियों के आवर्तन, सत्यनिष्ठा संधि के कार्यान्वयन आदि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है।

गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता विभाग आईएसओ प्रमाणन 9001:2015 मानकों के अनुपालन के लिए प्रमाणित है। प्रमाणन 29.01.2025 तक वैध है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2022 31 अक्टूबर से 06 नवंबर, 2022 तक केआईओसीएल लिमिटेड के सभी स्थानों/कार्यालयों में ''एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत'' विषय के साथ मनाया गया।

ई–खरीद प्रचलन में है और इसके लिए प्रवेश सीमा 2 लाख रूपए और उससे अधिक तय की गई है। 2022 (अप्रैल–दिसंबर) के दौरान, मूल्य के आधार पर 94.56% मामले इसके अंतर्गत आते हैं। सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किए जा रहे हैं।

2022 (अप्रैल–दिसंबर) के दौरान, सत्यनिष्ठ समझौता खंड को शामिल करते हुए 138 कार्य/खरीद/बिक्री आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें 96.70% मूल्य की संविदा शामिल हैं।

अवधि के दौरान 59 संवीक्षा, 24 निरीक्षण, 14 औचक निरीक्षण और 10 सीटीई प्रकार के निरीक्षण किए गए तथा सुधारात्मक कार्रवाई और प्रणालीगत सुधार का सुझाव दिया गया। वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

सतर्कता विभाग ने कर्मचारियों के लिए 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। सार्वजनिक खरीद और निवारक सतर्कता जैसे विषयों को शामिल किया गया। वर्ष के दौरान, सीवीसी पीवी प्रशिक्षण मॉड्यूल के अनुसार प्रवेश स्तर के कर्मचारियों के लिए निवारक सतर्कता पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 270 श्रम घंटे शामिल थे।

2022 (अप्रैल–दिसंबर) के दौरान सतर्कता से संबंधित 6 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सतर्कता अधिकारियों सहित अधिकारियों ने कुल 770–श्रम घंटे भाग लिया।

त्रैमासिक ''सतर्कता न्यूजलेटर''(संवादपत्र) का प्रकाशन कंपनी और उसके कर्मचारियों को उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा बनाए रखते हुए काम करने के बदलते तरीकों से अवगत रहने और उन्हें अपनाने में मदद करने के लिए शुरू किया गया था। न्यूजलेटर्स में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी नवीनतम कार्यालय ज्ञापन और परिपत्र शामिल हैं जो अनुपालन के लिए केआईओसीएल के कामकाज पर असर डालते हैं। इसमें अन्य संगठनों में लागू प्रणाली में सुधार और निवारक सतर्कता पहलों के मामले के अध्ययन भी शामिल हैं जिनका दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए केआईओसीएल द्वारा अनुकरण किया जा सकता है।

अध्याय-17

केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली तथा लंबित मामलों के लिए विशेष निपटान अभियान

17.1 मंत्रालय और उसके सीपीएसई में जन शिकायतों के त्वरित निपटान को सुकर बनाने के लिए केन्द्रीकृत लोक शिकायत समाधान और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) कार्यान्वित की गई है। सीपीग्राम्स, एनआईसी नेट पर एक ऑनलाइन वेब–सक्षम प्रणाली है जिसे एनआईसी द्वारा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सहयोग से विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा शिकायतों का त्वरित निवारण और प्रभावी निगरानी करना है। शिकायत निवारण संचालन का संपूर्ण जीवन चक्र है (i) एक नागरिक द्वारा शिकायत दर्ज करना, (ii) संगठन द्वारा शिकायत की स्वीकृति (iii) अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में शिकायत का आंकलन, (iv) अग्रेषण और अंतरण (v) अनुस्मारक और स्पष्टीकरण तथा (vi) मामले का निपटान।

इस्पात मंत्रालय के लिए विशिष्ट सीपीग्राम पोर्टल को मई–जून, 2022 में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा शुरु किए गए सीपीग्राम 7.0 के साथ नवीकृत और सुमेलीकृत किया गया था। उन्नत सीपीग्राम संस्करण 7.0 ड्रॉप–डाउन मेनू/प्रश्नावली के माध्यम से नागरिकों के लिए एक निर्देशित पंजीकरण प्रक्रिया को सक्षम बनाता है और मध्यवर्ती स्तरों को छोड़ कर सीधे संबंधित शिकायत निवारण अधिकारी को शिकायत का पारगमन प्रदान करता है और इस प्रकार शिकायत के निवारण समय को कम करता है।

दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 की अवधि के लिए सीपीग्राम्स में निपटाई गई शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:

मंत्रालय/सीपीएसई	दिनांक 01.01.2022 की स्थिति तक बकाया	दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक प्राप्त किया	दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 के दौरान निपटान किया गया	दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार लंबित
इस्पात मंत्रालय	36	1112	1086	62
सेल	16	443	441	18
आरआईएनएल	0	42	42	0
एनएमडीसी लिमिटेड	2	78	70	10
मेकॉन लिमिटेड	0	31	30	1
मॉयल लिमिटेड	0	14	14	0
केआईओसीएल	0	0	0	0
एमएसटीसी लिमिटेड	04	25	27	02

17.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

सेल संयंत्रों और इकाइयों में कर्मचारियों के लिए प्रभावी आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र विकसित और स्थापित किया गया है।

सेल संयंत्र/इकाइयां शिकायत प्रबंधन प्रणाली का रखरखाव कर रहे हैं और कर्मचारियों को वेतन अनियमितताओं, काम करने की स्थिति, स्थानान्तरण, छुट्टी, कार्य और कल्याण सुविधाओं आदि जैसे सेवा मामलों से संबंधित शिकायतों को उठाने के लिए हर स्तर पर अवसर दिया जाता है। इस्पात संयंत्रों में मौजूद पर्यावरण की सहभागी प्रकृति को देखते हुए अधिकांश शिकायतों का अनौपचारिक रूप से निवारण किया जाता है। प्रणाली व्यापक, सरल और लचीली है और कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध को बढ़ावा देने में प्रभावी साबित हुई है।

17.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल में, कार्यपालक और गैर–कार्यपालक कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए संरचित शिकायत प्रबंधन प्रणाली मौजूद है। गैर–कार्यपालकों के लिए औपचारिक शिकायत निवारण प्रक्रिया में, एक कर्मचारी प्रतिनिधि समिति में उपस्थित होता है। इसके अलावा, शिकायत प्रबंधन प्रणाली में शिकायतों के निवारण के लिए एक निश्चित समय सीमा होती है। महाप्रबंधक स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी को जन शिकायतों से निपटने के लिए लोक शिकायत अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है। कार्यपालकों और गैर–कार्यपालकों प्रत्येक के लिए अलग शिकायत निवारण तंत्र है।

17.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी में शिकायत निवारण तंत्र मुख्यालय में कार्यपालक निदेशक के नेतृत्व में कार्य करता है जो शिकायत निवारण तंत्र के नोडल अधिकारी भी हैं और उत्पादन परियोजनाओं में यह परियोजना प्रमुख के अधीन कार्य करता है। शिकायतों के पंजीकरण के लिए एनएमडीसी की वैबसाइट के होम पेज पर लोक शिकायत के लिए भारत सरकार के पोर्टल का एक लिंक दिया गया है। जब भी कोई जन शिकायत प्राप्त होती है, उस पर तुरंत ध्यान दिया जाता है।

17.5 मॉयल लिमिटेड

मॉयल में शिकायत तंत्र के निवारण में प्रत्येक इकाई/खान/प्रधान कार्यालय के लिए नामित एक शिकायत अधिकारी होता है। प्रधान कार्यालय में नामित नोडल अधिकारी उनके प्रभावी प्रदर्शन के लिए इकाई/खान/प्रधान कार्यालय में शिकायत अधिकारियों के साथ समन्वय करता है। नामित जन शिकायत अधिकारियों द्वारा खनन और कॉरपोरेट कार्यालय में निर्धारित अवधि में मासिक/त्रैमासिक शिकायतों की समीक्षा की जाती है तथा निष्पादित किया जाता है। इकाइयों में शिकायतों से संबंधित आंकड़े इकाई शिकायत अधिकारियों द्वारा मासिक/तिमाही विवरणी प्रधान कार्यालय को प्रस्तुत की जाती है।

17.6 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन ने लोक शिकायतों के लिए केन्द्रीकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) के अन्तर्गत नोडल अधिकारी नामांकित किया है और नोडल अधिकारी का नाम वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

मेकॉन में, अपने कर्मचारियों की शिकायत के निवारण के लिए त्रिस्तरीय शिकायत प्रणाली है। कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करने, उसका निवारण करने की सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए कार्यपालक और गैर–कार्यपालक कर्मचारियों के प्रतिनिधि वाली एक शिकायत सलाहकार समिति कार्यरत है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक अलग प्रकोष्ठ है।

17.7 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी में लोक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ हैं। संगठन के क्षेत्रों और शाखाओं में कुल आठ प्रकोष्ठ हैं तथा प्रधान कार्यालय में एक नोडल प्राधिकरण और एक लोक शिकायत अधिकारी है। कंपनी की वेबसाइट www.mstcindia.co.in पर शिकायत दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा है। एमएसटीसी ने सार्वजनिक शिकायतों की ऑनलाइन प्राप्ति और निपटान के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) को भी लागू किया है ताकि शिकायतों का तुरंत समाधान किया जा सके और कार्रवाई की जा सके। बाहर से और संगठन के कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों पर चर्चा करने और निवारण करने के लिए कार्रवाई की जाती है। प्रकोष्ठों के अलावा, प्रधान कार्यालय में भी एक शिकायत समिति गठित की जाती है। शिकायत समिति संबंधित विभाग/क्षेत्र/शाखा से प्राप्त शिकायतों और टिप्पणियों की जांच के बाद सिफारिशें करती है। शिकायत समिति मामलों की समीक्षा करने के लिए समय–समय पर बैठक करती है। कंपनी के केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) और लोक शिकायत साइट/क्षेत्र की नियमित रूप से निगरानी प्रधान कार्यालय द्वारा की जाती है।

17.8 केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल के पास विवाद समाधान तंत्र सहित एक उपयुक्त संरचित और बहुस्तरीय लोक शिकायत निवारण तंत्र है। केआईओसीएल में स्थापित सार्वजनिक निवारण को बैंगलोर में कॉरपोरेट कार्यालय से सभी उत्पादन इकाइयों, परियोजना कार्यालयों और संपर्क कार्यालयों में प्रस्तुत किया गया है। शिकायत या शिकायत रखने वाले विक्रेता और हितधारक सार्वजनिक शिकायत/विवाद निपटान के लिए संगठन के साथ बातचीत कर सकते हैं।

सभी स्थानों पर लोक शिकायत अधिकारी मनोनीत हैं। सेवोत्तम अनुपालन नागरिक चार्टर का विकास निगम की वेबसाइट: www.kioclltd.in में रखा गया है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट में शिकायतों को दर्ज करने और निवारण के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) के पोर्टल से संपर्क प्रदान किया है।

17.9 लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान

इस्पात मंत्रालय और 7 सीपीएसई अर्थात्– मंत्रालय के तहत सेल, आरआईएनएल, एनएमडीसी, मॉयल, मेकॉन, केआईओसीएल और एमएसटीसी ने 2 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक आयोजित 'लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान' (एससीडीपीएम 2.0) में सक्रिय रूप से भाग लिया। अभियान के दौरान इस्पात

मंत्रालय और उसके सीपीएसई द्वारा धात्विक और गैर–धात्विक धातुमल, कागज और ई–कचरे आदि के निपटान से 38255 वर्ग मीटर की जगह कचरा मुक्त कर दी गई है। 43971 भौतिक फाइलें की छटांई की गई और 4947 ई–फाइलें अभियान अवधि के दौरान बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा, कई लंबित पीजी अपीलों/पीजी शिकायतों, सांसदों के संदर्भ आदि का निपटान किया गया। मंत्रालय और इसके सीपीएसई द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर 280 स्वच्छता अभियान चलाए गए।

उद्योग भवन में स्वच्छता अभियान के दौरान माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया

अध्याय-18

दिव्यांग और इस्पात

18.1 इस्पात मंत्रालय

इस्पात मंत्रालय दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम) के कार्यान्वयन के संबंध में सरकारी नियमों का पालन करता है। 31 दिसंबर, 2022 तक, छह व्यक्ति [दो श्रवण दिव्यांग (एचएच), एक नेत्रहीन दिव्यांग (वीएच) और तीन अस्थि दिव्यांग (ओएच)] इस्पात मंत्रालय में कार्यरत हैं।

18.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

- सेल के संयंत्रों/इकाइयों में आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के संदर्भ में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण से संबंधित प्रावधानों का पालन किया जाता है। सेल ने विभिन्न दिव्यांगता वाले 759 व्यक्तियों को रोजगार दिया है।
- दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कार्यस्थल पर बाधा मुक्त वातावरण के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं।
- सेल किसी कर्मचारी के गैर–हकदार भाई या बहन, यदि वे दिव्यांग हैं और कर्मचारी पर निर्भर हैं को भी मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है,
- दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से संयंत्र स्थानों पर खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। संयंत्र के कुछ स्थानों पर दिव्यांगों के लिए अलग खेल के मैदान निर्धारित किए गए हैं।

18.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

- आरआईएनएल पीडब्ल्यूडी अधिनियम–2016 के अनुसार श्रेणी–ए, बी और सी में पदों का प्रतिशत निर्धारित कर रहा है। अधिनियम के अनुसार, आरआईएनएल में जब भी भर्ती की जाती है, आरक्षण लागू किया जाता है। पीडब्ल्यूडी को ऊपरी आयु सीमा (10 वर्ष), आवेदन शुल्क में छूट, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समकक्ष योग्यता अंकों में 10% छूट, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समतुल्य चयन परीक्षाओं में अंकों में 10% छूट जैसी रियायतें और छूटें दी जाती हैं।
- अधिनियम के लागू होने के बाद से, आरआईएनएल ने विभिन्न अक्षमता वाले 214 व्यक्तियों (योग्यता के आधार पर 10 व्यक्तियों को छोड़कर) को रोजगार दिया है।
- संविधि के अनुसार प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में शामिल हैं नौकरियों की पहचान, भर्ती के बाद और पूर्व–पदोन्नति प्रशिक्षण, सहायता/सहायक उपकरण प्रदान करना, कार्यस्थल पर पहुंच और बाधा मुक्त वातावरण, कंपनी के आवास के आवंटन में वरीयता, शिकायत निवारण, दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित मामलों के लिए नियुक्त संपर्क अधिकारी, विशेष आकस्मिक अवकाश एवं स्थानांतरण/तैनाती में वरीयता।

- मुख्य प्रशासनिक भवन/कॉरपोरेट कार्यालय में विभिन्न कार्यालयों में दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए रैंप वे प्रदान करना, भवन की लिफ्टों में श्रवण संकेत, स्वागत केंद्र में एक व्हील चेयर का प्रावधान कुछ ऐसे कार्य हैं जो दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए किए गए हैं।

18.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी, एक खनन संगठन होने के नाते, खान अधिनियम तथा उसके नियमों और विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। सुरक्षा कारक को ध्यान में रखते हुए, खदानों/संयंत्रों में काम करने वाले कार्यों में दिव्यांगजनों को नियोजित करना संभव नहीं है। हालांकि, दिव्यांग लोगों को उन पदों पर शामिल करने का प्रयास किया जाता है जहां क्षेत्रीय कार्य शामिल नहीं है और वर्तमान में एनएमडीसी के पास विभिन्न पदों पर 105 दिव्यांग कर्मचारी हैं।

एनएमडीसी ने कंपनी के कार्यालयों में आने वाले विभिन्न विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों की सुविधा के लिए कई कदम उठाए हैं जैसे रैंप वे, लिफ्टों में श्रवण संकेत आदि प्रदान करना। परियोजना में कर्मचारी जो सेवा के दौरान अक्षम हो जाते हैं उन्हें चिन्हित पदों पर पुनर्नियुक्त किया जाता है।

18.5 मॉयल लिमिटेड

दिव्यांग कर्मचारियों के लिए आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के अनुरूप सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। कार्यस्थल पर, कर्मचारियों को उनकी सेवा शर्तों, जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक सुरक्षा में सुधार के लिए कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। 31 दिसंबर 2022 तक, मॉयल में दिव्यांग श्रेणी से संबंधित 20 कर्मचारी हैं।

दिव्यांगजनों हेतु निर्धारित पदों के लिए भर्ती भारत सरकार के निदेशों/अनुदेशों के अनुसार दिव्यांगता बैंचमार्क वाले व्यक्तियों को आरक्षण छूट और रियायतें देकर की जा रही हैं। जहां तक संभव हो, दिव्यांग व्यक्तियों को परिवर्तनात्मक स्थानांतरण प्रक्रिया/स्थानांतरण से छूट प्रदान की जाती है। मॉयल दिव्यांग व्यक्तियों को कंपनी की आवासीय परिसर में सुलभ आवास प्रदान करने हेतु वरीयता देता है।

18.6 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन ने आरपीडब्ल्यू अधिनियम, 2016 के प्रावधानों को लागू किया है। 31 दिसंबर 2022 तक, पीडब्ल्यूडी श्रेणी से संबंधित 11 कर्मचारी हैं।

18.7 एमएसटीसी लिमिटेड

31 दिसंबर 2022 तक, एमएसटीसी में दिव्यांग श्रेणी से संबंधित 09 कर्मचारी हैं।

18.8 केआईओसीएल लिमिटेड

31 दिसंबर 2022 तक, केआईओसीएल में पीडब्ल्यूडी श्रेणी से संबंधित 11 कर्मचारी हैं। पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्यस्थल पर उपयुक्त प्रावधान/सुधार किए जाते हैं।

अध्याय-19

हिंदी का प्रगामी प्रयोग

19.1 परिचय

इस्पात मंत्रालय ने वर्ष 2022–23 के दौरान राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए तैयार और जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग में काफी प्रगति की है।

मंत्रालय में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित कार्य मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए) के प्रशासनिक नियंत्रण में है। उप–निदेशक (राजभाषा) के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत राजभाषा प्रभाग राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और हिंदी अनुवाद कार्य से संबंधित कार्य देखता है तथा वर्तमान में इसमें एक उप–निदेशक (राजभाषा), एक सहायक–निदेशक (राजभाषा), दो वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, दो कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, दो आशुलिपिक 'डी' और अन्य सहायक कर्मचारी शामिल हैं।

19.1.1 राजभाषा कार्यान्वयन समिति

मंत्रालय में मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए) की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्यरत है। यह समिति मंत्रालय और उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करती है। समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की तीन (3) बैठकें आयोजित की गई हैं। इन बैठकों में हिंदी की प्रगति की समीक्षा की जाती है और राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सुधारात्मक उपाय प्रेषित किये जाते हैं।

19.1.2 हिंदी सलाहकार समिति

हिंदी सलाहकार समिति केंद्रीय इस्पात मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है जिसका मुख्य उद्देश्य मंत्रालय को अपने सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगतिशील उपयोग के संबंध में सलाह देना है। समीक्षाधीन अवधि में हिंदी सलाहकार समिति की दो बैठकें दिनांक 13.05.2022 को गंगटोक में तथा 31.08.2022 को वाराणसी में आयोजित की गई हैं।

19.1.3 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का कार्यान्वयन

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3[3] के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में तैयार किए जाते हैं। 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के साथ हिंदी में पत्राचार सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में विभिन्न जांच बिंदु स्थापित किए गए हैं।

19.1.4 हिंदी दिवस/हिंदी पखवाड़ा/हिंदी माह

मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए माननीय इस्पात मंत्री एवं माननीय इस्पात राज्य मंत्री द्वारा 14 सितंबर, 2022 को हिंदी दिवस के अवसर पर अपील जारी की गई थी। मंत्रालय में 14 सितंबर से 28 सितंबर, 2022 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस दौरान सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के अनुकूल माहौल बनाने के लिए आठ हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। इन प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में पदाधिकारियों/अधिकारियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। दिनांक 7 दिसंबर, 2022 को माननीय इस्पात राज्य मंत्री द्वारा विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण–पत्र देने के लिए एक पुरस्कार समारोह भी आयोजित किया गया था।

19.1.5 हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए नकद पुरस्कार योजना

इस्पात मंत्रालय में इस्पात से संबंधित मामलों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु नकद पुरस्कार योजना चल रही है जिसमें 25,000/– रूपये, 20,000/– रूपये और 15,000/– रूपये के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमशः शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य लेखकों को हिंदी में मूल पुस्तकें लिखने के लिए प्रोत्साहित करना है।

19.1.6 मंत्रालय/संसदीय राजभाषा समिति के अधिकारियों द्वारा राजभाषा संबंधी निरीक्षण

मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसई के कार्यालयों में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की जांच करने के लिये समय–समय पर उनका निरीक्षण किया जाता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान ऐसे 24 निरीक्षण किए गए हैं। इसके अलावा, राजभाषा संबंधी संसदीय समिति ने इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसई के विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया था।

19.1.7 हिन्दी कार्यशालाएँ

मंत्रालय में नियमित अंतराल पर हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक 27.06.2022 को 'राजभाषा शुरू से शुरू करें' पर एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया और 14.12.2022 को अधिकारियों को राजभाषा में काम करने के लिए प्रेरित और उत्साहित करने के उद्देश्य से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में इस्पात मंत्रालय के अधिकारियों ने बड़ी संख्या में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

19.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

- सेल भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर निरंतर जोर दे रहा है। सेल द्वारा राजभाषा हिन्दी के प्रचार–प्रसार के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। सेल के कर्मचारियों को दैनिक सरकारी कामकाज में इसके उपयोग को प्रोत्साहित करने और लोकप्रिय बनाने के लिए मासिक हिंदी प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। सेल पोर्टल पर ''आज का शब्द'' और ''आज का विचार'' दैनिक आधार पर उपलब्ध है।
- सेल के कंप्यूटर यूनिकोड समर्थित हैं और कर्मचारियों को समय–समय पर हिंदी में आधिकारिक कार्य करने

हेतु अपने कौशल में सुधार करने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्ष के दौरान, अपने कर्मचारियों के बीच हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

- सेल निगम कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा राजभाषा पखवाड़े का आयोजन किया गया। ''आज़ादी का अमृत महोत्सव'' को विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं जैसे चित्र अभिव्यक्ति, संस्मरण लेखन, कविता पाठ, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, श्रुतलेख और निबंध लेखन आदि के केंद्र में रखा गया था।

19.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

हिंदी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में की गई पहलें इस प्रकार हैं:

- **प्रशिक्षण और कार्यशालाएं:** हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित हिंदी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ पाठ्यक्रमों के तहत 157 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। यूनिकोड के माध्यम से 86 कर्मचारियों को कम्प्यूटर पर हिन्दी में कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया। 431 कर्मचारियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से मुख्यालय, खानों, क्षेत्रीय/शाखा बिक्री कार्यालयों/संपर्क कार्यालयों और सहायक कंपनियों में आयोजित अभ्यास आधारित हिंदी कार्यशाला में प्रशिक्षित किया गया। राजभाषा नीति के संबंध में प्रस्तुतिकरण पर 130 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। फोर्ज्ड व्हील संयंत्र के लिए आयोजित अभ्यास आधारित हिंदी कार्यशाला में 17 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

- **निरीक्षण:** मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों (उत्तर), नई दिल्ली में 34 विभागों का भौतिक निरीक्षण किया गया और 15 बीएसओ नामतः भुवनेश्वर, हैदराबाद, पटना, इंदौर, चंडीगढ़, कोच्चि, जयपुर, देहरादून, कोयंबटूर, गाजियाबाद, फरीदाबाद, कानपुर, लुधियाना, पुणे और बंगलौर का उक्त अवधि में ऑनलाइन निरीक्षण किया गया था। इस्पात मंत्रालय द्वारा 3 शाखा बिक्री कार्यालयों का निरीक्षण किया गया; संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप–समिति द्वारा 4 शाखा बिक्री कार्यालयों का निरीक्षण किया गया।

19.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी ने अपने मुख्यालयों, परियोजनाओं और इकाइयों में भारत सरकार की राजभाषा नीति को लागू करने और उसका अनुपालन करने के अपने प्रयासों को प्रभावी ढंग से जारी रखा। निम्नलिखित कार्य किए गए थे:

- सितम्बर माह में हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। हिंदी में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। हैदराबाद में एक समारोह में सीएमडी और निदेशकों द्वारा विजेताओं के साथ–साथ अपना अधिकतम काम हिंदी में करने वाले अधिकारियों को भी पुरस्कार दिया गया।

- क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय बेंगलुरु के प्रभारी ने इस अवधि के दौरान मुख्यालय (एचओ) में राजभाषा कार्यान्वयन का निरीक्षण किया और एनएमडीसी में राजभाषा कार्यान्वयन की सराहना की।

- अधिकारियों को उनके नियमित कार्य हिंदी में करने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।

- भारत सरकार के हिंदी प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना के सहयोग से ''हिंदी पारंगत'' प्रशिक्षण के लिए नियमित कक्षाएं चलती रहती है।

- इस अवधि के दौरान हिंदी में पत्र लिखने, हिंदी में रजिस्टरों में लिखने, हिंदी में टिप्पण और हिंदी में श्रुतलेख के लिए मासिक प्रोत्साहन योजनाएं मुख्य कार्यालय और सभी परियोजनाओं में जारी रहीं।

19.5 मॉयल लिमिटेड

- सभी खानों सहित मॉयल लिमिटेड में सर्वाधिक पत्राचार हिंदी में होता है और सभी प्रोसेसरों में 97% यूनिकोड प्रणाली लागू की गयी है। कंपनी ने सभी कंप्यूटर प्रणालियों में हिंदी से संबंधित सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया है।
- राजभाषा अधिनियम, 1963 में निहित प्रावधानों को प्रोत्साहित करने के लिए डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती, स्वच्छता अभियान, कौमी एकता दिवस और सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर विभिन्न प्रकार की हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।
- कंपनी में हिंदी कार्यशालाओं, काव्य गोष्ठी और राजभाषा संगोष्ठियां आयोजित की गई हैं।

19.6 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन सरकार की राजभाषा नीति को लागू कर रहा है। कंपनी राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी हर संभव प्रयास कर रही है। इस प्रयोजन के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति स्थापित है। कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। मेकॉन नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रांची का एक महत्वपूर्ण सदस्य है और सभी कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेता है।

19.7 एमएसटीसी लिमिटेड

कंपनी की सभी इकाइयों में राजभाषा के प्रचार–प्रसार एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निरंतर प्रयास किए गए तथा इस संबंध में हुई प्रगति की सतत समीक्षा एवं निगरानी भी की जा रही है। कंपनी में हिंदी, राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए आंतरिक हिंदी प्रशिक्षण, टीओएलआईसी बैठकों में भागीदारी, विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं का कार्यान्वयन, ऑनलाइन हिंदी निरीक्षण और भौतिक निरीक्षण, ''राजभाषा पखवाड़ा–2022'' जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया।

19.8 केआईओसीएल लिमिटेड

राजभाषा प्रभाग द्वारा, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के वार्षिक कार्यक्रम 2022–23 के लक्ष्यों के अनुसार राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें, कार्यशालाऐं और राजभाषायी निरीक्षण किए गए हैं।

हिंदी पखवाड़ा, 2022 के दौरान राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मचारियों के सभी समूहों ने भाग लिया। हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण के साथ बेंगलुरु के कुल 96 कर्मचारियों और मंगलुरु के 32 कर्मचारियों ने हिंदी पखवाड़ा प्रतियोगिताओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। संस्था में मूल कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना लागू की गई है तथा इस वर्ष कुल 41 कर्मचारियों को नकद पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया।

नवंबर 2022 में संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा केआईओसीएल कार्यालय का निरीक्षण किया गया। जून 2022 में मैंगलोर में, केआईओसीएल संयंत्र कार्यालय का क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निरीक्षण किया गया और इस्पात मंत्रालय द्वारा विजाग कार्यालय का निरीक्षण किया गया।

अध्याय-20

महिला सशक्तिकरण

20.1 इस्पात मंत्रालय

दिनांक 31 दिसंबर, 2022 की स्थिति के अनुसार, 32 महिलाएं इस्पात मंत्रालय में कार्यरत हैं, जो कुल 182 की जनशक्ति का 17.58% है।

भारत की उच्चतम न्यायालय ने अगस्त, 1997 में विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के मामले में कार्य के संबंध में महिलाओं की लैंगिक समानता के नियमों तथा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का संज्ञान लिया और कहा कि कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न उनकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15(1) और 21 का उल्लंघन करता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के सभी नियोक्ताओं को यौन उत्पीड़न रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, संगठन के बाहर के प्रतिनिधियों के साथ एक शिकायत समिति (कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न) गठित की जाती है।

सर्वोच्च न्यायालय के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में, इस्पात मंत्रालय ने महिला कर्मचारियों द्वारा की गई शिकायतों की जांच करने और उनका समाधान करने के लिए पांच सदस्यीय आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। समिति को 1 अप्रैल, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 की अवधि के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

20.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

दिनांक 01.12.2022 तक, सेल में 3,684 महिलाएं हैं जो कुल जनशक्ति का 6.13% है। चिकित्सा, पैरा–मेडिकल सेवाओं और शैक्षणिक क्षेत्र में महिलाएं प्रबंधकीय, तकनीकी (इंजीनियर) क्षमता में हैं। कंपनी चयन, भर्ती, नियुक्ति और कैरियर के विकास में दोनों लिंगों को समान अवसर प्रदान करती है।

बिना किसी लैंगिक भेदभाव के सभी कर्मचारियों के लिए एक समान भविष्योन्मुखी विकास का अवसर अपने कर्मचारियों के पेशेवर विकास के लिए सेल की नीति की पहचान है। वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की बढ़ती संख्या इस तथ्य का संकेत है।

कंपनी की प्रशिक्षण नीति प्रशिक्षण आवश्यकताओं के विश्लेषण के माध्यम से महिला कर्मचारियों सहित अपने सभी कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विकास की जरूरतों का ध्यान रखती है। भविष्योन्मुखी विकास और कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सभी क्षेत्रों में विशेषीकृत/तकनीकी/प्रबंधकीय प्रशिक्षण हेतु महिला कर्मचारियों पर विचार किया जाता है।

20.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल में, महिला कर्मचारी इसकी कुल जनशक्ति का 3.40% हैं। लगभग 6.59% कार्यपालक और 1.85% गैर–कार्यपालक महिला कर्मचारी हैं। महिला कर्मचारी मानव संसाधन, वित्त, स्वास्थ्य सेवाओं आदि में पारंपरिक कार्यों के अलावा संचालन और परियोजनाओं जैसे विविध और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में काम कर रही हैं।

आरआईएनएल स्कोप के तत्वावधान में गठित सार्वजनिक क्षेत्र की महिलाओं के मंच (डब्ल्यूआईपीएस) के स्थानीय प्रकोष्ठ के माध्यम से महिला कार्यबल को घनिष्ठता से जोड़ने में मदद करता है। प्रकोष्ठ महिला कर्मचारियों के विकास के लिए आयोजित कई गतिविधियों में सहयोग कर रहा है जिसमें प्रबंधकीय विकास, नेटवर्किंग/तंत्र पर कार्यक्रम शामिल हैं। कार्य–जीवन संतुलन, तनाव प्रबंधन, समय प्रबंधन और परामर्श कौशल, महिलाओं के रोजगार से संबंधित मुद्दों पर अपने कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए लैंगिक संवेदनशीलता सहित सामाजिक कौशल आदि शामिल हैं।

20.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी लिमिटेड में 364 महिला कर्मचारी कार्यरत हैं जो इसकी कुल जनशक्ति का लगभग 6.4% है। कंपनी सभी स्तरों पर महिलाओं व पुरुषों के लिए समान अवसर प्रदान करती है, चाहे वह चयन, भर्ती, नियुक्ति या पदोन्नति हो।

मुख्य कार्यालय और परियोजनाओं में पृथक शौचालय, आराम कक्ष आदि जैसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। एनएमडीसी स्वास्थ्य सेवा, परिवार नियोजन आदि में जागरूकता पर प्रशिक्षण के लिए महिला कर्मचारियों को भी प्रायोजित करती रही है। कंपनी के सभी वैधानिक दायित्व महिला कर्मचारियों के लिए इसकी नीतियों में परिलक्षित होते हैं। सभी परियोजनाओं में विप्स (डब्ल्यूआईपीएस) प्रकोष्ठों का गठन किया गया है।

20.5 मॉयल लिमिटेड

मॉयल में 808 महिला कर्मचारी हैं जो इसके कुल कार्यबल का 14.26% हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, यौन उत्पीड़न के तहत प्राप्त मामलों से निपटने के लिए निगम में यौन उत्पीड़न निवारण समिति की स्थापना की गई है। समिति के सदस्यों के नाम निगम की वेबसाइट www.moil.nic.in पर अपलोड कर दिए गए हैं। निगम की सभी खदानों में महिला मंडल प्रभावी ढंग से कार्यरत रहे हैं। विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक और सामुदायिक गतिविधियाँ, जैसे कि वयस्क शिक्षा, रक्तदान शिविर, नेत्र शिविर, परिवार नियोजन आदि नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं, जो ज्यादातर दूरस्थ खनन क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लाभ के लिए प्रायोजित हैं।

20.6 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन लिमिटेड में 101 महिला कर्मचारी कार्यरत हैं जो इसकी कुल जनशक्ति का लगभग 9.3% है। मेकॉन में महिला कर्मचारियों की शिकायत या शिकायतों को देखने के लिए पीठासीन अधिकारी के रूप में एक वरिष्ठ महिला कार्यकारी की अध्यक्षता में एक आंतरिक शिकायत समिति है। मेकॉन महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंध में मंत्रालय/भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों का भी पालन करता है। इसके अलावा, महिला कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए एचआर विभाग द्वारा समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

20.7 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी लिमिटेड में 50 महिला कर्मचारी कार्यरत हैं जो इसकी कुल जनशक्ति का लगभग 16.5% है। एमएसटीसी सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के मंच (डब्ल्यूआईपीएस) का एक निगमित आजीवन सदस्य है। एमएसटीसी के सभी कार्यालयों में गठित आंतरिक शिकायत समितियां सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। कंपनी में आवधिक बैठकें और शिकायत समाधान, जागरुकता कार्यक्रम आदि भी विधिवत रूप से संचालित होते हैं।

एमएसटीसी कार्य–स्थल पर यौन उत्पीड़न को समाप्त करने का प्रयास करता है। महिला कर्मचारियों को सुरक्षित कार्य वातावरण और उनकी भागीदारी में सुधार करने के लिए कंपनी की नीति ऐसे आपराधिक कृत्यों के निवारण, निषेध और समाधान की है। नीति को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप लागू किया गया था। यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की स्थापना की गई है। सभी कर्मचारी (स्थायी, संविदात्मक, अस्थायी, प्रशिक्षु) इस नीति के अंतर्गत आते हैं।

20.8 केआईओसीएल लिमिटेड

31.12.2022 तक, महिला कर्मचारियों की कुल संख्या 23 है जो कुल जनशक्ति का 3.5% है।

वेतन भुगतान, काम के घंटे, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण पहलुओं, मातृत्व लाभ आदि जैसे मामलों में महिला कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए कंपनी द्वारा सभी आवश्यक उपायों/सांविधिक प्रावधानों का पालन किया जा रहा है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रावधानों/आवश्यकताओं के अनुपालन में, यौन उत्पीड़न के पीड़ितों द्वारा की गई शिकायतों से निपटने के लिए बेंगलुरु, मंगलुरु और कुद्रेमुख इकाइयों में आंतरिक शिकायत समितियों का गठन किया गया था। शिकायत समिति में पीठासीन अधिकारी के रूप में एक वरिष्ठ स्तर की महिला कार्यकारी, सदस्य के रूप में एक पुरुष कर्मचारी और एक महिला कर्मचारी और तीसरे पक्ष के सदस्य के रूप में गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) की एक महिला प्रतिनिधि शामिल हैं।

केआईओसीएल में महिलाओं का एक संगठन–वूमैन इन पब्लिक सेक्टर काम कर रहा है और अधिकांश महिला कर्मचारी उक्त फोरम की सदस्य हैं। केआईओसीएल डब्ल्यूआईपीएस का आजीवन सदस्य है। केआईओसीएल से डब्ल्यूआईपीएस के साथ संपर्क के लिए समन्वयकों को रोटेशन के आधार पर नामित किया जा रहा है। महिला कर्मचारियों (सदस्यों) को कंपनी द्वारा डब्ल्यूआईपीएस की वार्षिक बैठकों/क्षेत्रीय बैठकों में भाग लेने के लिए नामित किया जा रहा है।

अध्याय-21

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

21.1 परिचय

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए विस्तृत रूपरेखा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई है, जिसे कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2011 तथा 2022 के द्वारा समय–समय पर संशोधित किया गया है। अधिनियम की अनुसूची VII कंपनियों द्वारा किए जाने योग्य सीएसआर क्रियाकलापों को निर्धारित करती है।

यह अधिनियम, अन्य बातों के साथ–साथ, यह निर्धारित करता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा–निर्दिष्ट निर्धारित सीमा को पार करने वाली कंपनियों को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% सीएसआर गतिविधियों के लिए आवंटित करना होगा। समय–समय पर संशोधित, कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 की धारा 135 के तहत सरकार द्वारा प्रदान किए गए व्यापक ढांचे के अनुसार सीएसआर के तहत राशि विभिन्न कंपनियों द्वारा आवंटित और उपयोग की जाती है। कंपनी बोर्ड को कंपनी की सीएसआर क्रियाकलापों की योजना बनाने, निर्णय लेने, निष्पादित करने और निगरानी करने का अधिकार है। कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII उन गतिविधियों को इंगित करती है जो निगमों द्वारा की जा सकती हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और ग्रामीण विकास परियोजनाएं आदि शामिल हैं। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 135(5) का पहला परंतुक के अनुसार, कंपनी स्थानीय क्षेत्रों और अपने आस–पास के उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी जहां वह काम करती है।

अधिनियम के तहत, सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड को सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर सीएसआर क्रियाकलापों की योजना बनाने, निर्णय लेने, निष्पादित करने और निगरानी करने का अधिकार है। सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण आधारित है और सीएसआर अधिदेशित कंपनियों को एमसीए21 रजिस्ट्री में वार्षिक आधार पर सीएसआर गतिविधियों का विवरण दाखिल करना आवश्यक है।

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) समय–समय पर सीएसआर पर सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और सीपीएसई को दिशा–निर्देश/निर्देश भी जारी करता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए, डीपीई ने सीपीएसई द्वारा सीएसआर गतिविधियों के लिए सामान्य विषय के रूप में 'स्वास्थ्य और पोषण' को मंजूरी दी है। सीएसआर पर किया गया व्यय मोटे तौर पर अधिनियम की अनुसूची VII के तहत निर्धारित क्षेत्रों नामतः शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्थायी आय सृजन, दिव्यांगों को सहायता, जल और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच, ग्राम विकास, पर्यावरण संरक्षण, खेल प्रशिक्षण, पारंपरिक कला और संस्कृति को बढ़ावा देना आदि पर किया जाता है।

21.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

सेल सीएसआर पहलों को कंपनी अधिनियम, 2013, अनुसूची VII के सीएसआर प्रावधानों सीएसआर नियम, 2014 और कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियम, 2021 और 2022 के अनुपालन में कार्यान्वित किया जा रहा है। बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति में एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में 2 कार्यात्मक निदेशक, 4 स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। सेल सीएसआर परियोजनाओं को मुख्य रूप से अनुसूची–VII के अनुरूप आने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्टील टाउनशिप और खदानों की परिधि में कार्यान्वित करता है। सीएसआर रिपोर्ट को निदेशक के वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल किया गया है और साथ ही निगम के वेबपेज पर अपलोड किया गया है।

सीएसआर की प्रमुख पहलें:

स्वास्थ्य और पोषण: सेल की व्यापक और विशेषज्ञ स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना ने 2011–2022 की अवधि के दौरान आस–पास रहने वाले लगभग 177 लाख ग्रामीणों को विशेषज्ञ और आधारभूत चिकित्सा प्रदान की है। संयंत्रों और खानों में 24 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों ने लगभग 11,300 कोविड–19 रोगियों सहित 1,25,000 से अधिक रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा और दवाईयां प्रदान की हैं, नियमित स्वास्थ्य शिविरों और 5 मोबाइल चिकित्सा वैनों ने आस–पास के क्षेत्रों में लगभग 64,500 ग्रामीणों को उनके द्वार पर चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। सेल, अक्षय पात्र फाउंडेशन के सहयोग से, भिलाई और राउरकेला के 600 सरकारी स्कूलों में लगभग 63,000 छात्रों को मध्याह्न भोजन और सूखा राशन किट प्रदान कर रहा है।

शिक्षा: सेल स्टील टाउनशिपों में 40,000 से अधिक बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने वाले 77 से अधिक विद्यालयों को सहयोग प्रदान कर रहा है। 19 विशेष विद्यालय (कल्याण और मुकुल विद्यालय) लगभग 4865 बीपीएल श्रेणी के छात्रों को मुफ्त सुविधाओं जैसे शिक्षा, मध्यान्ह भोजन, वर्दी, जूते, पाठ्य पुस्तकें आदि द्वारा लाभान्वित कर रहे हैं। आदिवासी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 441 से अधिक बच्चों (ज्ञानज्योति योजना, बोकारो के तहत 15 बिरहोर सहित) को सारंडा सुवन छात्रावास, किरिबुरु; ज्ञानोदय छात्रावास, बीएसपी विद्यालय राजहरा, भिलाई, आदि में मुफ्त शिक्षा, आवास, भोजन, वर्दी और पाठ्यपुस्तकें आदि मिल रही हैं। 100 से अधिक स्कूली छात्रों को वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

डुमर्टा माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर सह पुस्तकालय केंद्र

महिला सशक्तिकरण और सतत आय सृजन: 223 स्थानीय युवाओं और 1306 महिलाओं को सतत आय सृजन हेतु लक्षित विभिन्न कौशल क्षेत्रों में व्यावसायिक–कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

सीएसआर के तहत सामुदायिक विकास

कौशल विकास: लगभग 418 ग्रामीण युवाओं को आईटीआई कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आईटीआई बोलानी, बड़गांव, बलियापुर, राउरकेला और बोकारो और निजी आईटीआई आदि में प्रायोजित किया गया है।

पर्यावरण संरक्षण: ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं, सारंडा और अन्य स्थानों के ग्रामीण लोगों के बीच सौर लालटेन और धुआं रहित चूल्हे वितरित किए गए हैं। इसकी टाउनशिप में पार्कों, वनस्पति उद्यानों, जल निकायों का रखरखाव, 5 लाख से अधिक पेड़ों का रोपण/रखरखाव किया जा रहा है। सेल ने झारखंड के जरी, गुमला में 100 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना और प्रचालन में सहायता की है।

दिव्यांगों (नि:शक्तजन) और वरिष्ठ नागरिकों को सहायता: दिव्यांगों (बच्चों/लोगों) को तिपहिया साइकिल, मोटर चालित वाहन, कैलीपर्स, श्रवण यंत्र, कृत्रिम अंग आदि की सुविधा दी जाती है। सेल 'नेत्रहीन, बधिर और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल' और 'होम एंड होप' राउरकेला, 'आशालता केंद्र' बोकारो, 'हैंडिकैप्ड ओरिएंटेड एजुकेशन प्रोग्राम' और 'दुर्गापुर हैंडीकैप्ड हैप्पी होम' दुर्गापुर, और 'चेशायर होम' बर्नपुर जैसे केंद्रों को सहायता प्रदान करता है विभिन्न प्लांट टाउनशिप जैसे 'सियान सदन' भिलाई, 'आचार्य धाम' दुर्गापुर और 'सीनियर सिटिजन होम, 'राउरकेला, आदि वृद्ध आश्रमों को सहायता प्रदान की जाती है।

खेल, कला और संस्कृति: सेल इच्छुक खिलाड़ियों और महिलाओं को बोकारो (फुटबॉल), राउरकेला (हॉकी) विश्व स्तरीय एस्ट्रो–टर्फ ग्राउंड के साथ, भिलाई (लड़कों के लिए एथलेटिक्स), दुर्गापुर (लड़कियों के लिए एथलेटिक्स) और किरीबुरु, झारखंड (तीरंदाजी) में अपनी आवासीय खेल अकादमियों के माध्यम से सहायता और कोचिंग दे रहा है। छत्तीसगढ़ लोक कला महोत्सव, ग्रामीण लोकोत्सव जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रति वर्ष आयोजित किए जाते हैं।

आकांक्षी जिलों का विकास: सेल ने 6 आकांक्षी जिलों नामतः छत्तीसगढ़ में कांकेर, नारायणपुर और राजनांदगांव और झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो और रांची में सीएसआर गतिविधियां शुरू की हैं।

आदर्श इस्पात गांवों को अपनाना: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की खाई को पाटने के लिए और भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे दोनों का व्यापक विकास करने के लिए, पूरे देश में (आठ राज्यों में) गांवों को ''मॉडल स्टील गांवों'' (एमएसवी) के रूप में अपनाया गया था। इन गांवों में की गई विकासात्मक गतिविधियों में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, सड़कें और कनेक्टिविटी, स्वच्छता, सामुदायिक केंद्र, आजीविका सृजन, खेल सुविधाएं

आदि शामिल हैं। इन एमएसवी में विकसित सुविधाएं नियमित रूप से चलाई जा रही हैं और उनका रखरखाव किया जा रहा है।

सारंडा वन में रहने वाले समुदायों का विकास: सुदूर वन क्षेत्रों के उपेक्षित लोगों को विकास की मुख्यधारा में लाने के प्रयास में, सेल ने सरकार के साथ मिलकर सारंडा वन, झारखंड की विकास प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिया। सेल ने निवासियों के लिए एम्बुलेंस, साइकिल, ट्रांजिस्टर, सौर लालटेन प्रदान की और बैंक, पंचायत कार्यालय, राशन की दुकान, दूरसंचार कार्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र, बैठक कक्ष आदि जैसी सुविधाओं के साथ दीघा गांव में एक एकीकृत विकास केंद्र स्थापित किया गया है।

21.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

वर्ष 2007 से आरआईएनएल का सीएसआर के लिए एक अलग विभाग है। आरआईएनएल ने वर्ष 2006 में ही अपनी सीएसआर नीति तैयार की थी। इसके बाद, कंपनी अधिनियम 2013, सीएसआर नियम 2014 और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप 'आरआईएनएल सीएसआर और स्थिरता नीति' तैयार की गई है। आरआईएनएल में सीएसआर पहल आरआईएनएल की सीएसआर नीति के अनुसार की जाती है जिसे आरआईएनएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है। 3 कार्यात्मक निदेशकों, 2 स्वतंत्र निदेशकों और एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता वाली बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति गठित है। आरआईएनएल की सीएसआर और स्थिरता नीति के संदर्भ में, बोर्ड उप–समिति (सीएसआर समिति) आरआईएनएल बोर्ड को अनुमोदन, बजट और व्यापक सीएसआर गतिविधियों को करने की सिफारिश करती है। सीएसआर पहल एक प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है जिसमें बेसलाइन सर्वेक्षण और/या सामाजिक आवश्यकताओं, परिव्यय, लाभार्थियों, पहुँच और कवरेज के लिए प्रासंगिक विभिन्न स्वैच्छिक एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के तहत निर्धारित और समय–समय पर संशोधित किया गया है, के माध्यम से परियोजनाओं की पहचान शामिल होती है।

सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन और निगरानी की समीक्षा बोर्ड उप समिति द्वारा की जाती है। सीएसआर विभाग नियमित रूप से परियोजनाओं की निगरानी करके सीएसआर पहलों के कार्यान्वयन पर निरंतर निगरानी रखता है ताकि निर्धारित तिथियों तक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

प्रमुख सीएसआर पहलें:

स्वास्थ्य और पोषण:

- आरआईएनएल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 1200 स्कूली बच्चों को दैनिक मध्याह्न भोजन के रूप में पौष्टिक भोजन प्रदान कर रहा है। और साथ ही अक्षयपात्र फाउंडेशन की केंद्रीकृत रसोई को अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान की।
- रीढ़ की हड्डी की चोट (एससीआई) के रोगियों को व्हील चेयर, ट्राइसाइकिल, अनुकूली उपकरण और दिव्यांगों (ऐम्प्युटी) के लिए प्रोस्थेटिक्स, ऑर्थोटिक्स, स्पाइन ब्रेसेस, कैलीपर्स आदि प्रदान किए गए ताकि वे अपनी दिव्यांगता को सीमित करके बेहतर जीवन जी सकें।
- 160 मां–बेटी (युग्म में) हेतु कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए निवारक टीकाकरण और स्क्रीनिंग के माध्यम से निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना।

शिक्षा:

- प्रत्येक वर्ष संयंत्र और खानों के आस–पास के गांवों के गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों के लगभग 1600 बच्चों को निशुल्क और गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की गई।

- **अरुणोदय स्पेशल स्कूल:** टाउनशिप में आरआईएनएल द्वारा बनाए गए अरुणोदय स्पेशल स्कूल के माध्यम से हर साल आसपास के गांवों के लगभग 100 अलग–अलग विकलांग बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और चिकित्सा सहित मुफ्त शिक्षा प्रदान की गई। आरआईएनएल ने शैक्षिक अवसंरचना जैसे उत्तर–प्रदेश के रायबरेली के पास एहर गांव में उच्च प्राथमिक विद्यालय में और तौधकपुर में प्राथमिक विद्यालय में डबल डैस्क बेंच, आरओ संयंत्र, कक्षा की बिजली की वायरिंग, पंखे, ट्यूबलाइट आदि प्रदान की। इसके अलावा, आरआईएनएल ने सरकारी आईटीआई, गजुवाका के माध्यम से सरकारी स्कूलों को लगभग 1000 तीन सीटों वाले दोहरे डेस्क प्रदान किए हैं। कॉलेज भवनों, स्थापित कंप्यूटर लैब, अतिरिक्त क्लास रूम, कंपाउंड वॉल आदि के लिए विशेष मरम्मत कार्य कराए।

कौशल संवर्धन: 'प्रोजेक्ट सक्षम': पुनर्वास कॉलोनियों और एजेंसी क्षेत्रों में लाभार्थियों के लिए सीएडी/सीएएम पाठ्यक्रमों, मोबाइल रिपेयरिंग, एलएमवी ड्राइविंग, घर की वायरिंग, कटिंग और टेलरिंग, डिजाइनिंग और फैब्रिक पेंटिंग में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान की।

ग्रामीण विकास: संयंत्र और खदान के आस–पास, समाज और समुदायों के सामान्य कल्याण के लिए गतिविधियां माधारम और गर्भम खनन तथा फोर्ज्ड व्हील संयंत्र में सीसी रोड, शौचालय ब्लॉक निर्माण और अन्य विकास कार्यों को शुरू किया गया।

वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल : दीघा, पटना, बिहार में स्थित वृद्धाश्रम में एक वर्ष के लिए लगभग 100 परित्यक्त और निराश्रित वृद्धजनों को सहायता प्रदान की गई है।

स्वच्छता और पेयजल: विशाखपट्टनम जिले के आदिवासी क्षेत्रों में पेयजल की गंभीर समस्या के स्थायी समाधान के उद्देश्य से ''जलधारा'' नामक एक अनूठी परियोजना शुरू की गई है।

21.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी ने अपने सीएसआर कार्यक्रम के संबंध में एक व्यापक और पारदर्शी नीति दस्तावेज तैयार किया है। निगम, कंपनी अधिनियम 2013 और उसके तहत बनाए गए सीएसआर नियम 2014 का अनुपालन करती है और समय–समय पर डीपीई द्वारा जारी सीएसआर दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित होती है। कंपनी ने सितंबर 2008 में अपनी सीएसआर नीति तैयार की है और उक्त नीति को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और समय–समय पर संशोधित नियमों के अनुसार संशोधित किया गया है।

सीएसआर गतिविधियां मुख्य रूप से एनएमडीसी द्वारा गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों/न्यासों या संबंधित राज्य/जिला प्राधिकरणों/पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से जिला/ब्लॉक/ग्राम स्तर आदि पर सीधे कार्यान्वित की जाती हैं। कार्यान्वयन के बीच सुधार के लिए, जब भी आवश्यक हो, निरंतर प्रतिक्रिया तंत्र के साथ परियोजना प्रक्रिया में कार्यान्वयन, निगरानी की जाती है।

एनएमडीसी नियमित रूप से अपनी सीएसआर पहलों के प्रभाव का आकलन करता है। सीएसआर गतिविधियों के नवीनतम प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन का लिंक निम्नानुसार है: https://www.nmdc.co.in/csr/csr-activities/impact-assessment।

सीएसआर की प्रमुख पहलें:

स्वास्थ्य और पोषण :

- **परियोजना वाले अस्पतालों में मुफ्त इलाज -** जनजातीय लोगों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इन अस्पतालों ने लगभग 125587 बाह्य रोगी तथा 27429 स्थानीय जनजातीय अंतरंग रोगी आदिवासियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई है।

- **हॉस्पिटल ऑन व्हील्स (एचओडब्ल्यू) -** दूर–दराज के गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के 165 गांवों समेत 13 वैन/अस्पताल ऑन व्हील्स का संचालन करना, जिससे लगभग 1.5 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं।

- एनएमडीसी ने महारानी अस्पताल (जिला अस्पताल), जगदलपुर, बस्तर जिला, छत्तीसगढ़ में बर्न वार्ड की स्थापना में राज्य सरकार की सहायता की।
- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को समर्थनः अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ साझेदारी में, एनएमडीसी स्कूली समय के दौरान छात्रों को पौष्टिक और स्वास्थकारी भोजन प्रदान करने के लिए मध्याह्न भोजन योजना में सहायता कर रहा है। इस योजना में कर्नाटक में दोणिमलै परियोजना और उसके आसपास के ग्रामीण स्कूली बच्चों में से 8000 छात्र शामिल हैं।

शिक्षा:

- छात्रवृत्ति योजना ''एनएमडीसी शिक्षा सहयोग योजना'' अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के छात्रों को शिक्षा जारी रखने में मदद करने के लिए है। यह 2008 से चल रही है और प्रति वर्ष 18000 तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- एनएमडीसी स्थानीय आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए नगरनार, बस्तर में एक आवासीय विद्यालय को सहायता प्रदान कर रहा है।
- **बालिका शिक्षा योजना-** इस पहल के तहत बस्तर संभाग की आदिवासी छात्राओं को प्रोफेशनल नर्सिंग कोर्स के लिए प्रायोजित किया जाता है।
- **एजुकेशन सिटी:** स्थानीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में मदद करने के उद्देश्य से एक ही परिसर में प्राथमिक से लेकर व्यावसायिक संस्थानों तक के संस्थानों के साथ शैक्षिक सुविधाएं एक केंद्र के रूप में उपलब्ध हैं। एनएमडीसी ने स्थानीय बच्चों की मदद हेतु छत्तीसगढ़ सरकार को एजुकेशन सिटी,

दंतेवाड़ा के भीतर विभिन्न शैक्षिक सुविधाओं के निर्माण में उनके संचालन करने के लिए सहायता प्रदान की है ताकि वे स्थानीय बच्चे जो शिक्षा जारी रखने में भौगोलिक क्षेत्र के साथ प्रचलित कानून और व्यवस्था जैसी चुनौतियों व असुविधाओं का सामना करते हैं, गुणवत्तापूर्ण पेशेवर और तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकें।

कौशल विकास:

- बैलाडिला, छत्तीसगढ़ में एनएमडीसी परियोजनाओं के युवाओं को स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित कौशल नामत् फेलोटॉमी/ब्लड क्लेक्शन/ओटी तकनीशियन प्रदान किए गए, और 28 प्रशिक्षुओं को लाभकारी रोजगार में नियोजित किया गया।
- भांसी (दंतेवाड़ा जिला) और नगरनार (बस्तर जिला) में दो आईटीआई और दंतेवाड़ा में पॉलिटेक्निक कॉलेज सफलतापूर्वक चल रहे हैं। आईटीआई के 274 और पॉलिटेक्निक के 227 छात्रों को परिसर चयन के जरिए विभिन्न कंपनियों में निजोजन प्रस्ताव मिले हैं।
- दंतेवाड़ा जिले में लगभग 600 स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए ऑर्किड विकास की पहल की गई है, जहां तकनीकी जानकारी और फल देने वाले पौधों के साथ इनपुट प्रदान किया जाता है।
- **छत्तीसगढ़ के राज्य प्राधिकरणों के साथ साझेदारी में-** कामधेनु कार्यक्रम के तहत दंतेवाड़ा जिले के चलकी पारा में एक दुग्ध डेयरी फार्म की स्थापना की गई है।
- **मेहर छो मान -** मासिक धर्म स्वच्छता पर जागरूकता और सैनिटरी नैपकिन के उपयोग को बढ़ावा देना। 8 स्थानीय स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सैनिटरी नैपकिन बनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया और दंतेवाड़ा जिले में स्थानीय महिलाओं के बीच वितरण किया गया।

पेयजल: सामूहिक जल आपूर्ति योजना–दंतेवाड़ा जिले के आस–पास के गांवों में सुरक्षित और पीने योग्य पेयजल, दोणिमलाई आयरन ओर माइन (डीआईओएम) दोणिमलाई कॉम्प्लेक्स, कर्नाटक के आसपास के गांवों में आरओ आधारित पेयजल की सुविधा, और तालाब को गहरा करने का काम और हीरा खनन परियोजना (डीएमपी) पन्ना, मध्य प्रदेश के आसपास के गांवों में पीने योग्य जल की सुविधा प्रदान करना।

21.5 मॉयल लिमिटेड

कंपनी अपनी सीएसआर गतिविधियों को कंपनी अधिनियम, 2013, समय–समय पर संशोधित कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम 2014, में निहित प्रावधानों और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप कर रही है। कंपनी ने स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति का गठन किया है। सीएसआर नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित है और अपनी वेबसाइट पर अपलोड की गई है। निगम ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार सीएसआर पहलें शुरू की है। कंपनी बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति की सिफारिशों के अनुसार और बोर्ड के अनुमोदन से सीएसआर गतिविधियां संचालित कर रही है। सीएसआर गतिविधियों/परियोजनाओं को मॉयल द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 और समय–समय पर संशोधित कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के आंतरिक संसाधनों का स्वउपयोग करके या किसी पहचानी गई उपयुक्त संस्था के माध्यम से या जिला प्रशासन के माध्यम से या एनजीओ/विशेष संस्थाओं/ट्रस्ट/फाउंडेशन/समाज/निकायों/आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करके कार्यान्वित किया जाता है।

सीएसआर की प्रमुख पहलें:

- मॉयल ने डीएवी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के सहयोग से भंडारा जिले के सीतासौंगी में सीबीएसई पंजीकृत विद्यालय का निर्माण किया है। विद्यालय में 35 कक्षाओं, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय आदि के साथ आधुनिक

शैक्षिक सुविधाएं हैं। मॉयल शिक्षा और कौशल विकास पहल में चार विद्यालय (महाराष्ट्र के भंडारा जिले और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में प्रत्येक में दो) को भी सहायता प्रदान कर रहा है।

- मॉयल/एमओआईएल ने 15 लड़कियों (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से) को अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग, हैदराबाद के सहयोग से नर्सिंग में स्नातक डिग्री कोर्स और जनरल नर्सिंग एंड मिड कोर्स प्रायोजित किया है।

- राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद, भारत सरकार के मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से कंपनी के खनन के आस–पास के क्षेत्रों से महिला उम्मीदवारों के लिए भारी वाहनों/मशीनरी संचालन हेतु कौशल विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।

- कंपनी ने बीएआईएफ इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड लाइवलीहुड डेवलेपमेंट (बीआईएसएलडी) नामक एक पेशेवर एजेंसी को नियोजित किया है। विकास कार्यकलापों के प्रमुख क्षेत्रों में आजीविका, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, आंगनवाड़ी आधारित गतिविधियां, जल संसाधन प्रबंधन, समुदाय संसाधन विकास, कृषि प्रशिक्षण, अवसंरचना विकास, पशु धन विकास प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सफाई, जीवन की गुणवत्ता आदि शामिल हैं।

- सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, ब्लॉक परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.) और राजकीय जिला अस्पताल भोपाल और पन्ना (मध्य प्रदेश) को एक–एक एंबुलेंस प्रदान की।

- केन्द्रीय विद्यालय, बालाघाट में कमरों का निर्माण, सरकारी वूमन पोलिटेक्निक बालाघाट में चारदीवारी का निर्माण, पुरी जिला (ओडिशा) में दो समुदाय हालों का निर्माण सहित खेल के मैदान के विकास जैसे अवसंरचना विकास कार्य किए गए।

21.6 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन की सीएसआर नीति कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और डीपीई के दिशा–निर्देशों के अनुसार है। सीएसआर परियोजनाओं को सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है। ''सीएसआर समिति'' और अधिकारियों/कर्मचारियों की नोडल अधिकारी टीम, प्रभारी, सीएसआर सेल के माध्यम से कंपनी के सीएसआर एजेंडे को चलाने के लिए दो स्तरीय संगठनात्मक संरचना का गठन करती है। सीएसआर निधि का आवंटन और व्यय कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार है। सीएसआर योजनाएं ''सीएसआर समिति'' द्वारा तैयार की जाती हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित होती हैं। कंपनी की सीएसआर गतिविधियां कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–VII के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों, वृद्धों, शारीरिक रूप से अक्षम आदि सहित समाज के कमजोर/उपेक्षित/वंचित वर्गों के विकास पर विशेष ध्यान देना है। सीएसआर गतिविधियों/परियोजनाओं को मेकॉन द्वारा ही कार्यान्वित किया जाता है और जहां तक संभव हो परियोजना अनुरूप कार्यान्वित किया जाता है। सभी सीएसआर गतिविधियों की नियमित रूप से नोडल अधिकारी (सीएसआर) और प्रभारी, सीएसआर सेल द्वारा निगरानी की जाती है।

प्रमुख सीएसआर पहलें:

- चेशायर होम्स इंडिया, रांची (दिव्यांगजनों के लिए एक गृह) में डायनिंग हाल–सह–मोमबत्ती निर्माण खंड और प्रिंटिंग खंड की मरम्मत।

- रांची में और उसके निकट तथा झारखंड के खुंटी जिले के गोद लिए गए गांव में उपेक्षित बच्चों के लिए 7 समुदाय शिक्षा केन्द्र चलाना।
- 5 सिलाई प्रशिक्षण केन्द्रों में वंचित महिलाओं के लिए मुफ्त सिलाई प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसे रांची में और उसके आस–पास तथा झारखंड के खुंटी जिले में गोद लिए गए गांव की झुग्गी बस्ती/पिछड़े क्षेत्र में चलाया जा रहा है। इन केन्द्रों में प्रशिक्षित लोगों की संख्या लगभग 50 है।
- गोद लिए गए गांव परसा टोली, पंच, खंड–बुंदु, जिला रांची में शौचालय परिसर का निर्माण।
- गोद लिए गए गांव, सुंगी, जिला खुंटी और रुपरु, जिला रांची के ग्रामीणों की मेकॉन टाउनशिप अस्पताल–इस्पात अस्पताल, रांची में मोतियाबिंद की सर्जसी को सुकर बनाया।
- मैसर्स बिहार समाज कल्याण संस्थान गांव कुलगु, ब्लॉक नागरी, जिला रांची के आदर्श होम (वृद्धाश्रम) में सुरक्षित पेयजल सुविधा का निर्माण।
- रांची में मेकॉन के गोद लिए गए गॉव और झारखंड के खुंटी जिले और मेकॉन टाउनशिप स्कूल रांची के गरीब/वंचित/जरूरतमंद बच्चों के लिए 'पोषण अभियान' चलाया जा रहा है।

21.7 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी बाहरी विशेषज्ञ एजेंसियों की मदद से सीएसआर परियोजना को लागू करती है। सरकारी/अर्ध–सरकारी/सीएसआर हब की सूचीबद्ध एजेंसियां जहां भी संभव हो प्रयासरत हैं। ऐसी एजेंसियां जो किसी भी सीएसआर गतिविधि को करने का इरादा रखती हैं, उन्हें नीति आयोग के साथ पंजीकृत होना होगा। एजेंसी को केंद्र सरकार के साथ पंजीकृत भी होना चाहिए और 1 अप्रैल 2021 से आरओसी द्वारा जारी एक अद्वितीय सीएसआर पंजीकरण संख्या प्राप्त करनी होगी। परियोजना का मूल्यांकन संबंधित अधिकारियों/सीएसआर समिति द्वारा किया जाता है। निगरानी प्रणाली में अधिकारियों के नामित समूहों द्वारा परियोजना/कार्यक्रम स्थलों का नियमित क्षेत्र दौरा शामिल है।

सीएसआर की गई प्रमुख पहलें:

- अगरतला त्रिपुरा में रामकृष्ण मिशन और कोलकाता पश्चिम बंगाल में भारत सेवाश्रम संघ अस्पताल को चिकित्सा उपकरण प्रदान किए।
- पूर्वी सिंघभूम, झारखंड में विश्व कल्याण सेवा ट्रस्ट को एडवांस लाइफ सपोर्ट सहित मोबाइल मेडिकल डिस्पेंसरी वैन प्रदान की गई।
- कोलकाता, पश्चिम बंगाल में इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ ट्रस्ट को उपकरण और उपस्कर प्रदान किए।
- कोलकाता, पश्चिम बंगाल में मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन के लिए उपकरण और उपस्कर हेतु वित्तीय सहायता दी गई।
- नंदुरबार, महाराष्ट्र में जन कल्याण सेवा संस्थान के लिए उपकरण और एम्बुलेंस प्रदान की।
- श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश में मुख्य विकास कार्यालय, श्रावस्ती के लिए श्रावस्ती जिले के सिरसिया ब्लॉक के स्वास्थ्य और डिलीवरी केन्द्रों/उप केन्द्रों के लिए उपकरण/उपस्कर प्रदान किए।

- गिरिडीह, झारखंड में ग्राम कल्याण के लिए उत्क्रमिता मध्य विद्यालय और रामगढ़, झारखंड में नाबो प्राथमिक विद्यालय के स्कूल भवन की मरम्मत और नवीनीकरण।
- पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में बच्चों के कल्याण और ग्रामीण विकास के होली मिशन के लिए उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल में बेरोजगार युवाओं और सीमांत महिलाओं के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण।
- पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना, मदर चाइल्ड सर्वाइवल डेवलपमेंट रेवोल्यूशन के लिए ब्लॉक बारासात–1, उत्तर 24 परगना में मधुपुर माध्यमिक शिक्षा केंद्र के स्कूल भवन का नवीनीकरण।
- दक्षिण दिनाजपुर देशबंधु ग्रामीण विकास समाज के लिए, जिधरा एफ.पी. विद्यालय, दक्षिण दिनाजपुर हेतु कक्षा और रसोई सहित भोजन स्थान का निर्माण, (दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल)।

21.8 केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति है जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के अनुरूप तैयार की गई है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–VII के तहत अनिवार्य गतिविधियाँ की जाती हैं। केआईओसीएल इस संबंध में गठित आंतरिक सीएसआर समितियों द्वारा मुख्य रूप से कंपनी के स्थानीय क्षेत्रों में सीएसआर परियोजनाओं की पहचान करता है, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ स्तर के अधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में करते हैं। बेसलाइन डेटा रखने और लोगों और क्षेत्र की बुनियादी जरूरतों/आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए, आंतरिक समिति आंतरिक सर्वेक्षण करना सुनिश्चित करती है, परियोजनाओं आदि को अंतिम रूप देने के लिए संगठनों/एजेंसियों के साथ बातचीत करती है, जिसके आधार पर कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित परियोजनाओं/गतिविधियों की पहचान की जाती है। परियोजनाओं/गतिविधियों की पहचान के बाद, आंतरिक समिति निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वार्षिक योजना का मसौदा तैयार करती है और उसे बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति के समक्ष प्रस्तुत करती है। समिति वित्तीय सहायता के लिए विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त ऐसी सभी परियोजनाओं और गतिविधियों की छानबीन करती है और बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति को बोर्ड की टिप्पणियों/सिफारिशों के साथ प्रस्तुत करती है। बोर्ड के अनुमोदन के आधार पर, आंतरिक सीएसआर समितियां परियोजना को क्रियान्वित और कार्यान्वित करती हैं। बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति समय–समय पर सीएसआर परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करती है।

प्रमुख की गई सीएसआर पहलें:

- रामनगर, मंडला जिला, मध्य प्रदेश में जनजातीय उत्सव आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की।
- सर सी.वी. रमन जनरल हास्पिटल, बेगलुरु में माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला के लिए एल्युमिनियम पार्टीशन वाल और ग्रेनाइट प्लेटफार्म प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता दी।
- यादगीर जिला–आकांक्षी जिले में आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए पेयजल सुविधाएं प्रदान की।
- विद्यार्थियों और स्थानीय क्षेत्र के युवाओं के लिए कौशल विकास हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एलबीजेपी इंटर कालेज, तिलहर, उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की।
- रेड क्रॉस शताब्दी भवन परियोजना (मंगलुरु) के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की।

- नारायण हृदयालय अस्पताल, बेंगलुरु में गरीब परिवार से संबंधित रोगी के किडनी प्रत्यारोपण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की।
- गर्ल्स पीयू कॉलेज, संदूर, बेल्लारी जिले को प्रयोगशाला उपकरण और फर्नीचर प्रदान किए।
- सरकारी उच्च विद्यालय, माकिना, बेलथांगडी, मंगलुरु, जनजातियों के लिए सरकारी आवासीय विद्यालय, (होरनाडु और डीके जेडपी हायर प्राइमरी विद्यालय कोडंग, बटवाल तालुक, दक्षिण कन्नड़ को फर्नीचर (बेंच, डेस्क, टेबल, नोटिस बोर्ड और कप–बोर्ड आदि) प्रदान किये।
- मंगला सेवा समिति, अनाथालय (बाला संरक्षण केंद्र), मंगलुरु में रहने वाले बच्चों को भोजन आश्रय, कपड़े, शिक्षा और दवा प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता
- उप आयुक्त, दक्षिण कन्नड़ जिला, मंगलुरु के अनुरोध के अनुसार वेनलॉक अस्पताल में 5 डायलिसिस यूनिट की खरीद के लिए वित्तीय सहायता।
- सरकारी हाई स्कूल, एपीएमसी के पास, संदूर को शुद्ध पेयजल की सुविधा।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त अनुरोध के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वामदापदावु (एक्स–रे मशीन) के लिए 300 एमए सीआर सिस्टम प्रदान किया गया
- मंगलुरु, सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति।

अध्याय-22

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

22.1 परिचय

देश के प्रशासन और सुशासन में खुलेपन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने 15 जून, 2005 को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया। इस अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा करना भी है। सूचना का अधिकार प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना तक सुरक्षित पहुंच प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

22.2 आरटीआई अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदनों और अपीलों पर कार्रवाई करने और मंत्रालय में उनकी प्रगति की केंद्रीय निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया गया है। नोडल अधिकारी की सहायता अनुभाग अधिकारी द्वारा की जाती है। साथ ही, इस्पात मंत्रालय के अवर सचिव/सहायक निदेशक (रा.भा.)/सहायक औद्योगिक सलाहकार या इस्पात मंत्रालय के समकक्ष स्तर के अधिकारी के स्तर के अधिकारियों को क्रमशः केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और निदेशक/उप सचिव स्तर के अधिकारियों के रूप में नामित किया गया है। संयुक्त निदेशक (राजभाषा)/उप औद्योगिक सलाहकार या इस्पात मंत्रालय के समकक्ष अधिकारी को क्रमशः अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है। इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी लोक प्राधिकरणों ने भी अपने–अपने लोक सूचना अधिकारियों/सहायक लोक सूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारियों को नामित किया है। आरटीआई आवेदन ऑनलाइन भरने के लिए वेब पोर्टल कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा शुरू किया गया है और इस्पात मंत्रालय 25.06.2013 से आरटीआई ऑनलाइन वेब पोर्टल का एक हिस्सा रहा है। 1 अप्रैल, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 तक, इस्पात मंत्रालय को ऑनलाइन मोड के माध्यम से 150 आरटीआई आवेदन और ऑफलाइन मोड से 126 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनका विधिवत रूप से निपटान किया गया है। इसके अलावा, आरटीआई प्रावधानों के अनुपालन में, जैसा कि केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा 29.07.2022 को सूचित किया गया था, राष्ट्रीय माध्यमिक इस्पात प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएसएसटी) द्वारा इस्पात मंत्रालय के सक्रिय प्रकटीकरण संकुल का थर्ड पार्टी ऑडिट किया गया था।

दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 की अवधि के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का विवरण निम्नानुसार है:

लोक प्राधिकरण	दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक की अवधि में प्राप्त आवेदन	दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक की अवधि में निपटाए गए आवेदन	दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार लंबित आवेदन
इस्पात मंत्रालय	276	276	0
सेल	3601	3069	532
आरआईएनएल	422	386	36

लोक प्राधिकरण	दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक की अवधि में प्राप्त आवेदन	दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक की अवधि में निपटाए गए आवेदन	दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार लंबित आवेदन
एनएमडीसी लिमिटेड	435	413	22
मॉयल लिमिटेड	123	105	18
मेकॉन लिमिटेड	156	152	4
केआईओसीएल लिमिटेड	45	45	0
एमएसटीसी लिमिटेड	85	79	6

22.3 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

सेल ने अधिनियम की धारा 5 और 19(1) के तहत प्रत्येक संयंत्र और इकाई में अधिनियम के तहत प्राप्त प्रश्नों के त्वरित निवारण के लिए लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ), सहायक लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी और पारदर्शिता अधिकारी को नियुक्त किया है। पीआईओ को सूचना प्रदान करने के लिए उत्तरदायी सभी अधिकारियों/लाइन प्रबंधकों को मानित पीआईओ कहा जाता है, और वे आवेदक को समय पर सूचना प्रस्तुत करने के लिए पीआईओ के समान ही उत्तरदायी होते हैं।

सेल के लिए एक विशेष आरटीआई पोर्टल विकसित किया गया है जिसका लिंक कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सभी संयंत्रों/इकाइयों में 17 नियमावली सूचीबद्ध हैं और अधिनियम के तहत प्राधिकारियों का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

सीआईसी पोर्टल के माध्यम से अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में तिमाही विवरणियों और वार्षिक विवरणियों को ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा रहा है। 1 मई, 2015 से ऑनलाइन अनुरोधों का कार्यान्वयन पहले ही शुरू हो चुका है। निगमित कार्यालय के विभिन्न कार्यों की अभिलेख प्रतिधारण नीति का संकलन भी कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

22.4 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4(1) (ख) की अपेक्षा के अनुसार, आरटीआई की 17 नियमावलियों में उपलब्ध जानकारी को कंपनी की वेबसाइट पर अद्यतन किया गया है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन पर तिमाही विवरणियों और वार्षिक विवरणियों को सीआईसी पोर्टल में नियमित रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है।

22.5 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी ने अपनी वेबसाइट www.nmdc.co.in पर आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(ख) के तहत सूचना प्रकाशित की है। जनता की जानकारी के लिए लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी का विवरण नियमित रूप से अद्यतित किया जा रहा है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, जो इसके कामकाज के बारे में बहुत सारी जानकारी देती है, व्यापक रूप से परिचालित की जाती है और यह एनएमडीसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आगे की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस विज्ञप्ति आदि के माध्यम से प्रसारित की जाती है। एनएमडीसी अपने सभी अभिलेख पारदर्शी तरीके से रखता है। सूचना जिस रूप में माँगी जाती है, उसी रूप में और आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय भाषा में भी अधिकतम सीमा तक दी जाती है।

22.6 मॉयल लिमिटेड

मॉयल ने निगमित कार्यालय में सीपीआईओ नियुक्त किए हैं और इसके सभी खानों में पीआईओ/एपीआईओ भी नियुक्त किए गए हैं। संयुक्त महाप्रबंधक (कार्मिक) को अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त/नामित किया गया था। सभी पीआईओ/एपीआईओ और अपीलीय प्राधिकारी के नाम कंपनी की वेबसाइट www.moil.nic.in पर भी उपलब्ध कराए गए हैं। आरटीआई अधिनियम की धारा 4(1)(ख) में निर्धारित 17 शीर्षों के तहत कंपनी, उसके कर्मचारियों आदि के संबंध में जानकारी तैयार की गई है और इसे कंपनी के पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है। मॉयल निर्धारित प्राधिकारियों को आवश्यक जानकारी और विवरणी प्रस्तुत करता रहा है और नियमित रूप से इसे अद्यतित करता रहा है।

कंपनी ने जनता के लिए नियमित अंतराल पर स्वतः प्रेरणा से अधिक से अधिक सूचनाओं को कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध/अद्यतन कराया है, ताकि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई अधिनियम के तहत विभिन्न प्रावधानों का उपयोग करने के लिए न्यूनतम सहारा लेना पड़े। बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की जागरूकता के लिए उन्हें वर्तमान परिदृश्य में आरटीआई अधिनियम के महत्व को समझाने और अधिनियम के प्रावधानों पर प्रकाश डालने के लिए व्यापक स्तर पर संगोष्ठियाँ आयोजित की गई हैं।

22.7 मेकॉन लिमिटेड

आरटीआई अधिनियम, 2005 से संबंधित सभी प्रासंगिक नियमावलियां मेकॉन की वेबसाइट www.meconlimited.co.in पर दिनांक 19 सितंबर, 2005 से उपलब्ध करायी गई है। मेकॉन द्वारा अपने मुख्यालय में एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को नामित किया गया है और विभिन्न क्षेत्रीय और स्थल कार्यालयों में सहायक लोक सूचना अधिकारियों (एपीआईओ) को नामित किया गया है। जनता से मेकॉन को प्राप्त होने वाले प्रश्नों पर इन नामित अधिकारियों द्वारा ध्यान दिया जा रहा है और निर्धारित समय अवधि के भीतर केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा उत्तर दिया जा रहा है। आरटीआई अधिनियम के सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आरटीआई अधिनियम के अनुसार एक पारदर्शिता अधिकारी भी नियुक्त किया गया है।

22.8 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी के सभी कार्यालयों में प्राप्त आरटीआई आवेदनों और अपीलों पर कार्रवाई के लिए आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया। एक पारदर्शिता अधिकारी, एक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, एक सीपीआईओ और एक कार्यवाहक सीपीआईओ, एक नोडल अधिकारी एमएसटीसी हैं, प्रधान कार्यालय में और कंपनी के विभिन्न स्थानों पर प्राप्त आरटीआई आवेदनों को प्रभावी ढंग से प्रक्रियाबद्ध करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र/शाखा में एक पीआईओ है। सभी त्रैमासिक रिपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत की गई हैं और सीआईसी साइट पर अपलोड की गई हैं।

22.9 केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल ने निगमित कार्यालय में पीआईओ की नियुक्ति की है और इसके सभी संयंत्रों/अन्य इकाइयों में भी पीआईओ/एपीआईओ की नियुक्ति की गई है। अधिनियम के अंतर्गत शीर्ष स्तर पर कार्यापालकों को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त/नामित किया गया है। सभी पीआईओ/एपीआईओ और अपीलीय प्राधिकारी के नाम भी केआईओसीएल की वेबसाइटः www.kioclltd.in पर उपलब्ध कराये गये हैं। खंड (ख) उपखंड (1) खंड (4) में निर्धारित नियमावली तैयार करने के दायित्व का अनुपालन किया गया है और इन्हें अधिनियम के तहत निर्धारित समय–सीमा के भीतर केआईओसीएल के पोर्टल पर भी उपलब्ध कराया गया है साथ ही, इसकी समीक्षा की जा रही है जो कि नियमित अंतराल पर अद्यतित किया जाता है। केआईओसीएल समय–समय पर अपेक्षित सूचनाओं को अद्यतित करता रहा है। मासिक विवरणी संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से भेजा जा रहा है। सीआईसी को तिमाही रिटर्न जमा करने की प्रणाली शुरू की गई है।

(अध्याय–II, पैरा 2.1 का संदर्भ लें)

अनुलग्नक - I

(इस्पात मंत्रालय)[1]

1. इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ) इकाइयों, इंडक्शन फर्नेस (आईएफ) इकाइयों तथा री–रोलर्स फ्लैट उत्पादों (हॉट/कोल्ड रोलिंग यूनिट्स), कोटिंग यूनिट्स, वायर ड्रॉइंग इकाई और इस्पात स्क्रैप प्रसंस्करण जैसी प्रसंस्करण सुविधाएं सहित लौह और इस्पात उत्पादन सुविधाओं की स्थापना संबंधी योजना, विकास।[2]

2. सार्वजनिक क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानों और अन्य अयस्क खदानों (खनन पट्टा या उससे संबंधित मामलों को छोड़कर लौह और इस्पात उद्योग में उपयोग किए जाने वाले मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, चूना पत्थर, सिलिमेनाइट, कायनाइट, और अन्य खनिजों) का विकास।

3. लौह एवं इस्पात और फेरो–मिश्र धातुओं का उत्पादन, वितरण, मूल्य, आयात और निर्यात।

4. सहायक कंपनियों सहित निम्नलिखित उपक्रमों से संबंधित मामले[3]

   i. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल);

   ii. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल);

   iii. कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लिमिटेड (केआईओसीएल);

   iv. मैंगनीज अयस्क (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल);

   v. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड (एनएमडीसी);

   vi. मैटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड (मेकॉन);

   vii. स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड (एसआईआईएल);

   viii. विलोपन कर दिया गया[4]

   ix. भारत रेफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड (बीआरएल);

   x. मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन (एमएसटीसी);

   xi. फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड; और

   xii. बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज।

---

1. दिनांक 23.05.1998 की संशोधन श्रृंखला सं. 238 के तहत अशोधित और दिनांक 15.10.1999 की संशोधन श्रृंखला सं. 243 के तहत अशोधित।
2. दिनांक 31.07.2014 की संशोधन श्रृंखला सं. 306 के तहत अशोधित (पूर्व में दिनांक 01.09.2005 की संशोधन श्रृंखला सं. 281 के तहत अशोधित)।
3. दिनांक 01.06.2006 की संशोधन श्रृंखला सं. 286 के तहत अशोधित।
4. दिनांक 06.12.2017 की संशोधन श्रृंखला सं. 337 के तहत विलोपित।

(अध्याय–II, पैरा 2.1 का संदर्भ लें)

अनुलग्नक - II

इस्पात मंत्रालय में प्रभारी मंत्री और अधिकारी

(नीचे उप-सचिव स्तर तक)
(31 जनवरी, 2023 के अनुसार)

इस्पात मंत्री	श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया
इस्पात राज्य मंत्री	श्री फग्गन सिंह कुलस्ते
सचिव	श्री नागेन्द्र नाथ सिन्हा
अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार	श्रीमती सुकृति लिखी
अपर सचिव	श्रीमती रुचिका चौधरी गोविल
संयुक्त सचिव	श्री अभिजीत नरेंद्र श्री संजय रॉय
उप महानिदेशक	श्रीमती स्वप्ना भट्टाचार्य
आर्थिक सलाहकार	श्री अश्विनी कुमार
मुख्य लेखा नियंत्रक	श्री साकेश प्रसाद सिंह
निदेशक	श्री नीरज अग्रवाल श्रीमती नेहा वर्मा श्री अरुण कुमार कैलू श्री देवीदत्त शतपथी
अपर औद्योगिक सलाहकार	श्री परमजीत सिंह
उप सचिव	श्री गोपालकृष्णन गणेशन श्री आशीष शर्मा श्री एस. के. मोहंती श्री जी. सारथी राजा श्री अमित पंकज श्री सुभाष कुमार श्री अजीत कुमार साह

(अध्याय–III, पैरा 3.4 का संदर्भ लें)

अनुलग्नक - III

लौह + इस्पात का उत्पादन

('000 टन)

क्र. सं.	मद/उत्पादक	2018	2019	2020	2021	2022(पी)
	उत्पादन					
I.	**कच्चा इस्पात:**					
	सेल, टीएसएल ग्रुप, आरआईएनएल, एएम/एनएस, जेएसडब्ल्यूएल, जेएसपीएल					
	ऑक्सीजन रूट	46,059	46,764	42,878	50,952	55,360
	ई.ए.एफ. इकाईयां	20,513	21,889	21,190	22,165	21,321
	अन्य उत्पादक					
	ऑक्सीजन रूट	2,949	1,909	1,774	2,046	2,065
	ई.ए.एफ. इकाईयां	7,773	6,741	6,974	8,417	7,657
	इंडक्शन फर्नेस	31,955	34,041	27,439	34,622	38,316
	कुल (कच्चा इस्पात)	**1,09,249**	**1,11,344**	**1,00,255**	**1,18,202**	**1,24,719**
	अन्य उत्पादकों का % योगदान	39.1%	38.3%	36.1%	38.1%	38.5%
II.	**पिग आयरन:**					
	सेल, टीएसएल ग्रुप, आरआईएनएल, एएम/एनएस, जेएसडब्ल्यूएल, जेएसपीएल	1,358	1,435	1,250	1,582	1,233
	अन्य उत्पादक	4,891	4,548	3,298	4,272	5,050
	कुल (पिग आयरन)	**6,249**	**5,983**	**4,548**	**5,854**	**6,283**
	% अन्य उत्पादकों का योगदान	78.3%	76.0%	72.5%	73.0%	80.4%
III.	**स्पंज आयरन :**					
	गैस आधारित	7,052	6,699	6,074	8,402	8,123
	कोयला आधारित	27,161	30,120	27,519	30,637	33,878
	कुल (स्पंज आयरन)	**34,213**	**36,819**	**33,593**	**39,039**	**42,001**
	प्रक्रिया द्वारा (कोयला आधारित) हिस्सा %	79.4%	81.8%	81.9%	78.5%	80.7%
IV.	**तैयार इस्पात (उत्पादन) (मिश्र धातु मिश्र धातु-गैर)**					
	सेल, टीएसएल ग्रुप, आरआईएनएल, एएम/एनएस, जेएसडब्ल्यूएल, जेएसपीएल	59,154	61,450	54,659	63,991	68,179
	अन्य उत्पादक	41,420	42,612	37,571	47,962	50,536
	कुल (तैयार इस्पात)	**1,00,574**	**1,04,062**	**92,230**	**1,11,953**	**1,18,715**
	अन्य निर्माताओं का योगदान %	41.2%	40.9%	40.7%	42.8%	42.6%

पी का तात्पर्य अनंतिम आंकड़ों से है (जनवरी–दिसंबर, 2022);
स्रोतः जेपीसी

(अध्याय–III, पैरा 3.4 का संदर्भ लें)

अनुलग्नक - IV

कच्चा इस्पात का उत्पादन

('000 टन)

क्र. सं.	उत्पादक	2018			2019			2020			2021			2022(P)		
		कार्य शील क्षमता	उत्पादन	% उपयोग	कार्य शील क्षमता	उत्पादन	% उपयोग	कार्य शील क्षमता	उत्पादन	% उपयोग	कार्य शील क्षमता	उत्पादन	% उपयोग	कार्य शील क्षमता	उत्पादन	% उपयोग
क.	**सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई**															
1	सेल	19,132	15,933	83	19,632	16,181	82	19,632	14,970	76	20,632	17,323	84	20,632	17,932	87
2	आरआईएनएल	6,300	5,258	83	6,300	4,833	77	6,300	3,979	63	6,300	5,586	89	6,300	4,170	66
	कुल सार्वजनिक क्षेत्र	**25,432**	**21,191**	**83**	**25,932**	**21,014**	**81**	**25,932**	**18,948**	**73**	**26,932**	**22,908**	**85**	**26,932**	**22,102**	**82**
ख.	**निजी क्षेत्र की इकाई**															
3	टाटा स्टील लिमिटेड	19,400	3,053	86												
4	टीएसएल ग्रूप		13,617		19,400	18,478	95	19,400	17,287	89	20,600	18,911	92	20,600	20,101	98
5	एएम/एनएस (एस्सार स्टील लिमिटेड)	10,000	6,793	68	10,000	7,138	71	10,000	6,616	66	9,600	7,389	77	9,600	6,651	69
6	जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड	8,600	5,005	58	8,600	5,936	69	8,600	6,493	75	8,100	7,336	91	8,100	7,439	92
7	जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	18,000	16,914	94	18,000	16,086	89	18,000	14,725	82	23,000	16,572	72	23,000	20,387	89
8	अन्य बीओएफ	4077	2,949	72	4,077	1,909	47	4,077	1,774	44	3,177	2,046	64	3,177	2,065	65
9	अन्य ईएएफ	12,750	7,773	61	11,794	6,741	57	11,640	6,974	60	11,614	8,417	72	11,525	7,657	66
10	अन्य आईएफ	43,977	31,955	73	44,496	34,041	77	46,266	27,439	59	51,040	34,622	68	54,651	38,316	70
	कुल निजी क्षेत्र	**1,16,804**	**88,059**	**75**	**1,16,367**	**90,329**	**78**	**1,17,983**	**81,308**	**69**	**1,27,131**	**95,293**	**75**	**1,30,653**	**1,02,618**	**79**
	कुल (सार्वजनिक क्षेत्र + निजी क्षेत्र)	**1,42,236**	**1,09,250**	**77**	**1,42,299**	**1,11,343**	**78**	**1,43,915**	**1,00,256**	**70**	**1,54,063**	**1,18,201**	**77**	**1,57,585**	**1,24,720**	**79**
	सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान (%)	**17.9**	**19.4**		**18.2**	**18.9**		**18.0**	**18.9**		**17.5**	**19.4**		**17.1**	**17.7**	

नोट :

1. टीएसएल समूह में भूषण स्टील लिमिटेड, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड और बीएमडब्ल्यू–गमहरिया (झारखंड) के साथ–साथ जमशेदपुर और कलिंगनगर स्थित टीएसएल संयंत्र शामिल हैं। टाटा स्टील लिमिटेड से टीएसएल समूह में परिवर्तन सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए अप्रैल 2018 से किया गया था।
2. पी का तात्पर्य अनंतिम आंकड़ों से है (जनवरी–दिसंबर, 2022); स्रोतः जेपीसी

(अध्याय–III, पैरा 3.4 का संदर्भ लें)

अनुलग्नक - V

कच्चे इस्पात का उत्पादन

(रूट द्वारा)

('000 टन)

प्रोसेस रूट	2018	2019	2020	2021	2022(पी)
ऑक्सीजन रूट					
सेल	15,719	15,948	14,839	17,117	17,705
आर आई एन एल	5,258	4,833	3,979	5,586	4,170
टाटा स्टील लिमिटेड					
टी एस एल ग्रुप	14,928	16,305	15,235	16,669	17,817
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	10,154	9,678	8,826	9,742	13,016
जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड				1,838	2,652
अन्य ऑक्सीजन रूट	2,949	1,909	1,774	2,046	2,065
कुल ऑक्सीजन रूट: (क)	**49,008**	**48,673**	**44,653**	**52,998**	**57,425**
इलेक्ट्रिक रूट **इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस**					
सेल	214	233	130	206	227
टी एस एल ग्रुप	1,742	2,174	2,051	2,242	2,285
एएम/एनएस (एस्सार स्टील लिमिटेड)	6,793	7,138	6,616	7,389	6,651
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	6,760	6,408	5,900	6,830	7,371
जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड	5,005	5,936	6,493	5,497	4,787
लॉयड्स स्टील लिमिटेड	518	332	489	640	560
जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड	1,542	1,593	1,223	1,822	1,639
भूषण स्टील लिमिटेड	242				
भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड	2,677	2,798	3,439	3,115	2,696
अन्य इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस	2,794	2,018	1,824	2,841	2,762
कुल इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस:	**28,287**	**28,630**	**28,164**	**30,582**	**28,978**
इलेक्ट्रिक इंडक्शन फर्नेस	**31,955**	**34,041**	**27,439**	**34,622**	**38,316**
कुल इलेक्ट्रिक रूट:	**60,242**	**62,671**	**55,603**	**65,204**	**67,295**
कुल योग:	**1,09,250**	**1,11,344**	**1,00,256**	**1,18,201**	**1,24,720**

टिप्पणी:

1. टीएसएल समूह में जमशेदपुर और कलिंगनगर में टीएसएल संयंत्रों के साथ भूषण स्टील लिमिटेड, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड और बीएमडब्ल्यू–गमहरिया (झारखंड) शामिल हैं।
2. पी का तात्पर्य अनंतिम आंकड़ों से है (जनवरी–दिसंबर, 2022) स्रोतः जेपीसी

(अध्याय–III, पैरा 3.4 का संदर्भ लें)

अनुलग्नक - VI

तप्त धातु का उत्पादन

('000 टन)

संयंत्र	2018	2019	2020	2021	2022(पी)
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	17,080	17,509	16,203	18,793	19,077
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	5,773	5,278	4,364	6,107	4,452
टाटा स्टील लिमिटेड	3,274				
टीएसएल समूह	14,232	18,946	17,726	19,460	19,722
एएम/एनएस (एस्सार स्टील लिमिटेड)	3,102	3,620	3,334	3,460	3,214
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	15,549	15,363	14,220	15,816	19,692
जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड	4,408	5,721	5,509	6,020	6,121
(क) उप कुल	**63,418**	**66,437**	**61,356**	**69,655**	**72,278**
(ख) अन्य उत्पादक	**9,192**	**7,720**	**6,426**	**7,972**	**7,585**
कुल (क+ख)	**72,610**	**74,156**	**67,782**	**77,627**	**79,863**
अन्य उत्पादकों का % योगदान	**12.7**	**10.4**	**9.5**	**10.3**	**9.5**

टिप्पणी:

1. टीएसएल समूह में जमशेदपुर और कलिंगनगर में टीएसएल संयंत्रों के साथ भूषण स्टील लिमिटेड, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड और बीएमडब्ल्यू–गम्हरिया (झारखंड) शामिल हैं।
2. पी का तात्पर्य अनंतिम आंकड़ों से है (जनवरी–दिसंबर, 2022) स्रोतः जेपीसी

(अध्याय–III, पैरा 3.4 का संदर्भ लें)

अनुलग्नक - VII

पिग आयरन का उत्पादन

('000 टन)

सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई	2018	2019	2020	2021	2022(पी)
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	410	591	535	635	390
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	120	58	38	91	42
कुल सार्वजनिक क्षेत्र	**530**	**649**	**573**	**726**	**432**
निजी क्षेत्र की इकाई					
टीएसएल समूह	518	332	176	136	108
जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड	111	129	235	464	629
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	199	325	266	256	64
अन्य निजी इकाई	4,891	4,548	3,298	4,272	5,050
कुल निजी क्षेत्र	**5,719**	**5,334**	**3,975**	**5,128**	**5,851**
कुल उत्पादन (क+ख)	**6,249**	**5,983**	**4,548**	**5,855**	**6,283**

टिप्पणी:

1. टीएसएल समूह में जमशेदपुर और कलिंगनगर में टीएसएल संयंत्रों के साथ भूषण स्टील लिमिटेड, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड और बीएमडब्ल्यू–गम्हरिया (झारखंड) शामिल हैं।
2. पी का तात्पर्य अनंतिम आंकड़ों से (जनवरी–दिसंबर, 2022) से स्रोतः जेपीसी

(अध्याय–III, पैरा 3.4 का संदर्भ लें)

अनुलग्नक - VIII

तैयार इस्पात का उत्पादन

(मिश्र धातु और गैर-मिश्र धातु इस्पात)

('000 टन)

संयंत्र	2018	2019	2020	2021	2022 (पी)
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	12,546	12,437	11,024	13,428	14,904
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	4,242	3,740	2,522	3,884	3,464
टाटा स्टील लिमिटेड	2,985				
टीएसएल ग्रुप	13,544	18,479	16,723	18,621	19,122
एएम/एनएस (एस्सार स्टील लिमिटेड)	6,614	7,061	6,524	7,314	6,557
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	15,617	15,245	13,836	15,604	18,824
जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड	3,606	4,488	4,030	5,140	5,308
उप-योग (क):	**59,154**	**61,450**	**54,659**	**63,991**	**68,179**
अन्य उत्पादन (ख)	41,420	42,612	37,571	47,962	50,536
कुल उत्पादन (क+ख)	**1,00,574**	**1,04,062**	**92,231**	**1,11,953**	**1,18,714**
अन्य का % योगदान	**41.2**	**40.9**	**40.7**	**42.8**	**42.6**

पी का तात्पर्य अनंतिम आंकड़ों से है (जनवरी–दिसंबर, 2022) स्रोतः जेपीसी

(अध्याय–III, पैरा 3.4 का संदर्भ लें)

अनुलग्नक - IX

तैयार इस्पात का श्रेणीवार उत्पादन

('000 टन)

श्रेणी	2018			2019			2020			2021			2022 (P)		
	सेल, आरआई एनएल, टीएसएल समूह, एएम/एनएस, जेएसडब्ल्यूएल, जेएसपीएल	अन्य	कुल	सेल, आरआई एनएल, टीएसएल समूह, एएम/एनएस, जेएसडब्ल्यूएल, जेएसपीएल	अन्य	कुल	सेल, आरआई एनएल, टीएसएल समूह, एएम/एनएस, जेएसडब्ल्यूएल, जेएसपीएल	अन्य	कुल	सेल, आरआई एनएल, टीएसएल समूह, एएम/एनएस, जेएसडब्ल्यूएल, जेएसपीएल	अन्य	कुल	सेल, आरआई एनएल, टीएसएल समूह, एएम/एनएस, जेएसडब्ल्यूएल, जेएसपीएल	अन्य	कुल
तैयार इस्पात (गैर-मिश्र धातु)															
बार्स और रॉड्स	13,978	24,456	**38,434**	14,175	27,601	**41,776**	11,292	22,990	**34,282**	15,078	31,051	**46,129**	15,780	33,498	**49,278**
स्ट्रक्चरलस	2,366	5,552	**7,918**	2,244	5,358	**7,601**	1,662	4,768	**6,430**	2,129	5,220	**7,349**	2,495	5,525	**8,020**
रेलवे सामग्री	1,322	57	**1,379**	1,724	45	**1,769**	1,592	25	**1,617**	1,321	16	**1,336**	1,429	15	**1,444**
कुल(नॉन-फ्लैट)	**17,665**	**30,065**	47,731	**18,143**	**33,003**	51,145	**14,546**	**27,783**	42,329	**18,528**	**36,287**	54,814	**19,703**	**39,038**	58,741
पीएम प्लेट्स	4,643	74	**4,717**	4,607	157	**4,764**	3,992	116	**4,108**	5,152	110	**5,261**	5,262	114	**5,376**
एचआर कॉइल/स्ट्रिप	35,514	5,685	**41,199**	37,632	5,085	**42,717**	35,048	5,767	**40,816**	38,978	5,859	**44,836**	40,976	4,850	**45,826**
कुल (फ्लैट)	**40,157**	**5,760**	45,916	**42,239**	**5,242**	47,480	**39,040**	**5,884**	44,924	**44,129**	**5,968**	50,098	**46,239**	**4,964**	51,202
कुल (गैर-मिश्र धातु)	**57,822**	**35,825**	93,647	**60,381**	**38,245**	98,626	**53,587**	**33,667**	87,253	**62,657**	**42,255**	1,04,912	**65,942**	**44,002**	1,09,944
तैयार इस्पात (मिश्र धातु)															
नॉन फ्लैट	1,161	2,612	**3,773**	945	1,716	**2,661**	747	1,874	**2,621**	1,072	2,835	**3,907**	1,297	2,872	**4,169**
फ्लैट	94	203	**297**	52	195	**247**	165	136	**302**	78	271	**349**	863	1,041	**1,904**
कुल (मिश्र धातु)	**1,255**	**2,815**	4,070	**997**	**1,911**	2,908	**913**	**2,010**	2,922	**1,149**	**3,107**	4,256	**2,160**	**3,913**	6,073
तैयार इस्पात (स्टेनलैस)															
नॉन फ्लैट	0	1,027	**1,027**	0	676	**676**	0	517	**517**	0	721	**721**	0	789	**789**
फ्लैट	77	1,753	**1,830**	72	1,780	**1,852**	160	1,378	**1,538**	185	1,879	**2,064**	77	1,831	**1,908**
कुल (स्टेनलैस)	**77**	**2,780**	2,857	**72**	**2,457**	2,529	**160**	**1,895**	2,055	**185**	**2,600**	2,785	**77**	**2,620**	**2,697**
तैयार इस्पात (गैर–मिश्र धातु + मिश्र धातु + स्टेनलैस)															
कुल नॉन फ्लैट	**18,826**	**33,704**	**52,530**	**19,088**	**35,395**	54,482	**15,294**	**30,173**	**45,467**	**19,599**	**39,843**	**59,442**	**21,000**	**42,699**	**63,699**
कुल (फ्लैट)	**40,328**	**7,716**	**48,044**	**42,363**	**7,217**	49,580	**39,366**	**7,398**	**46,764**	**44,392**	**8,119**	**52,510**	**47,179**	**7,836**	**55,015**
कुल तैयार इस्पात	**59,154**	**41,420**	**1,00,574**	**61,450**	**42,612**	**1,04,062**	**54,659**	**37,571**	**92,231**	**63,991**	**47,962**	**1,11,953**	**68,179**	**50,535**	**1,11,953**

पी से तात्पर्य अनंतिम आंकड़ों से है (जनवरी–दिसंबर, 2022) स्रोतः जेपीसी

(अध्याय–III, पैरा 3.4 का संदर्भ लें)

अनुलग्नक - X

लौह और इस्पात का श्रेणीवार आयात

('000 टन)

क्र.सं.	श्रेणी	2018	2019	2020	2021	2022 (पी)
I	**सेमी फिनिश्ड इस्पात (गैर-मिश्र धातु)**					
	सेमिज	390	164	134	31	202
	रि–रोलबल स्क्रैप	429	287	147	123	219
	कुल	**819**	**450**	**281**	**154**	**421**
II	**तैयार इस्पात (गैर-मिश्र धातु)**					
	नॉन फ्लैट					
	बार्स और रॉड्स	286	317	134	117	90
	स्ट्रक्चरल	44	36	35	17	10
	रेल सामग्री	42	68	54	80	63
	कुल नॉन-फ्लैट	**371**	**422**	**222**	**213**	**163**
	फ्लैट					
	प्लेट	478	344	371	233	232
	एचआर शीट्स	12	6	1	0	0
	एचआर कॉइल्स / स्केलप/ स्ट्रिप्स	1,750	1,913	804	855	1,207
	सीआर कॉइल्स/शीट्स	478	465	201	295	355
	जीपी/जीसी शीट्स	1,232	949	726	799	823
	इलेक्ट्रिक शीट	654	621	421	513	313
	टीएमबीपी	8	0	0	0	0
	टिन प्लेटें	181	197	123	103	6
	टिन मुक्त इस्पात	74	79	50	23	3
	पाइप्स	315	354	194	156	182
	कुल फ्लैट	**5,180**	**4,928**	**2,891**	**2,976**	**3,122**
	कुल तैयार इस्पात (गैर-मिश्र धातु)	**5,551**	**5,349**	**3,114**	**3,190**	**3,285**
	कुल इस्पात (गैर-मिश्र धातु)	**6,370**	**5,800**	**3,395**	**3,344**	**3,706**
	नॉन-अलॉय/स्टेनलैस स्टील					
	नॉन फ्लैट	554	427	287	295	204
	फ्लैट	1,190	1,664	1,062	1,516	2,126
	सेमी–फिनिश्ड	176	61	20	49	245
	कुल तैयार इस्पात (मिश्र धातु /स्टेनलैस)	**1,744**	**2,090**	**1,350**	**1,811**	**2,330**
	कुल इस्पात (मिश्र धातु ध्स्टेनलैस)	**1,920**	**2,151**	**1,370**	**1,861**	**2,575**
	कुल तैयार इस्पात (मिश्र धातु गैर-मिश्र धातु)	**7,295**	**7,440**	**4,463**	**5,001**	**5,615**
	कुल इस्पात (गैर-मिश्र धातु मिश्र धातु)	**8,290**	**7,951**	**4,765**	**5,204**	**6,281**
III	**अन्य इस्पात मद**					
	फिटिंग	193	163	119	136	121
	अन्य इस्पात उत्पाद	1,377	369	214	346	315
	इस्पात स्क्रैप	5,974	6,763	5,649	5,015	8,197
IV	**लोहा**					
	पिग आयरन	67	13	7	15	104
	स्पंज आयरन	58	44	44	48	96
V	**फेरो-अलॉय**	576	642	545	707	436
	कुल योग	**16,536**	**15,945**	**11,342**	**11,471**	**15,550**

पी से तात्पर्य अनंतिम आंकड़ों से है (जनवरी–दिसंबर, 2022) स्रोतः जेपीसी

(अध्याय–III, पैरा 3.4 का संदर्भ लें)

अनुलग्नक - XI

लौह और इस्पात का श्रेणीवार निर्यात

('000 टन)

श्रेणी	2018	2019	2020	2021	2022 (पी)
सेमीज (गैर-मिश्र धातु)	**2,259**	**2,660**	**6,087**	**5,236**	**1,961**
तैयार इस्पात (गैर-मिश्र धातु)					
नॉन फ्लैट					
बार्स और रॉड्स	615	529	767	1,966	719
स्ट्रक्चर	196	167	120	179	221
रेलवे सामग्री	4	1	23	2	1
कुल नॉन-फ्लैट	**816**	**697**	**910**	**2,147**	**941**
फ्लैट					
प्लेट्स	462	291	521	756	597
एचआर कॉइल्स / शीट्स	2,479	4,603	6,467	5,814	2,614
सी आर शीट्स/कॉइल्स	748	636	470	1,007	365
जीपी / जीसी शीट्स	1,025	930	814	1,769	850
इलेक्ट्रिक शीट्स	79	35	46	38	46
टिनप्लेट्स	39	27	16	35	19
टिन मुक्त इस्पात	2	2	2	2	1
पाइप्स	426	253	136	130	197
कुल फ्लैट	**5,260**	**6,777**	**8,472**	**9,552**	**4,688**
कुल तैयार इस्पात (गैर-मिश्र धातु)	6,076	7,474	9,382	11,699	5,629
कुल इस्पात (गैर-मिश्र धातु)	8,334	10,134	15,469	16,935	7,590
नॉन–फ्लैट अलॉय/स्टेनलैस	289	268	254	604	369
फ्लैट अलॉय/स्टेनलैस	327	462	514	496	1,908
कुल तैयार इस्पात (मिश्र धातु / स्टेनलैस)	**616**	**730**	**768**	**1,100**	**2,277**
सेमी-निर्मित (मिश्र धातु / स्टेनलैस)	**35**	**9**	**46**	**12**	**23**
कुल इस्पात (मिश्र धातु / स्टेनलैस)	**650**	**739**	**814**	**1,112**	**2,300**
कुल तैयार इस्पात (गैर-मिश्र धातु + मिश्र धातु)	**6,692**	**8,205**	**10,150**	**12,799**	**7,906**
कुल इस्पात (गैर-मिश्र धातु + मिश्र धातु)	**8,985**	**10,873**	**16,283**	**18,047**	**9,890**
पिग आयरन	335	421	823	1,407	675
स्पंज आयरन	558	819	584	666	1,018

पी का तात्पर्य अनंतिम आंकड़ों से है (जनवरी–दिसंबर, 2022) स्रोतः जेपीसी

(अध्याय–I एवं V का संदर्भ लें)

अनुलग्नक-XII

इस्पात सीपीएसई का तुलनात्मक पीबीटी (कर पूर्व लाभ)

(रु. करोड़ में)

क्रमांक	सीपीएसई/कंपनी	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23*
1.	सेल	3337.89	3170.66	6879.03	16038.72	1157
2.	आरआईएनएल	(-)306.89	(-)4287.51	(-)1259.02	941.58	(-)3025.94
3.	एनएमडीसी	7198	6122	8902	12981	4351
4.	मॉयल	719.75	340.49	240.11	523.29	227.02
5.	मेकॉन	9.97	87.03	19.11	19.54	(-) 64.10
6.	एमएसटीसी	(-)269.21	129.49	114.68	220.08	198.77
7.	केआईओसीएल	184.12	63.68	410.23	411.03	(-) 181.64

*दिसम्बर, 2022 तक अनंतिम

(अध्याय–I एवं V का संदर्भ लें)

अनुलग्नक - XII क

इस्पात सीपीएसई का तुलनात्मक पीएटी (कर पश्चात लाभ)

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23*
1.	सेल	2178.82	2021.54	3850.02	12015.04	854
2.	आरआईएनएल	96.71	(-)3910.17	(-)1012.16	913.19	(-)2751.34
3.	एनएमडीसी	4642	3610	6253	9398	3252
4.	मॉयल	473.89	248.22	176.63	376.98	169.89
5.	मेकॉन	13.74	69.00	6.24	13.70	(-) 64.10
6.	एमएसटीसी	(-)324.47	75.20	101.07	200.09	149.64
7.	केआईओसीएल	111.86	43.48	301.17	313.41	(-) 181.64

*दिसम्बर, 2022 तक अनंतिम

अनुलग्नक - XIII

इस्पात सीपीएसई द्वारा केंद्र सरकार और सरकारी बीमा कंपनियों को किया गया अंशदान

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	सीपीएसई/कंपनी	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23*
1.	सेल	10916	8094	6074	16510	11646
2.	आरआईएनएल	2518.12	2119.53	1888.05	3005.69	22095.05
3.	एनएमडीसी	5376	5300	6239	8895	3027
4.	मॉयल	381.15	188.61	95.17	438.34	214.52
5.	मेकॉन	112.98	98.81	108.64	96.64	106.55
6.	एमएसटीसी	91.26	73.20	73.72	412.79	93.03
7.	केआईओसीएल	53.60	84.91	148.54	168.11	118.09

*दिसम्बर, 2022 तक अनंतिम

अनुलग्नक - XIII क

इस्पात सीपीएसई द्वारा राज्य सरकार को किया गया अंशदान

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	सीपीएसई/कंपनी	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23*
1	सेल	2604	3250	2084	7792	5693
2	आरआईएनएल	767.37	587.91	322.26	474.19	302.74
3	एनएमडीसी	1726	2997	2809	10631	6567
4	मॉयल	123.43	111.07	90.49	126.35	80.71
5	मेकॉन	6.74	13.25	12.06	11.46	17.29
6	एमएसटीसी	24.43	16.26	8.67	20.93	15.28
7	केआईओसीएल	1.11	2.56	3.02	4.30	21.98

*दिसम्बर, 2022 तक अनंतिम

अनुलग्नक - XIV

इस्पात सीपीएसई द्वारा सीएसआर का बजट और व्यय

(रु. लाख़ में)

क्र. सं.	पीएसयू/कंपनी	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23*	
		बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय
1.	सेल	3000	3118	3300	2756	5000	4718	8186	9424	15795	4749
2.	आरआईएनएल	850	1030	850	796	861	1011	1136	1142	32.94	16
3.	एनएमडीसी	20000	16724	20000	19999	16450	15862	25000	28733	21000	2766
4.	मॉयल	925.00	929.48	1250	1274.22	1250	1318.12	1350.00	1320.11	1350.00	550.03
5.	मेकॉन	544.03	16.92	547.03	330.52	310.50	44.68	343.20	149.84	272.33	48.58
6.	एमएसटीसी	200	200	54	54	-	-	23.98	17.84	272	183.37
7.	केआईओसीएल	39.64	32.51	208.08	331.42	871.77	884.66	438.70	133.58	589.96	148.70

* दिसंबर, 2022 तक अनंतिम

(अध्याय–I और पैरा 8.2.3 का संदर्भ लें)

अनुलग्नक - XV

अनुसंधान एवं विकास योजना के तहत जारी अनुदान

क्र. सं.	अनुसंधान एवं विकास योजना के तहत जारी अनुदान	2021-2022 (लाख रु में)			2022-23 (दिसंबर 2022 तक) (लाख रु में)		
		कुल	पूंजी	राजस्व	कुल	पूंजी	राजस्व
1	भारतीय इस्पात और इस्पात संबंधित संयंत्रों से उत्पन्न गाद का अपशिष्ट प्रबंधनः एक सतत व्यवसायिक प्रतिमान	3.75	0	3.75			
2	भारत में ऑटोमोबाइल और कृषि उद्योगों में उपयोग हेतु ऑस्टेम्पर्ड डक्टाइल आयरन प्रौद्योगिकी का स्वदेशी विकास	17.00	0	17.00			
3	आवास क्षेत्र में इस्पात का उपयोग बढ़ाने की दिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना के भाग के रूप में स्ट्रक्चरल इस्पात का उपयोग कर आंगनवाड़ी और घरों के टाईप डिजाइन का विकास	102.7906	39.59767	63.19294			
4	उच्च शक्ति कम मिश्र धातु इस्पात (पटेल) के लिए टिन स्लैग का प्रसंस्करण और महत्वपूर्ण तत्वों का पौद्योगिकीय निष्कर्षण	21.9355	0	21.9355			
5	विद्युत आर्क फर्नेस में मध्यम कार्बन फेरोमैंगनीज के ऊर्जा कुशल उत्पादन हेतु प्रायोगिक स्तर पर प्रौद्योगिकी विकास	47.00	0	47.00			
6	लौह अयस्क डिस्क पेलेटाइजर को नियंत्रित करने के लिए एक आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस आधारित उपकरण का विकास	14.56	0	14.56			
7	मुद्रण अनुप्रयोग के लिए मिल स्केल से नैनो–आकार के मैग्नेटाइट का विकास	23.76	0	23.76			
8	फ्लू गैस से सीओ2, एसओएक्स और एनओएक्स को एक साथ हटाना, और उनका ईंधन और मूल्य वर्धित उर्वरकों में उत्प्रेरक रूपांतरण	55.0786	45.00	10.0786			
9	धान की भूसी के प्लाज्मा प्रसंस्करण द्वारा प्राप्त सिलिकॉन कार्बाइड पाउडर का बेंच स्केल उत्पादन और लागत अनुमान	13.90	3.00	10.90			
10	संधारणीय कृषि और समावेशी विकास हेतु इस्पात स्लैग आधारित, लागत प्रभावी पर्यावरण के अनुकूल उर्वरकों का विकास	181.2243	0	181.22429	69.41225	35.69767	33.71458
	कुल	**481.00**	**87.59767**	**393.40133**	**69.41225**	**35.69767**	**33.71458**

अनुलग्नक- XVI

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन

1. लेखा परीक्षा अभ्युक्तियों के अनुपालन संबंधी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) की **वर्ष 2021 की रिपोर्ट सं. 14** में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) या विभिन्न निगमों को शासित करने वाले कानूनों के अन्तर्गत सीएंडएजी के अधिकारियों द्वारा संचालित केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों और निगमों के लेखाओं और अभिलेखों की जांच के परिणामस्वरूप ध्यान में आए महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं।

i. बकायों की वसूली न होने के परिणामस्वरूप अविवेकपूर्ण वित्तपोषण

एमएसटीसी लिमिटेड (एमएसटीसी) एक निजी पक्षकार कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड के साथ सुविधा प्रदाता की पद्धति के अन्तर्गत लो ऐश मेटलर्जिकल कोक, कोयला और मेल्टिंग स्क्रैप के आयात/खरीद के वित्त पोषण के लिए 12 दिसंबर, 2012 से प्रभावी एक करार पर हस्ताक्षर किया (अप्रैल, 2013)। करार के अनुसार, सामग्री एमएसटीसी के नाम से रखी जानी थी और स्टोर डाटा को कानकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड के संयंत्र में स्थित निर्दिष्ट वेयर हाउस में एक अभिरक्षक के संरक्षण में रखा जाना था। यद्यपि कानकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड की खराब वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी होने के बावजूद एमएसटीसी ने समय–समय पर ऋण सीमा में वृद्धि करके कानकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड का वित्तपोषण करना जारी रखा। एमएसटीसी के प्रति कानकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड की कुल बकाया राशि फरवरी, 2021 तक 220.84 करोड़ रुपये थी और उसके लिए कोई वसूली नहीं हुई थी। चूंकि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने कानकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड के हितधारकों की सूची में एमएसटीसी को असुरक्षित प्रचालनात्मक ऋणदाता के रूप में मान्यता दी है, इसलिए वसूली की संभावना संदिग्ध है और एमएसटीसी ने वर्ष 2018–19 की लेखा पुस्तकों में कानकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड की संपूर्ण बकाया राशि को भी दर्शाया है। इस प्रकार, सुविधा प्रदाता पद्धति के अन्तर्गत कानकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एमएसटीसी के अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप 220.84 करोड़ रु. के बकायों की वसूली नहीं हो पाई।

(पैरा 7.1)

ii. खनन पट्टे के लिए पंजीकरण प्रभारों और स्टाम्प शुल्क का दो बार भुगतान

एनएमडीसी लिमिटेड को एक वर्ष के भीतर एक ही खान (डिपोजिट 13) के पंजीकरण के लिए पंजीकरण प्रभारों और स्टाम्प शुल्क के दो बार, पहली बार एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा और दूसरी बार उसकी संयुक्त उद्यम कंपनी एनएमडीसी–सीएमडीसी लिमिटेड द्वारा भुगतान के कारण 48.36 करोड़ रु. का परिहार्य व्यय उठाना पड़ा। हितधारक–सह–संयुक्त उद्यम करार में पंजीकरण प्रभारों और स्टाम्प शुल्क के भुगतान में छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार से विशिष्ट आश्वासन लेने में एनएमडीसी लिमिटेड की विफलता के कारण एनएमडीसी लिमिटेड को अतिरिक्त बोझ का वहन करना पड़ा था।

(पैरा 7.3)

iii. ब्याज जुर्माने के कारण परिहार्य व्यय

दि उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसी) ओडिशा में स्थित छह लौह अयस्क और मैंग्नीज अयस्क खनन पट्टों का प्रचालन करता है। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया (अगस्त, 2017) कि पर्यावरण मंजूरी और वन मंजूरी के बिना/उससे अधिक उत्पादन जैसी अवैध खनन गतिविधियों के लिए पट्टाधारक पर जुर्माना लगाया जाए। तद्नुसार ओडिशा सरकार ने एनएमडीसी से पर्यावरण मंजूरी के उल्लंघन के लिए 643.27 करोड़ रु. और खनन योजना तथा प्रचालन सहमति में विहित अनुमोदित सीमाओं से अधिक खनिज के उत्पादन के लिए 58.91 करोड़ रु. के जुर्माने की मांग की (सितंबर/अक्तूबर 2017)। केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति, ओडिशा सरकार, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय, भारत सरकार द्वारा भुगतान के स्पष्ट निर्देशों और कंपनी द्वारा ली गई कानूनी सलाहों के बावजूद (दिसंबर, 2017/मई, 2018/दिसंबर, 2018), के बावजूद ओएमडीसी ने निर्धारित समय सीमा के भीतर मुआवजे का पूरा भुगतान नहीं किया था। इस विलंब के कारण 174.04 करोड़ रु. के ब्याज जुर्माने की राषि का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

(पैरा 7.7)

2. 'राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की गतिविधियों की अनुपालन लेखा परीक्षा' के संबंध में सीएजी की रिपोर्ट पर प्रेस ब्रीफ

'राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की गतिविधियों की अनुपालन लेखा परीक्षा' के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट (वर्ष 2022 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट सं.7) संसद में प्रस्तुत की गई थी।

इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) से संबंधित प्रचालन के दो चुने गए क्षेत्रों की समीक्षा शामिल है अर्थात (1) ब्लास्ट फर्नेस सं. 1 और 2 की श्रेणी–I पूँजीगत मरम्मत और (2) पर्यावरण संबंधी मुद्दों का आकलन।

लेखा परीक्षा के प्रमुख निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

i. ब्लास्ट फर्नेस सं. 1 और 2 की श्रेणी-I पूँजीगत मरम्मत

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) की ब्लास्ट फर्नेस सं. 1 और 2 मार्च, 1990 और मार्च, 1992 में चालू की गई थी। श्रेणी–I पूँजीगत मरम्मत करने के लिए चालू होने के 14 से 16 वर्षों की निर्धारित समयावधि के मुकाबले वास्तविक मरम्मत ब्लास्ट फर्नेस सं.1 और ब्लास्ट फर्नेस सं. 2 के शुरु होने के क्रमशः 23 वर्षों और 24 वर्षों के बाद की गई थी। इसकी वजह से फर्नेसों की स्थिति खराब हो गई जिससे इन फर्नेसों का प्रचालन सीमित व्यवस्था के अन्तर्गत हुआ था। परिणामस्वरूप वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक 1.78 मिलियन टन हॉट मेटल के उत्पादन का घाटा हुआ जिससे आय में 1396.64 करोड़ रु. का परिणामी घाटा हुआ।

श्रेणी–I पूँजीगत मरम्मत के पूरा होने के बाद हॉट मेटल के उत्पादन में 4.93 मिलियन टन का घाटा हुआ था, जिससे आय में 1844.82 करोड़ रु. का परिणामी घाटा हुआ था क्योंकि ब्लास्ट फर्नेसों के अन्य अपस्ट्रीम/डाउनस्ट्रीम सुविधाओं के पुनरुद्धार में तालमेल न होने के कारण उनकी निर्धारित क्षमताओं से कम पर उपयोग किया गया था। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम संयंत्रों के गैर–समेकन के कारण ब्लास्ट फर्नेस सं. 2 को मजबूरी में

बंद करना पड़ा, जिससे हॉट मेटल के उत्पादन में 2.36 एमटी का घाटा हुआ, जिसके परिणामस्वरूप आय में 810.38 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। इस प्रकार, कुल मिलाकर श्रेणी–I पूँजीगत मरम्मत के पश्चात उत्पादन में 7.29 मिलियन टन हॉट मेटल का घाटा हुआ और आय में 2,655.20 करोड़ रु. का परिणामी घाटा हुआ।

अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम संयंत्रों के लिए निविदाएं प्रारंभ करने/ठेके देने में देरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न इकाइयों की उत्पादन क्षमताओं के बीच असमानता आई, जिसके फलस्वरूप कोक की खरीद में 788.60 करोड़ रु. की अतिरिक्त लागत भी हुई।

ईंधन की खपत गारंटी प्राप्त मानकों से अधिक रही थी जिससे कोक की बढ़ी हुई खपत के कारण 354.09 करोड़ रु. की अतिरिक्त लागत आई थी। इसके अलावा, पल्वराइज्ड कोयले के कम इनफुजन के कारण 1279.69 करोड़ रु. की अतिरिक्त लागत आई थी।

इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि ब्लास्ट फर्नेस सं. 1 और 2 की पूँजीगत मरम्मत की योजना कच्ची सामग्री की बढ़ी हुई जरूरत तथा श्रेणी–I पूँजीगत मरम्मत के बाद ब्लास्ट फर्नेस से हॉटल मेटल के बढ़े हुए उत्पादन की प्रक्रिया के लिए डाउनस्ट्रीम सुविधाओं पर विचार करते हुए समग्र रूप से नहीं बनाई गई थी। इसके अलावा, इन मरम्मतों को करने में काफी देरी तथा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम सुविधाओं के पुनरुद्धार में तालमेल नहीं बनाने के कारण इन मरम्मतों से पहले और उनके पश्चात कुल 6,665.80 करोड़ रु. का उत्पादन और आय में भारी घाटा हुआ था। दोनों फर्नेसों में पूँजीगत मरम्मत के लिए मुख्य तथा सभी अनुषंगी पैकेजों के कार्यान्वयन में देरी से आरआईएनएल के निगरानी तंत्र में कमियां साफ तौर पर दिखाई देती हैं।

ii. पर्यावरण संबंधी मुद्दों का आकलन

चूंकि इस्पात संयंत्र सर्वाधिक प्रदूषणकारी उद्योगों में से एक है, इसलिए पर्यावरण के संरक्षण के लिए बनाए गए विभिन्न विनियमों का पालन करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

आरआईएनएल ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दिनांक 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के तहत यथा–अपेक्षित पर्यावरण मंजूरी लिए बिना 6.3 से 7.3 मिलियन टन प्रति वर्ष के क्षमता विस्तार के अन्तर्गत प्रचालन शुरु किया।

वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए कतिपय गैसों और पदार्थों के उत्सर्जन को निहित मानकों के भीतर रखना होता है। लेखा परीक्षा को संपोषणीयता योजना लक्ष्यों तथा विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानकों की तुलना करते समय कार्बन मोनोऑक्साइड (सीओ), कार्बन डायऑक्साइड (सीओ2), पीएम10 के उच्चतर स्तरों/उत्सर्जन का पता चला। कोक ओवन बैटरियों से अधिक फ्युजिटिव और चार्जिंग उत्सर्जन हुए थे। आरआईएनएल ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कॉरपोरेट उत्तरदायित्व संबंधी चार्टर, 2003 के अंतर्गत यथा–अपेक्षित अपनी पुरानी कोक ओवन बैटरियों का पुनर्निर्माण नहीं किया था। इसके अलावा, पुरानी ऑनलाइन सतत् उत्सर्जन निगरानी प्रणालियों का उन्नयन नहीं किया गया था, अतः ऑनलाइन सतत् उत्सर्जन निगरानी प्रणालियों से प्राप्त उत्सर्जन के आंकड़े विश्वसनीय नहीं है।

संयंत्र में विशिष्ट ऊर्जा की खपत और ब्लास्ट फर्नेस में ईंधन की समग्र खपत की दर आरआईएनएल की संपोषणीयता योजना में निर्धारित लक्ष्यों से अधिक थी जिसकी वजह से अत्यधिक ग्रीन हाउस गैसों का निस्सारण हुआ था। जल प्रदूषण के मामले में भी आरआईएनएल के संयंत्रों द्वारा उत्सर्जित निस्सारण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक था।

इसके अलावा, विद्युत उत्पादन के लिए तापीय विद्युत संयंत्र में उच्च राख की मात्रा वाले बॉयलर कोयले के प्रयोग के कारण फ्लाई एश की उच्चतर मात्रा का उत्सर्जन हुआ। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुक्रम में इस फ्लाई ऐश का उपयोग न करने के कारण पर्यावरण, वायु और भूमि प्रदूषण हुआ। ब्लास्ट फर्नेस/स्टील मेल्टिंग शॉप में स्लैग्स इकट्ठे हुए जिसकी वजह से वायु और भूमि प्रदूषण हुआ।

यह भी देखा गया था कि आन्ध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आरआईएनएल द्वारा उत्सर्जन, गैसों के निकलने, उपकरण लगाने, प्राधिकृत से अधिक खतरनाक अपशिष्ट के उत्सर्जन आदि के संदर्भ में विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित मानकों का निरंतर गैर–अनुपालन का पता लगाने और संयंत्र के विभिन्न निरीक्षणों के दौरान आवश्यक कार्यवाही करने में विफल रहा।

इस प्रकार, आरआईएनएल को उत्सर्जन मानकों का अनुपालन न करने, प्रदूषण निगरानी/नियंत्रण उपकरण का उन्नयन न करने, पुरानी और प्रदूषणकारी उत्पादन मशीनरी को न बदलने के कारण उत्पन्न हुई विभिन्न कमियों से निपटने के लिए अपनी पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है।

3. संसद में प्रस्तुत 'स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड के कार्यकलापों की अनुपालन लेखा परीक्षा' के संबंध में सीएजी की रिपोर्ट पर प्रेस ब्रीफ

'स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड के कार्यकलापों की अनुपालन लेखा परीक्षा' के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट (वर्ष 2022 की लेखा परीक्षा सं. 8) संसद में प्रस्तुत की गई थी।

इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) से संबंधित प्रचालन के 02 चुने गए क्षेत्रों अर्थात रिफ्रैक्टरी प्रबंधन और वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा की गई है।

लेखा परीक्षा के प्रमुख निष्कर्ष

i. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में रिफ्रैक्टरी प्रबंधन

सेल ने इस्पात निर्माण प्रक्रिया में रिफ्रैक्टरी की महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद रिफ्रैक्टरी के लिए अपनी उत्पादन क्षमता का उन्नयन और आधुनिकीकरण करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। कंपनी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, मिश्र धातु इस्पात संयंत्र और इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के इस्पात संयंत्र में रिफ्रैक्टरी की वार्षिक जरूरत का आकलन करने के लिए परिकल्पित रिफ्रैक्टरी कार्य–बल गठित करने में विफल रही। अपनी जरूरतों का आकलन करने में असमर्थता के कारण 257.15 करोड़ रु. मूल्य का (31 मार्च 2020) अतिरिक्त माल रखा हुआ था जबकि कुछ मामलों में रिफ्रैक्टरी की मालसूची 15 से 20 वर्ष तक ब्लॉक पड़ी रही।

सेल आंतरिक रूप से उपलब्ध अप्रयुक्त क्षमता के ईष्टतम उपयोग करने में भी विफल रहा और उसे उच्च लागत पर बाहरी स्रोतों से खरीदने के कारण वर्ष 2015–16 से 2019–20 के दौरान 34.83 करोड़ रु. के अतिरिक्त व्यय का वहन करना पड़ा। खरीद प्रक्रिया में विलंब और कीमत की वैधता अवधि समाप्त होने के कारण भी वर्ष 2015–16 से 2019–20 के दौरान 13.07 करोड़ रु. का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

सेल एक अच्छे विक्रेता आधार विकसित करने में भी विफल रहा और एकल निविदा आधार पर मदों की खरीद करना जारी रखा। राउरकेला इस्पात संयंत्र ने वर्ष 2013–14 से 2019–20 के दौरान एकल निविदा पर 113.39 करोड़ रु. की टुंडिश रिफ्रैक्टरीज की खरीदारी की और बोकारों इस्पात संयंत्र ने वर्ष 2015–16 से 2019–20 के दौरान उसी आपूर्तिकर्ता से स्वामित्व आधार पर 90.28 करोड़ रु. मूल्य के रिफ्रैक्टरीज सैट की खरीदारी की।

कंपनी को टोटल लैडल प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन में विलंब और स्लाइड गेट सिस्टम की नई पीढ़ी के आंशिक कार्यान्वयन के कारण परिहार्य खर्च उठाना पड़ा था।

सेल में रिफ्रेक्टरी प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता है ताकि आंतरिक सुविधाओं का ईष्टतम उपयोग हो सके और रिफ्रैक्टरी की खरीद लागत घटाई जा सके।

ii. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में वित्तीय प्रबंधन

सेल को वर्ष 2015–16 से 2017–18 के दौरान घाटा हुआ और उसके बाद सब–ग्रेड फाइन्स, स्क्रैप आदि के मूल्यांकन के कारण मुख्यतः वर्ष 2018–19 और 2019–20 के दौरान लाभ हुआ था। कंपनी को पिछले पांच वर्षों के दौरान घटती हुई क्रेडिट रेटिंग का सामना करना पड़ा, जो कमजोर प्रचालनात्मक निष्पादन, ऋण के स्तर और ब्याज लागत के कारण हुआ था। सेल की उधारियों में वर्ष 2011–12 में 16,320 करोड़ रु. से 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार 54,127 करोड़ रु. की वृद्धि हुई थी। लेखा परीक्षा ने नोट किया कि कंपनी द्वारा ऋण और ब्याज को बचाने का निर्णय संगत नहीं था। विदेशी विनिमय में उतार–चढ़ाव की दृष्टि से 400 मिलियन अमरीकी डालर के ऋणों के गैर–बचाव के कारण 194 करोड़ रु. का परिहार्य खर्च हुआ। कंपनी ने मार्च, 2017 से दिसंबर, 2017 के दौरान कुछ मामलों को छोड़कर क्रेता ऋण (एलआईबीओआर) पर ब्याज को नहीं बचाया था।

सेल की 21 संयुक्त उद्यम कंपनियों में से आठ प्रचालनरत थी, तीन परियोजना/व्यवहार्यता स्तर के अधीन थी और दस निष्क्रिय या बंद होने वाली थीं। कंपनी ने संयुक्त उद्यम कंपनियों में निधियों के निवेश के लिए कोई नीति या दिशा–निर्देश नहीं बनाया था। ऋणदाताओं में 3,297 करोड़ रु. (2015–16) से 9,020 करोड़ रु. (2019–20) की वृद्धि हुई थी। रेल की कीमत वृद्धि के कारण 1,959.46 करोड़ रु. का दावा प्रस्तुत करने में देरी हुई थी।

इस्पात संयंत्रों द्वारा न्यूनतम गारंटी प्राप्त गैसों के गैर–आहरण के कारण अतिरिक्त व्यय हुआ था। रेलवे द्वारा अनुमति प्राप्त खाली समय से अधिक समय तक ईंजन को रखने के कारण इंडियन ऑयरन एंड स्टील कंपनी के इस्पात संयंत्र को 41.09 करोड़ रु. के इंजन किराया प्रभार का परिहार्य व्यय उठाना पड़ा था। सेल ने वैगन्स की कम लोडिंग के कारण 397.90 करोड़ रु. का अप्रयुक्त मालभाड़े और वैगनों की ओवरलोडिंग के लिए 7.66 करोड़ रु. के जुर्माने का भी भुगतान किया था। अनुमति प्राप्त मात्रा से अधिक जल की खपत के कारण भिलाई इस्पात संयंत्र को 58.33 करोड़ रु. का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा था।

सेल की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाले महत्वपूर्ण अनुपातों जैसे ऋण इक्विटी अनुपात, ब्याज कवरेज अनुपात और ब्याज, कर, मूल्यह्रास पूर्व आय पर निवल ऋण और अंशशोधन अनुपात में भी वित्तीय अस्थिरता दर्शाई थी एवं कंपनी की क्रेडिट प्रोफाइल बदतर हो गई थी।

4. लेखा परीक्षा अभ्युक्तियों के अनुपालन संबंधी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) की **2022 की रिपोर्ट सं. 33** में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) या विभिन्न निगमों को शासित करने वाले कानूनों के अन्तर्गत सीएंडएजी के अधिकारियों द्वारा संचालित केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों और निगमों के लेखाओं और रिकॉर्डों की जांच के परिणामस्वरूप ध्यान में आए महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं।

i. अविवेकपूर्ण वित्तपोषण जिसके परिणामस्वरूप 26.87 करोड़ रु. का घाटा हुआ

एमएसटीसी लिमिटेड (कंपनी) ने दिसंबर, 2009 में सुविधा प्रदाता पद्धति के अन्तर्गत हार्ड कोकिंग कोयले की खरीद के वित्त पोषण के लिए ग्लोबल कोक लिमिटेड (पक्षकार) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। दिसंबर, 2011 में उक्त करार की समाप्ति के बाद कंपनी ने पक्षकार की खराब वित्तीय स्थिति की जानकारी के बावजूद समय–समय पर इसकी समय–सीमा बढ़ाई। कंपनी ने जुलाई, 2019 तक अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए पक्षकार के अनुरोध पर विचार करते हुए 31.37 करोड़ रु. की अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए पक्षकार की धरोहर सामग्री की जोखिम बिक्री नहीं की थी। इसके अलावा, अनुकूल मध्यस्थता निर्णय के बावजूद कंपनी ने इसके कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई नहीं की। पक्षकार राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, कोलकाता के पास गए और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने अंततः पक्षकार के परिसमापन का आदेश दिया (मई, 2018)। कंपनी को अंततः धरोहर सामग्री के निपटान से प्राप्त राशि के रूप में परिसमापक से केवल 1.35 करोड़ रु. (सितंबर 2019) प्राप्त हुए और पक्षकार से 26.87 करोड़ रु. की बकाया राशि उसके बही खातों में अशोधित ऋण के रूप में दर्ज होने के तौर पर स्वीकार की गई और उसे वसूली योग्य नहीं माना गया।

(पैरा 5.1)

ii. परियोजना प्रबंधन में कमियों के कारण घाटा

सेलध्बोकारों इस्पात संयंत्र ने 'स्टील मेल्टिंग शाप–II में हॉट मेटल डी–सल्फुराइजेशन स्टेशन' की स्थापना संबंधी परियोजना के लिए अनुमोदन दिया (जुलाई 2008) और उसका कार्य 51.21 करोड़ रु. तथा 1,696,979 यूरो की संविदा कीमत पर अक्तूबर 2008 में मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (संविदाकार) और मैसर्स डेनियली कोरस बीवी के समूह को सौंपा गया था। इस परियोजना को अप्रैल, 2010 तक पूरा किया जाना था। सेल ने 31 मार्च, 2015 तक इस परियोजना के लिए 53.55 करोड़ रु. का व्यय किया (इसके बाद केवल मध्यस्थता निर्णय भुगतान और कुछ उपलब्धि भुगतान किए गए थे) और जुलाई 2021 तक लागत बढ़कर 67.82 करोड़ रु. हो गई। मुख्यतः सेल द्वारा विभिन्न अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम सुविधाओं को पूरे न किए जाने के कारण परियोजना के पूरा होने की निर्धारित तारीख से 11 से अधिक वर्श बीतने के बाद भी इस परियोजना को षुरू नहीं कर पाया और निश्पादन गारंटी परीक्षण नहीं हो सका। सेल/बोकारो इस्पात संयंत्र ने अपने त्रुटिपूर्ण परियोजना प्रबंधन के कारण 67.82 करोड़ रु. की निधियां ब्लॉक की थी जिसकी वजह से हॉट मेटल डिसल्फराइजेशन स्टेशन परियोजना पूरी नहीं हो पाई और 33.34 करोड़ रु. के ब्याज का परिणामी घाटा हुआ (दिसंबर 2021 तक)। संविदाकार को लंबित लागत के भुगतान के कारण 15.21 करोड़ रु. के अतिरिक्त व्यय का भी वहन करना पड़ा। इसके अलावा, 7–8 वर्ष पहले लगाए गए उपकरणों के लिए नवीकरण की आवश्यकता है, जिसके लिए अनुमानित लागत 57.75 करोड़ रुपये है।

(पैरा 5.2)

iii. राउरकेला इस्पात संयंत्र में स्थापित गैस होल्डर को अप्रयुक्त रखने के कारण घाटा

सेल/राउरकेला इस्पात संयंत्र में वर्ष 1960 के दौरान लगाए गए गैस होल्डरों ने 18 वर्ष की अपनी उपयोगी राशि से अधिक कार्य कर लिया है और तद्नुसार सेल बोर्ड ने (अक्तूबर 2006) उसे बदलने के लिए 1,00,000 क्युबिक मीटर के कोक ओवन गैस होल्डर को स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया है। कार्य आदेश 99.37 करोड़ रु. की लागत से जारी किया गया था (जुलाई 2007) और नया गैस होल्डर चालू हो गया (अगस्त 2010)। यह 7 नवंबर, 2012 तक प्रचालन में था, एक दुर्घटना हुई जिसकी वजह से यह उपकरण प्रचालन में नहीं रहा। राउरकेला इस्पात संयंत्र के कोयला और रसायन विभाग ने गैस होल्डर की मरम्मत के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (जनवरी 2015) परंतु इस प्रस्ताव पर राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। एक बहु–विषयक समिति गठित की गई थी (जून 2020) जिसने गैस होल्डर में सुधार के लिए वैकल्पिक

प्रौद्योगिकियों का पता लगाने के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति की सिफारिश की (सितंबर 2020)। तथापि, गैस होल्डर के पुनरुद्धार पर कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण और विस्तार के बाद उन्नत कोक ओवन गैस स्थिति के मद्देनजर कोक ओवर गैस नेटवर्क में अब गैस होल्डर की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रबंधन द्वारा उसके आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम के आलोक में नए कोक ओवन गैस होल्डर की जरूरत का आकलन करने में विफल रहने के कारण 99.37 करोड़ रु. की लागत से स्थापित गैस होल्डर प्रयोग के केवल 27 महीने बाद अनावश्यक हो गया और नौ से अधिक वर्षों से अप्रयुक्त पड़ा है।

(पैरा 5.3)

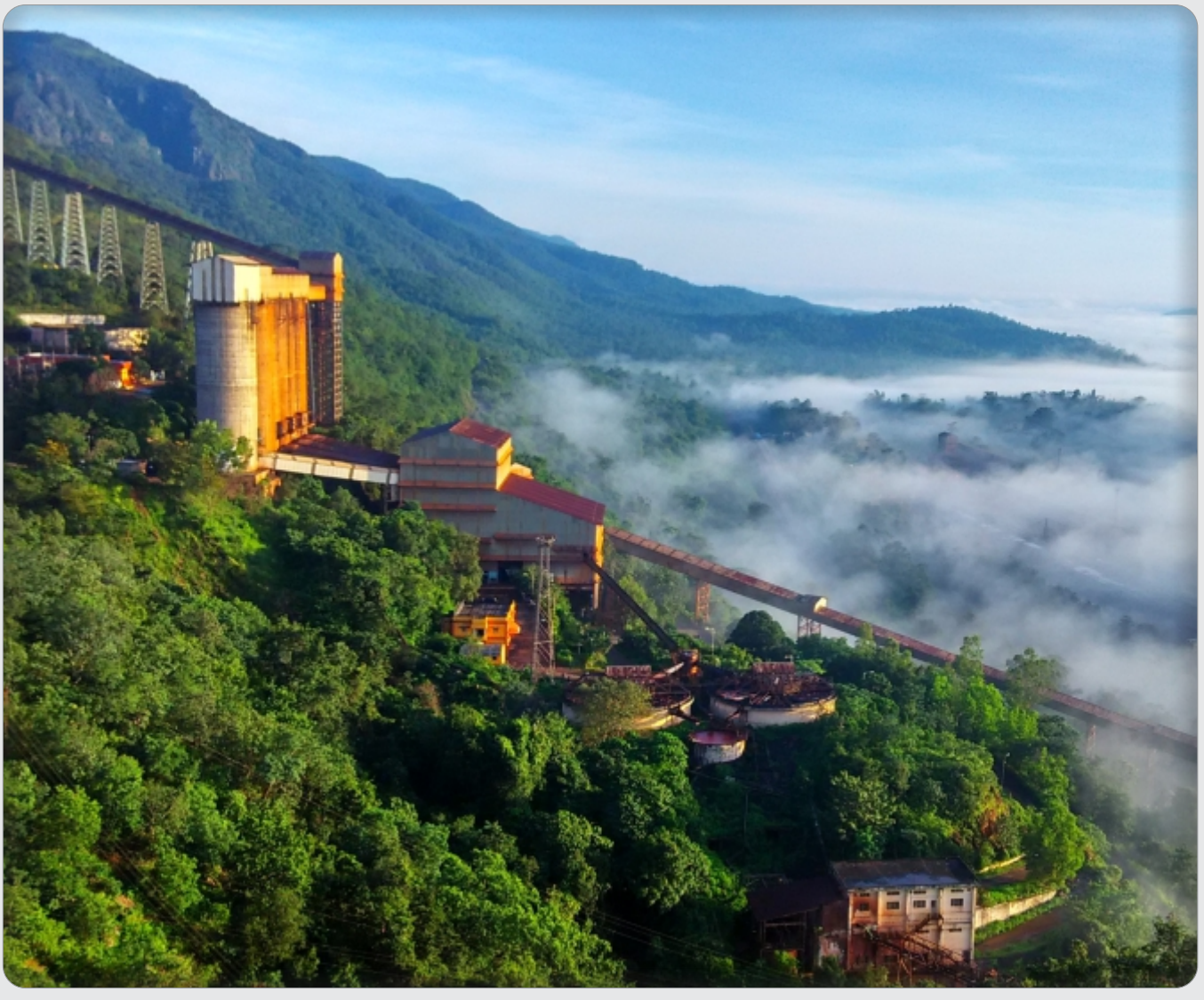

ઇસ્પાતી ઇરાદા

सत्यमेव जयते

इस्पात मंत्रालय
भारत सरकार
www.steel.gov.in

Contad